राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

[अंक 9] चतुर्थ विधान सभा के नवम् सत्र का सत्रहवां दिवस [संख्या 9

बुधवार,

दिनांक 18 नवम्बर, 1970

विधान सभा की बैठक म. पू. 12.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, गृह, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, उद्योग, विधि, खनिज, जन-स्वास्थ्य, विभाग]

प्रश्न संख्या 177

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भगवानदास शास्त्री।

चित्तौड़गढ में गिरफ्तारी

178. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि 19 मई, 1969 में चित्तौड़गढ़ कांग्रेस के मंत्री को पुलिस द्वारा द्वेषवश गिरफ्तारी की गई थी? यदि हां, तो किस अपराध में?

(2) क्या यह सही है कि नगर कांग्रेस के मंत्री श्री शिवशंकर व्यास को हिरासत में लेने के बाद 19-5-1969 से 20-5-69 की शाम तक भोजन नहीं दिया गया? यदि हां, तो पुलिस विभाग द्वारा किये गये इस अनुचित व्यवहार से संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सत्य है कि जमानत देने पर भी पुलिस द्वारा श्री व्यास को अदालत में पेश नहीं किया गया? क्या यह भी सत्य है कि सरकार को भी सूचित किया गया?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी नहीं, चित्तौड़गढ़ कांग्रेस के मंत्री को दिनांक 19 मई, 1969 को द्वेषवश गिरफ्तार नहीं किया गया। ता. 9/10-5-69 की रात को श्री शिवशंकर व्यास, मंत्री, कांग्रेस चित्तौड़-गढ़ को अभियोग संख्या 90 दिनांक 8-5-69 धारा 147।332।333।353 आई. पी. सी. थाना चित्तौड़गढ में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

(2) जी नहीं। श्री व्यास को खाना खिलाया गया था। पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(3) जी नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि 24 घन्टों से भी अधिक उसको हवालात में बन्द किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सही नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि इसने किसी व्यक्ति की शिकायत की थी और यह कहा गया था कि इस डाक्टर को हटा दिया जाय जिसके फलस्वरूप इसको आपने गिरफ्तार किया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वहां पर बलवा हुआ था और उसमें 29 आदमी गिरफ्तार किये गये थे, उस सिलसिले में इसको भी गिरफ्तार किया गया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि इसको गिरफ्तार इसलिए किया गया कि इसने अगुवाई की थी जनता के रोष की और उसको सरकार तक पहुंचाया था जिसकी आपने सुनवाई नहीं की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अगुवाई करने का प्रश्न नहीं है। वहां पर बलवा हुआ था उसमें वह शामिल था और उस बलवे में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो इसको भी गिरफ्तार किया गया था।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरपुर) : क्या यह सही है कि इसका कोर्ट में चालान कर दिया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : चालान किया गया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या कारण हैं बलवे के ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वहां पर एक डाक्टर के खिलाफ कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी और उन्होंने प्रदर्शन किया था। जब तक वह शान्ति प्रिय प्रदर्शन था तब तक कोई सवाल नहीं था लेकिन जब उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और डाक्टरों और कम्पाउण्डरों का घेराव किया और खिड़कियां तोड़ दी और जब उन्होंने इस तरह की नाजायज हरकत शुरू कर दी तो यह बलवा बन गया और उस सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि जो खिड़कियां तोड़ी गई हैं वे पुलिस के अधिकारियों द्वारा ही तोड़ी गई हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मेटर सबजुडिस है। इसके तथ्यों में न जायं। अगला प्रश्न।

भरतपुर में गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था

179. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर नगर में गन्दे पानी के निकालने की समुचित व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि पुरानी बनी हुई नालियों का गन्दा पानी बाहर सड़क एवं मकानों में जाकर भर जाता है जिससे शहर में भारी गंदगी फैली हुई है ?

(श्री नत्थीसिंह)
यदि हां, तो इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्री जी।

श्री नत्थीसिंह : आप सो रहे हैं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखाभाई) : सोने का सवाल ही नहीं।

(1) शहर में नल लग जाने के कारण नालियां पूर्णतः पानी को नहीं निकाल पाती हैं।

(2) शहर के पुराने बड़े नालों के भर जाने के कारण बारिश का पानी जगह जगह भर जाता था। इन नालों की पूर्णतया सफाई करादी गई है और अब यह शिकायत दूर हो चुकी है।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि यह जो पुराने नाले बने हुए हैं उनके ऊपर मकान और गोदाम बन चुके हैं और उनकी सफाई होना असम्भव है अन्दर से, क्योंकि उनमें घुस ही नहीं सकते हैं। तो ड्रेनेज की क्या दूसरी व्यवस्था है ?

श्री भीखाभाई : ड्रेनेज की योजना आवश्यक है इस बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं। मगर जहां तक नगरपालिका के फाइनेन्सेज का सवाल है उनके फाइनेन्सेज यदि एलाउ करते हों तो ड्रेनेज का प्लान बना कर भेजें तो राज्य सरकार उसमें जिस प्रकार के निर्माण के काम में सहयोग देने का प्रश्न उठता है उसी प्रकार से सहयोग दे सकती है, और जो स्कीम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ड्रेनेज योजना बनाने का काम है इन्वेस्टीगेशन और सर्वे के द्वारा, मगर वहां की नगरपालिका का लिखा हुआ आयेगा तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि नगरपालिका के द्वारा आपके विभाग को ड्रेनेज की योजना भेजी गई है ?

श्री भीखाभाई : उसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : मैं इसलिए कहता हूं कि सोते हुए उत्तर दे रहे हैं। वहां से 14 लाख रुपये की ड्रेनेज की योजना कुछ वर्ष पहले भेजी गई है उसके सम्बन्ध में आपने क्या किया ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री नत्थीसिंह : अलग प्रश्न नहीं है, वही प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहां है कोई।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 180।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : प्रश्न संख्या 180।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनके प्रतिनिधि नहीं हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष एक निवेदन है सुन लीजिये यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

Page No 4

श्री उपाध्यक्ष : सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह डेझर्ट एरिया की सड़कों से सम्बन्धित है

श्री उपाध्यक्ष : समय बच जायगा तो ले लिया जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नन्दलालजी मुझे लिखकर दे गये थे लेकिन वह कागज कहीं रह गया है वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह उस क्षेत्र का है जिसके साथ आपकी भी सहानुभूति है। सहरियों के इलाके के लिए आपकी हमेशा सहानुभूति रही है और उनसे सम्बन्धित यह प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : यह वायदा करें कि पूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक दो प्रश्न करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पूछिये।

किशनगंज-रामगढ़-मांगरोल वाया छीनोद सड़क की स्वीकृति

180. श्री नन्दलाल बैरवा : की अनुपस्थिति में

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) द्वारा आ गया : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किशनगंज, रामगढ़-मांगरोल वाया छीनोद सड़क (कोटा) किस साल में स्वीकृत की गई थी।

(2) कितनी धनराशि का एस्टीमेट तैयार किया गया था जिसमें से अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है।

(3) यह सड़क कुल कितने मील लम्बी है और अब तक खर्च की गई धनराशि में कितने मील सड़क तैयार हो चुकी है।

(4) क्या यह सही है कि इस सड़क का काम बन्द पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो किस कारणों से बन्द है ?

(5) यह सड़क कब तक पूर्ण होने का अनुमान है ? पूर्ण होने तक इस सड़क पर कुल कितना खर्च होगा ?

उप मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1963 में स्वीकृत किया गया है।

(2) 7 मील 6 फर्लांग की तकनीकी स्वीकृति 1,78,800 रु. की दी गई है। 1 44,832 रु. व्यय हुआ है।

(3) यह सड़क 22 मील लम्बी है जिसमें 6 मील सड़क बन चुकी है। सड़क कार्य पर 1,44,732 रु. व्यय हुआ है।

(4) जी हां, अर्थाभाव के कारण।

(5) अर्थाभाव के कारण अवधि निश्चित करना सम्भव नहीं है। लगभग 5,00,000 रु. व्यय होने पर सड़क पूर्ण हो सकेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सड़क कब तक पूर्ण हो जायगी ? क्या यह मानकर चलें कि 72 के पूर्व यह सड़क बन जायगी ?

श्री माधो सिंह : जी नहीं।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और जिलाधीश ने पी. डब्ल्यू. डी. को बार बार लिखा है कि सुरक्षा के लिए और डाकुओं से जनता को बचाने के लिए इस सड़क को बनाने की बड़ी आवश्यकता है। इसके बिना पुलिस ट्रैफिक नहीं कर सकती है और डाकुओं को पकड़ नहीं सकती है। इसलिए इस सड़क को तुरन्त बनाने के लिए इस विभाग को लिखा है क्या ?

श्री माधोसिंह : ऐसी जानकारी विभाग को नहीं है। न ही विभाग के पास एन्टी डेकोइटी सड़कें बनाने के लिए फण्ड्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री शिवनार्थसिंह।

काश्त की जमीन को आबादी की जमीन में परिवर्तन

181. श्री शिवनार्थसिंह (गुढ़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बिरला एजूकेशन ट्रस्ट पिलानी जिला झुंझुनू के आम-मुख्त्यार श्री विश्वम्बरलाल खारिया ने दिनांक 6-8-68 को कलेक्टर, झुंझुनू के कार्यालय में 7 आवेदन-पत्र भिन्न भिन्न काश्त की जमीनों को आबादी में तब्दील कराने हेतु प्रस्तुत किये और उन जमीनों को दिनांक 9-8-68 को ही कलेक्टर, झुंझुनू द्वारा लगान माफ कर आबादी में तब्दील कर दिया ? यदि हां, तो उक्त जमीनों का विवरण प्रस्तुत किया जावे ?

(2) इस सब कार्यवाही से सरकार को कितने लगान का घाटा हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि जिस वक्त कलेक्टर के कार्यालय से लगान माफ करने की उपरोक्त कार्यवाही हुई उस समय अदालत एस. डी. ओ., झुंझुनू तथा तहसील चिड़ावा में भी इन्हीं जमीनों का लगान माफ करवाने की कार्यवाही चल रही थी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी हां। यह सही है कि बिरला एज्यूकेशन ट्रस्ट पिलानी जिला झुंझुनू के आम मुख्त्यार श्री विश्म्बरलाल खारिया ने दिनांक 6-8-68 को जिलाधीश कार्यालय में सात आवेदन-पत्र भिन्न भिन्न काश्त की भूमि को आबादी में परिवर्तित करने व लगान खारिज करवाने के लिए प्रस्तुत किये। दिनांक 9-8-68 को जिलाधीश ने इनमें से 5 आवेदन-पत्रों पर लगान खारिज के आदेश दिये तथा बाकी दो आवेदन-पत्र सीमा अधिकार से जायद होने के कारण राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को सिफारिश के साथ प्रेषित किये। इन समस्त आवेदन-पत्रों में वर्णित भूमि की सूची संलग्न है।

(2) इन उपरोक्त सातों आवेदन-पत्रों पर पुनः सुनवाई की जा रही है। इन मामलों में लगान वसूली की कार्यवाही फिलहाल स्थगित की गई है। अगर लगान वसूल करना वाजिब समझा जावेगा तो वसूली की कार्यवाही की जावेगी और यदि लगान काबिले माफी समझा जावेगा तो भी घाटे का प्रश्न नहीं उठता।

(3) यह सही है कि जिस वक्त जिलाधीश कार्यालय से लगान माफ कराने की कार्यवाही शुरू हुई, उस समय उप, मण्डल अधिकारी, झुंझुनू के कार्यालय में इन्हीं

(श्री गंगाराम चौधरी)
जमीनों का लगान माफ करवाने की कार्यवाही विचाराधीन चल रही थी।

(कृपया परिशिष्ट i देखिये)

श्री शिवनाथसिंह : यह जो झुंझुनूं में कार्यवाही चल रही थी उसमें क्या हुआ ?

श्री गंगाराम चौधरी : उस पर जिलाधीश ने अपना निर्णय ले लिया है।

श्री शिवनाथसिंह : क्या एक ही व्यक्ति निर्णय करता है ? कलेक्टर को कोई पावर्स नहीं हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही है कि जिलाधीश अवकाश पर थे इसलिए एस.डी.ओ. ने कार्य किया। लेकिन अब जिलाधीश के पास विचाराधीन है।

श्री शिवनाथसिंह : जिस रोज डिसीजन दिया उस रोज और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गंगाराम चौधरी : डेफिनेट सूचना नहीं है।

श्री शिवनाथसिंह : तो किस प्वाइण्ट पर सरकार ने दुबारा आदेश दिया है ? क्या खामियां थीं ?

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्व मण्डल ने एक आपत्ति के साथ कलेक्टर के पास भेज दिया है। अब सभी मामले को पुनः विचारार्थ ले लिया है।

श्री शिवनाथसिंह : मेरा निवेदन है कि जो आफिसर इतना बड़ा घाटा पहुँचाने का कारण बना हो, उस पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): कलेक्टर का फैसला हो जाये, उसके बाद।

श्री शिवनाथसिंह : कलेक्टर का फैसला हो गया है। रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला कर दिया है तो कलेक्टर कहां आता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : माफ होना है लगान या नहीं, यह कलेक्टर का फैसला हो जाये।

श्री शिवनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह दूसरा प्रश्न है। कलेक्टर ने रूल्स को फालो नहीं किया है। इसको कलेक्टर मान लेता है, लगान माफी होना चाहिए। उसने गलती की है। उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने जैसा कि निवेदन किया है, कुछ कमियां रह गई थीं जिनके कारण यह किया गया है। जिलाधीश और एस. डी. ओ. को अलग अलग अधिकार हैं ? राशि के सम्बन्ध में 500 रुपये तक एस. डी. ओ. और 1000 रु. तक कलेक्टर कार्यवाही कर सकता है। तो उसमें कुछ खामियां रह गई थीं। कलेक्टर दुबारा देख रहा है, उस पर जो निर्णय होगा . . . .

श्री शिवनाथसिंह : कौनसी खामियां रह गई थीं ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार एस. डी. ओ. द्वारा की गई कार्यवाही, जो उसने कलेक्टर का काम किया है, बिना रिपोर्ट लिए इस तरह से कनवर्ट कर देना उचित मानती है इस प्रोसीजर को ?

Page No 7

श्री गंगाराम चौधरी : इसमें कनवर्शन का प्रश्न है। बिरला एजूकेशन ट्रस्ट पिलानी के पास जो जमीन है, उसमें उन्होंने तामीर बनाई है लेकिन राजस्व मण्डल में वह कृषि भूमि में दर्ज है। इसलिए जब लगान निकलने लगा तो ट्रस्ट वालों ने यह लिखा कि यह गलत है। इसलिए एस. डी. ओ. ने कलेक्टर की हैसियत से निर्णय लिये हैं। उसको राजस्व मण्डल को भेज दिया तो उन्होंने वापिस कागज रिमाण्ड कर लिए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रामकुमार नन्दवाना।

कपासन में बलात्कार का मामला

182. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौडगढ) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 26 सितम्बर, 70 को कपासन में सोमानी परिवार की महिला के साथ कोई बलात्कार किये जाने की घटना घटी ?

(2) क्या इसके बारे में कपासन नगर के खास खास प्रतिष्ठित व्यक्ति 27 सितम्बर, 70 को जिलाधीश, एस. पी. चित्तौड़ से जाकर मिले ? यदि हां, तो एस. पी. ने क्या कदम उठाया ?

(3) क्या यह सत्य है कि थानेदार कपासन (श्री पन्नालाल पुरोहित) ने उस घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं को ? यदि हां, तो क्यों और उस वक्त थानेदार कहां थे और क्या कर रहे थे ?

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त घटना से नाराज होकर जनता के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति कलेक्टर व एस. पी. से मिलने आये तब एस. पी. ने डी. एस. पी. चित्तौड़ को प्राथमिक जांच करने कपासन भेजा और कहा कि घटना सही पाने तथा रिपोर्ट दर्ज न करने के आधार पर थानेदार को मुअत्तिल करने का आदेश दिया था ? यदि हां तो फिर क्या कारण है कि एस. पी. चित्तौड़ ने थानेदार को बहाल कर वापिस ड्यूटी पर लगा दिया ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) इस तरह की घटना की जबानी शिकायत दि. 26-9-70 को श्री मदनलाल सोमानी द्वारा थानेदार कपासन को दी जाना बताया जाता है।

(2) दिनांक 27-9-70 को नगर के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति इस बारे में एक लिखित शिकायत लेकर अधीक्षक आरक्षी, चित्तौड़गढ़ से मिले थे और थानेदार द्वारा मामले में कार्यवाही न करने का आरोप भी लगाया था। अधीक्षक आरक्षी ने यह शिकायत वास्ते फोरी जांच उप अधीक्षक आरक्षी, चित्तौड़गढ़ को तुरन्त दे दी जो उसी दिन कपासन वास्ते जांच चले गये।

(3) थानेदार ने इस शिकायत पर कोई रपट या मुकदमा दर्ज नहीं किया इस गलती के लिए थानेदार के विरुद्ध एस. पी. द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है। उनको पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ बुलाने के आदेश दे दिये गये हैं। उस समय थानेदार अपने क्वाटर में थे।

(4) जी हां। नगर के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति अधीक्षक आरक्षी, चित्तौड़गढ़ से इस सम्बन्ध में ता. 27-9-70 को मिले थे लेकिन अधीक्षक आरक्षी ने थानेदार को

Page No 8

(श्री हीरालाल देवपुरा)
मौग्रत्तिल करने का कोई ग्रादेश नहीं दिया था। थानेदार को शिकायत की। सी. ग्रो. द्वारा जांच के दौरान पुलिस लाइन चितौड़गढ़ बुला लिया गया था। दशहरा मेले के इंतजाम के सम्बन्ध में उसे ग्रस्थायी तौर पर वापस कपासन भेजा था। थानेदार के खिलाफ विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है। उन्हें पुनः पुलिस लाइन से बुलाने के ग्रादेश दे दिए गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रगला प्रश्न।

खेतडी ताम्बा फैक्ट्री में मजदूर

183. श्री रामचन्द्र ग्रार्य (नोहर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि खेतड़ी तांबा फैक्ट्री में राजस्थान के निवासी मजदूरों को ग्रस्थायी रखा जाता है ग्रौर बाहर के मजदूरों को स्थायी ?

(2) क्या सरकार यह ग्रनुभव करती है कि केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की फैक्टरियां उद्योग ग्रादि इसी प्रयोजन के साथ भी खोले जाते हैं कि स्थानीय लोगों को मजदूरी मिल सके ?

(3) क्या उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये सरकार कोई कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन): उपाध्यक्ष महोदय, यह उद्योग विभाग से सम्बन्धित नहीं है। इसलिए इसे स्थगित किया जाये।

श्री रामचन्द्र ग्रार्य : क्या राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती है कि जब उनको स्थायी करने की विधि नजदीक ग्राती है तो उनको कुछ दिनों के लिए ग्रलग कर दिया जाता है। इसके बाद उनको फिर ले लिया जाता है।

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसीलिए निवेदन किया है कि यह एम्प्लायमेण्ट से सम्बन्धित है। यह उद्योग गवर्नमेन्ट ग्राफ इण्डिया से सम्बन्धित हैं। इसका जूरिस्डिक्शन नहीं है। ग्रगर एम्प्लायमेण्ट डिपार्टमेण्ट से जानकारी चाहते हैं तो उनसे पूछा जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरे विभाग से 12 तारीख को लिख दिया गया है।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल (ग्रलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर भी सेण्ट्रल प्रोजेक्ट हैं, वह बाहर से चीप लेबर लगाते हैं। बाहर के लोगों को काम नहीं मिले मुझे यह नहीं कहना है लेकिन स्थानीय लोगों को काम मिल सके यह स्टेट गवर्नमेण्ट का दायित्व है। राजस्थान के लोगों के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको स्थगित किया जाता है। ग्रगले समय में इसका उत्तर दिला दिया जाएगा।

श्री रामचन्द्र ग्रार्य : क्या इसी सत्र में ?

श्री उपाध्यक्ष : पूरी कोशिश करेंगे कि उत्तर इसी सत्र में प्राप्त हो जाये।

श्री रामचन्द्र ग्रार्य : ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। तो राजस्थान सरकार का यहां की जनता के प्रति क्या कोई उत्तरदायित्व नहीं है ? वहां पर जो बाहर के काम करते हैं उनको स्थायी रखा जाता है। राजस्थान के मजदूरों को स्थायी नहीं रखते हैं।

Page No 9

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न दुबारा आयेगा। आपको समय दिया जायेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसे मामले की किसी अन्य तरीके से रिपोर्ट ले लें।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : स्थानीय लोगों को प्रमुखता देने में क्या दिक्कत है?

श्री हरिदेव जोशी : सवाल यह नहीं है। विभाग का बंटवारा हो। यह इण्डस्ट्री विभाग से सम्बन्धित ही नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : बंटवारा तो असेम्बली में भी है। आप सुझाव तो दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उद्योग मन्त्री इन-कार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं श्रम मन्त्री से उत्तर दिलाऊंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप मुख्यमन्त्री से उत्तर दिलायें। मुख्यमन्त्री से उत्तर दिलवाया जाये और वहां के मजदूरों का कोटा निर्धारित किया जाये।

छबड़ा में मुंसफी कार्यालय

184. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सरकार की नीति के मुताबिक जहां सब-डिवीजन हैडक्वार्टर हो वहां पर ही न्यायालय मुन्सफी का हैडक्वार्टर होना चाहिये?

(2) क्या यह सही है कि छबड़ा सब-डिवीजनल हैड क्वार्टर होने के बावजूद श्री मुन्सफी कार्यालय का हैड क्वार्टर छबड़ा में नहीं रखा गया है? यदि हां, तो किन कारणों से ऐसा किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि हाई कोर्ट के जज महोदय की सिफारिश के बावजूद भी मुन्सफी न्यायालय का कैम्प छबड़ा के बजाय अटरू में होता है? यदि हां, तो ऐसा किस वजह से हो रहा है?

उप मन्त्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां, जहां तक सम्भव हो सके।

(2) जी हां। ऐसा कुछ प्रशासनिक कारणों से किया गया है।

(3) जी नहीं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की स्पष्ट पालिसी है और कोठारी आयोग की या किसी आयोग की इस तरह की रिपोर्ट है कि जहां सब-डिवीजनल हैड क्वार्टर हों वहां पर ही मुन्सफी मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी। दुर्भाग्य से यह मान कर चलिये कि मेहनत तो हमने की है और फल का मजा यह ले रहे हैं। रामचरण को हमने जिताया था और मजे ले रही है कांग्रेस यह हमारे क्षेत्र के साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस मामले को लेकर आप सरकार की प्रताड़णा करें।

श्री रामचरण (उप मंत्री) : यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई इस तरह की रिपोर्ट हो सरकार उसको मान ले। (शोरगुल : व्यवधान:) (अश्रव्य)

श्री प्रेमसिंह सिघवी : बैठ जा। पैसे ले लिये, आगे क्या फायदा कहने से। मजे ले लिये।

अब आगे बढना है साहब! दूसरी चीज और है साहब मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट सब डिवीजनल हैड क्वार्टर पर होनी चाहिए जिससे वहां की जनता को फेसेलिटी हो। मैं आपको यह सूचना देने को तैयार हूं कि राजस्थान के हाई कोर्ट के जज को जो रिपोर्ट है वह छबड़ा के फेवर की है। इसके अलावा जो छबड़ा का कस्बा है वहां दस-पन्द्रह हजार की आबादी है और अटरू हजार डेढ़ हजार की बस्ती है। इसके अलावा अटरू में न तो कोई होटल है और न वहां पर कोई ठहरने का इन्तजाम है, इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। सरकार को चाहिए कि दलगत राजनीति को छोड़ कर जहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट होनी चाहिए वहां पर ही वह उसे वापिस लाये।

श्री रामचरण : अटरू के अन्दर छबड़ा से अच्छी बिल्डिंग है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह राज्य सरकार की निगाह में है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट को छबड़ा से अटरू शिफ्ट किये जाने के बाद में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट का दायरा कम हुआ है और इसके साथ ही केसेज का डिस्पोजल भी कम हुआ है मुन्सिफ मजिस्ट्रेट केसेज का डिस्पोजल नहीं करते हैं बल्कि मक्खी मारते रहते हैं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस प्रकार की सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री महोदय यह बतायें कि आपने जो प्रशासनिक दृष्टि से यह व्यवस्था की है तो क्या यह प्रशासनिक व्यवस्था स्थाई है या अस्थाई है? अस्थाई दृष्टि से की है, और मेरी जानकारी जो है उसके अनुसार राज्य सरकार ने यह अस्थाई व्यवस्था की है तो राज्य सरकार स्थाई व्यवस्था किस तरह से करना चाहती है? हाई कोर्ट के जज की रिपोर्ट का पुनरावलोकन करके स्थाई तौर पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट को छबड़ा में शिफ्ट किया जाय-क्या इसको सरकार मानने को तैयार है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में यह नहीं कहा कि यह व्यवस्था अस्थाई है। आप स्वयं यह कह रहे हैं। मैंने कहा है जी हां, ऐसा कुछ प्रशासनिक कारणों से किया गया है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया असत्य बोल रही हैं (श्री देवी दत्त गाड़िया के खड़े होने पर) यार मैं बोल रहा हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय .....

श्री मदन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट अटरू में इस नाम से है, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट छबड़ा, कैम्प अटरू। मंत्री महोदया हाउस को मिसगाइड कर रही हैं, क्या यह सही है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैं हाउस को मिसगाइड नहीं कर रही हूं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही नहीं है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट छबड़ा कैम्प अटरू के नाम से यह कोर्ट चल रही है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : जो कोर्ट अटरू में चल रही है वह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट छबड़ा कैम्प अटरू के नाम से है-क्या यह सही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस प्रकार की जानकारी मुझे नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह बिल्कुल सही है। यह बात सही है। आप असत्य कह रही हैं। इसका आज भी नाम है मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट छबड़ा, कैम्प अटरू, वह इस कारण से हुआ कि वहां पर भवन की व्यवस्था नहीं हो सकी थी। उसके बाद वहां की जनता ने लिख कर दिया तो वहां हाईकोर्ट के जज आये और उन्होंने जांच की, जांच करने के बाद में अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि छबड़ा क्योंकि सब-डिविजनल हैड क्वार्टर है और वहां की जनता मांग कर रही है इसलिए मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट छबड़ा में खोली जाय, प्रशासनिक दृष्टि से, अधिकार की दृष्टि से, नियम की दृष्टि से और न्याय की दृष्टि से वहां पर खोली जाय। क्या यह सही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो अभी व्यवस्था की गई है वह जनता की सुविधा को देख कर की गई है।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या आपने छबड़ा ....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक बात जानना चाहते हैं, यह जो कहा कि प्रशासनिक दृष्टि से छबड़ा की जगह अटरू में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट स्थापित की गई है-यह प्रशासनिक कारण क्या है ? आप यह बतायें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यही कारण है कि दल बदल हो गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह फैक्ट है ? क्या यह सही है ?

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 184 के खण्ड एक का उत्तर दिया है वह नीति से सम्बन्धित है और जहां तक नीति और सिद्धान्त का प्रश्न है, राज्य सरकार यह मानती है कि नीति यह है कि सब डिवीजनल हैड क्वार्टर जहां हो वहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो। इसमें कोई विवाद नहीं है क्योंकि राज्य सरकार यह मानती है। अब प्रश्न यह है कि जो उत्तर दिया है उसमें खण्ड दो में यह कहा है कि प्रशासनिक कारणों से मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट अटरू में रखी गई है। इसके अतिरिक्त और कोई उत्तर राज्य सरकार नहीं देती है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि आप इसको नीतिप्रधान मानती हैं या राज्य सरकार प्रशासनिक सुविधा और कठिनाई को प्रधानता देती है जहां पर न्याय प्रशासन का प्रश्न हो ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! संक्षेप में

श्री दुर्गालाल बादवार : मेरा प्रश्न यह है....

Page No 12

श्री उपाध्यक्ष : वह कह दिया प्रश्न पहले।

श्री दुर्गालाल बादवार : वह प्रशासनिक कारण क्या हैं ? कम से कम राज्य सरकार इस पर तो प्रकाश डाले।

श्रम मंत्री (श्री भीखा भाई) : उपाध्यक्ष महोदय, नीति का प्रश्न यह नहीं है कि जहां एस. डी. ओ. हेड क्वार्टर हो वहां पर भी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो · · ·

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : कैसी बात कह रहे हैं, भीखाभाई . . .

श्री भीखा भाई : सागवाड़ा, नाथद्वारा, नावां—कितने ही ऐसे स्थान हैं जहां पर एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर नहीं हैं लेकिन फिर भी वहां मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट की आवश्यकता महसूस की गई जनता की सुविधा के लिए, जनता की आवाज पर इसलिये वहां पर रखी गई।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या आप यह मानते हैं कि जहां तक खबड़ा का प्रश्न है वहां पर जनता की आवाज नहीं थी, जनता की सुविधा नहीं थी · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! अगला प्रश्न ! आर्डर प्लीज !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है · · · ·

श्री मदन सिंह : क्या हाई कोर्ट के जज ने ऐसी रिपोर्ट दी है कि वहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट होनी चाहिए ? मंत्री महोदय, क्या हाई कोर्ट के जज ने इस मांग का समर्थन किया है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट खबड़ा में होनी चाहिए ?

श्री देवीदत्त गाडिया : आप हाई कोर्ट के जज की रिपोर्ट बताइये, उसमें क्या है? क्या यह सही है · · ·

श्री भीखा भाई : सुनिये। न बाफणा समिति की रिपोर्ट से यह सम्बन्धित है, न जैसा आप कहते हैं, कोठारी आयोग की रिपोर्ट से सम्बन्धित है · · ·

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हाई कोर्ट के जज ने रिपोर्ट प्रजेन्ट की है। आप क्या कह रहे हैं ? आप असत्य बोल रहे हैं।

श्री दौलत राम सारण : क्या यह सही है · · · ·

श्री दुर्गालाल बादवार : क्या यह सही नहीं है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खबड़ा के अन्दर इन्सपेक्शन किया और इन्सपेक्शन के बाद में उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें यह कहा ? अगर यह नहीं कहा तो क्या कहा ? इस पर आप प्रकाश डालें।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सम्बन्ध में जहां तक चीफ जस्टिस का सवाल है, तो वह जब पहले वक्त पधारे थे उस वक्त यह बात आई कि अटरू में स्थापित की जाय। उसके बाद में वकील और दूसरे लोग मिले तो यह कहा कि कोर्ट खबड़ा में स्थापित कर दी जाय। यह बात है कि जनता की सुविधा और प्रशासनिक व्यवस्था को सामने रख कर यह तय करना है · · · ·

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है · ·

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि मैंने पहले जब क्वेश्चन किया था उस वक्त राज्य सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था कि हाई कोर्ट के जज का निर्णय इस बात में अन्तिम समझा जायगा, अगर स्थिति देखने के बाद वह रिपोर्ट में यह कह दें कि अदालत छबड़ा में रहनी चाहिए तो राज्य सरकार छबड़ा में शिफ्ट करने की व्यवस्था कर देगी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : पिछली वार यह उत्तर दिया है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : पिछली बार मेरे क्वेश्चन के उत्तर में यह कहा है।

श्री भीखा भाई : आफ हैंड मुझे याद नहीं है।

श्री मदनसिंह : मंत्री महोदय, सिट डाउन, अभी मंत्री महोदय ने यह कहा है कि हाई-कोर्ट के जज ने यह सजेशन दिया है। यह अभी कहा है कि हाई कोर्ट के जज ने सजेशन दिया है। अब आप कहते हैं कि याद नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आप यह बात तो मान लीजिये।

श्री भीखा भाई : मैंने कहा था, जब पहले वक्त में चीफ जस्टिस पधारे थे उस वक्त···

श्री मदनसिंह : Do not cay 'No'

श्री भीखा भाई : अटरू की बात हुई थी, उसके बाद दूसरा रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस के सामने पेश हुआ उस पर उन्होंने वहां पर उन लोगों को सुना। अब सवाल है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट वहां पर हो जिसे सेन्टर प्लेस मानकर चलते हैं। अब अटरू करना है या छबड़ा। तो यह करना सरकार के सोचने का मामला है। यह सरकार के सोचने का मामला है और इसमें जरूरी नहीं है कि सरकार किसी की राय को माने या नहीं माने।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सरकार के हाथ का मामला है तो वहां की जनता ने कई रिप्रेजेंटेशन रखे कि हमारे साथ न्याय किया जाय। जनता के हित के अलावा आपके सामने और कोई रीजन हो सकते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बिल्डिंग की कमी को देखते हुए···

श्री गिरधारी लाल व्यास : अटरू में क्यों जनता नहीं रहती है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : केसेज की एन्ट्री को देखते हुए, मुकदमों की संख्या को देखते हुए–इन सब आधारों पर राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि यह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट वापिस छबड़ी में शिफ्ट कर दी जाय ? आप इसका यस और नो में जवाब दीजिये।

श्री भीखा भाई : यस और नो में जवाब देने की स्थिति में मैं नहीं हूं···

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्यों स्थिति में नहीं है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : भगवान ने, भीखा भाई, आपको पहले ही सजा दे दी है। अब आप झूंठ बोलोगे तो क्या होगा ?

श्री भीखा भाई : जो स्थिति थी वह मैंने कह दी।

श्री दुर्गालाल बादवार : उपाध्यक्ष महोदय, यह कन्टेम्प्ट आफ हाउस है। मंत्री महोदय सवाल का इस प्रकार का जवाब दें तो यह कन्टेम्प्ट आफ हाउस का सवाल है। सरकार कहती है कि निर्णय सरकार को लेना है, इसके लिए न हाई कोर्ट के जज की रिपोर्ट का महत्व है और न जनता की डिमाण्ड का।

श्री लक्ष्मणसिंह : जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा यह डिसाइड हो चुका है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट छबड़ा में हो तो अटरू में ले जाने के वास्ते सरकार के पास क्या कारण हैं ? यह मेरी समझ में नहीं आता है।

यह वोटिंग अबाउट द बुश है। अनेक बार हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट के जज ने निर्णय किया है उस निर्णय को सरकार क्यों टेम्पर विद करती है ?

श्री भगवान दास शास्त्री : किया है या नहीं–यह कहें ?

श्री लक्ष्मणसिंह : जनतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं को मद्दे नजर रखते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्णय को सरकार को आखिरकार मानना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है ? अगर जनतांत्रिक सरकार है तो उस निर्णय को मान लेना चाहिए ?

श्री भीखा भाई : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री लक्ष्मणसिंह : एक आपत्ति और है। कृपा करके सुनलें। यहां पर बताया गया है कि छबड़ा म्युनिसिपल टाउन है जबकि डेढ़ हजार की बस्ती है। तो वहां पर कोर्ट रखना सुविधाजनक होगा या म्युनिसिपल टाउन में, यह सामान्य बुद्धि का सवाल है।

श्री भीखा भाई : अटरू में जो कोर्ट कायम की ...

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि यह कोर्ट अटरू में इसलिए रखी है कि ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भीखा भाई : मैंने जैसा निवेदन किया, अटरू सेंट्रल प्लेस है ...

(शोरगुल)

आम जनता की सुविधा के लिए, न कि वकीलों की सुविधा के लिए, ऐसा किया है ...

(व्यवधान) (कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री रूपसिंह : जब मैं हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार था तो मुझे इस बारे में मालूम है कि कोर्ट स्थापित करने के लिए क्या बातें देखी जाती थीं। एक तो लिटीगेन्ट पब्लिक, साथ में वकील जजेज वगैरह के मकानों, मुन्सिफ कोर्ट की बिल्डिंग को देखना और नंबर आफ केसेज को देखकर हम कोर्ट रखा करते थे। यह नियम नहीं हैं कि परटीक्यूल

(श्री रूपसिंह)

जगह पर न कोई हाई कोर्ट कहता है। हम सब जगह का स्टेटमेंट देते थे, कन्सल्टेशन करते थे। यह कोई जरूरी नहीं कि हैडक्वाटर पर रखता हो जैसे प्रतापगढ़ है। अब हाई कोर्ट जज द्वारा स्थिति की जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि कोर्ट छबड़ा में ले जाना चाहिए तो यह हाई कोर्ट की लुक आउट है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ? और भी प्रश्न बचे हुए हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि मुंसिफ कोर्ट छबड़ा से हटाने के बाद उसका हेडक्वार्टर न छबड़ा में है न अटरू में है, बल्कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने अपना हेडक्वार्टर बारां में बना रखा है जो सबसे आगे है। हालत यह है कि न बिल्डिंग न मुंसिफ मजिस्ट्रेट के रहने के लिए मकान, वकीलों के लिए कोई जगह नहीं, अटरू में जगह नहीं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट बारां में रहता है और दो तीन दिन सप्ताह में जाकर अटरू में कोर्ट होल्ड करता है। ऐसी हालत में हम जानना चाहते हैं मंत्री महोदय से कि किस कारण से आपने ऐसा किया है लिटीगेन्ट पब्लिक के कास्ट पर, वेल्फेयर के कास्ट पर, आज मुंसिफ मजिस्ट्रेट छबड़ा जहां पर हेडक्वार्टर एस. डी. ओ. का है, जहां म्युनिसिपल एरिया है, जेल है, वहां से हटाकर अटरू लेकर आए हैं। हाई कोर्ट का रिकमंडेशन है कि कोर्ट वापस छबड़ा में रखी जाय, मुंसिफ मजिस्ट्रेट का हेडक्वार्टर न छबड़ा में न अटरू में रखा है, बारां में रखा है। दो तीन दिन सप्ताह में अटरू जाता है · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके हैं, दोहरायें नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : इसमें निर्णय लेने का कारण यह रहा कि इसमें अटरू और छीपाबड़ोद दोनों पंचायत समितियों ने अटरू में हेडक्वार्टर रखने के लिए कहा जबकि छबड़ा उस संबंध में अलग राय रखता है और यह कोर्ट तीन एरियाज को फोड करता है सेंट्रल प्लेस की वजह से।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मन्त्री ने चतुराई से टालने की कोशिश की है। छबड़ा की पंचायत समिति ने कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं किया। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए प्रधान को बुलाकर लिखवा लिया तो मैं कह नहीं सकता लेकिन छबड़ा की पंचायत समिति ने कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं किया। आज भी अटरू के अंदर जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, व छबड़ा कोर्ट, कोर्ट अटरू है। पंचायत समिति की जनरल मीटिंग का भवन है, उसको खाली किया जाता है। बाद में सप्ताह में तीन दिन मुंसिफ अटरू जाता है, जेल छबड़ा में है, सारी स्थिति को देखकर नई दृष्टि से हाई कोर्ट के जज की रिपोर्ट को देखते हुए, मेरा निवेदन है कि वापस कोर्ट छबड़ा में स्थापित की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सब बातें पहले आ चुकी हैं।

Page No 16

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति के निर्णय को प्राथमिकता दी जाय और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओपीनियन की अवहेलना की जाय, यह ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने सिद्धांत रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि इस प्रकार के कोर्ट्स या तहसील हेडक्वार्टर या किसी आफिस के लिए यदि आसपास के पंचायत समिति के प्रधान या पंचायत समिति प्रस्ताव पास कर दे तो क्या राज्य सरकार उस प्रस्ताव के अनुसार काम करने के लिए तैयार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या ?

श्री लक्ष्मणसिंह : अलग ऐसा रिजोल्यूशन है तो सरकार को इग्नोर करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि दो पंचायत समितियों ने इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया था और उस कारण हाई कोर्ट की राय के अनुसार छबड़ा में हाई कोर्ट न रखकर अटरू में स्थापित किया गया, मैं जानना चाहता हूँ कि सिद्धांत रूप से सरकार ने स्वीकार कर लिया कि यदि पंचायत समिति का प्रधान, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत किसी आफिस के हेडक्वार्टर के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करे तो क्या राज्य सरकार उसके अनुसार उसे स्थापित करने के बारे में निर्णय लेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हालात पर निर्भर करता है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जब बारां आए थे और उन्होंने चावल मिल का उद्घाटन किया था, छबड़ा का डेप्यूटेशन आपसे मिला था और मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था और कहा था कि मैंने यद्यपि राम चरण को अपने दल में मिलाने का पाप कमाया लेकिन छबड़ा को बरबाद नहीं होने दूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कई डेप्यूटेशन्स मेरे पास मुझे यही कहने के लिए आए कि अटरू सेंट्रल प्लेस है इसलिए एस. डी. ओ. का हेडक्वार्टर अटरू में होना ज्यादा ठीक है, तब भी मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, वह छबड़ा में ही रहेगा।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : एक प्रश्न और है। क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री हमारे क्षेत्र से, छबड़ा, छीपा बड़ौद व अटरू से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और जब वे पधारे थे मुख्य मन्त्री अच्छी तरह वाकिफ हैं पहले अटरू आता है, बाद में छीपा बड़ौद और बाद में छबड़ा। जैसे भीखाभाई ने फरमाया अटरू सेंट्रल प्लेस है, यह बिल्कुल गलत है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : फीते से नाप लिया जाए ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस प्रश्न ने काफी समय ले लिया है। काफी प्रश्न बचे हुए हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : विधि मंत्री श्री बरकतुल्लाजी ने यहां पर आश्वासन दिया था कि यदि हाई कोर्ट की यह राय हो गयी कि मुन्सिफ कोर्ट छबड़ा में रखी जाय तो जज की राय के अनुसार छबड़ा में स्थापित कर

(श्री देवीदत्त गाडिया)
दी जावेगी। क्या यह सही है कि विधि मंत्री ने यह आश्वासन दिया था ?

श्री भीखाभाई : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री कृष्णकुमार गोयल।

राजस्व अपील अधिकारी का रिक्त पद

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि कोटा में स्थित राजस्व अपील अधिकारी का पद रिक्त पड़ा हुआ है ? अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि बार एसोसियेशन धौलपुर ने धौलपुर क्षेत्र के राजस्व संबन्धी मुकदमों को कोटा राजस्व अपील अधिकारी क्षेत्र में रखने की मांग की है ?

(3) अगर हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है।

उपमंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी हां।

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सुनाई नहीं दिया। दुबारा शुरू करें।

श्री गंगाराम चौधरी : (1) जी हां। दिनांक 12-12-70 से बीच में दिनांक 1-4-70 से 29-9-70 तक पद रिक्त रहा।

(2) जी नहीं। बार एसोशियेशन, धौलपुर ने मांग की थी कि राजस्व अपील अधिकारी का न्यायालय भरतपुर में स्थापित किया जावे और यदि भरतपुर में स्थापित नहीं किया जा सकता है तो आथोरिटी का कैम्प माह में कम से कम 10 दिन धौलपुर में रखे जाने की व्यवस्था की जावे और यह भी संभव न हो तो धौलपुर को राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के क्षेत्राधिकार में किया जावे।

(3) भरतपुर जिले के राजस्व मुकदमों की सुनवाई के लिये राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा माह में एक साथ दस दिन भरतपुर में केम्प करने की व्यवस्था कर दी गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि कोटा के अन्दर राजस्व अपील अधिकारी का स्थान 1 अप्रेल 70 से अब तक रिक्त पड़ा हुआ है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैं निवेदन कर चुका हूं कि 1 अप्रेल 70 से 29.9.70 तक यह पद रिक्त रहा और 30.9.70 से 12-11-70 तक काम किया उसके बाद अपील अधिकारी रिटायर हो गये इसलिये 12-11-70 से रिक्त है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 1 अप्रेल 1970 से लेकर आज तक अपील अधिकारी का दफ्तर बन्द पड़ा है। क्या यह सही नहीं है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने आपको बताया कि 30-9-70 से 12-11-70

(श्री गंगाराम चौधरी)
तक अपील अधिकारी ने काम किया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या अभी भी कोई नियुक्ति हुई है या स्थान रिक्त है ?

श्री गंगाराम चौधरी : 12-11-70 से फिर से रिक्त है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पता नहीं यह कैसे सूचना दे रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूं कि 6 महीने से राजस्व अपील अधिकारी का स्थान रिक्त पड़ा है। किसान लोग पेशियों पर आते हैं चले जाते हैं। आपकी सूचना क्या है ? यह आपका दफ्तर है या मजाक है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने आपको बताया कि अपील अधिकारी ने 30-9-70 से 12-11-70 तक काम किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राजस्व अपील अधिकारी ने वहां जाकर चार्ज नहीं लिया और काम नहीं किया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी सूचना के अनुसार श्री अब्दुल गफ्फार खां ने 30-9-70 को चार्ज लिया और 12-11-70 से उनका रिटायरमेन्ट हो गया तब से स्थान रिक्त है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि पुराने अधिकारी के रिटायर होने के बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वहां पर किसी ने जाकर राजस्व अधिकारी के पद का चार्ज नहीं लिया है और स्थान रिक्त पड़ा है ?

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दे दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि चार्ज नहीं लिया है और अपील की सुनवाई नहीं हुई है और पड़ी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चार्ज तो ले लिया होगा और पेशियां नहीं हुई होंगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : केवल एड-जोर्नमेन्ट्स होते हैं। क्या आप राजस्व अपील अधिकारी का स्थान रिक्त रखना चाहते हैं या किसी की नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : एक दो दिन में नियुक्ति हो जावेगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : दुबारा फरमाइये क्या कहा ?

श्री रामकिशोर व्यास : अब्दुल गफ्फार खां को भेजा गया और उन्होंने 3-9 को चार्ज लिया और वे रिटायर हो गये तो दूसरे की नियुक्ति एक दो दिन में हो जावेगी। तीन दिन ही तो हुए हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या आप ऐसी स्थिति को उचित समझते हैं ? राजस्व अपील अधिकारी से किसान का डाइरेक्ट सम्बन्ध आता है। किसान महीनों से चक्कर खाते रहते हैं और महीनों तक स्थान रिक्त पड़े रहते है।

श्री रामकिशोर व्यास : तीन दिन तो हुए हैं रिटायर हुए। जल्दी कर देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : काम क्या किया है। इसलिये भेजा कि कोटा जाकर रिटार हो जावे ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं राज्य सरकार से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या राजस्व अपील अधिकारी कोटा की नियुक्ति के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अन्डर कन्सीडरेशन है और एक दो दिन में आर्डर्स जारी हो जावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री ओमदत्त भाटी।

सड़क संकेत बोर्ड की खरीद

186. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली जोधपुर, चित्तौड़, जालोर आदि जिलों के लिए विभाग द्वारा सड़क संकेत बोर्ड बनवाये गये थे ? यदि हां, तो कितने बोर्ड बनवाये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त बोर्ड सप्लाई करने हेतु टेन्डर मांगे गये थे ? अगर हां, तो कितने टेन्डर विभाग के नाम आये व किस फर्म व ठेकेदार को दिये व उनकी रेट क्या थी ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त बोर्ड एक ही फर्म द्वारा सप्लाई किये गये थे ?

(4) क्या यह सही है कि जिस फर्म से माल खरीदा गया है उसके लोएस्ट टेन्डर नहीं थे ?

(5) क्या यह सही है कि जो माल सप्लाई किया गया वह माल टेण्डर की लिखी शर्तों मुताबिक नहीं था ?

उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण : (श्री माधोसिंह) : (1) प्राप्त सूचना के अनुसार पाली, जोधपुर, चित्तौड़ व जालोर जिलों में बनवाये गये संकेत बोर्ड का वर्णन सूची 'क' में संलग्न है।

(2) जी हां, विभिन्न खण्डों में टेण्डर्स प्राप्त हुए हैं, उनका वर्णन सूची 'ख' में संलग्न है। और सामान्य न्यूनतम टेण्डर वाले से ही खरीदा गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। बोर्ड न्यूनतम दर पर लिये गये थे।

(5) जोधपुर में 360 बोर्डों के अलावा माल टेन्डर की शर्तों के मुताबिक था। इन 360 बोर्डों का भार कम होने से रु. 428.4 काट दिये गये थे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री ओमदत्त भाटी : टेण्डर किस ठेकेदार को दिया गया ?

श्री माधोसिंह : इसमें तीन चार आइटम हैं। कौनसे का चाहते हैं ?

श्री ओमदत्त भाटी : सड़क संकेत बोर्ड का ?

श्री माधोसिंह : यह दिया गया है कि मैसर्स ट्रेवेल इन्डस्ट्रीज दूसरा है कन्शल लाइम इन्डस्ट्रीज।

श्री रामकिशन : आप कहते हैं वह समझ में तो आता नहीं।

श्री ओमदत्त भाटी : एक बोर्ड की क्या कीमत थी ?

श्री माधोसिंह : रु. 11.10

श्री ओमदत्त भाटी : 360 की बोर्ड के अलावा 1 बोर्ड की क्या कीमत थी ?

श्री माधोसिंह : 11 रुपये 10 पैसे।

श्री ओमदत्त भाटी : यह नहीं है। इसमें 190 रुपये हैं। क्या यह सही है कि रोड संकेत बोर्ड 190 रुपये का था ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

स्थगित प्रश्न।

श्री रामकिशन : मेरे प्रश्न हर दिन प्रिन्ट हो रहे हैं और एक भी आ नहीं रहा है। एक तो ले लिया जाय। 188।

श्री उपाध्यक्ष : समय में होता है तो ले लेते हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह अन्याय और पक्षपात होगा। हमारे भी हैं।

श्री श्रवणलाल : 187 ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न लिये जा रहे हैं। आपके प्रश्न की सूचना उपलब्ध नहीं हुई है इसलिये नहीं लिया जा रहा है।

श्री रामकिशन : 188 तो ले लिया जाय आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : सप्लीमेन्टरी कम हो तो ?

श्री रामकिशन : इशारे में हीं समझ लिया है।

प्रश्न संख्या 188।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 187 स्थगित किया गया।

श्री रामकिशन : प्रश्न संख्या 188।

बांसी पहाड़पुर में लीज पर दी गई खान

188. श्री रामकिशन (गैर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसी पहाड़पुर, जिला भरतपुर में सैण्ड स्टोन ग्रुप नं. 7 इस समय किस पार्टी के पास लीज पर है ? इस लीज की क्या शर्त है ? कृपया शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि खनिज विभाग ने राजपत्र नं. 37 भाग (1) (ख) दिनांक 12-12-68 के द्वारा इस क्षेत्र का खनन पट्टा देने के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त किये थे ? अगर हां, तो किस किस पार्टी ने किस-किस तारीख को आवेदन-पत्र दिये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि आज तक भी इस प्लाट को नियमानुसार जिस पार्टी को देना चाहिये था, उसको नहीं दिया गया है और इस कारण से राज्य सरकार को रायल्टी तथा डेडरेण्ट का काफी नुकसान हुआ है ?

(श्री रामकिशन)

(4) क्या यह भी सही है कि लिखमीचन्द गुप्ता न्यू महलपुरिया भवन, भरतपुर के नाम इस प्लाट में से 20 हैक्टर क्षेत्र के खनन पट्टे की मंजूरी दी जा चुकी है तथा उसके अनुसार रायल्टी जमा कराकर एग्रीमेंट भी किया जा चुका है तथा संचालक महोदय खनिज विभाग के दिनांक 4 मई, 1970 को प्रति हस्ताक्षर भी हो चुके हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि आज तक इस पार्टी ने काम आरम्भ नहीं किया है ? इसके क्या कारण हैं ?

(6) इन प्लाटों पर काम आरम्भ नहीं होने के कारण अब तक कुल राज्य सरकार के राजस्व की कितनी हानि हुई है तथा कुल कितने मजदूर बेरोजगार रहे हैं ?

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) किसी भी पार्टी के नाम पर लीज नहीं है ।

(2) जी हां । इस सुधार पत्र के तहत निम्न पार्टियों में निम्न तारीखों में आवेदन पत्र दिये :

1. श्रीमती सावित्री देवी तिवारी, फोर्ट जयपुर 28-1-69
2. श्री रामेश्वरदास पारीख, नाहरगढ़ रोड, जयपुर 28-1-69
3. श्री सत्यनारायण पांडे, पुरानी बस्ती, जयपुर 28-1-69
4. श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता, न्यू महल पुरिया भवन, अनाह गेट, भरतपुर 10-3-69

(3) जी नहीं । क्षेत्र का खनन पट्टों पर देने की स्वीकृतियें दे दी गई थीं किन्तु एलाटमेंट के सम्बन्ध में कुछ विवाद उपस्थित हो जाने के कारण उन पर आगे की कार्यवाही स्थगित की हुई है और मामला राजस्व सरकार के विचाराधीन है ।

(4) जी हां ।

(5) जी हां । क्षेत्र एलाटमेन्ट के सम्बन्ध में विवाद उपस्थित हो जाने के कारण मामले में आगे की कार्यवाही स्थगित की हुई है और मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(6) हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामकिशन : विवाद किस तरह का है और उसके मुद्दे क्या हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ, उसके तहत जो भी एप्लीकेशन आयी उसमें कोई कमी रह गई और बाद में उसकी पूर्ति किसी एप्लीकेन्ट ने की तो एप्लीकेशन किस दिन से मानी जायगी, जिस दिन दी गई उस तारीख से या कमी की पूर्ति की उस तारीख से भी जायज मानी जायगी या नहीं दूसरा मुद्दा यह था कि नोटिफिकेशन पूरे प्लाट के लिये इश्यू होगा और किसी ने कम एरिया के लिये एप्लाई किया है तो उसको एन्टरटेन किया जावेगा या नहीं ?

श्री रामकिशन : दो मुद्दे थे । सेन्क्शन किया था वह मुद्दा नहीं था ।

श्री हरिदेव जोशी : जी हां, नीचे वाले लोगों ने ध्यान नहीं रखा, सर्टेन पार्टीज ने इसको उठाया तो रद्द दिया ।

श्री रामकिशन : आपकी नजर में था तो वेकेट कैसे कर दिया 16 सितम्बर को ?

श्री हरिदेव जोशी : एक प्रश्न एक बार आया। पहला प्रश्न पहली बार आया जो एप्लीकेशन दी गई अमेण्डेड दी गई उसको जायज माना जाय अथवा नहीं माना जाय इस मुद्दे पर राय लेकर निर्देश कर दिया गया।

श्री रामकिशन : 16 तारीख को दुबारा स्टे कैसे दे दिया ?

श्री हरिदेव जोशी : दूसरी तरह की एप्लीकेशन पर दिया है।

श्री रामकिशन : जो एप्लीकेशन आयी थीं उसमें सफाई दे दी दूसरी पार्टी लेना चाहती थी फिर स्टे किस कारण से किया ?

श्री हरिदेव जोशी : दूसरी पार्टी की एप्लीकेशन में कम एरिया के लिये लिखा था बाद में 'पूरे को ले सकता हूं' यह कहा था।

श्री रामकिशन : दोनों आदेशों में कितना अन्तर था ?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो मैं नहीं कह सकता।

श्री रामकिशन : अब आप इसको कब तक दिलवा देंगे ? तारीख बता दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : जितना जल्दी हो सकेगा, मैं निश्चित तारीख नहीं बता सकता।

श्री रामकिशन : अरलियेस्ट तो 72 भी हो सकता है 74 भी हो सकता है। इससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हो चुका है। वहां के मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। डेडरैण्ट और रोयल्टी का काफी नुकसान हो चुका है ?

श्री हरिदेव जोशी : डेडरेण्ट और रोयल्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। डेडरेण्ट रोयल्टी पर ही केलकुलेट होती है। दो मुद्दे थे उसमें से एक मुद्दा साफ हो चुका है दूसरे मुद्दे पर विधि विभाग की राय लेकर शीघ्र निपटारा कर दिया जायगा।

श्री रामकिशन : मजदूर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी ओर तो देखो ?

श्री हरिदेव जोशी : इसी लिये तो मैंने कहा है आपके मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए रोयल्टी में कमी न हो इसलिए जल्दी से जल्दी फैसला करूंगा।

श्री विजयसिंह : मेरा स्थगित प्रश्न ले लीजिये लास्ट टाइम भी आया था उस समय स्थगित कर दिया गया। आज यह दो साल के बाद में आया है। मैं इस पर सप्लीमेण्टरी नहीं करूंगा आप इसका जवाब दिलवा दें।

मकराना नगरपालिका की सीमा

189. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं के चुनाव स्थगित करते समय सरकार ने यह भी कारण दिया था कि नगरपालिकाओं की सीमाओं का विस्तार किया जायगा ?

(2) क्या यह सही है कि मकराना नगरपालिका की सीमा के विस्तार के लिये

(श्री विजयसिंह)
जिलाधीश नागौर ने राज्य सरकार को सम्पूर्ण कार्यवाही के साथ अपनी सिफारिश कर दी थी ?

(3) क्या यह सही है कि मकराना नगरपालिका के विस्तार के लिये राज्य सरकार को अनेकों बार कागजात भेजे जा चुके हैं ? परन्तु हमेशा इस मामले को शान्त कर दिया जाता है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या नगरपालिका मकराना की सीमा का विस्तार होना जरूरी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों नहीं किया जाता ? क्या इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक अड़चन आती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखाभाई): (1) जी नहीं। सीमा निर्धारण का कारण केवल उन नगरपालिकाओं पर लागू था जिनकी सीमायें विवादग्रस्त थीं ।

(2) स्वायत्त शासन विभाग में जिलाधीश नागौर से ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई ।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(4) प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

श्री विजयसिंह : आपसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं इसकी सौगन्ध खाकर कह दीजिये कि नागौर कलेक्टर ने इस प्रकार की सिफारिश नहीं की थी ?

श्री भीखाभाई : हनुमान चालीसा के आधार पर मेरे पास जो कागज हैं उसके आधार र मैं कह सकता हूं यह सही नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे प्रश्न के बारे में सरकार से इतनी ही जानकारी करना चाहता हूं कि वह मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आयी है या इसका पोस्ट पोनमेण्ट ठीक किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ, 193 का।

श्री भैरोंसिंह : तो आप सभी प्रश्नों को स्थगित कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : सभी को तो स्थगित नहीं कर सकता जिनकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है उनको स्थगित कर देता हूं । सभी को कर देता हूं तो उनको बाद में अकमोडेट करना मुश्किल हो जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न के बारे में मंत्री महोदय से बातचीत हुई थी उन्होंने कहा था पन्द्रह दिन में जवाब भिजवा देंगे ।

श्री भीखाभाई : आपने 67 से लेकर अब तक सूचना चाही है आपने एक महीने के लिये कहा था मैंने आपसे निवेदन किया था दो महिने में भी यह नहीं हो सकता ।

श्री भैरोंसिंह : कितने अरसे में जबाव दे देंगे ।

श्री भीखाभाई : दो महीने में ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष जी मेरा स्थगित प्रश्न 28 का है वह ले लिया जाय इसको पहले भी स्थगित कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न 28

स्थगित प्रश्न

(4.11.70 व 11.11.70)

बिजोलिया क्षेत्र के जंगलात के बीड़

28. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बिजोलिया क्षेत्र के जंगलात के बीड़ राजस्व में आ चुके हैं ?

(2) यदि आये हैं तो कौन-कौन से बीड़ ? इनका कुल रकबा कितना है ?

(3) क्या यह सही है कि जंगलात से राजस्व में आने के बाद भी बीड़ लसोड़ा का एलोटमेंट रोक दिया गया है ?

(4) यदि यह सही है तो एलाटमेंट रोकने का क्या कारण है ?

(5) क्या यह सही है कि सैकड़ों भूमिहीन हरिजन, आदिवासी तथा अन्य खेतीहर भूमिहीनों को इन बीड़ों में जमीन दी जा सकती है ?

(6) क्या यह सही है कि भूतपूर्व राजस्व मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा ने इन इन बीड़ों की जमीन को साधन सम्पन्न किसानों को देने का वायदा कर चुके थे या आदेश भी दे चुके थे ? यदि आदेश दिया हो तो उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, वन विभाग से दिनांक 5-1-70 को बीड़ लसोड़ का 607)3 रकबा एवं केशव विलास का 224।।।) बीघा रकबा तहसील माण्डलगढ़ को हस्तान्तरित किया गया है। इसका उतर प्रश्न के भाग एक में दे दिया गया है।

(2) आवंटन की कार्यवाही विचाराधीन है।

3 व 4 प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) यह सही है कि जो रकबा वन विभाग से राजस्व विभाग में आया है, उसे भूमिहीनों को आवंटन किया जा सकता है।

(6) राज्य सरकार ने केवल इस आशय के आदेश प्रदान किये थे कि केशव विलास सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड, माण्डलगढ़ को संबन्धित नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार भूमि आवंटन किया जाय। आदेशों की प्रति संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह बीड़ सन् 70 में जंगलात विभाग से राजस्व विभाग में आया है आपने वह कैसे कह दिया कि यह 68 में ही आ चुका है। जब यह भूमि 68 में आयी ही नहीं तो इसके अलोटमेंट के बारे में राजस्व विभाग का हुक्म अधिकृत था ?

श्री गंगाराम चौधरी : जैसा मैंने निवेदन किया 24-2-68 को सारा बीड़ फोरेस्ट

(श्री गंगाराम चौधरी)

डिपार्टमेंट से राजस्व में लेने का निर्णय हो गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पत्र भेज दिया गया इस लिये राजस्व मंत्री ने उस बाबत आदेश दिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता : जब 68 में वह बोर्ड आपके पास नहीं आया तो क्या राजस्व विभाग अधिकृत था उसको देने का जो उसके पास आया ही नहीं इस तरह से यह आदेश गलत दिया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया फॉरेस्ट को लिख दिया गया था उसी आधार पर राजस्व मंत्री ने आदेश दे दिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या उप मंत्री महोदय वह आदेश पढ़कर सुना सकते हैं जिसमें राजस्व विभाग को यह भूमि दी गई थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : वह पत्र इस प्रकार है :

क्रमांक एफ. 9 (54) राज। '68 दिनांक 19-7-69 ओर से उप सचिव राजस्व वास्ते जिलाधीश, भीलवाड़ा।

विषय : केशव विलास सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि. माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन करने के विषय में।

प्रसंग : आपका पत्र सं. आर. ए. 39-9-68 दि. 1-6-68

उपरोक्त विषय में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28-6-68 के प्रसंग में सूचित करने का निर्देश है कि वन विभाग के अधीनस्थ भूमि की गई है उस भूमि में से 15 बीघा भूमि प्रत्येक सदस्य के हिसाब से राज्य सरकार ने राजस्थान (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम, 1959 के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की है।"

श्री मनोहर सिंह मेहता : इस भूमि के मामले में पचास हजार रुपये खाये हैं। आपका जो हुक्म हुआ क्या इसको नाजायज माना जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : नाजायज हुक्म नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जंगलात की भूमि राजस्व विभाग को ट्रान्सफर न हो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके एलॉटमेण्ट के आर्डर किस प्रकार कर सकता है ? क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस आर्डर में यह भी लिखा है, सहकारी समितियों के सम्बन्ध में....

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल 'हां' या 'ना' का ही प्रश्न है। जब तक जंगलात की भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित नहीं की जाये उसके पहले राजस्व विभाग किस प्रकार से इस भूमि का एलॉटमेंट कर सकता है ? यह ऐलाट करने के आदेश कैसे दे सकता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह एलॉटमेंट आर्डर कम्पलीट नहीं है।

इस आर्डर में यह भी लिखा है। जिलाधीश की जो सिफारिश थी उसके अनुसार

Page No 26

(श्री गंगाराम चौधरी)

राजस्व विभाग ने स्वीकृति दी है। अब उसके बाद नियमों के अन्तर्गत एलॉटमेंट एडवाइजरी कमेटी में प्रार्थना-पत्र पेश होंगे और 15 बीघा फी व्यक्ति के हिसाब से उनको यह जमीन दी जायेगी, एलॉट की जायेगी तब जाकर यह आवंटन पूरा होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दूसरा है. उसमें लिखा है। "उपरोक्त विषय में विभागीय सम संख्यक पत्र दिनांक 28–6–68 के प्रसंग में सूचित करने का निर्देश है कि वन विभाग के अधीनस्थ भूमि जो राजस्व को हस्तांरित की गई है उस भूमि में से 15 बीघा प्रत्येक सदस्य के हिसाब से जिसमें यह 650 बीघा भूमि आ जाती है राज्य सरकार ने राजस्थान (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम 1959 के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की है। जब आपका यह आदेश है तो कैसे आप यह कह सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : तथ्य आपके सामने आ गये हैं। यह कोई नई बात नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरकार ने इस जंगलात की भूमि को पहले ही कैसे आवंटित कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। माननीय रामानंद जी।

श्री रामानंद अग्रवाल : उपमंत्री जी ने यह बताया है कि सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है कि यह सहकारी समिति के सदस्यों को आवंटित कर दी जाये और इसका आवंटन एलॉटमेंट एडवाइजरी कमेटी करेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को लैंड एलॉटमेंट एडवाइजरी कमेटी को किसी प्रकार की कितनी कितनी जमीन को किन्हीं व्यक्तियों को एलॉट करने का आदेश देने का अधिकार है ?

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्थान लैंड रेवेन्यू एलॉटमेंट आफ लैंड फार एग्रीकल्चर परपजेज रूल 1957 के रूल 1 के अधीन सरकार को यह अधिकार है कि सहकारी समितियों को लैंड का आवंटन राज्य सरकार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, यह जंगलात की जमीन का सवाल है। दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें कितनी बदबू आ रही है। दूसरी ओर प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाता है कि आवंटन की कार्यवाही विचाराधीन है। जब 70 में जमीन राजस्व विभाग के पास में आ गई और गांधी शताब्दी वर्ष में वह भूमिहीनों को जमीन का आवंटन कर रही है तो वह इस जमीन का आवंटन उन्हें भी कर सकती थी तब तो यह कहा जा रहा है कि आवंटन की कार्यवाही विचाराधीन है और सन् 68 में ही जब कि यह जमीन राजस्व विभाग के पास नहीं आई थी उसके आवंटन के आदेश बाला बाला ही भेज दिये गये हैं। कृपा कर के आप यह बताइये कि यह क्या है ? यह जमीन उनको नहीं और भूमिहीनों को दी जानी चाहिये। अगर राजस्व मंत्रीजी के कोठी के आगे मुझे इसके लिये भूख हड़ताल भी करनी पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन यह

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
जमीन गरीबों को ही दी जायेगी। भूमिहीनों को ही जायेगी।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय जो प्रश्न स्थगित किये गये हैं··

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं तो चाहता था कि 15 मिनिट का समय जो है उसमें स्थगित प्रश्नों को ले लिया जाये लेकिन मेरी मजबूरी है। समयाभाव है। ऑर्डर प्लीज !

श्री मनोहर सिंह मेहता : 0150 हजार रुपया खा गये हैं।

श्री लाभचन्द वैद : उपाध्यक्ष महोदय एक महत्वपर्ण प्रश्न और है। हाईकोर्ट का फैसला हो गया है और उसकी अवहेलना की जा रही है।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। कम से कम 30 हजार आदमियों पर मुकदमे चल रहे हैं और यह जो 18 हजार आदिवासी भूमिहीन हैं इनके सम्बन्ध में एक बहुत बड़ा सवाल है। यह महत्वपूर्ण है। इसका तो जवाब दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सम्भव नहीं होगा। ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 97 यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और राजस्व विभाग से सम्बन्धित है। भूमिहीन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इस गांधी शताब्दी वर्ष में यह भूमि उन्हें एलॉट की गई है इसके बारे में है यह जो प्रश्न 97 और 101 है ये महत्वपूर्ण हैं और इनके उत्तर दिलवा दिये जायें तो एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो जायेगा।

श्री लाभचन्द वैद : सन् 60 में हाईकोर्ट से नगरपालिका की सीमा में लेने के सम्बन्ध में इसका आदेश हुआ था और आज तक इसको नगरपालिका सीमा में नहीं लिया गया है यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : जितना कार्य सदन के सम्मुख होता है वह सब महत्वपूर्ण है। वह सभी समय के अन्दर हो तो सम्भव है। अब तो समयाभाव है। ऑर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट।

श्री हीराभाई : 30 हजार आदमियों पर मुकदमें चल रहे हैं। कब तक इसका निर्णय हो जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : अब प्रश्न लेने सम्भव नहीं है।

श्री बालसिंह सोढा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न 106 है। एक ऐसी योजना हुई जिसको सरकार ने घोषित नहीं किया था और सरकार ने अपने उत्तर में यह बता दिया है कि हमने उसको प्रारम्भ कर दिया और वह इकोनामिक नहीं थी इसीलिये उसको बन्द कर दिया है। इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, रुपयों का घोटाला···· उपाध्यक्ष महोदय इसको लेने की कृपा करें।

श्री विट्ठल भाई : इतने समय में तो एक प्रश्न लिया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई प्रश्न नहीं लिया जा सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न 96 को ले लीजिये।

श्री बालसिंह सोढा : गलत उत्तर दिया गया है इसको तो लिया जाये ?

श्री उपाध्यक्ष : अब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिलाया जायेगा।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मैंने एक प्रश्न 97 पूछा है आज भी इसका जवाब नहीं मिल रहा है। यह स्थगित प्रश्न है।

श्री हीराभाई : मेरा अर्ज है कि 20 हजार भूमिहीनों पर केस चल रहे हैं···

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप मेरा कहना मान जायं तो सभी प्रश्न लिए जा सकते हैं। जब शासन बार बार निवेदन करता है कि इस प्रश्न पर कम समय लिया जाये तो मेरी सुनवाई नहीं होती है। इसलिए समय समाप्त हो जाता है और कई महत्वपूर्ण प्रश्न बच जाते हैं। जो प्रश्न रह जाते हैं, उनके साथ मेरी सहानुभूति है लेकिन मेरे पास में इसका कोई इलाज नहीं है। इतनी मजबूरी में मुझे यह निवेदन करना पड़ रहा है कि यह प्रश्न नहीं लिए जा सकेंगे।

श्री लाभचन्द वैद : इतने प्रश्न क्यों रखे जाते हैं कि उनका उत्तर नहीं दिया जा सके। सन् 60 में हाईकोर्ट से एक ऑर्डर इश्यु हो गया है और उसके बाद आज 70 चल रहा है और उसकी अनुपालना नहीं हो रही है और उसका आज जवाब नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : इससे कोई लाभ नहीं होगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पाली में भू-खण्डों का बेचान

177. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व नगरपालिका पाली ने विनय नगर (नेहरू नगर) में किन किन के विक्रय-पत्रों को कैंसिल कर दिया है जो रजिस्टर्ड हो चुके थे और जिनका कब्जा खरीददारों को दिया जा चुका था ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि उन भू-खण्डों को नगरपालिका पाली ने दूसरे व्यक्तियों को बेच दिया ? यदि हां, तो उस बाबत सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि जिन व्यक्तियों को भूखण्ड एलॉट कर दिये गये और जिनके हक में रजिस्ट्री करवा दी गई और जिनका कब्जा करा दिया गया उन्हें भूखण्डों को बिना उसके सुने दूसरों को चुपके चुपके बेच दिया ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जैसलमेर जिले में धातु सर्वेक्षण

187. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में धातु सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ?

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि केन्द्रीय सर्वेक्षण विभाग ने यहां कई प्रकार के धातु निकलने की सम्भावनाएं बताई हैं ?

(2) भविष्य में राज्य सरकार पूर्ण सर्वेक्षण कब तक करा लेगी ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में कुछ खनिज सर्वेक्षण पहले भी हुआ है और इस समय भी किया जा रहा है ।

(2) इतने बड़े क्षेत्र के सर्वेक्षण में बहुत साल लग सकते हैं।

धवान-धौलेटा सड़क

188. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सच है कि धवान-धौलेटा सड़क सरकार की योजना द्वारा बनाई गई है ?

(2) यदि हां, तो यह सड़क किस योजना में ली गई थी और किस सन् में कार्य चालू किया गया ?

(3) उपरोक्त सड़क पर अब तक सरकार द्वारा कितना-कितना रुपया किस किस साल में खर्च किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त सड़क पर कार्य नहीं करने का क्या कारण है और सरकार इस कार्य को पूरा कराने के लिए क्या सोच रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रथम पंचवर्षीय योजना में कच्ची फेयरवेदर रोड निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। वर्ष 1957-58 तथा 58-59 में कार्य कराया गया है ।

(3) वर्ष 1957-58 तथा 58-59 में क्रमशः 57,400 तथा 6,000 रुपये व्यय हुआ है।

(4) स्वीकृति अनुसार फेयरवेदर रोड निर्माण कराई गई है ।

डीडवाना-रामगढ़-पचपदरा सड़क

189. श्री शम्भूराम (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जो सड़क डीडवाना से रामगढ़-पचपदरा तक अकाल के समय में कच्ची बनी हुई है वह पक्की कब तक बनाई जावेगी ?

उत्तर

जी हां, अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

कालेज भवनों का निर्माण

190. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) लाडनूं, सुजानगढ़, जसवन्तगढ़ में बनने वाले कालेज भवनों का निर्माण कब शुरू किया गया था और कार्य पूर्ण कब होगा

(श्री हरजीराम बुरड़क)
चाहिये था तथा दान दाताओं और सरकार के कितने–कितने रुपये खर्च होने चाहिये थे ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

(स्थगित किया गया)

नागौर जिले में सडकों पर मुरड़ बिछाने का कार्य

191. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों में स्वीकृत सड़कों पर मुरड़ बिछाने के टेन्डर अधिशासी अभियन्ता ने माह नवम्बर 1969 से ता. 30-4-70 तक किस किस सड़क के कब कब मांगे एवं किस किस तारीख को किस किस ठेकेदार ने यह ठेका किस किस रेट से लेने के टेण्डर प्रत्येक काम के लिये दिये ?

(2) किस किस सड़क पर नागौर जिले में ता. 1-11-69 से ता. 30-4-70 तक मुरड़ बिछाने का काम किस किस ठेकेदार ने कब कब शुरू किया और किस किस रेट से ये टेन्डर स्वीकार किये गये थे ?

(3) किसी व्यक्ति को अकाल राहत की सड़कों पर मुरड़ बिछाने का ठेका लेने के लिये क्या क्या योग्यता व शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं ?

(4) नागौर जिले में इस अकाल में स्वीकृत सड़कों पर मुरड़ बिछाने के टेन्डर दुबारा या तिबारा या इससे भी अधिक बार किस किस सड़क के मांगे गये एवं क्या ऐसी सडकों के टेन्डर पहली बार में या दूसरी बार में या तीसरी बार में आये थे? यदि हां, तो वे टेन्डर मंजूर क्यों नहीं किये ? यदि टेन्डर मंजूर कर लिये, तो फिर ठेकेदार से काम क्यों नहीं कराया ? यदि ठेकेदार ने टेन्डर मंजूर हो जाने पर भी काम नहीं किया तो उन्हें किस किस प्रकार से दंडित किया गया था, उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

सीमा सड़क निर्माण कार्य

192. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीमा सड़क निर्माण की व्यवस्था के लिए एक मुख्य अभियन्ता की नियुक्ति कर रखी है ? अगर हां, तो इतने कम कार्य के लिये एक अलग विभाग का मुख्य अभियन्ता रखने का क्या कारण है जब कि दूसरे विभागों में वित्तीय संकट के कारण राज्य कर्मचारियों में कमी करती है ?

(2) क्या यह सत्य है कि सीमा सडक निर्माण जैसलमेर के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस होते हुए भी वहां पर कोई एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं रहता है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री भवदीश प्रसाद जैन एक ही जगह तीन वर्ष से अधिक समय से हैं ?

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं जब सरकार ने निर्णय ले रखा है कि तीन वर्ष से अधिक समय तक एक अधिकारी एक जगह नहीं रखा जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, परियोजना का कार्य अभी चालू है और अकाउन्ट्स सही करने व मशीनों की देख-रेख करने तथा प्रशासनिक कारणों से राज्य सरकार ने कुछ समय तक अलग मुख्य अभियन्ता, परियोजना रखना जरूरी समझा।

(2) अधिशासी अभियन्ता परियोजना का कार्यालय जैसलमेर में है और श्री भगदीश प्रसाद जैन वहां नियुक्त हैं तथा कार्य कर रहे हैं।

(3) श्री भवदीश प्रसाद जैन ने अधिशासी अभियन्ता के जैसलमेर खंड का चार्ज दिनांक 9-10-67 मध्याह्न को लिया। उनका स्थानान्तरण सरकार के विचाराधीन है।

ए. एस. आई. का तबादला

193. श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनूं जिले के पुलिस थाना, उदयपुर वाटी पर श्री सुल्तानसिंह, ए. एस. आई. को जनवरी, 69 से सितम्बर 1970 की अवधि में कितनी बार लगाया तथा हटाया गया ?

(2) क्या इस अवधि में उक्त ए. एस. आई. को पुलिस थाना, उदयपुर वाटी के अलावा अन्य किसी पुलिस थाने पर भी पोस्टिंग किया गया ?

(3) ए. एस. आई. श्री सुल्तानसिंह का इस अवधि में जिले से बाहर कितनी कितनी बार तबादला किया गया ? और ट्रांसफर आदेश होने के कितने कितने दिन बाद में आदेश निरस्त किये गये ?

(4) झुन्झुनूं जिले में कोई अन्य भी ए. एस. आई. अथवा एस. आई. है जिसका इतनी कम अवधि में एक उसी थाने पर इतनी बार पोस्टिंग किया गया है ?

उत्तर

(1) श्री सुल्तानसिंह ए. एस. आई. को जनवरी, 1969 से सितम्बर, 1970 की अवधि में थाना उदयपुर वाटी पर दो बार लगाया गया व एक बार हटाया गया।

(2) जी नहीं।

(3) श्री सुल्तानसिंह ए. एस. आई. को झुन्झुनूं जिले से एक बार मण्डल जयपुर में तबादला किया गया तथा उक्त ट्रांसफर आदेश 34 दिन बाद निरस्त किये गये।

(4) जी नहीं।

कोटा जिले की जेल एवं सब-जेल्स

194. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में एक डिस्ट्रिक्ट जेल तथा दो या तीन जगह सब-जेल्स हैं ? यदि हां, तो ये जेल्स किस स्थान पर हैं ?

Page No 32

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

(2) प्रत्येक जेल में कितने कैदी रखने की सुविधा है तथा उन सब-जेलों की वास्तविक केपेसिटी कितने कैदियों को रखने की है ?

(3) क्या यह सही है कि इन जेलों में इनकी केपेसिटी से अधिक कैदी, जुडिशियल लॉक-अप के मुलजिमान रखे जाते हैं जिस की वजह से अन्दर बन्द रहने वाले लोग बड़े परेशान रहते हैं तथा आपस में लड़ते-झगड़ते हैं ?

(4) पिछले दो सालों में प्रत्येक सब-जेल में व डि. जेल में हर माह कितने कितने कैदी ज्यूडिशियल हवालात के मुलजिमान रखे गये ?

उत्तर

(1) जी हां, कोटा जिले में स्थित जेलें इस प्रकार हैं :—

(1) कोटा नगर में एक डिस्ट्रिक्ट जेल।

(2) बारां में सब-जेल।

(3) छबड़ा में सब-जेल।

(4) रामगंज मंडी में सब-जेल।

(2) डिस्ट्रिक्ट जेल, कोटा में 555 बन्दियों के रखने की सुविधा एवं केपेसिटी है।

सब-जेल, बारां में 80 बन्दियों को रखने की सुविधा एवं केपेसिटी है।

सब-जेल, छाबड़ा में 40 बन्दियों को रखने की सुविधा एवं केपेसिटी है।

सब-जेल, रामगंजमंडी में 30 बन्दियों के रखने की सुविधा एवं केपेसिटी है।

(3) जी नहीं, थोड़े समय के लिये यह संख्या बढ़ सकती है परन्तु इसके कारण कोई दिक्कत आई हो, तो ऐसी शिकायत नहीं है।

(4) सूचना की प्रति संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

गोली कांडों की जांच

195. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के निर्माण से लेकर अब तक किन किन स्थानों पर किन किन कारणों से कब कब पुलिस ने कितनी कितनी गोली चलाई और उसमें कितने कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितने कितने घायल हुये ?

(2) उपरोक्त घटनाओं की यदि सरकार ने किसी प्रकार की जांच करवाई तो कब कब तथा उसकी रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ? जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(4) उपरोक्त घटनाओं में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनके आश्रितों तथा घायलों को कोई मुआवजा दिया गया हो, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

सरकारी कार की चोरी

196. श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि उद्योग मंत्री के बंगले से जो सरकारी कार चोरी चली गयी थी उसको मद्रास में पकड़ी जाना बतलाया गया था? यदि वहां बरामद हुई तो चुराने वालों का पता चल गया था नहीं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

(ख) अब वह कार कहां व किसके कब्जे में है?

उत्तर

1. जी हां। चोरी गई कार मद्रास में बरामद हुई थी और कार चुराने वाले मुलजिम टी. सी. जैन निवासी दिल्ली का पता भी पुलिस को लग गया था लेकिन उस वक्त यह मुलजिम दिल्ली में कई बार चोरी के मुकदमे में जेर हिरासत था और राजस्थान पुलिस द्वारा मांगने पर भी दिल्ली की अदालत से उसे जयपुर पुलिस हासिल न कर सकी। इसी दौरान दिल्ली में मुलजिम की जमानत हो गई और वह फरार हो गया जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मुलजिम के खिलाफ दफा 512 सी. आर. पी. सी. की कार्यवाही की जा रही है।

2. यह कार बरामद होने के बाद दिनांक 22-2-69 को सुपरिन्टेन्डेन्ट राजस्थान स्टेट मोटर गेरेज, जयपुर को सुपुर्दगी नामे पर दी गई थी।

बन्दोबस्त में अनियमितताएँ

197. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बन्दोबस्त में हुई अनियमितताओं व गड़बड़ियों को दुरुस्ती हेतु बन्दोबस्त विभाग का स्टाफ अलवर में आ गया है? यदि हां, तो अब तक कार्य की क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

जी नहीं, यह सही नहीं है।

तहसील लाडपुरा में भू-राजस्व की बकाया

198. श्री ब्रज वल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील लाडपुरा में किन किन आसामियान के जिम्मे सन् 67-68, 68-69 तथा सन् 69-70 का भू-राजस्व बाकी है?

(2) भू-राजस्व बाकी के रहने का क्या कारण है?

(3) बाकीदारान की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(स्थगित किया गया)

नवल सागर तालाब में गन्दी नालियों का पानी

199. श्री केसरी सिंह हाड़ा (हिण्डोली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि बून्दी नगरपालिका के प्रशासक के कार्यालय में नवलसागर तालाब में गन्दी नालियों का पानी डाल दिया गया है?

(श्री केसरीसिंह हाडा)

(2) क्या यह सत्य है कि यह जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्राम जनता के लिये हानिकर है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

जयपुर शहर में मूत्रालयों एवं शौचालयों का निर्माण

200. श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर शहर की सड़कों को चौड़ा करने व फुटपाथों को कातलों से फरसी करने में कुल कितनी राशि का व्यय हुआ ?

(2) यह योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी और कब ?

(3) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इस योजना के साथ साथ खास खास स्थानों पर मूत्रालयों व शौचालयों का होना बड़ा आवश्यक था ?

(4) क्या सरकार को जानकारी में है कि उक्त प्रकार की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर काफी गन्दगी रहती है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक यह व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास जयपुर ने जिन सड़कों के फुटपाथों पर कातलों से पक्की फर्श का निर्माण कराया है उन पर 557200.00 रुपये व्यय हुए हैं। सड़कें चौड़ी कराने का कार्य नगर न्यास जयपुर द्वारा नहीं करवाया गया।

(2) इस योजना के तखमीने नगर विकास न्यास की तकनीकी समिति की सिफारिस पर नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा सन् 1969 में स्वीकृति दी गई थी।

(3) जी हां मामला विचाराधीन है।

(4) प्रश्नोत्तर 3 स्पष्ट है।

कृषि भूमि पर निर्मित अनधिकृत आवास गृहों का नियमन

201. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या कृषि भूमि पर बने अनधिकृत आवास गृहों के नियमन में कोई नियम राज्य सरकार ने बनाये हैं ? यदि हां, तो वे नियम क्या हैं ? यदि नहीं बनाये हैं तो क्या राज्य सरकार ऐसे अनियमित निर्माणों को रोकने अथवा नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी अवधि में यह कार्य पूर्ण हो जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

नगर सुधार न्यास कायम करने का आधार

202. श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) किसी शहर में नगर सुधार न्यास के काम करने का क्या आधार है ?

(श्री रूपसिंह)

(2) राजस्थान में इस वक्त किस किस जगह पर नगर सुधार न्यास बनाये गये हैं ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जहां जहां नगर सुधार न्यास हैं वहां के चेयरमेन व मेम्बर्स कौन कौन हैं ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिन शहरों के सुधार व विस्तार की आवश्यकता हो उनके लिए नगर सुधार न्यास की स्थापना की जाती है।

(2) सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर में गटर लाइन डालने की व्यवस्था

203. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) अजमेर नगर परिषद् की गटर स्कीम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जावेगी ?

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अन्य नगरों में गटर सिस्टम चालू करना चाहती है ? यदि हां, तो कहां कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्वायत्त शासन विभाग में ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(2) स्वायत्त शासन विभाग में ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

अजमेर का मास्टर प्लान

204. श्री भगवानदास शास्त्री (पश्चिम, अजमेर) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि यू. आई. टी. अजमेर ने अजमेर नगर का मास्टर प्लान तैयार किया है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या यह सही है कि आनासागर के चारों तरफ की भूमि जनता को एलाट की जावेगी ? यदि हां, तो अब तक किस किस को एलोट की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(क) जी नहीं। मास्टर प्लान बनाने का कार्य मुख्य नगर आयोजक का है।

(ख) जी हां ! योजना बना कर भूमि अवाप्ति का कार्य चल रहा है। अतः फिलहाल भूमि आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

रामपुरा जागीर में पेय जल की व्यवस्था

205. श्री दुर्गालाल बाड़वार (हवा-महल, जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रामपुरा जागीर, तहसील नीम का थाना में बस्ती के मध्य पेय जल के कितने

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कुए हैं और उनका पानी क्या पीने के योग्य है और इनमें से कितने कुओं में वर्ष भर पानी रहता है ?

(2) राजस्थान निर्माण के बाद उक्त बस्ती में क्या मीठे पेय जल की समस्या के समाधान हेतु सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस गांव के सम्पन्न और शिक्षित मिश्र परिवार के लोग विशाल हवेलियों और जायदाद छोड़ कर इसलिये अन्यत्र चले गये कि उन्हें पीने और अन्य उपयोग के लिये पर्याप्त पानी नहीं मिलता ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस परिवार में मृत्यु होने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है जिसका कारण बहुत कुछ जल समस्या का प्रभाव है ?

(5) क्या यह भी सही है कि पानी की कठिनाई के कारण नई पीढ़ी के लोग इस गांव में आना ही छोड़ते जा रहे हैं ?

(6) क्या राजस्थान निर्माण के बाद इस परिवार के लोगों ने अनेक अधिकारियों को मौके पर लाकर निरीक्षण करवाया और इस दिक्कत को दूर करने की प्रार्थना की ? यदि हां, तो कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(7) क्या मिश्रों के मोहल्ले में स्थित कुएं में पानी की व्यवस्था करवाने हेतु सरकार कारगर कदम उठा कर इस ग्राम की आधी बस्ती की पानी की समस्या को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

कस्बा नोहर में वाटर वर्क्स

206. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि कस्बा नोहर में वाटर वर्क्स का कार्य शुरू किया गया था ? यदि हां, तो कब और उस पर अब तक कितना कितना खर्चा हुआ ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) योजना के अनुसार यह कार्य कब शुरू होना था और कब पूरा होना चाहिये था, और कब पानी देना चालू होना चाहिये था ?

(3) उक्त योजना से कब तक जनता को पानी देना चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रथम बार अगस्त 59 में प्रारम्भ किया गया था। यह कार्य जुलाई 64 में पूर्ण किया गया और इस पर कुल रु. 7.82 लाख खर्चा हुआ तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है किन्तु मौजूदा कुओं में पानी कम होने के कारण नोहर कस्बे के पुनरुत्थान योजना 31–5–59 को स्वीकृत की जा चुकी है, जिसका कार्य निर्माणाधीन है। इस योजना पर वर्ष 1969–70 में (1.02 लाख रुपये व्यय किये गये तथा वर्ष 70–71 में (सितम्बर 70 तक) 0.28 लाख रुपया व्यय किया गया।

(अतः स्वास्थ्य मंत्री)

(2) यह कार्य अन्तर्गत वर्ष 59 से प्रारम्भ होने वाली योजना की पूर्ण होने की धनराशि एवं सामग्री की उपलब्धि पर निर्भर करता है। वैसे साधारणतया एक योजना के कार्य को पूर्ण होने पर 3 से 4 वर्ष की अवधि लग जाती है इसके अनुसार पानी सन् 63-64 में दिया था।

(3) पुनरुत्थान योजना [illegible] कार्य निर्माणाधीन है तथा आशा है वर्ष 71-72 के अन्त तक पानी दे दिये जाने की सम्भावना है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

जायल तहसील के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था

207. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले की जायल तहसील में किन किन गांवों में लोग पीने का पानी दूसरे गांवों से लाकर पीते हैं एवं ऐसे गांवों की पानी प्राप्त करने वाले गांव से क्या क्या दूरी है ?

(2) नागौर जिले की जायल तहसील में किन किन गांवों में पीने के कुओं का पानी खारा है ?

(3) नागौर जिले की जायल तहसील में अब तक किन किन गांवों में किस किस ऐजेन्सी के माध्यम से कब कब ट्यूब वैल कहां कहां खोदे गये हैं एवं उनमें से कौन कौन से ट्यूबवैल काम में आ रहे हैं ? कौन कौन से ट्यूबवैल असफल रहे हैं ?

उत्तर

(1) यह सूचना इस विभाग में प्राप्त नहीं है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इस विभाग के निमित्त 250 नलकूप योजना के अन्तर्गत राजस्थान भूजल मण्डल द्वारा निम्नलिखित नलकूप एवं डग कम बोर कराये गये :

1 नलकूप अप्रेल 67

जायल (डी. सी. बी.) अक्टूबर 65

डेह (डी. सी. बी.) जुलाई 69

उपरोक्त दोनों नल कूप असफल रहे।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(4-11-70)

खान श्री छगनसिंहजी से माता की भर तक सड़क

25. श्री विजय सिंह (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खान श्री छगनसिंहजी से लेकर माता की भर, धोबी डूंगरी खोतोलाव तक सड़क नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि बिना सड़क के उनर खानों वालों को पत्थर लाने ले जाने में अत्यधिक कठिनाई होती है। जिसमें करीब 40 खानें आती हैं ?

Page No 38

(श्री विजयसिंह)

(3) क्या राज्य सरकार जल्दी से जल्दी इस सड़क को पूरा कर उपरोक्त खानों को सहूलियत प्रदान करने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(4–11–70)

अस्थाई ट्रेन्ड कानूनगों की संख्या

32. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अभी राजस्थान में ऐसे अस्थाई ट्रेण्ड कानूनगो (लेण्ड रिकार्ड) की संख्या कितनी है जो पांच साल से चल रहे हैं ?

(2) इन अस्थायी कानूनगो को कब तक स्थाई किया जावेगा और अभी तक अस्थाई क्यों चलाये जा रहे हैं ?

(3) क्या स्थाई किये जाने का सरकार का कोई नियम है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पांच वर्ष से कानूनगो पद पर कार्य करने वाले अस्थाई प्रशिक्षित कानूनगोयान की समूचे राजस्थान में कुल संख्या 103 है।

(2) कानूनगोयान के स्थाईकरण पर राज्य सरकार द्वारा जुलाई 1968 में प्रतिबन्ध लगाया गया था। क्योंकि देशी घोषित कर्मचारियों की वरिष्ठता भू अभिलेख कर्मचारियों की वरिष्ठता के साथ किस प्रकार निर्धारित की जाये, यह प्रश्न विचाराधीन था जो मई 1970 में समाप्त किया गया। देशी कर्मचारियों के अन्तर्लियन बाबत 1969 के अन्त में नियम प्रकाशित हो जाने पर विभिन्न जिलाधीशों द्वारा प्रतिबन्ध समाप्ति के पश्चात् कानूनगोयान के स्थाईकरण की कार्यवाई की जा रही है जो आशा है इस वर्ष की समाप्ति तक पूर्ण हो जायगी। बीकानेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, कोटा और उदयपुर जिलों में तो स्थाईकरण लगभग सभी स्थाई रिक्त पदों पर किये जा चुके हैं।

(3) भू अभिलेख नियमावली में कानूनगोयान के स्थाईकरण बाबत कोई नियम नहीं है साधारण तौर पर भू अभिलेख नियमावली 1957 के प्रकाशन के बाद कानूनगो प्रशिक्षित हो जाने पर ही कानूनगोयान का स्थाईकरण किया जाता है (कम से कम कानूनगो पद पर दो वर्ष की सेवाएं अर्पण कर लेने के पश्चात्)।

स्थगित प्रश्न

(11–11–70)

रामगंज मन्डी व सांगोद तहसील की पुलियाओं की मरम्मत

110. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) रामगंज मन्डी व सांगोद तहसील में भूतपूर्व कोटा स्टेट के समय की सड़कों से अलहदा बनी हुई कितनी कितनी पुलियाएं हैं और उनकी मरम्मत कब तक की गई थी

(श्री जुझारसिंह)

और उन पर कितना कितना धन खर्च किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि पुलियाओं की मरम्मत करते समय बालाजी की धाक नामक दायी सिंध नदी पर स्थित पुलिया की मरम्मत नहीं की गई थी जिससे उस पुलिया की हालत अत्यन्त शोचनीय बन गई है। उपरोक्त पुलिया की मरम्मत कब तक करवा दी जाने की उम्मीद है ?

(3) क्या यह सही है कि बारा मण्डी की पुलिया मरम्मत के बाद पिछली बरसात में टूट चुकी है ? यदि हां, तो इसे दुरुस्त करने की क्या योजना है और कब तक पूरी करवा दी जावेगी ?

उत्तर

1. सूची (क) प्रस्तुत है।

2. जी हां, पुलिया इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

3. जी हां, आवश्यक मरम्मत कार्य उपलब्ध धनराशि अनुसार कराया गया है। अर्थाभाव के कारण सम्पूर्ण मरम्मत की अभी कोई योजना नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं–

(1) ग्राम खजीना तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के एक व्यक्ति की दिन के समय हत्या कर देने और इस संबंध में सब इन्सपेक्टर पुलिस कोटडी द्वारा केस के खराब किये जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मनोहरसिंह मेहता से प्राप्त हुई है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य व श्री हरजीराम बुरड़क से प्राप्त हुई है जिसमें राजस्थान नहर की नौरंगाल डिस्ट्रीब्यूटरी से रामपुरा माईनर की टेल तक इस वर्ष पानी नहीं जाने से काश्तकारों की 1200 एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित रहने का उल्लेख किया गया है।

इन स्थगन प्रस्तावों को विचाराधीन रखा गया है। इन पर यथाशीघ्र निर्णय लिये जाकर माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कुछ और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार है :–

(1) श्री मनोहरसिंह मेहता सदस्य विधान सभा ने मांडलगढ़ उपजिले में बेडच नदी पर पुल तथा खुर्रा बनवाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) इन्हीं माननीय सदस्य ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें माण्डलगढ़ क्षेत्र के दो बीड़ों का अलाटमेंट भूमिहीन आदिवासियों तथा हरिजन परिवारों को न करने का उल्लेख किया गया है।

(3) श्री मदनसिंह दांता ने रेल्वे पुलिस सब इन्सपेक्टर, हैडकान्सटेबल व कान्स्टेबल

(श्री उपाध्यक्ष)
को निलम्बित किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री मदनसिंह : मेरा स्थगन प्रस्ताव पूरा पढ़ा जाता तो अच्छा होता, मैंने उसमें अन्य कारण भी दिये थे . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। एक और अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना इन्हीं माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई है जिसमें बांता रामगढ़ में कतिपय बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को राहत न दिये जाने का उल्लेख किया गया है।

ये प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाये। अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गयी है।

ऊपर बतलाये गये स्थगन प्रस्तावों के अलावा तीन विचाराधीन स्थगन प्रस्तावों पर निर्णय लिये गये हैं जो इस प्रकार हैं:—

(1) कोटा औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की चिकित्सा हेतु स्थापित ई. एस. आई. डिस्पेन्सरीज में अव्यवस्था आदि के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार गोयल व श्री प्रेमसिंह सिंघवी सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) राजस्थान नल बिजली वर्कर्स फेडरेशन द्वारा दिनांक 25-11-1970 से राज्य व्यापी भूख हड़ताल व आन्दोलन किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) जयपुर के कई स्थानों पर अनुसूचित जाति के कुछ सदस्यों को आवंटित भूखण्डों पर अन्य लोगों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगासहाय सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव। यह मामला अदालत में जेर तजवीज है।

इन स्थगन प्रस्तावों में ऐसे तथ्य नहीं हैं जिनसे इनको अविलम्बनीय लोक महत्व का माना जाये। अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

श्री मदन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं। एक तो शिवकुमार जो सब इन्सपेक्टर है। रींगस और फुलेरा के बीच जो हरियाणा से अमल का व्यापार करते हैं उनको श्री शिव कुमार ने पकड़ा, गिरफ्तार किया उस गिरफ्तार व्यक्ति को स्थानीय कांग्रेसियों और नेताओं के कहने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और एक वफादार, ईमानदार राजकर्मचारी को सस्पेन्ड कर दिया गया। उनको कोई कारण नहीं बताया गया और इसी सब इन्सपेक्टर के खिलाफ अदालत में, कोर्ट में दावा पेश किया है और कोर्ट ने सब इन्सपेक्टर को गलत नहीं बताया है। मैं समझता हूँ होम मिनिस्टर महोदय इस पर जल्दी ही अपने विचार रखेंगे जो कि एक राज्य कर्मचारी अपनी ड्यूटी का अन्जाम दे रहा था और एक अमल वाले को पकड़ा वह आधा किलो अमल आज भी मौजूद है। उपाध्यक्ष महोदय, उसको सस्पेन्ड किया गया बिना किसी कारण के। उसका मामला कोर्ट में जांच का है। इधर राज्य-कर्मचारी गलती करता है तो आवाज उठाई जाती है और उधर उस बेचारे ने जो अपनी

(श्री मदनसिंह)
ड्यूटी अन्जाम कर रहा था जिसने ब्लेक मार्केटिंग करने वालों को पकड़ा है, जिसने चोरी से माल ले जाने वाले को पकड़ा है उसके लिये......

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): क्या ऐसे ही लोगों को वफादार बताते हैं।

(दोनों माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर।

श्री मदन सिंह : आप क्यों बोले, आपका नाम तो नहीं लिया। मैं शर्त लगा सकता हूं उसको बिना कारण बताये सस्पेन्ड कर दिया गया........

श्री मोहन लाल मोदी : आप विधान सभा का टाइम बरबाद करते हैं।

श्री मदन सिंह : आप फिर उसको सजा क्यों नहीं देते हैं। एस. पी., सीकर ने देखा है। वह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उसने हुक्म दिया 6 आदमियों में से दो आदमियों को वापिस ले लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय जो अच्छी ड्यूटी देते हैं उनको इस तरह बदनाम किया जाता है और जो राज्य कर्मचारी गलती करता है उसको सपोर्ट करते हैं....

श्री मोहन लाल मोदी : इस आदमी ने...
(दोनों माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर अश्रव्य)।

श्री मदन सिंह : मैंने नीम के थाने का नाम नहीं लिया आप बीच में क्यों बोले।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

श्री मदन सिंह : राज्य कर्मचारी जो अच्छी ड्यूटी देता है उसको......

(दोनों माननीय सदस्य साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन सिंह : इससे ज्यादा लज्जा की बात क्या हो सकती है? उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मेरा अकाल राहत के सम्बन्ध में भी है। भयंकर बाढ़ आई थी और उसमें इंजिन दब गये थे। नये इंजिन थे–भंवरलाल चौधरी और रामचन्द्र दरोगा की जो कुड़की हो रही है वह बाढ़ आई और इंजिन दब गये मंत्री महोदय ने बीसों बार आदेश दे दिया, मुख्य मंत्री जी ने भी आदेश दे दिया इंजिन कुड़की के कारण रसातल में चले गये उनको बेचने नहीं देते हैं। दुबारा बाढ़ आती है तो जमीन में पहुंच जायेंगे। मैं समझता हूं इससे ज्यादा अन्याय नहीं हो सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा एक तो मेरा स्थगन प्रस्ताव शिवकुमार के बारे में जिसने बदमाशी करने वालों को, चोरी करने वालों को पकड़ा है और एक स्थगन प्रस्ताव अकाल राहत के अन्दर दबे हुये इंजिनों के बारे में जिसमें राज्य कर्मचारी की गलती से कुड़की होती है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा दोनों प्रश्नों को जो सम्बन्धित मंत्री हैं उनसे शीघ्र कार्यवाही करवायें और जो दोषी राज्य कर्मचारी हैं, उनको सजा दिलायें और दांता रामगढ़ की जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : मैंने राजस्थान में और विशेषकर कोटा औद्योगिक क्षेत्र में जो इ. एस. आई. डिस्पेन्सरीज हैं उनकी हालत को देखते हुये एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है कि आपने उसको नहीं लिया लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूँगा, आपके माध्यम से, जो इ. एस. आई. डिस्पेन्सरीज हैं राजस्थान में और विशेषकर मुझे कोटा में देखने का अनुभव हुआ है उनको देखकर श्रमिक वर्ग को केवल आंसू पोछने की व्यवस्था की गई है, ऐसा लगता है। न उन श्रमिकों को समय पर दवा मिलती है और न उनके लिये कोई देखने का समुचित व्यवस्था है।

आज कोटा की हालत इस प्रकार है कि श्रमिक वर्ग की संख्या लगभग 16 हजार है लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कोटा में इ. एस. आई. डिस्पेन्सरीज केवल दो हैं जबकि नियमानुसार हरएक एक हजार की संख्या पर एक इ. एस. आई. की व्यवस्था होनी चाहिये। आज कोटा में मजदूरों की संख्या को देखते हुये 16 डिस्पेन्सरीज होनी चाहिये लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, आज कोटा में केवल दो इ. एस. आई. डिस्पेन्सरी हैं। एक डिस्पेन्सरी तो रेलवे मोड़ के पास है और इ. एस. आई. डिस्पेन्सरी गुमानपुरा में हैं। जो सारा औद्योगिक क्षेत्र हैं जहा डी. सी. एम. कन्सर्न हैं, जहां जे. के. कन्सर्न हैं उस क्षेत्र के पास एक भी इ. एस. आई. डिस्पेन्सरी नहीं है। तीन तीन मील दूर से मजदूरों को वहां दौड़ना पड़ता हैं। जिस कोटा नगर में 16 हजार मजदूरों की संख्या है उसमें 16 डिस्पेन्सरीज स्थापित न करके केवल दो ई. एस. आई. डिस्पेन्सरीज स्थापित करके मजदूरों को मारने के लिये उन पर छोड़ दिया गया है।

दूसरी स्थिति · · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : 16 हजार संख्या मजदूरों की और इ. एस. आई. है वह केवल 6 हजार को मानकर जो परमानेन्ट रोल है और वह भी 6 हजार से ज्यादा है सन् 65 के आंकड़े मानकर चलते हैं आज 70 चल रहा है। आज 65 के आंकड़ों के आधार पर आप दो इ. एस. आई. डिस्पेन्सरी रखना चाहते हैं। कहां पर 16 हजार मजदूर और कहां पर 6 हजार के आंकड़े देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हर मजदूर को इ. एस. आई. की फेसिलिटी मिलनी चाहिये चाहे वह परमानेन्ट हो और चाहे टेम्प्रेरी और चाहे वह वर्क चार्ज पर हो, चाहे उसने एक दिन के लिए ही काम किया हो। अपनी पगार के अनुसार इस चिकित्सा के लिए जो अपने वेतन में से कटवाता है वह इस फेसिलिटी को पाने का हकदार है। 16 हजार मजदूर हैं और आप 6 हजार को मान्यता दें और वह भी केवल 50 रुपये सालाना–6 हजार की संख्या · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आज आप उन मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ मखौल कर रहे हैं। आप उनकी क्या चिकित्सा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं यह

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कहां तक न्याय है। केन्द्र सरकार से उपयुक्त सहायता नहीं मिलती है तो आप मजदूरों के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं। आपको कोटा में मजदूरों की संख्या को देखते हुए इ.एस.आई. डिस्पेन्सरी का पूर्ण विस्तार करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक कोटा औद्योगिक क्षेत्र में एक भी शैय्या मजदूरों के लिये नहीं है। आज इन्डस्ट्री में काम करने वालों को एक भी शैय्या इनडोर पेशेन्ट के नाते मिल जाय, यह वहां सम्भव नहीं है। आज इसमें भी झगड़ा चल रहा है जो जनरल हास्पिटल में 40-45 बैड्स थे जिनको ट्रान्सफर करने के लिए कहा था वह भी ट्रान्सफर नहीं हुये हैं। 100 मजदूरों पर एक शैय्या ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आज का बिजनिस लिया जा रहा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : नहीं मिल पाती है। मजदूरों की हालत यह है कि चार-चार मील से चलकर आता है और फिर उसको डाक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है और जो वह दवा बताता है तो वह इ.एस.आई. में नहीं मिल पाती है। अपने कारखाने और जनरल हास्पिटल के बीच बेचारा मजदूर चक्कर लगाता फिरता है। और आज इ.एस.आई. में जो स्पेशलिस्ट मौजूद हैं उनको डेपूटेशन पर लगाया है, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहूँगा समाजवाद का यह खोखला नारा है, आपका वेलफेयर स्टेट का खोखला नारा है-यह न लिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

इनके अन्दर जो सुविधायें होनी चाहिए, जो औषधियां प्राप्त होनी चाहिए मजदूरों को जितना पैसा होना चाहिए अपनी बीमारी के लिए उतना पैसा उपलब्ध कराया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे राजस्थान के अन्दर जो मजदूरों की हालत इन डिस्पेन्सरियों में है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर-कोटा की कहते कहते सारे राजस्थान पर आ गये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि इ. एस. आई. डिस्पेन्सरियों में डाक्टर पिटते हैं। मजदूरों की डाक्टरों के साथ मारपीट होती है। मजदूरों का इन डिस्पेन्सरीज में इलाज नहीं होता तो यही स्थिति बनती है। भरतपुर में ई.एस आई. के डाक्टर को मजदूरों ने पीटा, बिहार के अन्दर ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी के डाक्टरों के मर्डर तक हो गये हैं। क्या आप राजस्थान के अन्दर भी यही हालत पैदा करना चाहते हैं? जब तक डिस्पेन्सरीज की प्रापर स्ट्रेन्थ नहीं होगी, जब तक प्रापर मेडिसन नहीं होगी, मजदूरों की भलाई की बात करते हैं तो वह केवल एक ढकोसला है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। दिन दहाड़े कत्ल हुआ और सब-इन्सपेक्टर ने केस खराब किया है। सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उसकी तरक्की रोकी और कई दफा वार्निंग दी लेकिन जयपुर से तबादला मुल्तवी हुआ तो आप ही बताइये कि डी. आई. जी. और एस. पी. की क्या वक्त रही?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य-इसमें जानकारी चाही गयी है।

(श्री देवीदत्त गाड़िया के बोलने पर) आर्डर, आर्डर माननीय गाडिया जी आज आपका कोई नहीं है

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : आज तो नहीं है लेकिन कल मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था जिसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी उसके लिए अर्ज कर रहा हूं। किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में बारां और अटरू क्षेत्र में जितनी कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी हैं जो कि सारी ही करीब करीब बोगस हैं····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिसमें 20–25 हजार बीघा जमीन है····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर–आप चाहते क्या हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव कल बिजली फेडरेशन द्वारा भूख हड़ताल का नोटिस था उस सम्बन्ध में था। उसमें आपने व्यवस्था दी है मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं यह भूखहड़ताल उन मजदूरों में जो आइटक से सम्बन्धित में फेडरेशन हैं उन्होंने 40 मांगें लेकर की है। कुछ मांगें नौकरियों से संबंधित हैं और एक बार एक एग्रीमेंट जो कि इन्टक से सम्बंधित फेडरेशन ने बिजली बोर्ड से किया है उस संबंध में है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला वह जो एग्रीमेंट 26-1-70 को किया गया वह एग्रीमेंट ऐसा है कि जो कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की जो धारायें हैं जिसमें आम मजदूरों को अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए यूनियन के द्वारा लड़ने का है, पर उसको भी कुठाराघात किया है। यह मामला माननीय मुख्य मंत्री जी की नोटिस में लाया गया और मुख्य मंत्री जी ने उसकी कुछ धाराओं को देखकर उसके औचित्य को स्वीकार किया था और बोर्ड के बीच में और फेडरेशन के बीच में जो डिस्प्यूटेड पाइन्ट्स हैं उनको एग्री करके उस एग्रीमेंट में संशोधन कराये जायें यह इस तरह का उन्होंने सुझाव दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक यह मामला तय नहीं हो जाये इसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं किया जाये और काफी अर्से तक इम्पलीमेन्टेशन हुआ भी नहीं और उसके बाद में कुछ अर्से से इसका इम्पलीमेन्टेशन हो गया है और जिसका नतीजा यह हुआ कि उस एग्रीमेंट के तहत एक ही फेडरेशन के प्रतिनिधियों को लेकर उस कमेटी द्वारा फिक्सेशन के मामले तय किये जा रहे हैं। जिसमें जो लोग अर्से से सीनियर थे उनको जूनियर बना कर और दूसरी फेडरेशन से संबंधित लोग थे उनको सीनियर बनाकर जबरदस्त पक्षपात किया गया है। और इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है जिससे कि आम असन्तोष वर्कर्स में है। न केवल आइटक से सम्बन्धित जो लोग हैं उनके केसेज के बारे में निर्णय लिया गया बल्कि उसमें इन्टक से संबंधित कुछ लोगों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इसके खिलाफ ऐतराज जाहिर किया है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं इस बारे में बात करूंगा कि उनके इम्पलीमेन्टेशन के बारे में इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो लेकिन लगातार यह स्थिति जारी है। जगह जगह फालना, जोधपुर और जगहों पर आज किशनगढ़ के अन्दर भूखहड़ताल शुरू हो गई है उसी क्रम में तो मैं निवेदन करना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहता हूँ कि मुख्य मन्त्रीजी की मौजूद हैं, कम से कम उस एग्रीमेण्ट का इम्पली-मेण्टेशन तो बन्द हो जावे और जो भी निर्णय किये गये हैं उनको निरस्त कर दिया जाये ताकि यह डिस्प्यूट न हो, हड़ताल न हो और इस प्रकार से वह स्थिति जो मुख्य-मन्त्रीजी ने खुद इन्टरवीन किया था उसको अवोइड किया जा सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि 20 या 21 तारीख को जो जो इससे संबंधित संगठन हैं एक बार और बात करके इसका क्या रास्ता ठीक निकल सकता है वह बात करेंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आज मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया और यह जो बंगाली विस्थापित देवली कैम्प में हैं उनमें 157 बच्चे, औरतें और आदमी मर चुके हैं···

श्री उपाध्यक्ष : इस पर विचार हो रहा है आप बाद में मुझे चेम्बर में मिल लें। मंत्रियों द्वारा वक्तव्य-राजस्थान विश्व-विद्यालय के हड़ताल के संबन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री जी।

शासकीय-वक्तव्य

राजस्थान विश्वविद्यालय के हड़ताल के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मन्त्री) : राजस्थान विश्वविद्यालय के अनिश्चित काल के लिए बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर माननीय श्री रामानन्द जी अग्रवाल एवं माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने दिनांक 16-11-70 को दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में स्थिति की जानकारी इस प्रकार है:-

कुछ समय पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रावासियों ने मांग की कि छात्रावासों में कमरों का किराया, बिजली व पानी की दर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों के छात्रावासों के समान कर दी जावें। इस मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष तथा मंत्री मुझसे मिले थे। उन्होंने बतलाया था कि राजस्थान विश्व-विद्यालय के छात्रावासों में रहने वाले छात्रा-वासियों को जोधपुर विश्वविद्यालय तथा उदयपुर विश्वविद्यालय एवं राजस्थान सरकार के महाविद्यालयों के छात्रावासों से काफी अधिक शुल्क देना पड़ता है। दिनांक 5 नवम्बर, 1970 को राजस्थान विश्व-विद्यालय में स्थित छात्रावासों के करीब 100 छात्र मुख्य मंत्री महोदय के निवास पर गये और उन्होंने मुख्य मंत्री जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। मैं तथा मुख्य मंत्री जी बाहर आकर छात्रों से मिले और मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय के उपकुलपति महोदय से चर्चा करने के बाद एक सप्ताह में इस विश्वविद्यालय के छात्रावास शुल्क के संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा। छात्र काफी उत्तेजित थे वे अविलम्ब इस समस्या के संबंध में निर्णय चाहते थे। मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बाद वे वहां से चले गये।

दिनांक 9-11-70 को मुख्य मंत्री जी के निवास पर राजस्थान विश्वविद्यालय के

(श्री शिवचरण माथुर)

उपकुलपति महोदय तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण से चर्चा की गई। राजस्थान के अन्य दो विश्वविद्यालयों के छात्रावासों तथा राज्य सरकार के महाविद्यालयों के छात्रावासों की दरों को तथा वहां पर उपलब्ध सुविधाओं को तुलनात्मक दृष्टि से देखा गया। वर्तमान में छात्रावासों में निम्न प्रकार शुल्क लिया जा रहा है:–

राजस्थान विश्वविद्यालय	–	32.75
उदयपुर विश्वविद्यालय	–	13.85
जोधपुर विश्वविद्यालय	–	17.30
राजकीय महाविद्यालय के छात्रावास	–	14.00

उक्त छात्रावासों में जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालयों के छात्रावासों में फर्राश व चौकीदार के अलावा रसोइयों तथा मैस सर्वेन्ट्स का व्यय छात्रावासियों को स्वयं वहन करना पड़ता है इस तुलना में राजस्थान विश्वविद्यालय में फर्राश चौकीदार, रसोंइये, मैस सर्वेन्ट्स स्थाई रूप से रखे जाते हैं जिसका खर्चा राजस्थान विश्वविद्यालय को वहन करना पड़ता है और इस सुविधा के लिये छात्रों से 50) रुपये प्रति वर्ष संस्थापन व्यय के रूप में छात्रावासियों से वसूल किया जाता है। यदि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रावासों से संस्थापन व्यय निकाल दिया जाये तो वर्तमान में स्थिति निम्न प्रकार से रहती है:–

राजस्थान विश्वविद्यालय	–	27.75
उदयपुर विश्वविद्यालय	–	13.85
जोधपुर विश्वविद्यालय	–	17.30
राजकीय महाविद्यालय के छात्रावास	–	14.00

इस बैठक में राजस्थान विश्वविद्यालय को यह कहा गया कि जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासों की सुविधाओं के साथ जो शुल्क छात्रावासियों से लिये जाते हैं उसके अनुकूल छात्रावासों के शुल्क में कमी करने का प्रयास करें।

दिनांक 11 नवम्बर, 70 को राजस्थान विश्वविद्यालय ने एक विज्ञप्ति निकाल कर छात्रावास की शुल्क में 10 रुपये कमी करने की घोषणा की थी और उसके अनुसार स्थिति निम्न प्रकार रही है:–

राजस्थान विश्वविद्यालय	17.75 प्रतिमास
जोधपुर विश्वविद्यालय	17.30 प्रतिमास

इस कमी के बाद जोधपुर तथा राजस्थान विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में प्रायः समानता स्थापित की जा चुकी है। मुख्य मन्त्रीजी जब छात्रों से 5 नवम्बर, 70 को मिले थे उस समय छात्रों ने छात्रावास की फीस की ही मांग रखी थी। दिनांक 9-11-70 को छात्र संघ के अध्यक्ष श्री विजय प्रभाकर ने दूसरी 27 मांगों का एक मांग पत्र राजस्थान विश्वविद्यालय के उपकुलपति महोदय के पास भेजा। इन 27 मांगों में कुछ मांगे जिनका सम्बन्ध परोक्ष रूप से राज्य सरकार से तथा अन्य मांगों का संबंध विश्वविद्यालय का शैक्षणिक नीति से है। राज्य सरकार से सम्बन्धित मांगों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Page No 47

(श्री शिवचरण माथुर)

(1) रवीन्द्र मंच समिति, ललित कला अकादमी व संगीत नाटक अकादमी की समितियों में छात्रों को 1।3 प्रतिनिधित्व दिया जावे। राजस्थान सरकार ने रवीन्द्र मंच समिति में राजस्थान विश्वविद्यालय के उपकुलपति की सलाह से एक छात्र प्रतिनिधि को मनोनीत किये जाने का निर्णय ले लिया है। ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की संचालन समितियों में राजस्थान विश्वविद्यालय के किसी छात्र को लेना सम्भव नहीं है, क्योंकि इन अकादमियों का क्षेत्र राजस्थान व्यापी है।

(2) उदयपुर से भूगर्भ विभाग को राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार सहमत नहीं है क्योंकि उदयपुर खनिज का एक प्रमुख क्षेत्र है इसलिये भूगर्भ विज्ञान का उचित शिक्षण तथा शोध की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह स्थान (उदयपुर) राजस्थान विश्वविद्यालय के भूगर्भ विभाग को रखे जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि इसी दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार का खनिज तथा भूगर्भ विभाग भी उदयपुर में ही स्थित है।

श्री रामकिशन : वह तो वहां स्थाई है।

श्री शिवचरण माथुर : (3) विश्वविद्यालय की सीनेट, सिन्डीकेट आदि बोडीज में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी द्वारा विधान सभा में की गई घोषणा के आधार पर डा. डी एस. कोठारी को एक पत्र उनकी राय के लिए लिखा गया। डा. कोठारी ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि इस विषय पर डा. गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति की रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार को भेज दी जायेगी। समिति की रिपोर्ट इस समय अपेक्षित है। उक्त रिपोर्ट व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के विचार आने पर राज्य सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(4) राजस्थान लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं का जयपुर में केन्द्र रखे जाने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग का सहानुभूतिपूर्ण विचार करने के लिए लिखा जा रहा है।

(5) प्रिमेडिकल टेस्ट में प्रथम वर्ष टी. डी. सी. में पास होने वाले छात्रों को टैस्ट में अनुमति देने के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई और ज्ञात हुआ कि आल इण्डिया मैडिकल कौन्सिल के निर्णय के आधार पर प्रिमेडिकल टैस्ट में बैठने के लिए टी. डी. सी. प्रथम वर्ष में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है और राजस्थान विश्वविद्यालय ने भी इसी आधार को माना है।

(6) 10,000) रु. वार्षिक आय वाले अभिभावकों की छात्राओं से अध्ययन शुल्क नहीं लेने के निर्णय को महारानी कालेज में लागू न करने के सम्बन्ध में राजस्थान विश्वविद्यालय को सलाह दी गई है कि ये भी अन्य विश्व विद्यालयों की तरह इस सुविधा को महारानी कालेज में लागू कर दें।

विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य मांगों के सम्बन्ध में अधिकतर शैक्षणिक मांगे हैं

(श्री शिवचरण माथुर)

जिनका सीधा सम्बन्ध राजस्थान विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक समितियों से है और उनकी विभिन्न समितियों द्वारा ही निर्णय लेना है।

दिनांक 9-11-70 को छात्र संघ द्वारा उक्त मांग-पत्र रात को 9 बजे विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पी. ए. को प्राप्त हुआ। इस मांग पत्र में यह कहा गया था कि यदि इन समस्याओं का निपटारा बुधवार को 4 बजे तक नहीं होता है तो बृहस्पतिवार से हड़ताल प्रारम्भ कर दी जायगी। 12 नवम्बर को छात्रों ने हड़ताल कर दी तथा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तथा अन्य प्रवेश द्वार बन्द कर दिये तथा विश्वविद्यालय के आफिस के कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व अध्यापकों को रोकने का प्रयत्न किया।

जब छात्र उपकुलपति महोदय के कार्यालय के सम्मुख गये तो उन्होंने छात्रों को सम्बोधित किया तथा विश्वविद्यालय का पक्ष उनके सम्मुख रखा। उपकुलपति जी ने आगे भी बातचीत करने के लिए छात्र नेताओं को आमंत्रित किया। परन्तु उपकुलपतिजी के वहां से हटने के तुरन्त बाद ही छात्रों ने यह नारे लगाये कि वे विश्वविद्यालय की सारी कार्यवाही रोकेंगे तथा अध्यापकों, प्रशासनिक कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शनिवार से कार्य पर नहीं जाने देंगे।

परिणाम स्वरूप उपकुलपति महोदय ने अपने सहयोगियों (डीन्स, एसोशियेट डीन्स, डाइरेक्टर्स, विभागाध्यक्ष, प्रोक्टर्स, रेक्टर्स तथा राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षा संघ की कार्यकारिणी) के परामर्श से विश्वविद्यालय बन्द करने का निर्णय लिया। उपकुलपति तथा उनके सहयोगियों की यह मान्यता थी कि छात्रों ने विश्वविद्यालय में इस हड़ताल के दौरान कुछ विशिष्ट प्रकार की कार्यवाही की है जिससे विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार बन्द करना, दरवाजों पर खड़े होकर प्रवेश का रोकना, इत्यादि इत्यादि। इस बार छात्रों ने विश्वविद्यालयों के रैजीडेन्शियल कालोनी के दरवाजों को भी बन्द करने का प्रयत्न किया। वहां के निवासियों के आवागमन में बाधा डाली। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा अन्य अधिकारियों ने यह उचित समझा कि वातावरण में सुधार न होने तक विश्वविद्यालय को 13 नवम्बर से अनिश्चित काल तक के लिए बन्द कर दिया जाय। राज्य सरकार की ओर से तथा विश्वविद्यालय की ओर से उन मांगों के सम्बन्ध में आश्वासन देने के बाद यह आशा की जाती है कि छात्र गण विश्वविद्यालय खुलने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में सहयोग देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो वक्तव्य इस सम्बन्ध में दिया है उसमें मेरे ख्याल से कई तथ्य इस सदन के सामने रखे भी गये और कई तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में शायद शिक्षा मंत्रीजी को सूचना सही नहीं मिली हो। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह हड़ताल हुई क्यों? इस हड़ताल की मांगों में कोई औचित्य भी है या नहीं, आया कि यह हड़ताल हुई इससे पहले विद्यार्थियों ने काफी समय प्रशासन को, उपकुलपति महोदय को दिया कि उस मामले को तय करें, और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जस्टीफीयेबल समय देने के बाद भी वह मामला तय नहीं हुआ तभी विद्यार्थियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि विद्यार्थियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद क्या नेगोसियेशन्स के सारे दरवाजे बन्द हो गये थे ? कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया था और उपकुलपति महोदय के लिए सिवाय इसके कि अनिश्चित काल के लिए विश्वविद्यालय को बन्द कर दें ? दूसरा रास्ता रह गया था या नहीं रह गया था ? यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि क्या इस विश्वविद्यालय के छात्रों में जो असन्तोष है इसका कारण यह जो मांगें उन्होंने रखी हैं वही है या और है या इसके अलावा और भी कुछ ऐसे प्रश्न है जिनके कारण विश्वविद्यालय में स्थिति बहुत असन्तुष्ट और क्षुब्ध बनी हुई है वह भी हड़ताल का बैक ग्राउन्ड है।

उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों ने जो भी छात्रावासों में रहते हैं उनसे यह जो शुल्क लिया जा रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय में उसकी मात्रा कितनी कितनी है वह माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं ने रखी है, और अब उसमें और यहां के राजकीय छात्रावासों में या जोधपुर विश्वविद्यालय या उदयपुर के विश्वविद्यालय के छात्रावासों में उस शुल्क में कितना बड़ा अन्तर था यह स्थिति सामने आगई। इस मांग को 31 जुलाई को छात्रों ने अपनी एक छात्रावास समस्या-निवारण समिति बनाकर उसके द्वारा अगस्त के महीने में एक ज्ञापन द्वारा शायद 14 अगस्त को यह उपकुलपति महोदय के सामने रख दी। उपाध्यक्ष महोदय, 14 अगस्त को रखने के बाद अभी नवम्बर तक उस समस्या का कोई भी हल नहीं हुआ।

उपकुलपति महोदय में एक बहुत ही खतरनाक दृष्टिकोण मैं देख रहा हूं जो रुख अपनाया हुआ है वह उस संघर्ष हो या कोई मांग हो उसकी दिशा अपने कन्धों से हटाकर इस विधान सभा या सरकार की तरफ मोड़ देते हैं। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त शासन संस्था है और जब भी हम यहीं पर विश्वविद्यालय के प्रशासन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उपस्थित करते है तो आम तौर पर यह कह कर मना कर दिया जाता है कि यह युनिवर्सिटी की आटोनोमी पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय हम भी नहीं चाहते कि विधान सभा में उस आटोनोमी पर कुठाराघात करते हुए हमको कोई प्रश्न उठाना पड़े। परन्तु युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर को उस ओटोनोमी के तहत जहां उनके अधिकार हैं वहां उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। उन जिम्मेवारियों का जब प्रश्न आये तो उनको भी एक स्वायत्त शासन संस्था के प्रशासक होने के नाते अपनी जिम्मेवारियां को निभाना चाहिए। बजाय इसके, ऐसा न करके इसको इधर-उधर टालने की कोशिश की तो विद्यार्थियों को जबरदस्ती आन्दोलन का माध्यम बनाने की कोशिश की तो इससे वातावरण और भी उलटा क्षुब्ध होता है। इस विषय में माननीय उपकुलपति ने और ही दृष्टिकोण अपनाया है। यह पहले ही छात्रावासों के कारण घाटा खा रहे हैं। और आजकल राज्य सरकार उनको अनुदान में बढ़ोतरी नहीं करती है। इसका सीधा मतलब यह है कि हम तो करना चाहते हैं लेकिन सर-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कार नहीं करने देती है। इसलिये तुम जलेबी चौक में जाओ। सिविल लाइन में जाओ। यह तरीका उनका मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। विधान सभा यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा की मद में, अनुदान पास करता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वक्तव्य में जो तथ्य कहे गये हैं, उस पर आ जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह एडजॉर्नमेन्ट मोशन का प्रश्न है, ताकि यह वातावरण समाप्त हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप, उस स्टेटमेंट में कोई खामी हो, उस ओर ध्यान दिलायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री महोदय ने यह ध्यान नहीं दिलाया है। उपकुलपति का यह कहना है कि जब तक सरकार नहीं करे, हम नहीं कर सकते हैं। यही उनकी डिफीकल्टी है।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सवाल जहां तक छात्रावासों की फीस का सवाल है, वह हल हो चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 21 जुलाई से अब तक प्रोलोंग किया है। 9 नवम्बर, 11 नवम्बर तक प्रोलोंग किया गया है। वह तो एक बड़ा कारण था जिसके कारण यह हड़ताल उनको करनी पड़ी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं उसके बाद में 27 मांगें विद्यार्थियों की हैं, उनका कुछ जिक्र शिक्षा मन्त्रीजी ने किया है। जिनका मुख्य मन्त्री जी ने पिछली साल आश्वासन दिया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था।

श्री शिवचरण माथुर : घोषणा में यह कहा था कि यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन के डा. कोठारी को हम भेज देंगे। उसके बाद में डा. कोठारी को हमने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यह कहा है कि यह सवाल राजस्थान तक ही सीमित नहीं है; यह सवाल सारे देश में उठाया जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए डा. गजेन्द्र गडकर की रिपोर्ट आने के बाद में कुछ कह सकेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां तक मुझे याद है, केटेगरीकल आश्वासन दिया गया था।

श्री शिवचरण माथुर : डा. कोठारी की रिपोर्ट के बाद कहा गया था। यह एस्योरेन्स साफ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यद्यपि एक साल होने को आया है, इसलिये वह भी एक मांग के अन्दर है। इसके अलावा विद्यार्थियों की ऐसी मांगें हैं जिनको माननीय मन्त्री महोदय ने शैक्षणिक बताया है। लेकिन वस्तुस्थिति इस तरह की है, इसके वजूहात के कारण विद्यार्थियों में जबरदस्त असन्तोष है। इन मांगों के बारे में कोई सन्तोषजनक हल नहीं किया गया है। मसलन एक मांग है हाजिरी के बारे में। जब विद्यार्थी कह रहे हैं कि कम्पलसरी अटेण्डेन्स नहीं रखी जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हाजिरी की जरूरत ही नहीं है कहीं भी जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस सम्बन्ध में शिक्षा शास्त्रियों में मतभेद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां तक मेरी जानकारी है···

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में समाजवादी देशों में क्या नियम हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक पोइण्ट आफ ऑर्डर रेज करना चाहता हूँ। निवेदन यह है यह छात्रों की संस्था है। कोई विवादास्पद मामला हो तो ठीक है। अन्यथा यह एक स्वायत्तशासी, उप-स्वायत्तशासी संस्था में किन्हीं विषयों को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं, उसकी एक सीमा बांधने के लिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा। शिक्षा मन्त्रीजी ने जो स्टेटमेण्ट दिया है, उसमें कोई आपत्ति हो, तो ठीक है। अन्यथा यह कहना कि यह गलत स्टेटमेण्ट है यह अधूरा स्टेटमेण्ट है। वाइस-चांसलर या चपरासी का सवाल है।

श्री रामकिशन : यह किसने कहा है ? माननीय नाहर साहब, यह किसने कहा है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप कह रहे हैं। हम वही तो निवेदन करने जा रहे हैं।

श्री विजयसिंह : नाहर साहब से सवाल पूछ रहे हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जो मुद्दे हैं, उन पर बैठ कर चर्चा करें। स्टूडेण्ट्स हड़ताल करते हैं, वाइस चांसलर···

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्वाइण्ट आफ आर्डर है या भाषण दे रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को···

श्री रघुनाथ विश्नोई : बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : निवेदन करना चाहता हूँ कि अबकी बार पहली बार स्टूडेण्ट्स यूनियन चुन कर बनी है। उसने यह मांग रखी है। उनकी जो एक्जीक्युटिव है, उनकी जो असेम्बली है, उसमें जो विभिन्न डिपार्टमेण्ट्स से प्रतिनिधि चुन कर आते हैं, उस असेम्बली ने इन मांगों को एण्डोर्स किया है। उनकी इन मांगों पर सोचना पड़ेगा। उनकी रीजनेबिल समस्याओं पर नेगोसियेट करना होगा। यह दरवाजा बन्द करने से नहीं होगा। इस प्रकार की स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह खेदजनक है। उसका बेक ग्राउण्ड उपाध्यक्ष महोदय, यह है, हमारे मौजूदा वाइस चांसलर साहब ने अपनी प्रतिष्ठा स्टूडेण्ट्स और टीचर्स में खो दी है। आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में एक विजीलेंस स्कवाड रखा गया है। एक्स-मिलेट्रीमेन रखे गये हैं। यह 50 हजार रुपये सालाना का खर्चा रखा गया है।

(1.50 म. प.)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

जैसे मिलेट्री में मिलेट्री पुलिस या मिलेट्री इण्टैलीजेंस रखी जाती है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

50 हजार रुपया खर्च करना क्या यह उचित होगा ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि इस तरीके से जो वाइस-चान्सलर साहब ग्राब्जेक्शन करते . . .

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं जहां तक शैक्षणिक समस्याओं का सवाल है, उनके बारे में बातचीत करने के लिए उपकुलपति महोदय के दरवाजे खुले हैं, ग्रासी बातचीत के लिए उपकुलपति महोदय ने दरवाजे बन्द नहीं किये हैं। छात्र बन शैक्षणिक समस्याओं के बारे में उपकुलपति महोदय से बात करें ग्रौर उन्होंने छात्रों से बातचीत भी की है, उसके बाद में जो रीजनेबल बातें थीं उनका एक्सेप्ट किया है, कई बातों के बारे में ग्रापकी कठिनाई भी ज़ाहिर की है, जिन्हीं बातों के लिए कहा है कि सेशन के बीच में इन बातों को लागू नहीं कर सकते। इसके ग्रलावा अन्य जितनी भी मांगें हैं उनमे से कुछ का सम्बन्ध निर्णय लेने के सम्बन्ध में उपकुलपति महोदय से नहीं होता, यूनिवर्सिटी की बहुत सारी कमेटी होती हैं, बॉडी होती हैं उनके द्वारा जब तक उन मांगों के सम्बन्ध में रैगुलर ढंग से विचार नहीं किया जाय तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, उनके बारे में उपकुलपति महोदय ग्रकेले कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। उपकुलपति महोदय ने उनके बारे में कहा कि उनका फैसला बाद में कर दिया जायगा। इसलिए ग्राप जो बात कहते हैं वह कतई गलत है।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की बारह तारीख को हड़ताल पहले दिन हुई, तेरह तारीख से यूनिवर्सिटी को ग्रनिश्चित काल के लिए बन्द कर देना मोस्ट ग्रनरीजनेबल है मैं समझता हूं कि वाइस-चान्सलर को रीजनेबल तरीके से, जैसे ग्रपने बच्चों से बात करते हैं, बात करनी चाहिए थी। लेकिन यह कोई रीजनेबल तरीका नहीं है, यह पेनल्टी लगाने का तरीका है, पेनेलाइज करने का तरीका है कि तुम्हारे इम्तिहान नजदीक ग्रा रहे हैं, तुम सफर करो, तुम जाग्रो। यह तरीका कोई हेल्दी तरीका नहीं समझता, यह रिटेलियेशन का तरीका है, दबाने का तरीका है जो वाइस-चान्सलर महोदय पैदा करना चाहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं ग्राखिर वाइस-चान्सलर जो यूनिवर्सिटी के हैड होते हैं, ग्रपने प्रभाव से, ग्रपने मोरल ग्रफेक्ट से, ग्रपने ग्रौर नैतिक प्रभाव से सारे विद्यार्थियों के जीवन पर ग्रसर डालते हैं, लेकिन हमारे वाइस-चान्सलर साहब ने ग्रभी हाल ही में बात छोटी सी है, लेकिन ग्रपनी कार से उन्हें तीन सौ मील तक फ्री ट्रैवल करने की सुविधा मिले—बात यूनिवर्सिटी के ग्राडिनेन्स के मुताबिक सीनेट से पास होनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने उस प्रकार का वायलेशन करके सिंडीकेट में पास करा कर सुविधा ले ली, पिचत्तर रुपये मासिक बिजली खर्च फ्री ले लिया। तो ग्राखिर इन बातों का विद्यार्थियों के दिमाग पर क्या ग्रसर पड़ा। यह ग्रसर पड़ेगा कि हमारे गुरुजन जो यूनिवर्सिटी के ग्राथिक संकट की समस्या हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं वह खुद, जब उनकी सुविधाग्रों का सवाल पैदा होता है तो इस तरह की छोटी-छोटी

Page No 53

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
सुविधाओं से वंचित नहीं होना चाहते। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के ऊपर इस प्रकार के आग्यूमेंट का कोई असर नहीं पड़ सकता है · · · ·

श्री शिवचरण माथुर : सभापति जी, मैं समझता हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में आप कोई नई चीज यहां पर ऐसी उपस्थित करें, जिसको मैं समझता हूं, जानकारी मुझे नहीं हो · · · ·

श्री मनोहरसिंह मेहता : बिल्कुल ठीक है।

श्री शिवचरण माथुर : और मैं जिसके सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी से जवाब आया है तो मैं उनका जवाब देने की स्थिति में अपने को नहीं पा सकूंगा। आपने वाइस-चांसलर की कार से ट्रेवल करने की बात कही—यह नई बात है—इसके बारे में मैं जानकारी विधान सभा में नहीं दे सकूंगा और न वाइस-चान्सलर अपने को डिफेन्ड करने के लिए यहां उपस्थित हैं। या तो इस बात का पहले नोटिस देकर यह सवाल उठाते तो मैं यहां उत्तर दे सकता था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं ऐसी बातें बताऊंगा जिनकी शिक्षा मंत्री जी को जानकारी हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि और भी बिजनेस है। इसके उपर स्टेटमेंट था वह हो गया, आपने कुछ बातें पाइन्टआउट कर दीं। और कोई बात हो तो आप अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में पधार कर मंत्री महोदय से बात करके उसका जिस प्रकार भी हल हो सकता है—वह कर लीजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता बिल्कुल ठीक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह चेम्बर का मामला नहीं है, सभापति महोदय। यह सारे सदन की चिन्ता का विषय है। मुझे खेद है, माननीय सभापति जी, आप एक ऐसी बिल्कुल नई रूलिंग दे रहे हैं जिससे आपको भी सुविधा होगी जब आप इधर आयेंगे। इसलिए ऐसी प्रिसिडेंट न बनायें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभापति महोदय ने नेक सलाह दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय हड़ताल हुई, इससे पहले वाइस-चान्सलर साहब का व्यवहार कुछ पक्षपातपूर्ण व्यवहार और कुछ इस प्रकार का व्यवहार जो विद्यार्थियों की शिक्षण संस्थाओं में उचित नहीं है, वह लगातार उनका हो रहा है। पोलिटिकल तरीके से भी इस प्रकार का दृष्टिकोण अपना कर वह किन्हीं को दबाने का कोशिश करते हैं, किन्हीं से असहयोग करने की कोशिश करते हैं और किन्हीं को प्रोत्साहन देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी के अन्दर क्षुब्ध वातावरण उत्पन्न हुआ है। वाइस-चान्सलर साहब ने एक नई एक्जाम्पल स्थापित की, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् जो पालिटिकल पार्टी की एक विद्यार्थी विंग है, के जलसे का उद्घाटन किया इसके अलावा · ·

श्री सभापति : पर्याप्त हो चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी खुद जानते हैं कि जब मैडम बिन · ·

श्री सभापति : आप सवाल पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और जो साउथ विएतनाम का डेलीगेशन आया था · ·

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपको जानकारी दे दूं · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस समय उनका स्वागत करने के लिए यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों ने उनको बुलाया और माननीय शिक्षा मन्त्री जी खुद उस स्वागत समारोह की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन वाइस-चान्सलर साहब ने मना कर दिया कि यह यूनिवर्सिटी के प्रांगण में नहीं हो सकता है। लेकिन जब अमेरिकन एम्बेसडर आये तो उनके लिए विशेष रूप से स्वागत समारोह के लिए विशेष सुविधायें उपलब्ध हो सकती हैं · ·

श्री रामकिशन : यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके लिए स्वागत समारोह आयोजित किया जायगा और सभापति महोदय · ·

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर दूं, साउथ विएतनाम का जो डेलीगेशन आया था, उसके स्वागत का आयोजन यूनिवर्सिटी के हाल में हुआ है। इस बात की आपको शायद जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस जगह करना चाहते थे उस जगह नहीं करने दिया गया, दूसरे हाल में वह स्वागत आयोजन किया गया। यह सूचना आपके पास है और अगर नहीं है तो आप प्राप्त कर लें। जहां पहले आयोजन होने वाला था वहां के लिए मना कर दिया।

श्री शिवचरण माथुर : यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटीज ब्लाक के हाल के अन्दर हुआ था साउथ विएतनाम के डेलीगेशन का स्वागत।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ह्यूमैनिटीज ब्लाक के हाल के अन्दर हुआ था, उस यूनिवर्सिटी के हाल में जहां सामान्य तौर पर स्वागत समारोह होते हैं वहां नहीं करने दिया गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, मुझे फिर पाइन्ट आफ आर्डर रेज करना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाल यह है · ·

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपका यह कहना कि रसियन डेलीगेशन का स्वागत कहां हो, चाइनीज डेलीगेशन का स्वागत कहां हो · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, सवाल यह है कि स्वागत समारोह कहां हो या कहां नहीं हो, और आम तौर से जिनको यूनिवर्सिटी में बुलाया जाये · ·

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं आपकी इस बात का विरोध करूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनका स्वागत करने के लिए वह हाल नहीं दिया जाय · ·

Page No 55

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आखिर, सभापति महोदय, एक सीमा है ...

श्री सभापति : श्री नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा निवेदन है, आफ्टर आल क्या चीजें, किन चीजों को विद्यार्थियों के दिमाग में डालना चाहते हैं। वही बात फिर आ गई, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, आप कह रहे हैं वाइस-चान्सलर एक आंख से देखते हैं दो आंखों से नहीं, वाइस चान्सलर एक पैर से चलते हैं दो पैरों से नहीं, कार में बैठते हैं, तीन सौ मील फी ट्रैविल करते हैं, इनके साथ यह सब बात कहना कि रसियन का कहां स्वागत किस हाल में हुआ, अमेरिकन का कहां स्वागत किस हाल में हुआ–क्या इस बात को यह सदन तय करेगा ...

श्री सभापति : बिल्कुल नहीं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आखिर यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता कहां चली जायगी। आखिर सीमा और समय का सवाल है, बहुत असेंशियल विधेयक पड़े हुए हैं जो जिन्हें हम पास करवाना चाहते हैं। इसलिए, मैं क्षमा चाहता हूं, बार बार इन्टरवीन करना पड़ रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय..

श्री सभापति : आपको सवाल पूछने हों वह पूछ लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वही पूछ रहा हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह सूचना दी है कि यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स एसोसियेशन है, जो वहां पर है उसकी एक्जीक्यूटिव बॉडी से यूनिवर्सिटी को बन्द करने की सहमति ले ली गई थी। मेरी सूचना के अनुसार यह बात दुरुस्त नहीं है ...

श्री शिवचरण माथुर : यह सही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सवाल भी पूछ रहे हैं और खुद ही उनका जवाब भी दे रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात सही है कि रूटा, जो टीचर्स एसोसियेशन है वह इस बात से असहमत है, वह इस दृष्टिकोण को दुरुस्त नहीं मानती है, न उनकी एसोसियेशन से ऐसी कोई ऐसोशियेशन एज सच स्वीकृति ली गई है। उस एसोसियेशन के मेम्बर्स से मेरी बात हुई है, वह कहते हैं, इस दृष्टिकोण से वाइस-चान्सलर साहब एक स्ट्रांग आर्म्ड पालिसी अपनाने की कोसिश कर रहे हैं और वाइस-चान्सलर साहब की यह पालिसी, जहां तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, दुरुस्त नहीं है। वाइस-चांसलर साहब ने जो इस साल से जो स्टूडेन्ट्स से बातचीत करके, बाप बेटे की तरह बातचीत करके समस्याओं का हल निकालने का जो तरीका अब तक अपनाया जाता था, उसको छोड कर स्ट्रांग आर्म्ड पालिसी अब निर्धारित की है जिसका एक, अंग है एक्स मिलिट्री मैन को रखना और यूनीवर्सिटी को एकदम से बन्द कर देना ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शिक्षा मंत्री जी द्वारा यह सूचना नहीं दी गई है, यह तथ्य सामने नहीं आया है कि केवल यूनिवर्सिटी हो बन्द नहीं की गई है, बल्कि स्टूडेंट्स को आदेश दिया गया है कि तमाम छात्रावास चौबीस घण्टे के अन्दर अन्दर खाली कर दो। सभापति महोदय, इनमें ऐसे छात्रावास भी हैं जिनमें फॉरेन के स्टूडेंट्स और गर्ल्स स्टूडेंट्स रहते हैं, उनसे भी छात्रावास जबर्दस्ती खाली करवा लिया गया है। ऐसे छात्रावास, जिनमें ऐसे स्टूडेंट्स खास तौर से रहते हैं उनको भी वहां से निकाल दिया गया। इसका मतलब है कि जब यूनिवर्सिटी बन्द की गई तो छात्रावास बन्द करने का क्या औचित्य था। यह सारे अखबारों में आया है कि यूनिवर्सिटी में दूसरे दिन गये, उन्होंने कहा कि क्लास चलेगी। उन्होंने क्लास लगाई और कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। फिर भी इस प्रकार स्टूडेंट्स को पेनेलाइज करने की कोशिश की जा रही है-उसका मैं एतराज कर रहा हूं अब वह चले गए, उनको मजबूर किया, 100), 200) उनके आने जाने में लगेंगे। आखिर पेनेलाइज करने का उनको कोई अधिकार नहीं था। मान लो एक दिन की हड़ताल हुई थी, बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए था। मुझे जानकारी मिली है कि विश्वविद्यालय के छात्रावास में विदेशों की लड़कियां यहां मौजूद हैं, उनसे भी छात्रावास खाली कराया गया जिनके रिश्तेदार जयपुर में नहीं, जिनका कोई मिलने वाला यहां पर नहीं, इस देश का नेशनल हो वहां नहीं, उन लोगों के साथ ऐसा असहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाय तो यह उस तरीके की बात है जैसे गोलीकांड में अश्रु गैस होता है फिर चाहे जिसको भी इन्डिसक्रिमिनेटली पीटा जाता है उसी तरह से विद्यार्थियों के साथ किया गया। जहां तक मेरी जानकारी है, एक छात्रावास के लड़के ने कहा हम नहीं जायेंगे, वह अपना किचिन व कैंटीन चलाते हैं। वह कहते है कि हमारा अधिकार है कोई दुर्घटना नही हैं, इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल अनुचित है, इसका कोई औचित्य नहीं था।

इसलिए सभापतिजी, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जो मांगें विद्यार्थियों की हैं, जो पहले थी या जो 27 मांगें है, इनमें से 5-6 ऐसी हैं जिसके लिए विद्यार्थी ज्यादा जोर दे रहे हैं और जिन पर गुंजाइश भी है दोनों तरफ बातचीत करने को....

(2.02 म. प.)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, आप पधारे हैं, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के मामले को रख रहा था जिसके बारे में वैसे तो आपने फुल डिबेट कराने के लिए पहले कई बार वायदा किया या लेकिन कोई अवसर नहीं मिला....

श्री अध्यक्ष : वह अवसर मिल जायगा भविष्य में। इस अवसर पर कम से कम आप सीमित रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये जो दरवाजे बंद किए गये हैं, सरकार को क्लोज्ड डोर पोलिसी, वह बंद करवाकर और विश्वविद्यालय अथोरिटीज से कहना चाहिए ..

श्री शिवचरण माथुर : बातचीत का दरवाजा कभी भी बंद नहीं हुआ है। कल भी विद्यार्थी उपकुलपति से मिले हैं और बातचीत चल रही है। मैं समझता हूं, यह कहना सही नहीं है कि दरवाजा बंद है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विश्वविद्यालय को बंद करना, दरवाजा बंद ही है। एक दिन हड़ताल हुई, बातचीत हो सकती थी, विश्वविद्यालय बंद करने की नौबत नहीं आती। जिस तरीके से उन्होंने कहा वहां में गंगानगर तीन महीने हड़ताल कर दो रेलवे की तो क्या होगा, इस तरीके का यह दृष्टिकोण हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्नों पर आ जायें भाषण तो ज्यादा होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि क्या सरकार विश्व-विद्यालय अथोरिटीज से यह निर्देशन करेगी कि फौरन जो कि इनकी समन्वय समिति है विद्यार्थियों की, उनके लीडर्स से फौरन आज ही बातचीत करें और उसका निर्णय आज सरकार को मिले। अगर आज 24 घन्टे के अन्दर उसका निर्णय नहीं हुआ तो सरकार को मध्यस्थता करके इन्टरवीन करना चाहिए और उसके बाद उन मामलों में खुद सरकार को हस्तक्षेप करके विश्वविद्यालय अथोरिटीज व विद्यार्थियों की जो समन्वय समिति है उनको बुलाकर बातचीत करनी चाहिए, क्या सरकार इस प्रकार का कदम उठाने को तैयार है?

श्री अध्यक्ष : और भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने जो उपकुल-पति के सम्बन्ध में जिन बातों का उल्लेख किया चाहे फाइनेन्शियल इर्रेग्युलेरिटीज हैं या अवांछनीय प्रशासनिक अव्यवस्थायें हैं, क्या उस सम्बन्ध में राज्य सरकार इन चीजों की जांच करवाएगी? और इस बात की जांच करवाएगी कि क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में इस वातावरण को देखते हुए जो न केवल विद्यार्थियों में है बल्कि टीचर्स में है, क्या उच्च स्तरीय कमेटी जिसकी पहले भी मांग की गई है, यह उच्चस्तरीय कमेटी आप गठित करेंगे और यह विद्यार्थियों का असंतोष एकेडेमिक मामलों का और जो अध्यादेश वगैरह के खिलाफ, स्टेच्यूटिरी प्रोवीजन्स के खिलाफ कार्यवाही होती है, उन तमाम को उस समिति से जांच करवायेंगे और तमाम असंतोष की जड़ों के अन्दर जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे?

श्री रामकिशन (वैर) : आपने जैसा बताया जो कुछ मांग छात्रावास के सम्बन्ध में थी। इसमें 27 मांगें हैं। क्या उनमें से दो-तीन मांगों के बारे में जानकारी दे सकते हैं जिनको सरकार उचित समझती है और मैं समझता हूं, उचित हैं। एक मांग विद्यार्थियों की यह है कि जो श्रम कानून का अध्ययन पाठन है, हिन्दी में होना चाहिए, अंग्रेजी में नहीं। यह तो कारण उचित है बल्कि वाजिब है।

इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न यह है कि गेम्स फीस हर विद्यार्थी से ली जाती है लेकिन उस प्रकार की सुविधा केवल 5 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही दी जाती है। दूसरी मांग है कि कैंटीन के नाम पर 3) रु. साल

(श्री रामकिशन)

का लिया जाता है जबकि केंटीन की मेन्टेनेन्स के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से 900) दिए जाते हैं इसी प्रकार से कानून का अध्ययन लाॅ केस की तैयारी के नाम पर पैसे लिये जाते हैं लेकिन केस तैयार नहीं कराये जाते तो इसमें विश्वविद्यालय को सुझाना चाहिए और जो छात्रावास फीस कम करने की बात विश्वविद्यालय ने मानी है, वह उचित है। इससे उनका असंतोष दूर होगा लेकिन जो दूसरी मांगें हैं, उनका महत्व कम नहीं हुआ है। अगर वहां का प्रशासन, उपकुलपति और दूसरे संबन्धित अधिकारी थोड़ासा शालीनता से विचार करें तो समस्या टाली जा सकती है लेकिन असल प्रश्न यह है कि विधान सभा स्वायत्त शासन संस्था में दखल नहीं दें, इस दृष्टिकोण को स्वीकार करे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि विद्यार्थियों की एक दिन ही हड़ताल हुई और आपके कथनानुसार कोई धमकी दी हो तो विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए इस तरह से बन्द किया जा सकता है, इस प्रवृत्ति के अनुसार हम मानकर चलें कि वहां का प्रशासन विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम तो नहीं है लेकिन पूरी तौर से अयोग्य है। कल राज्य कर्मचारी यह धमकी देते हैं कि हम हड़ताल करेंगे तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार को बन्द कर देंगे, सरकार के कारोबार को बन्द करेंगे? आखिर कोई तरीका है? 5–7 हजार विद्यार्थियों का जीवन खराब किया जा रहा है।

हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय फौरन बगैर देरी के खुल जाना चाहिए। यह तरीका नहीं है, जब तक व्यापक हिंसा नहीं हुई हो, संपत्ति जलाई नहीं गई हो, तो ऐसी स्थिति नहीं है कि केवल धमकी के ही कह देना कि विद्यार्थी गड़बड़ करने वाले हैं, विश्वविद्यालय बन्द करना उचित नहीं है और जैसे लड़कियों तक को छात्रावास से निकाला गया, यह विषम स्थिति है तो जो समझौता हुआ है, जैसे विद्यार्थियों की छात्रावास सम्बन्धी मांग स्वीकार करते है, यह समस्या के समाधान का रास्ता निकाला गया है लेकिन इसके अलावा दूसरी मांगों के बारे में, सरकार को उसकी आटोनोमी का खयाल रखते हुए, व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर कोशिश करनी चाहिए। कुछ मांगें विद्यार्थियों की उचित हैं। यह तो राजस्थान का दुर्भाग्य है कि इस राज्य में विद्यार्थियों का आन्दोलन नहीं है, बड़ा कमजोर है।

श्री शिवचरण माथुर : आप चाहते हैं?

श्री रामकिशन : जिस तरह से चौधरी चरण सिंह चले गये, इस तरह से सुखाड़ियाजी भी चले जायेंगे, विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं कर सके लेकिन यह विद्यार्थी आंदोलन कमजोर है ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें।

श्री रामकिशन : सरकार इस मामले में हस्तक्षेप जरूर करें और जो विद्यार्थियों की 27 मांगें हैं, मैंने देखी हैं, इस प्रकार की मांगे हैं, कि उनका फैसला मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, उपकुलपति और विद्यार्थी यूनियन के पदाधिकारी 15 मिनट बैठ जायें और दूसरी चिन्ताओं जैसे पोस्टिंग व

(श्री रामकिशन)
ट्रांसफर्स से मुक्त होकर इस पर विचार करें तो 15 मिनट में यह समस्या टल सकती है लेकिन सरकार इस मामले में उदासीन, विश्वविद्यालय प्रशासन भी उदासीन है···

श्री अध्यक्ष : कहां सरकार उदासीन है ?

श्री रामकिशन : आपका भी अनुभव है कि सरकार उदासीन है हर मामले में। तो तत्काल इस संबन्ध में कार्यवाही करें और विद्यार्थी नेता और उपकुलपति से सम्पर्क स्थापित करके जो उनकी उचित मांगें हैं, कुछ उनकी पूरी हुई हैं, बाकी भी तय करें तो उनकी पढ़ाई में नुकसान नहीं होगा ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस पैमाने पर भ्रष्टाचार है···

श्री अध्यक्ष : केवल प्रश्न ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस ग्रोटोनोमी बर्ड ने एक कन्फ्यूजन क्रियेट कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । प्रश्न पूछें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ग्रोटोनोमी से ही प्रश्न आवेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि राज्य सरकार राजस्थान विश्वविद्यालय को अनुदान के रूप में काफी पैसा देती है और उस पैसे को एक तरफ से लेना और उसको दूसरी तरफ से खर्च कर देना मात्र है। किन्तु राज्य सरकार इस मामले में उदासीन रहती है और वह कोई जांच नहीं करती है कि उसके पैसों का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग । सीनेट में गवर्नमेंट के नोमीनीज हैं लेकिन वे अटेण्ड ही नहीं करते हैं शिक्षा मंत्री महोदय से मैं अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको व्यक्तिगत जानकारी नहीं है इसकी कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार से काम चालू है । राजस्थान की जनता को यह हक है कि वह इस बात को जाने कि उसके पैसों को किस प्रकार से खर्च किया जा रहा है ।

होस्टल की डिमान्ड को तीन महीने पहले रखी थी। वाइस चान्सलर के बंगले के यहां जाकर देखिये कि कितना बढ़िया लौन मिलेगा, प्रोफेसर्स के बंगलों पर जाकर देखिये कि किस प्रकार का बढ़िया लौन मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये। भाषण न दीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं दे रहा हूं किन्तु प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

कोई विश्वविद्यालय में जाकर तो देखें कि वाइस चान्सलर और प्रोफेसर्स के बंगलों के सामने क्या बढ़िया लॉन लगे हैं और कोई होस्टल्स को जाकर देखे तो आपको मालूम होगा कि उसके बाहर सांपों की बांमियां हैं, और यदि छात्र रात्रि को निकलें तो उनको काट कर खा सकते हैं। सिंडीकेट को तो एक खेल बना रखा है। राज्य सरकार ने उस तरफ से आंख मूंद रखी है, आटोनोमस बोडी है

Page No 60

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

इसलिये राज्य सरकार कहती है कि हम दखल नहीं दे सकते। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूं कि होस्टल आदि के मसलों को लेकर राज्य सरकार दखल दे सकती है। और वह यह भी देख सकती है कि जिस चीज के लिये पैसा दिया जाता है वह वास्तव में उसमें खर्च किया जाता है या नहीं।

राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर प्रोफेसर्स और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स सिण्डीकेट द्वारा यह नियम बनाया गया है कि 30 परसेन्ट स्टाफ छुट्टी लेकर विदेश में पढ़ने जा सकते हैं। 50 परसेन्ट बाहर जाते हैं। एक एक हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट तीन 2 दफा अमेरिका चले जाते हैं। युनिवर्सिटी के खर्चे पर चले जाते हैं। उस पैसे को होस्टल के ऊपर क्यों नहीं खर्च किया जाता है।

यह सब मसले ऐसे हैं कि जिनको देखना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, डिवेट अलाऊ नहीं कर रहे हैं लेकिन यह जो ऑटोनोमी वाली बात है उसको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। ऑटोनोमी दी किसने? राजस्थान विधान सभा ने दी। विधान सभा ने कानून पास किया। हमने ऑटोनोमी दी। विश्वविद्यालय अधिनियम को पढ़ने से साफ प्रकट होता है कि राजस्थान के सिन्डीकेट में नोमीनीज होते हैं, अध्यक्ष महोदय के नोमीनीज होते हैं। सरकार के नोमीजीज होते हैं। शागाजी गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको भी दिया है।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं सूक्ष्म में यही निवेदन करना चाहता हूं और मेरा नम्र निवेदन है शिक्षा मंत्रीजी से कि यह मानना कि ऑटोनोमस बोडी है इसलिये हम दखल नहीं दे सकते, लेकिन मैं कहता हूं कि उनको पूर्ण अधिकार है कि वह यह देखें कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय को हम अनुदान देते है वह किस प्रकार से खर्च करते हैं। यह सब मसले उनको देखना चाहिये। और ऑटोनोमी के नाम पर विश्वविद्यालय को छोड़ न दें।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि विद्यार्थियों ने जो अपनी मांगें रखी हैं। मैं उनको दो भागों में लेता हूं, एक वह मांगें हैं जिनका राज्य सरकार से सम्बन्ध है और दूसरी वे जिनका सम्बन्ध विश्वविद्यालय से है।

मैं राज्य सरकार से जानना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय से सम्बन्धित मांगों पर शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रीजी ने विचार किया है कि उन मांगों में से कौनसी मांगें उचित हैं और उनको विश्वविद्यालय को स्वीकार कर लेना चाहिये। इसके पीछे मेरा मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार उन मांगों को स्वीकार करने के लिये विश्वविद्यालय को किसी प्रकार के आदेश दें लेकिन इसके उपरान्त भी विश्वविद्यालय को प्रभावित करने के लिये राज्य सरकार और विधान सभा के प्रतिनिधि हैं, उनको राज्य सरकार परिचित करे तो जो ऑटोनोमी होने के कारण आदेश के रूप में विश्वविद्यालय से नहीं मनवा

(श्री भैरोंसिंह)

सकते हैं वह औचित्य के आधार पर अपने प्रतिनिधियों से मनवा सकती है। इसके विषय में राज्य सरकार ने कोई कदम उठाया है और विचार किया है और क्या कोई अपनी राय बनायी है ? विश्वविद्यालय को एक एडवाइजरी कमेटी की हैसियत से कि ये मांगें उचित हैं और उनको स्वीकार किया जाना चाहिये और किस हद तक स्वीकार किया जाना चाहिये क्या विश्वविद्यालय को लिखा है ?

दूसरा प्रश्न यह जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द किया गया और इस प्रकार की डिमान्ड्स के प्रश्न राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के बीच में चल रहे हैं कि यदि मांगों को मंजूर नहीं किया जाय और आन्दोलन इस प्रकार चले तो क्या विश्वविद्यालय को बन्द किया जाना चाहिए, मैं यह नहीं पूछता कि आप के कहने से विश्वविद्यालय बन्द किया गया या आपके इन्कार करने से बन्द किया गया। लेकिन इन्डिपेन्डेन्टली पूछना चाहता हूं कि जिन कन्डीशन्स में विश्वविद्यालय बन्द किया गया क्या उन औचित्यों को राज्य सरकार स्वीकार करती है कि विश्वविद्यालय का इन कन्डीशन्स में बन्द किये जाने का कोई कारण नहीं हो सकता था इसलिये विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिये बन्द किया गया।

एक जानकारी यह भी करना चाहूंगा कि अनिश्चित काल के लिये विश्वविद्यालय बन्द किये जाने के बाद राज्य सरकार का कोई उत्तरदायित्व आता है विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों के बीच में विवाद चले और उसको निपटाने के लिये राज्य सरकार आगे बढ़ कर विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों के बीच में बातचीत और विवाद का निराकरण करने के लिये अपने स्तर पर, प्रभाव का उपयोग करने के स्तर पर नहीं, निपटारे की चेष्टा की जाय ?

हर साल विद्यार्थियों की हड़ताल होती है नयी मांगें, पुरानी मांगें और आश्वासन के बावजूद भी उनको पूरा न किया जाता, इस प्रकार की मांगें विद्यार्थियों के द्वारा रखी जाती हैं और यह भी देखने को मिला है कि जितनी मांगे वे रखते हैं अधिकांश स्वीकार की जाती हैं। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि विद्यार्थियों की मांगें इस विश्वविद्यालय और राजस्थान सरकार द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाती हैं जब तक कि वे हड़ताल न कर दें।

इस सारे प्रसंग को मिटाने के लिये राज्य-सरकार और विश्वविद्यालय को कोई प्रबन्ध करना चाहिये। विश्वविद्यालय के छात्रों की मांगों को लेकर मांग पत्र राज्य सरकार और विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाय तो कोई ऐसी एजेन्सी इन्वेस्टिगेट करने के लिए विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के किसी लेवल पर सलाह दे सके कि अमुक मांग उचित है और उसको विश्वविद्यालय को स्वीकार कर लेना चाहिये, वह राज्य सरकार को भी सलाह देगी कि अमुक मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। वरना मेरा भय है कि हर वर्ष आन्दोलन चलेंगे और आन्दोलन के बाद ही मांगें मंजूर करेंगे। यह दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार आन्दोलन और हड़ताल कराने के लिये इनडाइरेक्ट प्रवृत्ति अपना रखी है। उसके पहले न विश्वविद्यालय को और न हो

(श्री भैरोंसिंह)

राज्य सरकार को कोई परवाह होती है और जब विद्यार्थियों के द्वारा विश्वविद्यालय को और राज्य सरकार को आंख दिखाई जाती है तो विश्वविद्यालय के उपकुलपति को और शिक्षा मन्त्री को चिन्ता होती है। प्रारम्भ से ही इन प्रश्नों को लेकर उनका समाधान किसी प्रकार किया जा सकता है उसकी चिन्ता करें तो विद्यार्थी न आन्दोलन के लिये तैयार होंगे और न विश्वविद्यालय और न विद्यार्थियों में संघर्ष होगा और न वातावरण में कोई उलझन आवेगी। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूँगा कि क्या राज्य सरकार ने कभी विचार किया है और किया है तो इसका स्थाई हल क्या हो सकता है इस पर भी जवाब दें।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस सिद्धांत को दृढ़ रूप से मान्यता देता हूँ कि विश्वविद्यालय की ओटोनोमी को यह सदन स्वीकार करते हुए एक सीमित मात्रा में जो अनियमिततायें आज हमें दिखायी दे रही हैं उन्हीं कमियों को चर्चा का विषय बनावें। इसके साथ साथ मैं यह अनुभव करता हूं कि जैसी कि वर्तमान परिस्थिति है, राजस्थान विश्वविद्यालय में हड़ताल निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हमको हमारी सीमामें भी पहिचाननी चाहिये। हम लम्बे चौड़े तूल तम्बूल में न जायं तो अच्छा होगा। आखिरकार ओटोनोमी दी है वह इसी सदन ने दी है उसी को अगर सदन मान्यता नहीं दे तो वह हमारी मर्यादा नियंत्रण आदि में भी फर्क लाती है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये हैं निर्विवाद रूप से मेरी भी उनके साथ सहानुभूति है। अगर प्रोफेसर्स ऐसा प्रदर्शन करते हैं जो एन्टी सोशल प्रदर्शन हो और होस्टल में फैसीलिटीज और सुविधायें न हों और उनका उपभोग प्रोफेसर करें और फिर इस सदन के अन्दर मुद्दे आवें ऐसी परिस्थिति में, मैं सरकार से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार की एडवाईजरी कैपेसिटी है। सरकार युनिवर्सिटी की अथोरिटीज को एडवाइज के रूप में एकांत में ले जाकर वाइस चान्सलर को बहुत सारी बातें कह सकते हैं। माननीय शिक्षामंत्री जी ने कहा कि नेगोशियेशन्स में कोई रुकावट पैदा नहीं की गई, इस बात का स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ विशेष बातों को मैं चर्चा का विषय न बनाते हुए यह निवेदन करूंगा कि इस समस्या का निराकरण फाल्स सेन्स आफ प्रेस्टिज का इस्यु न बनाकर जल्दी से जल्दी हल करने की चेष्टा करनी चाहिये। वरना एक दफा जब प्रेस चली जाती है उसके फलस्वरूप कटुता उत्पन्न होती है। मैं यह मानता हूं कि डिसीप्लीन को प्राथमिकता दी जाय डिसीप्लीन को फाल्स सेन्स आफ प्रेस्टिज के साथ अटैच कर दिया जाय तो बहुत गलत चीज होगी। मैं कुछ जानना नहीं चाहता जानकारी करके सन्तुष्ट होने से कोई समस्या का हल नहीं होगा। मेरा तो सरकार से निवेदन है कि यह जो समस्या पैदा हो गई है उसका हल सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी निकाला जाना चाहिये सरकार चाहे अपनी एडवाईजरी कैपेसिटी को ही काम में ले उसे दृढ़तापूर्वक काम में लेकर शीघ्र से शीघ्र इसका हल निकाला जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री मदनसिंह : एक प्रश्न मेरा है...

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष जी, प्रतिवर्ष नवम्बर और अक्टूबर में हड़ताल होना एक प्रकार से क्रम बन गया है। हर वर्ष नवम्बर में युनिवर्सिटीज बन्द हो जाती है। जब नवम्बर का महिना आने को होता है हड़ताल प्रारम्भ हो जाती है। विद्यार्थी जब गर्मियों की छुट्टियों से आते हैं प्रारम्भ में जब सत्र चालू होता है तभी से वे अपनी मांगे रखना शुरू कर देते हैं। वे मांगे चलती रहती हैं। आश्वासन प्रति-आश्वासन चलते रहते हैं उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। आखिर एक समय आता है टोकन स्ट्राइक शुरू हो जाती है। टोकन स्ट्राइक पर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद हड़ताल प्रारम्भ हो जाती है। और जब हड़ताल होती है तो विश्वविद्यालय बन्द कर दिये जाते हैं। छात्रावास खाली करवा लिये जाते हैं। विद्यार्थियों को हड़ताल करने का जो अधिकार है उसको आप विश्वविद्यालय बन्द करवाकर दबाना चाहते हैं।

मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं यह माना कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का आदर करना चाहिये। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि शिक्षण के मामले में अधिक से अधिक शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता को माना जाना चाहिये। राज्य सरकार पब्लिक का पैसा विश्वविद्यालय के निर्माण और विकास के लिये देती है, शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिये देती है। उसका सदुपयोग न हो आवश्यक सुविधायें छात्रों को न मिले, जो सामान उनके उपयोग में आने के लिये चाहिये उसकी व्यवस्था न हो। उनकी फीस मनमाने तरीके से बढ़ाई जाय, वे जब पढ़ने के मूड में हों तो उनके साथ ठीक तरह से पेश न आया जाय इसके साथ जो आश्वासन उनको दिये जाते हैं उनको पूरा न किया जाय उसकी उपेक्षा की जाय तो उनमें उत्तेजना पैदा होती है। और यही उत्तेजना हड़ताल का कारण बनती है।

आज की जो शिक्षा प्रणाली है वह स्वतः ही अपने आप में विद्यार्थियों में असन्तोष बढ़ाने का कारण हम मानते चले आ रहे हैं। आज की शिक्षा बेकार लोग पैदा करने का जरिया बन गया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय क्षेत्र में जो प्रबन्ध व्यवस्थायें हैं उसके अन्दर भी आवश्यक परिवर्तन होना चाहिये। वहां के अधिकारियों के व्यवहार में, अव्यवस्था शिक्षण के काम में, अव्यवस्था मनमाने तरीके से नम्बर दे देना हाजरी में अव्यवस्था है इन्हीं अव्यवस्थाओं के कारण विद्यार्थियों में असन्तोष है, उत्तेजना है। विद्यार्थी वर्ग पढ़ना चाहते हैं वे और कोई अधिकार नहीं चाहते वे चाहते हैं कि उनकी क्लास लगे। विद्यार्थी लोग यदि अपनी उचित मांगों को लेकर हड़ताल कर देते है तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों को चाहिये कि वे उनसे वार्ता के जरिये या और किसी को मध्यस्थ बनाकर वार्ता करनी चाहिये। ऐसा न कर विश्वविद्यालय को ही बन्द कर देना कोई तरीका नहीं है। यह आपका सुव्यवस्थित तरीका नहीं है। आपको चाहिये तो यह था कि उनकी जो वाजिब मांगें हैं वे मान लेते और जो गैर वाजिब बातें हैं उसके लिये कनवीन्स करते। इसमें सरकार को भी डाला जा सकता है सरकार कोई न कोई तरीका दोनों में समझौता कराने का निकाल सकती है। लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों को नेगोसियेशन्स की हालात मन्जूर नहीं वे अपनी जिद्द अपनी हेकड़ी

(श्री दौलतराम सारण)
बनाकर युनिवर्सिटी को बन्द कर देते हैं इस तरह से वातावरण दूषित होता है। आज विश्वविद्यालय की हालत यह हो गई है कि वहां के अधिकारीगण जब चाहे तब विश्वविद्यालय बन्द कर देते हैं, पढ़ाई बन्द कर देते हैं। छात्रावास बन्द कर देते हैं। इसलिए आज की हालात को देखते हुए राज्य सरकार से निवेदन करूंगा आपको परामर्श देने का अधिकार है। विश्वविद्यालय की जो भी समस्यायें हैं वे राज्य सरकार के सामने आये उसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी प्रकार की दिक्कत सामने आती है कोई अड़चन नजर आती है उसके बारे में सरकार को परामर्श देने का अधिकार है, उसकी स्वायत्तता के उपरान्त भी।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार युनिवर्सिटी की स्वायत्तता की आड़ लेकर यदि अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहे। वहां की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन में स्वायत्तता की आड़ लेकर जिम्मेदारियों से बचना चाहती है तो यह उचित नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपनी प्रगतिशीलता का परिचय दें, छात्रों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति के साथ और उनकी समस्याओं को हृदयंगम करके विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में किसी प्रकार की आड़ न देते हुए छात्रों की समस्या के प्रति उदारता बतलावें। उनमें आत्मा जागृत करें अगर उनमें आत्मा का जागरण हो जायगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि वे जहां बहुत सी बातों में आपकी दया पर निर्भर हैं, आपके सहयोग के बिना आगे चल नहीं सकते आप अपने परामर्श देने के फार्मूले की उपेक्षा नहीं करेंगे बल्कि अपने परामर्श के अधिकार का उपयोग करके जल्दी से जल्दी विश्वविद्यालय को खुलवाने का प्रयत्न करेंगे।

बड़े खेद की बात यह है कि छात्राओं को भी आदेश पूर्वक छात्रावास खाली करने के आदेश दे दिये। आप जबरदस्ती से छात्राओं को भी छात्रावास से निकालते हैं क्या यही विश्वविद्यालय की स्वायत्तता है? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर, इस मामले को सुलझायें।

श्री मदनसिंह : मैं तो एक सीधा सा प्रश्न करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : डाइरेक्टली करिये।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न है कि किसी की क्या गलती हुई है मैं तो यह खुला चार्ज लगाता हूं कि राजस्थान सरकार पर कि जो मांगें छात्रों की राज्य सरकार से सम्बन्धित थीं उनको तो आपने कर दिया है और इसके बाद छात्रों ने सरकार को यह इशारा कर दिया है कि तुम जानो और तुम्हारा वाइस-चान्सलर जाने इसलिये अध्यक्ष महोदय कम से कम राज्य सरकार को तो यह सोचना चाहिये कि वह एक ही चीज को दो भागों में कैसे बांट रही है। अच्छा हमने हमारा कर दिया और बाकी के लिये तुम हड़ताल करो यह इनडायरेक्टली आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। इतनी ही मांग हमसे संबंधित है जिसे हम मान लेते हैं और बाकी के लिये हड़ताल करो यह राज्य सरकार की गैर जिम्मेदारी नहीं है तो क्या है?

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष जी, मैं तो आपकी मारफत दो-चार सवाल पूछना चाहता हूं। क्या राज्य सरकार होस्टल्स को कॉमर्शियल बेसिस पर चलाना चाहती है। यह प्रश्न आज से नहीं पहले ही तय हो जाता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती होस्टल्स यूनिवर्सिटीज की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसलिये इसको कॉमर्शियल बेसिस पर नहीं चलाया जाना चाहिये और इतनी फीस चार्ज नहीं की जाये। इसके लिये आप और अधिक ग्रांट दें, और राज्य सरकार को यह मानकर चलना चाहिये कि वह होस्टल्स को कामर्शियल बेसिस पर नहीं चलायें। लड़के इसके लिये ऐजीटेशन करते हैं तो इसमें उनका दोष नहीं है।

अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से एक बात यह और पूछना चाहता हूं कि सारी फीसें कितनी हैं? यह आज का मसला हो, ऐसी बात नहीं है। राज्य सरकार के सामने यह प्रश्न पिछले 5—7 सालों से चल रहा है। टोटल फीस का चार्ड बर्डन कितना पड़ता है। कितनी डिसपैरिटी है टोटल कर देखिये। फीस के यूटिलाईजेशन में पार्टीसिपेट करने में उनका अधिकार है इसमें उनके पार्टीसिपेशन की जो मांग है वह वाजिब है। जब फीस की यूटिलाइजेशन का सवाल आता है, फीस कैसे यूटिलाइज हो, उसका आधार क्या हो और उसमें जब स्टूडेन्ट अपना पार्टीसिपेशन चाहता है तो यूनिवर्सिटी को क्यों नाराजगी होनी चाहिये। यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

अध्यक्षजी, एक और प्रश्न मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटीज में यह नहीं है। मैं भी मानता हूं। लेकिन आज की व्यवस्था में कहीं न कहीं नया चैन्ज, हमें इन्ट्रोड्यूस करना है। कम्पलसरी अटेन्डेन्स हो, यह मानते हुए भी कि सब्जेक्ट में उनकी कम्पलसरी अटेन्डेन्ड हो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आप इसको शुरू करिये। एक्सपेरिमेन्ट बेसिस के ऊपर स्टूडेन्ट्स में इसके लिये एक क्लाइमेट परसपेक्टिव तैयार किया जाये। ऐसा ऐंगल आफ व्यू तैयार किया जाय कि स्टूडेन्ट यह कम्पलसरी अटेन्डेन्स के आधार पर सेमीनार, ट्यूटोरियल्स को अटेण्ड करता रहे और उसको अपना सब्जेक्ट मानकर चलता रहे इसमें क्या झगड़ा है। ऐसे ही सेशनल मार्क्स का सवाल है। ये ऐसी मांगें है जो कि नीति के सम्बन्ध में है और इसमें राज्य सरकार को दिलचस्पी लेनी चाहिये, सरकार इसमें दिलचस्पी ले और इसमें इन्टरवीन करे।

अध्यक्षजी, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यूनिवर्सिटीज को राज्य सरकार अपने एक डिपार्टमेंट की तरह ट्रीट करना चाहती है, जैसी कि वह इन्डस्ट्रीज, फैक्टरी के रूप में लेकर चलती है। क्या उस तरह की नीति से इसको ट्रीट करना चाहती है। जब भी स्ट्राइक हो वह यूनिवर्सिटीज की स्ट्राइक को भी इसी रूप में लेकर चलना चाहती है? हिन्दी को कम्पलसरी न बनाया जाये, उनकी इस मांग को भी राज्य सरकार ने और यूनिवर्सिटी ने माना, इंगलिश आप्शनल सब्जेक्ट हो इस मांग को भी आपने माना। 80 प्रतिशत 35 प्रतिशत मार्क्स हों इसके लिये स्टूडेन्ट्स ने एजीटेशन किया, वे लड़े और यह मांग भी आपने उनकी मानी, यूनिवर्सिटी ने मानी।

(श्री केदारनाथ)

अब वे ज्वाइण्ट कन्सलटेटिव कमेटीज में जाना चाहते हैं, उसमें पारटोसिपेट करना चाहते हैं तब सरकार ने नहीं माना। टीचर्स ने अपने अधिकारों के लिये एजीटेशन किया और उसके बाद आपने उनकी बात को माना। मेरा निवेदन है कि आप इनकी मांग को मान लें तो सारे देश को यूनिवर्सिटीज लाज्जुब करेंगी। क्या आप सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको नहीं मानेगा आपको क्या डर है? कास्ट बेसिस पर आप स्टूडेण्ट्स में जागृति नहीं पैदा कर सकते हैं। टीचर्स और स्टूडेण्ट्स में डिफरेंसन क्रियेट करके, फ्रेक्शन्स पैदा कर के आप इस इन्तजार में रहें कि उनकी सही मांग को न माना जाये। अपने आप आपने ऐसे हालात पैदा कर दिये हैं कम्युनिटी बेसिस पर, कास्ट बेसिस पर होस्टल्स में फ्रेक्शन्स बनाकर, टीचर्स में भी कास्ट्स बेसिस पर फ्रेक्शन बनाकर कि वे वास्तव में अपने आपसे ही लड़ते रहें और इसका नतीजा हमारे सामने आया है। इसका क्या माननीय सदस्यों और सरकार के दिमाग पर असर नहीं पड़ा है। मैं सोचता हूँ इसका काफी भयंकर असर यूनिवर्सिटीज पर पड़ा है। सिन्डीकेट में स्टूडेन्ट्स अपना पार्टीसिपेशन मांगते हैं तो मैं कहता हूँ कि इसे प्रिन्सीपल के तौर पर सरकार को मान लेना चाहिये। अध्यक्षजी, मैं बहुत ही अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी को बन्द करके आप समस्या का हल नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में और सरकार के बारे में स्टूडेन्ट्स के अन्दर अनरेस्ट है। इस अनरेस्ट को दूर करने के लिये आपको स्टूडेण्ट्स में एक कन्जीनियल परसपेक्टिव सोवरटी पैदा करनी चाहिये। आप यह सोचते हैं कि आर्डिनेन्स के जरिये, धारा 144 लगाकर, पुलिस की मारफत जैसा कि आप इन्डस्ट्रीज को ट्रीट करते हैं, या जैसा कि आप अपने राज्य कर्मचारियों को ट्रीट करते हैं, वैसे करेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके भयंकर परिणाम होंगे। इसलिये परसपेक्टिव माननीय सुखाड़ियाजी आपको बदलना होगा। इसके साथ ही साथ अध्यक्षजी आपकी मार्फत मैं शिक्षा मन्त्रीजी को भी कहना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि आप मेहनत करते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी की जो सीनेट की मीटिंग होती है उसको भी आप अटेण्ड करें। उसमें भी आप अटेण्ड करें और यह भी अच्छा होगा कि आप टीचर्स की जो ज्वाइंट कोउन्सिल है उसको भी आप ऐड्रेस करें, खुद उसमें जायें और ज्वाइंट कोउन्सिल में बैठें और मसलों को हल करें, डेडलाक को रिजोल्व करें। एक मीटिंग हुई थी सीनेट की इस बारे में कि स्टूडेन्ट्स का इसमें पार्टीसिपेशन हो या न हो लेकिन उसमें आप पधारे नहीं। इसमें अगर स्टूडेन्ट पार्टीसिपेट करता है तो उससे उसमें एक सेन्स आफ रैस्पांसिबिलिटी पैदा होगी। इसलिये इस सब में आप स्टूडेन्ट को दाखिल होने दीजिये ताकि उन्हें भी यह मालूम हो सके कि यूनिवर्सिटिज के फंक्शन्स क्या-क्या हैं। मेरा निवेदन है कि इन प्रिन्सिपल्स को मान लेना चाहिये और अगर सुखाड़ियाजी आप इनको इन्ट्रोड्यूज कर देंगे तो कोठारीजी इसमें कोई गड़बड़ी पैदा करने वाले नहीं हैं। वे आपकी तारीफ ही करेंगे कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी ने एक नया इन्ट्रोड्यूशन किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो सीनेट है उसके भी चुनाव

(श्री केदारनाथ)

हों, यह मूवमेण्ट चल गया तो इसके आधार पर स्टूडेन्ट्स को एक सुधरने का मौका मिलेगा और वे सोचेंगे कि एक जिम्मेदारी का काम उनके ऊपर आ गया है। शिक्षा के सिस्टम को बदलना जरूरी है। आज नहीं तो आगे जाकर इसको बदलना होगा। इसकेलिये आप अभी से एक ऐसा एटमोसफियर पैदा करें कि स्टूडेन्ट्स में रिएक्शनरी एलीमेंट्स पैदा न हों, वे दो हिस्सों में बंटकर न चलें और जिस तरह से आप इनको दो हिस्सों में बांटकर राज करना चाहते है वह आपका तरीका ठीक नहीं है। इसके लिये आपको चाहिये कि आप सोबर एटमोसफियर क्रियेट करें। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षामन्त्रीजी सीनेट में भाग लें, इसको एड्रेस करें। हमें विश्वास है कि अगर इन प्रिन्सीपल्स को आप मान लेंगे तो हर स्टूडेन्ट आपका स्वागत करेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शिक्षा मन्त्री।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्षजी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन कर दूं कि जो भी छात्रों की मांगें थीं उनके बारे में न तो सरकार की तरफ से उदासीनता बरती गई है और न यूनिवर्सिटी की तरफ से उदासीनता बरती गई है। उनकी कुल 9 मांगें थीं। इसमें खास तौर से उनकी मांग होस्टल के बारे में थीं। इसके बारे में यूनिवर्सिटी ने क्या कार्यवाही की है उसके बारे में मैं यहां पर निवेदन कर देना चाहता हूँ। फीस के बारे में अलग सवाल था और जैसा कि माननीय केदारजी ने कहा है कि होस्टलस को कमर्शियल बेसिस पर चलाने की बात हम स्वीकार करते हों ऐसी बात नहीं है, यह सत्य नही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी होस्टल्स् हैं उनको करीब एक लाख रुपये की सबसीडी युनिवर्सिटी देती है और यूनिवर्सिटी को सरकार ग्रांट के रूप में देती है। इसके बावजूद भी यह सत्य है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्रावास हैं उनमें दूसरी जगहों के छात्रावासों के मुकाबले में जो कि जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास हैं, गवर्नमेंट कालेज के जो छात्रावास हैं, मेडिकल कालिज के छात्रावासों से अधिक सुविधा है और इस कारण इनका अधिक खर्चा होता है और इसलिये ज्यादा पैसा आता है। यूनिवर्सिटी लगातार इसका प्रयत्न करती रहती थी कि इसमें कमी लाई जाय। मैं निवेदन करूं हमने राज्य सरकार की ओर से भी जैसा कि विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय ने कहा आपको कोआर्डिनेशन कमेटी को नहीं छोड़ना चाहिये। हमने राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों को कोआर्डिनेटेड ढंग से, ठीक ढंग से चलाने की दृष्टि से डवलप किया है और कोआर्डिनेशन कमेटी का निर्माण किया है जिसके अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं और यह कमेटी साल में दो बार कम से कम मिलती है, प्रयत्न तो तीन बार मिलने के किये जाते हैं लेकिन साल में दो बार तो अवश्य मिलने का है। जिन बातों का व्यापक प्रभाव युनिवर्सिटी के छात्रों पर पड़ता है उसको उस कमेटी की केपेसिटि के अनुसार और कन्वेन्शन के आधार पर तय करने की कोशिश करते हैं। सत्र के पहले और सत्र के बीच में यह कमेटी मीट करती

(श्री शिवचरण माथुर)

है और कभी कभी सत्र के अन्त में भी यह कमेटी मीट करती है और युनिवर्सिटी की सारी बातों का रिव्यू करते हैं।

जहां तक मांगों का सवाल है। सबसे पहले 9 मांगें थीं-फीस की बात तो निकाल दें जो भी युनिवर्सिटी ने प्रयत्न किया है मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं-विद्यार्थियों की जो मांग विवेकानन्द होस्टल के चारों तरफ वार्ड तार लगाने की थी उसको युनिवर्सिटी ने कर दिया है। गोखले होस्टल में खिड़कियों में जाला लगाने की आवश्यकता इसलिये अनुभव नहीं की गई कि मिट्टी ऊपर तक नहीं पहुँचती है-कमरों में लगा दी गई है। वाटर हाइड्रेन्ट्स के लिये युनिवर्सिटी को कहा गया है, उसका भी फैसला कर दिया गया है। एनी बीसेन्ट होस्टल में पेलमिट्स की व्यवस्था की जा रही है। होस्टल के कैम्पस में टेलीफोन लगाने का प्रावधान रख दिया गया है और इसके लिये टेलीफोन के अधिकारियों को लिख दिया गया है। कामन रूम्स के बारे में युनिवर्सिटी के पास आर्थिक कठिनाई होते हुये भी युनिवर्सिटी ने महसूस किया है कि छात्र कामन फील्ड पर आ सकें और कामन रूम के अलावा भी आकर अपनी मीटिंग कर सकें, उनको इस तरह की एक जगह मिल जाय इसके लिये भी कोई ढंग से व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा, यूथ होस्टल में भी सेवाओं की सुविधायें की जा रही हैं। साईकिल स्टेण्ड और स्ट्रीट लाइट्स के बारे में भी व्यवस्था जो हो सकती है वह करने को तैयार हैं। लेबोरैट्रीज का नव निर्माण भी विचाराधीन हैं वाटर टैन्क की जो बात है दादाभाई नोरोजी होस्टल, जे. सी. बोस होस्टल में उसके लिये भी वाटर टैन्कस लगाने की कोशिश की जा रही है।

ये सारी बातें ऐसी थी कि जो विद्यार्थी की वाजिब कठिनाइयां हैं उनको युनिवर्सिटी ने बहुत सहानुभूति पूर्वक अपनी सीमाओं के अन्दर करने का प्रयत्न किया है। 26 को जब हमारी कोआर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी और छात्रावास की सुविधाओं का सवाल आया था कि दूसरी युनिवर्सिटियों के मुकाबले बहुत कम है इसको लेडडाऊन किया जाना चाहिये। मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया था कि इस प्रकार का प्रयत्न करें और कम से कम जो दूसरी युनिवर्सिटीज हैं उनके मुकाबले फीस लें। इसमें विश्वविद्यालय की आर्थिक कठिनाई भी है। जोधपुर और उदयपुर युनिवर्सिटीज की जो फैसीलीटीज है उनको हम दें इसके लिए उप कुलपति महोदय से बात की है। यहां की युनिवर्सिटी को घाटा है लेकिन फिर भी 11 नवम्बर की मीटिंग में यह फैसला किया गया कि 10 रु. होस्टल फीस में कमी कर दी जाय। अब होस्टल चार्जेज में जोधपुर युनिवर्सिटी और राजस्थान युनिवर्सिटी में केवल 15 पैसे का फरक रह गया है। 5 रु. माहवार केवल 10 महीने एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज विद्यार्थी भी चाहते हैं, क्योंकि यहां सुविधायें ज्यादा मिलती है-परमानेन्ट तौर पर रख देते हैं। दूसरे होस्टल्स में सर्वेन्ट्स के देखने की व्यवस्था नहीं है, उसका प्रबन्ध करना पड़ता है तो मैं समझता हूं राजस्थान युनिवर्सिटी के होस्टल में यह अच्छी व्यवस्था है।

राजस्थान के जितने होस्टल्स हैं उनमें राजस्थान युनिवर्सिटी का होस्टल काफी

(श्री शिवचरण माथुर)
अच्छा है। आज के हालात में युनिवर्सिटी के होस्टल को देखते हुए गवर्नमेंट होस्टल को देखा जाय तो उसके मुकाबले युनिवर्सिटी का होस्टल काफी ठीक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेडीकल कालेज होस्टल ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं मेडीकल कालेज होस्टल की बात नहीं कह रहा हूं। मैं युनिवर्सिटी कालेज होस्टल की बात कह रहा हूँ। जहां तक होस्टल की सुविधाओं का प्रश्न है सरकार ने भरसक प्रयत्न किया है और युनिवर्सिटी के आथोरिटीज ने भी काफी प्रयत्न किये हैं। दोनों ने आपस में बैठकर छात्रों की सुविधाओं का हल निकले इसके लिए काफी प्रयत्न किये हैं। मैं निवेदन करूं जहां तक शैक्षणिक बातों का सवाल है बहुत सी बाते विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने और छात्रों ने मिलकर चर्चा की है और उसका हल निकाला है। माननीय सदस्य रामकिशन जी ने लेबर ला की बात कही– विश्वविद्यालय के उपकुलपति महोदय अकेले निर्णय नहीं कर सकते हैं जो बाडी है उसको रेफर किया है और भी बहुत सी बातें हैं– अटेन्डेन्स की बात कही। जो पिछले वर्ष 75 परसेन्ट अटेन्डेन्स थी उसको घटाकर 66 परसेन्ट कर दी है। कुल मिलाकर 58 फीसदी अटेन्डेन्स आज विश्वविद्यालय में है। इसका मतलब एक सत्र में विद्यार्थी को केवल 100 बार आना पड़ता है। दिल्ली में भी प्रयोग के तौर पर इकोनोमिक और सोसियोलोजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में इसको लागू करने की बात सोची है–यह आवश्यक समझा है कि विद्यार्थी आप्शन तौर पर आयें लेकिन उनका ट्युटोरियल क्लासेज में आना जरूरी है। विद्यार्थी का इसमें पार्टीसिपेशन बहुत जरूरी है। इन सेमीनार्स में आते हैं तो निश्चित बात है अपने विषय के बारे में दक्षता को प्राप्त करते हैं। यह शैक्षणिक प्रश्न है इसको स्वीकार करना चाहिए इसके लिए देश के शिक्षा शास्त्रियों से और शिक्षाविदों से विचार कर रहे हैं। दिल्ली युनिवर्सिटी में केवल अभी प्रयोग के तौर पर शुरू किया है। दिल्ली एक पुरानी युनिवर्सिटी है, पुराने वहां के ट्रेडीशन्स हैं। काफी विद्वान लोग वहां पर हैं। वहां की बात को लागू करें और उसी को ध्यान में रखते हुये स्टूडेन्ट्स पार्टीसिपेशन का सवाल है तो इसके लिये बहुत सी युनिवर्सिटीज की बाडीज है उनके पास ये मामले हैं। मुख्य मंत्रीजी ने साफ स्वीकार किया है दिल्ली में जो कुछ हो रहा है या युनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है, मैं समझता हूं वे युनिवर्सिटी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं. उनकी इज्जत आज सारे देश में है उनकी सलाह लेकर राजस्थान सरकार कार्यवाही करे तो मैं समझता हूं बहुत ही उचित होगा।

मैं यह समझता हूँ कि यह केवल राजस्थान की राजस्थान युनिवर्सिटी का ही मामला नहीं है बल्कि तीनों युनिवर्सिटीज– उदयपुर जोधपुर आदि का भी मामला है। सारे विश्वविद्यालयों में शैक्षिणिक अलग अलग बाडीज में पार्टिसिपेशन का प्रश्न है यदि इस प्रश्न को देश के स्तर पर सोचा जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया है उसकी रिकमन्डेशन्स का हम इन्तजार कर लें तो बहुत गैर वाजिब बात नहीं है। जहां तक होस्टल्स में छात्रों को शिफ्ट करने का

(श्री शिवचरण माथुर)
सवाल है, मैं आपको जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं छात्रों की युनिवर्सिटी बन्द होने के बाद में होस्टल को खाली करने की बात आती है लेकिन अभी छात्रों को वहां से हटाकर टीचर्स होस्टल में स्थान दे दिया गया है। उनके संरक्षण में छात्र रहें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा इसलिये उनको टीचर्स होस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है—इसमें विद्यार्थियों से ज्यादती की जाती है, मैं समझता हूं यह कहना उचित नहीं है। विद्यार्थियों की हड़ताल न हो, और होने के बाद भी मैं निवेदन करना चाहता हूं लगातार प्रयत्न किये गये हैं, विद्यार्थियों से बात की है और आज भी उनके लिये दरवाजे खुले हुये हैं। कभी उपकुलपति महोदय ने मना नहीं किया, मैंने मना नहीं किया और कभी मुख्य मंत्री जी ने ना नहीं कहा। हमने विद्यार्थियों की समस्याओं को निराकरण करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं आखिर हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी वे प्यारे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं किसी की भी यह मंशा नहीं है कि विद्यार्थियों के जो पढ़ने के कीमती दिन हैं वह खराब करें और अनिश्चित काल तक हड़ताल रहे। युनिवर्सिटी बन्द रहे। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं आज भी, कल भी युनिवर्सिटी के प्रतिनिधि वाइस चान्सलर से मिले हैं। एक एक मांग के सम्बन्ध में डिटेल में बात की है। वाइस चान्सलर साहब ने प्रतिनिधियों के सामने वही दृष्टिकोण रखने की काफी चेष्टा की है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो वाइस-चान्सलर के हाथ में नहीं होती हैं युनिवर्सिटी की कई बाडीज हैं, सिन्डीकेट है, बोर्ड आफ स्टडीज है इसलिये अलग अलग बाडीज में जब तक मसला नहीं जायगा और एक्सपर्ट ओपीनियन नहीं ली जायगी तब तक कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता है।

जहां तक युनिवर्सिटी के आटोनोमी का प्रश्न है, मैं आपसे निवेदन करूं कि युनिवर्सिटी की आटोनामी इस सदन के माननीय सदस्यों ने दी है और इस माननीय सदन ने एक एक्ट पास करके यूनीवर्सिटीज को आटोनोमस बनाया है और यदि कोई खराबी युनिवर्सिटी में होती है तो उसको रोकने के लिए कुछ बाडीज बनी हुई है जैसे सीनेट और सिन्डीकेट और उस सीनेट में भी इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज का एलीमेंट इन्ट्रोड्यूज किया गया है। यह नहीं है कि नामीनेटेड ही वहां होते हों या प्रोफेसर्स का ही वहां पर केवल प्रतिनिधित्व हो। इसके अलावा जनता के चुने हुए लोग भी होते हैं ..

श्री सुरेन्द्र व्यास : सीनेट की मीटिंग कब होती है? मुश्किल से एक दिन होती है और एक दिन में भी क्वेश्चन्स के बाद सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन्स अलाऊ नहीं करते हैं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एक निवेदन कर दूं ...

श्री अध्यक्ष : नहीं आप इन्टरप्ट नहीं करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि सीनेट ही एक

(श्री शिवचरण माथुर)
ऐसी बाडी है जहां कि किसी मामले को एजीटेट कर सकते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उपयुक्त स्थान नहीं है कि युनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में कुछ बातें करें जब तक कि हमने उसको आटोनामी दे रखी है, जब तक एक एक्ट है और आटोनामी को स्वीकार कर रखा है और उस एक्ट के अन्दर हमने कुछ कमेटीज का निर्माण किया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर यहां के भी माननीय सदस्य हैं । जब सीनेट की मीटिंग हो तो वहां भी इस बात को एजीटेट करें और अपनी मांगों को मनवाने का प्रयत्न करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा । मैं समझता हूं कि आज भी बातचीत का जरिया चालू है । और हम न तो विश्वविद्यालय और न ही सरकार इस बातचीत के दौर को बन्द करना चाहती है । हमारी इच्छा यह है कि जल्दी से जल्दी यूनीवर्सिटी खुले और विद्यार्थी भी हड़ताल की बात को छोड़ें और सामान्य स्थिति विश्वविद्यालय में हो ताकि पढ़ने और पढ़ाने का वातावरण अच्छा बन सके ।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय एक जानकारी चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : अब नहीं होगा, काफी समय हो गया । विधायी कार्य लिया जायेगा । मंत्री महोदय का स्टेटमेन्ट हो गया, आपके भाषण हो गये, आपके भाषण हो गए, प्रश्न हो गए उसके बाद अब कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आज इस डेडलॉक को तोड़ने की बात थी । शिक्षा मंत्री जी के जवाब में केवल यह कहा गया कि हम बात करने को तैयार हैं और रास्ता बन्द नहीं किया गया है । मैंने कहा कि आप बुलाइये और उनकी बात करवाइये । नहीं हो तो आप मध्यस्थता कीजिये । अब यह तो यह हो गया कि हम तो बन्द करके बैठ गये तुम्हारी गरज हो तो आओ । मेरा कहना है कि आप इन्टरवीन करके फैसला कीजिए ।

श्री अध्यक्ष : अब इसके ऊपर बाद में ध्यान दीजिए ।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं ।

श्री मोहनलाल मोदी : सिर्फ . . .

श्री अध्यक्ष : नहीं । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

विधायी कार्य

राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अध्यादेश, 1970 पर प्रस्तुत संकल्प पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन दिनांक 5 सितम्बर, 1970 को श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश सं. 12 सन् 1970) को अस्वीकार करता है ।" "जिस प्रकार

(श्री रामकिशन)

के अध्यादेश पर यह सदन विचार कर रहा है मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की बदली हुई राजनैतिक तस्वीर का यह एक पहलू है। यह प्रश्न इतना सीधासाधा नहीं है कि सरकार के कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल की और सरकार ने हड़ताल को रोकने के लिए या अन्य प्रकार की प्रवृत्तियों को को रोकने के लिये अध्यादेश बना दिया। आज देश की जो स्थिति है राजस्थान की जो हालत है उस हालत का इसके अलावा और कोई परिणाम नहीं हो सकता था कि सरकार के कर्मचारी भी असन्तुष्ट हों और राज्य की जनता भी असन्तुष्ट हो। आखिर जिस हालात में अध्यादेश लाया गया है, मैं समझता हूं, माननीय गृह मंत्री जी शायद उसका समर्थन करें और वह यह कहेंगे बड़े जोर से अपने अनुभवों के आधार पर कि जब सरकार के कर्मचारी सरकार को सहयोग नहीं करें तो हमारे पास रास्ता क्या रह जाता है लेकिन हम लोगों को इसके मूल कारणों को तलाश करना पड़ेगा जिनसे कि राज्य के कर्मचारी असन्तुष्ट होते हैं। आखीर सरकार के जो कर्मचारी हैं यह न तो जन्मजात राजनीतिज्ञ है, न आन्दोलनकारी हैं और न इनकी आकांक्षा है कि मंत्रिमण्डल को हटाकर सरकार की कुर्सियों पर वे बैठ जायें। सरकार के कर्मचारी जिन हालात में आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करते हैं तो आखिर हमें उन हालातों को देखना पड़ेगा और देखना भी इस दृष्टि से पड़ेगा कि आज सरकार इस अध्यादेश के माध्यम से समझती है कि हम सरकारी कर्मचारियों को दबा देंगे या इसी प्रकार का कानून बनाकर हम राज्य के राजनैतिक आन्दोलनों को दबा देंगे। तो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी यह अध्यादेश ला रहे है और अगर आप इस सदन में अपने सुपुत्र के कल के बयान को सुनते तो आपको खयाल हो जाता कि मेरा बेटा और आने वाली जनरेशन इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं ...

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब किसी माननीय सदस्य से है ?

श्री रामकिशन : जी हां, जो कि माननीय गृह मंत्री जी के सुपुत्र भी हैं। मैं जान बूझ कर इन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कल जब वह बोल रहे थे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक तरफ तो हमारे राज्य के गृह मंत्री बिल्कुल कन्जरवेटिव खयालात के और दूसरी तरफ उनके प्रगतिशील विचारों के पुत्र हैं।

आपने झटपट एक अध्यादेश बना दिया कि कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल न करे। हड़ताल करेगा तो उसको दण्डित किया जायेगा, कोई उनको उत्तेजित नहीं करेगा और अगर उत्तेजित करेगा तो एक साल की सजा दे दी जायेगी......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह स्वीकार करते हैं कि सरकार कन्जरवेटिव है या प्रगतिशील है ? आप क्या मानते हैं ?

श्री रामकिशन : आप वाली व्याख्या मेरी नहीं है। मैं न तो प्रगतिशील मानता हूं और न प्रतिक्रियावादी। मैं सम्पूर्ण कांग्रेस को एक जैसी मानता हूं पिता, पुत्र और आगे आने वाली जनरेशन की आकांक्षाओं के बारे में कहता हूं।

(श्री रामकिशन)

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि आखिर कर्मचारी असन्तुष्ट क्यों हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां सदन में बयान दिया और कहा कि हमारी आकांक्षायें रही हैं कि सरकार के कर्मचारी सन्तुष्ट रहें और यदि वे सन्तुष्ट रहेंगे तो राज्य के संचालन में उनका भारी सहयोग रहेगा। यह जो कर्मचारियों की मांगें हैं और राज्य की जो वित्तीय स्थिति है उससे सभी जानकार हैं इसलिए मैं सारी बातों के कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि हर कर्मचारी की सारी मांगों को स्वीकार कर लिया जाये, ऐसी स्थिति भी नहीं है। लेकिन फिर कर्मचारियों के असंतोष का कारण क्या है? सवा दो लाख लोग ऐसे हैं कि जिनकी स्थिति गांव के किसानों से और शहर की गन्दी बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या से काफी अच्छी है। यह मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी हालत समाज के 70 प्रतिशत लोगों के मुकाबले में अच्छी हालत है लेकिन जो मध्यम दर्जे में असन्तोष है यह हिन्दुस्तान में ही नहीं है लेकिन यह विश्वव्यापी है और वह इसलिए है कि समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उनको मध्यम दर्जे का समाज बड़ी नजदीकी से देखता है और उससे प्रभावित हो जाता है। आज गृह मंत्री जी कहते हैं कि हमने अध्यादेश लगाया, इस कानून को लागू करेंगे और भविष्य में कोई हड़ताल करेगा तो हम सजा देंगे। 6 महीने के लिए सजा देंगे, कोई मदद करेगा तो एक साल के लिए दण्डित करेंगे, चन्दा दे देगा तो एक साल के लिए दण्डित करेंगे। यह भय वाली राजनीति लोकतंत्रीय समाज में आज के दिन नहीं चलती है इसकी कुछ प्रतिक्रिया होती है। सरकार के कर्मचारियों ने जो मांगें की हैं उनका औचित्य क्या है? औचित्य नहीं है या है इस सारे विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें कुछ मांगों को स्वीकार किया है और उनकी कुछ ऐसी प्रमुख मांगें हैं कि जिनको सरकार स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। सरकार का कहना है कि अगर इन मांगों को स्वीकार करते हैं तो 8 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा जिसकी क्षमता राज्य सरकार में नहीं है।

यह अपनी जगह एक सत्य बात है, और इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते हैं। पर असल में असन्तोष का कारण दूसरा है। यह एक असन्तोष का कारण तो है पर हम यह पूछना चाहते हैं कि योजनाएं चल रही हैं, सिंचाई के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मंहगाई को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है, और असल में जो समस्याएं कर्मचारियों की हैं यह समस्या मंहगाई से पैदा हुई स्थिति का सामना करने के मामले में वह अपने परिवार में आने आपको अक्षम मानता है। उनको सक्षम कैसे बनायें? सरकार बीच की सहायता के लिए 60-70 रुपये दे दे यह बहस नहीं है। बहस इस बात पर है कि हिन्दुस्तान की सरकार और राजस्थान की सरकार मंहगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठा नहीं पाई है। दो दृष्टिकोण हैं। जो दृष्टिकोण स्वतन्त्र पार्टी और जनसघ का है कि उत्पादन बढ़ेगा तो मंहगाई अपने आप कम हो जायगी। आप अपने आपको प्रगतिशील कहते हैं

(श्री रामकिशन)

लेकिन इस मामले में आप तीनों दल एक जगह हैं। एक ही तरह से सोचते हैं कि उत्पादन बढ़ेगा तो मंहगाई कम होगी। यह आंशिक रूप से बात सत्य है। उत्पादन की कमी है और आपने इसी प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया है जिनमें कि आंशिक रूप से उन योजनाओं के धन का आपने अपनी एयाशी और भोग में खर्च किया है। उससे उत्पादन नहीं बढ़ा है। यह हो सकता है कि बरसात अच्छी हो गई तो बाजरे का उत्पादन बढ़ गया हो या गेहूं का उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन असल में जितना उत्पादन कर लेना चाहिए था उतनी क्षमता आप पैदा नही कर पाये हैं। तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि उत्पादन बहुत जल्दी बढ़ता है या नही उत्पादन बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है तो मंहगाई को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? आप सिन्डीकेटी से इन्डीकेटी बन गये हों चाहें, या चाहे आप साम्यवादियों के दोस्त बन जायं, या रूस के पिछलग्गू बन जायं या चीन के 3-4 तिक्कड़मों को समझ लिया हो, लेकिन आपकी वह क्षमता नहीं है कि आप यह देखें कि देश के जितने उद्योग हैं, समाज में वितरण के जितने साधन हैं जब तक सरकार उनके ऊपर नियन्त्रण नहीं करेगी आंशिक नियन्त्रण नहीं पूरा नियन्त्रण नहीं करती है तब तक इस मंहगाई को घटाया नहीं जा सकता है। यह नीति का प्रश्न है। आप 10 रुपया दें या 15 रुपया दें या 70 रुपये की अन्तरिम राहत दें उससे उनकी मांग पूरी नहीं होगी। जब तक आप मंहगाई को नहीं रोकेंगे और इस प्रकार के कानून निकलेंगे तो उससे लोगों को दबाया जा सकता है, लेकिन उनके असन्तोष को दूर नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि सन्तुष्ट कर्मचारी राज्य की रीढ़ की हड्डी है लेकिन कर्मचारी तब तक सन्तुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि मंहगाई को रोकने के लिए कोई कारागर कदम नहीं उठाये जायें।

मैं गृह मंत्रीजी से एक प्रश्न पूछूंगा कि यह शान्ति और व्यवस्था को हल करने का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न तो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का है। यह प्रश्न सरकार की नीति में परिवर्तन का है जिसके लिए आपकी सरकार सक्षम नहीं है। इस अध्यादेश से जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त नहीं होगा। यह आपको बदनाम कर देगा। उपलब्धि इससे कुछ नहीं होने वाली है। इसलिए उम्र के अनुसार नहीं, उम्र में तो आप मुझसे ज्यादा है और मुझे आपको सलाह देने का अधिकार नहीं है, लेकिन सदन के सदस्य की हैसियत से मैं आपको सलाह देता हूं कि इस अध्यादेश को आप वापिस ले लें।

एक दूसरा प्रश्न इस सम्बन्ध में यह है कि आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर कर्मचारी मंहगाई की वजह से परेशान हैं इसलिए कोई कभी अन्तरिम राहत की बात करते हैं तो राज्य सरकार कह देती है कि अन्तरिम राहत हम नहीं दे सकते हैं। उसको हम उचित तो मानते हैं लेकिन हमारे पास फण्ड्स नहीं हैं। उन्होंने एक मांग की है कि जहां हम रहते हैं

(श्री रामकिशन)

आवास का स्थान है उनका किराया दिया जाय। उसको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि विशेष वेतन भत्ता जो पूर्व में मिल रहा था उसको किसी प्रकार से कम्पेन्सेट किया जाय ताकि उनको घाटा नहीं हो। उसे आप मानने को तैयार नहीं हैं। अब हम सभी को मालूम है कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। यह बात ठीक है। मैं इस बात के जिक्र में नहीं पड़ूंगा। वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए हम बजट अधिवेशन में सुझाव देते हैं। कई तरीके आज भी हैं, लेकिन उन तरीकों को नहीं अपनायें तो जो इस तरह के सरकारी कर्मचारी हैं वे यह कहते हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है तो सारे विधान सभा के सदस्य और मन्त्रि-मण्डल के सदस्य अपनी सुविधाओं का विस्तार क्यों कर लेते हैं। यह बात सही है कि उन पर करोड़ों का खर्च होता है और वहां पर लाखों का खर्चा होता है उस खर्चे से काम चलता है, लेकिन इससे असन्तोष का कारण तो पैदा होता है। कर्मचारी कहते हैं कि विधान सभा के सदस्यों ने अपना दैनिक भत्ता 21 के बजाय 31 कर लिया और उनके दो रुपये भी नहीं बढ़ाते हैं तो उनमें असन्तोष पैदा होता है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो अपने आप पर निमन्त्रण करें। आज हालात यह हैं कि विधान सभा के सदस्य, अधिकारी लोगों का भत्ता तो बढ़ गया, प्रथम श्रेणी में जाने की सुविधा बढ़ गई और भी कई सुविधाएं बढ़ गईं। पहले अकेले ही प्रथम श्रेणी में आते थे लेकिन अब सेशन के टइम पर पत्नी को भी ला सकते हैं। मैं समझता हूं कि हवाई जहाज का बिल भी सदन में आ जाय लेकिन जिनसे हम काम लेना चाहते हैं उनके सामने हम क्या आदर्श उपस्थित करते हैं। वे मंत्रियों को देखते हैं, सरकार के बड़े अधिकारियों को देखते हैं कि उन्होंने अपनी सुविधाएं बढ़ा लीं लेकिन विशेष वेतन आप उनका बन्द करते हैं। लेकिन जो बड़े कर्मचारी हैं उनका विशेष भत्ता चालू रहता है, सेक्रेटेरियट में जो लोग काम करते हैं उनका चालू रखते हैं तो असन्तोष तो आप खुद अपने आचरण से पैदा करते हैं। उनका आप विशेष वेतन भत्ता बन्द करते हैं। अगर उनका करते हैं तो बड़े अधिकारियों का भी कर दें। मैं चाहता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी और बड़े अधिकारियों को जिस प्रकार की सुविधाएं हैं वे समाप्त कर दें, बन्द कर दें तो इस प्रकार की कोई बहस न हो। लेकिन सरकार के बड़े अधिकारी और मंत्री विशेष सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं तो बाकी का समाज जो राज्य का एक अंग है उसमें असन्तोष पैदा होता है और उसके कारण से वे हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, काम रोकेंगे। यह अध्यादेश काम आने वाला नहीं है। आपने कह दिया कि विशेष भत्ता नहीं दे सकते लेकिन सेक्रेटेरियट में देते हैं। आपने पुलिस के कर्मचारियों के लिए एक दिन पहले तो घोषणा करते हैं कि विशेष भत्ता नहीं देंगे और दूसरे दिन मुख्य मंत्री जी वहां किसी चीज का उद्घाटन करने जाते हैं तो वहां पर एलान कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो नीति है वह विरोधाभास की है। आपके संस्कार इस प्रकार के नहीं बन पाये हैं कि राज्य के संचालन में एक तरह की नीति रखी जाय आप राज्य के संचालन में, तिकड़मबाजी में दक्ष हो सकते हैं, लेकिन नीति के आधार पर राज्य के संचालन के

(श्री रामकिशन)

मामले में कि मंत्री का आदर्श यह है, विधायक का आदर्श यह है, स्थापित करने में सफल नहीं हो सके हैं। यदि हो जायं तो फिर कर्मचारी यह कहने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन आपके भय की वजह से, मुख्य सचिव की वजह से या गृह कमिश्नर की वजह से वे बात नहीं करते हैं। लेकिन वे मन में मानते हैं कि राज्य के बड़े सरकारी अधिकारी और मंत्री राज्य की सारी सुविधाओं का उपभोग करते हैं और जब छोटे कर्मचारी मांगते हैं तो वित्तीय संकट का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को सभी सरकारी कर्मचारियों का अगर सिक्योरिटी फोर्स आपकी नहीं है या कठिन काम करने वाले नहीं हों, तो उन सभी का विशेष वेतन भत्ता बन्द कर दें अगर आपके पास में पैसा नहीं हो तो इससे आपका बजट नहीं बढ़ेगा और कर्मचारियों में असन्तोष नहीं फैलेगा।

आप एक तरफ तो एक तरह के लोगों के साथ में एक तरह का व्यवहार करते हैं और दूसरी तरह के लोगों के साथ में दूसरा व्यवहार करते हैं। ये स्टेनोग्राफर हैं उनकी एसोसियेशन बनी हुई है। उन्होंने आपके सामने मांग रखी है और वह मांग मुझे उचित भी लगी है कि जो स्टेनोग्राफर जिस विभाग में हैं उनको एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। इसमें क्या आपको दिक्कत आती है। लेकिन विधान सभा के स्टेनोग्राफर और जो सचिवालय के स्टेनोग्राफर हैं उनका ग्रेड करेंगे तो एक और जो दूसरे कार्यालयों में करेंगे तो उनका ग्रेड करेंगे दूसरा तो आप खुद ही असन्तोष पैदा कर रहे हैं। आप बजट पर खर्चा वही कर रहे हैं और असन्तोष पैदा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत पड़ती है कि सभी स्टेनोग्राफर एक ही प्रकार का वेतन पायें। उनके काम में फर्क हो तो उनका ग्रेड अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन एक ही श्रेणी के स्टेनोग्राफर दो तरह की जिन्दगी बितायें और दो तरह की सुविधाएं उनको प्राप्त हों तो आप असन्तोष स्वतः पैदा करते हैं। पहले जब स्टेनोग्राफर की भरती की है तो हिन्दी जानना जरूरी था और अब आपने यह कर दिया कि अंग्रेजी जानेंगे तो ग्रेड इन्क्रीमेंट मिलेगा। एक तरफ तो राज्य सरकार की नीति है कि हिन्दी को राज्य-भाषा मानती है और उसको प्रोत्साहित करना चाहती है तो फिर दूसरे दरवाजे से न जाने किस मोह के कारण या किस अज्ञान के कारण वह अंग्रेजी से चिपकी हुई है। उसका नतीजा यह होता है कि सभी वर्ग के लोगों में असन्तोष होता है। राज्य सरकार ने मांगें स्वीकार की हैं उनकी एक दो मांगों को स्वीकार किया है उससे कर्मचारी सन्तुष्ठ नहीं होने वाले हैं। इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होने का है। इससे आप उनके असन्तोष को दबाना चाहते हैं। सरकार के उच्चाधिकारियों को जो सुविधाएं हैं उनके मुकाबले में कम सुविधाएं हैं इसलिए वह असन्तोष का कारण है।

उनकी कई मांगें हैं उनमें से कौनसी पूरी करनी चाहिए। इस पर मैं फिलहाल चर्चा न करके यह निवेदन करूंगा कि इतने आप को विभाजित कर दिया है। तो वह सारी सुविधाएं जो दूसरों को मिली हुई हैं उनको वापिस ले लें। उस पैसे को सिंचाई में लगायें, दूसरे और कामों में लगायें। आज अध्यक्ष महोदय जो विधान सभा में हम विचार कर रहे हैं,

(श्री रामकिशन)

जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका असन्तोष दूर हो। दूसरे हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि मन्त्री 12 हजार किलोमीटर की यात्रा करते हैं। बहुत आपने मन्त्री पदों का उपभोग कर लिया है। आप बम्बई जायें तो सरकारी यात्रा। तीर्थ यात्रा करने की निष्ठा किसी मन्त्री में है नहीं। आप को भौतिक वाद में विश्वास नहीं है। आपको आध्यात्मिक वाद में विश्वास नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तो सीधे स्वर्ग में जायेंगे।

श्री रामकिशन : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा····

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी शुरू ही कर रहा हूं। आप यह सोच रहे हैं कि वह जो लोग हैं वह दण्डित हों। आप इस प्रकार का विधेयक कैसे लाये हैं? आप कहते हैं कि हम लोकतन्त्र-वादी हैं। कांग्रेस के साधारण सदस्य से लेकर मुख्य मन्त्री तक आज समाजवाद की बात करते हैं। जैसे गणेश जी की पूजा कर रहे हों। अगर आप यह कह दें, किसी भी कम्युनिस्ट देश में ऐसा है, तो हम मान जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अन्य व्यवस्थाएं भी हैं।

श्री रामकिशन : अगर इस प्रकार की बात है तो आप कह दें मैं मान जाऊंगा। जहां जहां सैनिक शासन है, वहां ऐसा अवश्य है। लेकिन यह किस प्रकार की बात कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। माननीय गृह मन्त्री जी ने तो पढ़ा होगा। मैं ऐसा तो नहीं मानता हूं कि वैसे ही दस्तखत कर दिये होंगे। आपने एसेंशियल सर्विस की परिभाषा की है उसमें कौन सी सर्विस छोड़ दी है? जब कि नगर परिषद से लेकर कारखाने के मजदूर भी कर्मचारी बन जाएंगे। सरकार से सम्बन्धित और भी संस्थाएं हैं। स्वायत्त शासन संस्थाएं भी हैं। रोडवेज है। सभी जगह मजदूर काम करते हैं, उन सब को आपने एसेंशियल सर्विसेज बना दिया है। जब तक पूंजीवाद का विध्वंस नहीं हो जाये तब तक सामान्य आदमी के लिये संघर्ष करके अपने अधिकार को उपलब्ध करने को कोई रास्ता आपने छोड़ा है? इस सम्बन्ध में कोई भी काम नहीं रहेगा जो सरकारी काम न हो। आप यह कहने जा रहे हैं कि हमने एसेंशियल सर्विस घोषित कर दी है। कुछ सर्विसेज हैं जैसे पुलिस है, अस्पताल के कर्मचारी हैं, यह हड़ताल नहीं करें, यह तो समझ में आता है। क्लर्क के लिए आप कह रहे हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों के लिये आप कह रहे हैं। मैं आप को कहना चाहता हूं उनको अपनी मांग मनवाने के लिए और कोई जरिया क्या है? आप विधान सभा में ध्यान नहीं देते हैं। उनके प्रतिनिधि आते हैं उनसे आप प्रभावित होते नहीं हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो उन्होंने सामूहिक अधिकार प्राप्त किया है, उसको आप छीनते जा रहे हैं। आप यह लोकतंत्र नहीं, राजस्थान में पुलिस राज की स्थापना कर रहे हैं। अगर इस अध्यादेश का जैसे का तैसा इस्तेमाल किया गया तो नगरपालिका के कर्मचारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक इसमें आते हैं। कोई भी

(श्री रामकिसन)
अपनी मांग के लिए बात नहीं कर सकता है। इतना बड़ा अधिकार तो सैनिक ताना-शाही देशों में मिलता है। कोई प्रोत्साहित करेगा तो उसको दण्ड देंगे। उसकी परिभाषा क्या है? पुलिस कर्मचारी यह कह दें कि रामकिशन या रामानन्द जो ने यह कहा कि वह गरोब आदमी हैं। तो यह पकड़ लेंगे हम को। किसी भी बहाने यह हम को पकड़ लेंगे। नतीजा यह है कि जैसे चीन और रूस में जो कानून लागू हुआ है, वही बात इसमें आ गई है। मान लो हम जेल में बन्द रहे हमारी पत्नी हमको रोटी देने के लिए आयेगी तो आप कहेंगे कि उसने हमको सह-योग दिया है। उसे आप गिरफ्तार करेंगे। हमारे बच्चे रोयेंगे तो उनको भो आप····

श्री मूलचन्द डागा : उसे हम सहयोग नहीं मानगे।

श्री रामकिशन : यह कानून की बात हैं। आप समझते नहीं हैं?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कानून का इण्टर-प्रिटेशन आप जानते हैं?

श्री रामकिशन : आपने क्या पढ़ा है, पर्चे नकल करके तो पास हुये हो। (हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : यह प्रसन्नता का विषय है कि पण्डितानी जो सेवाभावी हैं। (हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : रामकिशन जी को रोटी देने के लिए जायेगी, सन्तरी देख ले तो उनको पीड़ा तो होगी।

श्री रामकिशन : मैं नहीं समझता कि आप कानून की इस प्रकार परिभाषा करेंगे।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान कारण अश्रव्य)।

श्री रामकिशन : पता नहीं अध्यक्ष महोदय, इनको पकड़ कर कहां से ले आये हैं?

श्री देवीदत्त गाड़िया : म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में पकड़ में आ गये हैं?

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, फर्दस-फर्दस शब्द का प्रयोग किया गया है। पुलिस अधिकारी अगर इस सीमा तक जाना चाहे तो वह जा सकता है। वह चाहे उसे गिरफ्तार कर सकता है। वह किसी भी दुकानदार को जिसके यहां से सामान जाता है कह सकता है कि तुम व्यापारी नहीं कर्मचारी हो। इस व्याख्या के अनुसार वह मदद होगी। इस कानून में जिस प्रकार की व्याख्या की है, मैं तो कानून का जानकार हूँ नहीं लेकिन संसार की जो राज्य व्यवस्थाएं हैं, उसकी जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार इससे ज्यादा पुलिस अधिकार हमने तो नहीं देखे हैं। तो यह अध्यादेश जिन कारणों से लाये हैं, उससे कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं है। बल्कि इससे असन्तोष बढ़ेगा। जो सरकार का कहना है उसमें मैं ज्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ूंगा। मैं कहूंगा कि सरकार अपने खर्चे में कटौती करे। आप की पंचायत समितियों में 232 जीपें हैं। उनका एक ह

(श्री रामकिशन)

काम है कि विकास अधिकारी सिनेमा देखने जाये। जो प्रधान हैं, वह दुरुपयोग करते हैं। आप भले ही पंचायत कर्मचारियों को सन्तुष्ट करने के लिए पैसा नहीं लें। लेकिन आप नदी घाटी योजना में लगाइये। उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 साला प्रोग्राम बनाइये। आप का पुराना जो व्यवहार है अगर कर्मचारी हड़ताल करेगा तो हम जेल भेज देंगे, इसको समाप्त कीजिये। अगर राजनैतिक आन्दोलन होगा तो नजरबन्द कर देंगे, जैसा कि वशिष्ठ का विचार था, सिर काट दो, गरदन काट दो, जो भी खिलाफ बोले उसे पकड़ लो। आप इस देश में लोकतंत्र को पनपाना चाहते हैं और समाजवाद लाना चाहते है लेकिन आपका जो व्यवहार है, वह पुलिस स्टेट के होम मिनिस्टर के जैसा है। आपके व्यवहार से मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे हिन्दुस्तान में और राजस्थान के अन्दर रूस के भूतपूर्व गृह मंत्री बेरिया ने जन्म ले लिया हो। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है क्योंकि आपका आचरण ऐसा है। मैं नहीं मानता कि आपने इस आर्डिनेंस को धाराओं को नहीं पढ़ा होगा। आपकी जगह ऐसा कोई होता, भीखा भाई होते, या सुखाड़िया जी होते तो मैं मान लेता कि वह बिना धाराओं को पढ़े उस पर दस्तखत कर दे। लेकिन आपके बारे में और मथुरादास जी के बारे में मेरी ऐसी धारणा नहीं है। आपने जरूर इसकी धाराओं को पढ़ा होगा। पढ़ कर भी ऐसी धाराओं को रख कर आप कर्मचारियों को दबाना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के हित में यह है कि इसको आप वापिस ले लें। आपको कर्मचारियों को संतुष्ट करना चाहिए। आप उनको संतुष्ट करना चाहते हैं तो आप ऊपर के लोगों को सुधारने की कोशिश करें। लेकिन आप वैसा न करें और मंत्रि मण्डल के सदस्यों की सुविधाओं के बारे में, विधान सभा के सदस्यों की सुविधाओं के बारे में बढ़ाने की कोशिश करें तो कर्मचारीगण संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपने चरित्र को सुधारें तो आप मुख्य सचिव को कह सकते हैं और मुख्य सचिव कर्मचारियों को कह सकते हैं। लेकिन हम अपनी सुविधायें तो बढ़ाते चले जायं और कर्मचारियों को कसना चाहें, दबाना चाहें तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अन्तरिम रिलीफ उनको पचास रुपये का भी दे दें लेकिन फिर भी इसका अन्त नहीं होगा। आखिर हम आज एक वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं, इस युग में एक सामान्य सा परिवर्तन होता है तो उसका पूरे समाज पर असर पड़ता है। हम आज आदिम युग में नहीं रह रहे हैं कि किसी भी बात का समाज पर असर नहीं पड़े। मेरा निवेदन है कि यहां पर हम कोई भी एक्शन लें, राजस्थान में पूरे में पांच घण्टे में उसका असर हो जाता है। इसकी जो धारायें हैं उन पर तो, जब इस पर धारावार विचार होगा, तब मैं संशोधन रखूंगा, लेकिन अभी मेरा निवेदन यह है कि यह जो अध्यादेश प्रख्यापित किया है राज्यपाल महोदय ने आपकी सलाह पर, मेहरबानी करके आप बुढ़ापे में एक अच्छा काम कर जाइये कि इसको वापिस लें। कोई बात नहीं है, सुखाड़िया जो, जैसा आप समझते हैं, गृह मंत्रालय आप से छीन लेंगे, तो अब तो आपके सुपुत्र विधान सभा में चुन कर आ गये हैं, गृह मंत्रालय उनको मिल जायगा। लेकिन आप बुढ़ापे में यह पाप न करें, आप अपने जीवन में बहुत पाप

(श्री रामकिशन)

कर चुके हैं, अन्तिम पाप, आप मानें या नहीं मानें, आप मत करें। आप इसके द्वारा जो पुलिस को अधिकार दे रहे हैं, उसमें हमें आशंका है कि राजस्थान पुलिस स्टेट बन जायेगा और राजस्थान में लोकतंत्र नही रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र और समाजवाद के हित में, यह जो अध्यादेश प्रख्यापित कराया है राज्यपाल महोदय की मार्फत, इसको आप वापिस लें।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह मेहता : थोड़ा समय की सीमा का ध्यान रखें।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : मैं तो वैसे भी अधिक समय लेता नहीं हूं।

श्री विजयसिंह : सीमा के बाहर, अध्यक्ष महोदय, सीमा के बाहर यह राजस्थान के मंत्री चले जाते हैं तो क्या करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने फरमाया कि आज तक कितनी बार कर्मचारियों की मंहगाई बढ़ाई गई है और तनख्वाह बढाई गई है। यह बिलकुल सही है। जहां तक उनके साथ सहानुभूति का सवाल है, मेरी सहानुभूति भी है। इसके साथ साथ उनका इस मंहगाई में सचमुच गुजारा नहीं होता होगा। हड़ताल पर जो बंदिश लगाई गई है, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, वैसे अपने अधिकारों के लिए अहिंसक ढंग से हड़ताल करने का सबको अधिकार है लेकिन हड़ताल वह कर सकता है जो अपना कर्तव्य-पालन भी करता हो....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बहुत सुन्दर।

श्री मनोहरसिंह मेहता : 48 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ा राजस्थान में, मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमान् आपके मार्फत, क्या इससे व्यवस्था बढ़ी है ? सच्चाई बढ़ी है ? ईमानदारी बढ़ी है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : बहुत सुन्दर !

श्री मनोहरसिंह मेहता : किसी किसी महकमें में तो स्टेण्डर्ड कायम हो गया है, वहां सौ रुपये से कम तो कोई लेता नहीं . . .

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बहुत सुन्दर !

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं निवेदन कर रहा हूं आखिर मसिजीवी यानी क्लर्क पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। मसिजीवो के लिए मेरे एक मित्र ने कहा है :

मसिजीवी लो राज सूं
वाजिब हक जरूर।
पण छोड़ो त्रण बात थें,
आलस घूंस घरूर !!

यह तीन बातें उन्हें छोड़नी हैं। उन्हें सोचना है, जनता इस आन्दोलन में साथ थी या नहीं थी ? यह मसिजीवी यानि क्लर्क को सोचना होगा, जनता आखिर साथ क्यों नहीं थी ? वह इसलिए नहीं थी, क्योंकि आजादी के बाद जनता बुरी तरह दुःखी हो गई है, पापाचार बढ़ गया है, दुराचार बढ़ गया

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

है, अनाचार बढ़ गया है और कहीं नहीं लगता है, सुराज्य आया है। तो उन्होंने एक बात कही है :

बनता है विपरीत क्यों
मसिजीवी मन खोज।
हाथ रखे पाछे सदा,
रवडावे थूं रोज !!

हमेशा पीछे हाथ रखते हैं और रात दिन उस समय तक घूमते रहते हैं जब तक गांधी छाप के नोट अन्दर जेब में नहीं पहुंच जाते। इससे यह मतलब नहीं समझिये कि मैं उनकी मांग के विरुद्ध हूं। उनकी मांग वाजिब है। अच्छा होगा, जब, अध्यक्ष महोदय ने उपवास किया था, तो पहले चार दिन उपवास करते इसलिए कि हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम सच्चाई के साथ काम करेंगे।

प्रश्न यह है कि वह क्यों मांगते हैं, जब आपकी और हमारी बात सामने आती है कि हम अपने लिए सुविधाय बढ़ाते जाते हैं, हमेशा अपनी सुविधा की बात करते हैं-मैं जानता हूं, यहां ऐसे लोग हैं जिनके आजादी के पहले वीस बीस पैबन्द लगते थे, लेकिन आजादी के बाद उनके घरों के बाहर कार खड़ी है, उनके बंगले खड़े हैं, उनका बैंक बैलेन्स है, उनकी औरत सोने से पीली है। तो वह भी कहते हैं कि हमें यह अधिकार क्यों नहीं है ? क्यों हम लोग कार नहीं खरीदें ? क्यों हम सुख-सुविधा में नहीं रहें। जब कोई देखता है कि अन्तर बहुत बढ़ा है-थोड़ा अन्तर तो चल सकता है, लेकिन कितना ? अंगुली जितना, चट्टी अंगुली और दूसरी अंगुलियों में जो अन्तर है वह चल सकता है, लेकिन एक तरफ सिर बहुत बड़ा हो जाय और हाथ पैर सिकुड़ जायं, तो फिर तो स्थिति खराब हो जाती है, फिर बीमारी की हालत हो जाती है। वह कहते हैं आप अपने लिए तो सुविधायें मांग रहे हैं- महाराणा प्रताप से किसने कहा था ? महाराणा प्रताप से कभी किसी योद्धा ने कहा, मेरी औरत का क्या होगा ? मेरे बाल-बच्चों का क्या होगा ? कुछ संरक्षण उन्होंने मांगा था? वह इसलिए कि प्रताप खुद जूझते रहे, जंगल में पड़े रहे, लड़की के हाथ से बिलाव ने रोटी ले ली, वह इतने मोहताज हो गये तो भी उन्होंने हंसते हंसते प्राण दे दिये थे। हम लोग भी इस तरह काम करें। लेकिन हम लोग इस तरह से काम करें तो क्लर्क के मन में यह इच्छा होना स्वाभाविक है। यह दोनों बातें साथ आ रही हैं, एक तरफ तो यह आ रही है कि कोई कर्मचारी अपनी मांग करेगा, हड़ताल करेगा तो उसके सिर पर तलवार लटकी रहेगी, दूसरी तरफ यह हो रहा है कि बारह हजार किलोमीटर हमें फ्री यात्रा करने की सुविधा मिले। यह दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। अध्यक्ष महोदय, अगर सचमुच आपकी इच्छा है कि कर्मचारी कभी हड़ताल नहीं करें तो जैसा मैंने कर्मचारियों से निवेदन किया था, वह पूरी तरह से कर्त्तव्य का पालन करना सीखें, देश को पूर्ण समर्पण करना सीखें, उसी तरह, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबको सोचना है, हम चरित्र को कसें, ईमानदारी पर आयें, निष्ठा पर आयें। अगर आजादी कायम रखनी है तो वह सच्चाई से ही कायम रहेगी, ईमानदारी से ही इसका उद्धार होगा, अच्छाई से ही यह

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

निभेगी वरना नहीं। यह जो आर्डिनेन्स है इसका मैं सख्त विरोध करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपा करके इसे वापिस लें और अपने जीवन में ही हम और आप बैठें, भले ही इसमें पांच दिन लगें तब भी और सोचें कि किस किस चीज में कटौती कर सकते हैं। रामकिशन जी ने ठीक कहा कि जाकर देखिये, करोड़ों रुपये की खराबी हो रही है, धना घुन रहा है, नमक को चूना लग रहा है, करोड़ों रुपये को मूंदे दे रहे हैं। यह सच बात है, आप जाकर देखिये तो सही। आप तो मोटर और बंगलों में बैठते हैं इसलिए आपको पता नहीं लगता है। लेकिन यह मंत्री याद रखिये :

मोटर बंगला आदि का
सुण ले रे सोकीन ।
जग पूजा वीं री करे
वां रेही कोपीन !!

जिनके लंगोटी होती है उनकी पूजा होती है। आप अपने जीवन में ईमानदारी निष्ठा, सच्चाई उतार दीजिये तो यह कर्मचारी भी संकल्प करेंगे कि काम में निष्ठा हो...

श्री मूलचन्द डागा : कौन कौन सी बात। समझ में नहीं आया।

श्री रामकिशन : आपको समझ मे नहीं आयेगा।

श्री विजय सिंह : लंगोटी पहन कर आयेंगे तब पता लगेगा कितनी पूजा करते है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : डागा जी ने ठीक कहा। विरोधी लोग इतना कहते हैं लेकिन उसका असर नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गलती जरूर है..

श्री रामचन्द्र आर्य : लंगोटी पहनना शुरू कर दो नहीं तो कर्मचारी लंगोटी पहना देंगे आपको।

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैंने प्रथम श्रेणी में बैठना क्यों छोड़ा ? प्रथम श्रेणी का किराया मैं क्यों नहीं लेता ? मैं समझता हूँ कि यह गरीबों की कमाई का पैसा आता है, यह पैसे खून की कमाई है। इसलिए मैंने छोड़ा। पत्नी को साथ लाने की सुविधा होते हुए भी मैं क्यों नहीं लाता हूँ और मेरा जो रुपया खर्च होता है वही लेता हूँ ? बारह किलो मीटर...

श्री मूलचन्द डागा : आप बूढ़े हैं इसलिए नहीं घूमते हैं पत्नी के साथ ?

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी!

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, बड़ी मेहरबानी होगी, यह जब बोलते हैं तो मैं कभी व्यवधान नहीं डालता तो आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप इनको चुपचाप सुनने के लिए कह दें।

एक माननीय सदस्य : यह कह रहे हैं, आप बुजुर्ग हो गये हैं इसलिए नहीं लाते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इनकी मति भंग हो गई है इसलिए बीच में बोलते हैं।

Page No 83

श्री मनोहरसिंह मेहता : बारह हजार किलोमीटर फ्री सारे हिन्दुस्तान में घूमना सम्भव तभी तक हो सकता है जब तक मैं विधान सभा का सदस्य हूं, बाद में यह सम्भव नहीं हो सकता। तो इतना होते हुए भी मैंने क्यों इसका त्याग किया ? क्यों एक माइल का भी उपयोग नहीं किया ? मेरा निवेदन है कि जब तक मैं विधान सभा का सदस्य रहूंगा तब तक इसका उपयोग नहीं करूंगा–इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है, क्लर्क्स जब यह नहीं कर सकते, जो मेरे मतदाता है वह नहीं कर सकते तो आखिर मुझे क्यों करना चाहिए। आपकी सुविधाओं का जब मामला आयेगा तब मैं इसका घोर विरोध करूंगा। इसके बारे मे तो मैं यह निवेदन करता हूं कि कृपा करके इसको आप वापिस ले लीजिये और आप अपने जीवन में सच्चाई उतारिये । राज्य कर्मचारी भी आपके अंग हैं, उनको आप किसी तलवार के बल पर दबा नहीं सकते हैं। इसलिए कृपा करके आप इस पर चिन्तन कीजिये, मनन कीजिये, विचार कीजिये और इसको वापिस लीजिये। इन शब्दों के साथ जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। आप इसको कृपा करके वापिस ले लें। आशा है आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है कि यह अध्यादेश एसेन्शियल सर्विसेज आर्डिनेन्स, यह सदन अस्वीकार कर दे । अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं इस सम्बन्ध में बोलूं मुख्य मंत्रीजी ने राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था एक माननीय सदस्य के स्थगन प्रस्ताव पर, उस पर भी बोलने का समय आज ही आपने दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मुख्य मंत्रीजी ने राज्य कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में, जो वक्तव्य दिया है, उससे कर्मचारियों में आम तौर पर असंतोष है और मैं कह सकता हूँ कि जो पिछला आंदोलन राज्य कर्मचारियों का हुआ था और जिस समझौते की बुनियाद पर वह आंदोलन वापस हुआ था, जिन लोगों ने इसमें मध्यस्थता की थी, उन लोगों से मैंने संपर्क करके जानकारी की है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मंत्रीजी ने, उस समझौते का, उस अंडरस्टैंडिंग का, पूरा पालन नहीं किया जो कि अण्डरस्टैंडिंग उस हड़ताल को उस आंदोलन को वापस लेते समय, उन्होंने मध्यस्थों के मार्फत कर्मचारियों को दी थी ।

सबसे महत्वपूर्ण बात अन्तरिम राहत के बारे में है। आज राज्य कर्मचारियों के सामने या और किसी भी कर्मचारी के सामने वह वेतन वृद्धि का सवाल एक बहुत अहम सवाल बना हुआ है। राज्य सरकारें या केंद्रीय सरकार इस प्रश्न के औचित्य को स्वीकार करते हुए भी आर्थिक संकट के कारण इसको देने से कुछ आनाकानी कर रहे हैं। मैं समझता हूं, यह जो हड़ताल हुई थी, वह हड़ताल जो वापस हुई, उससे पहले से ही, मुख्य मंत्रीजी हमेशा कहते रहे कि अन्तरिम राहत के सवाल पर हम सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे। मैं समझता हूं, इस हड़ताल के दौरान जब बातचीत होकर, समझौता होकर और यह आंदोलन वापस लिया गया, उस समय, यदि मेरी जानकारी सही है, तो कुछ कान्क्रीट प्रोपोजल्स पर बातचीत भी हुई·····

Page No 84

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कन्सीडरेशन का और स्टेज है उस समय भी आप बोलेंगे। इस समय बिदिन दी परव्यू आ जायं तो अच्छा होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि दूसरा समय देंगे तो कम बोलूंगा।

श्री रामकिशन : तीसरा समय देंगे तो और भी कम बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : संशोधनों के समय दूसरा अवसर मिलेगा।

श्री नत्थीसिंह : हम चाहते हैं कि प्रस्ताव ही स्वीकार हो जाय तो अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन चूंकि एसेन्शियल सर्विसेज आर्डिनेन्स की पृष्ठभूमि में वह बात भी महत्वपूर्ण है, चूंकि अध्यादेश को हड़ताल की सिच्युएशन को मीट करने के लिए जारी किया, उस समय जारी किया जबकि कर्मचारियों की तरफ से आंदोलन शुरू था, भूख हड़ताल शुरू थी और वह हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे थे. तब उन्हीं परिस्थितियों में, सरकार का कहना है कि उन्होंने इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अन्तरिम राहत की बात कर्मचारियों की तरफ से बहुत पहले से कही जाती थी और सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया जाता रहा था कि इस पर हम सहानुभूति से विचार करेंगे। केवल इतनी बात थी कि कर्मचारी उस समय यह आश्वासन चाहते थे कि सिद्धांत तौर से सरकार इस बात को कहे कि हम सिद्धांत तौर से इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भी केन्द्रीय सरकार अंतरिम राहत की घोषणा करेगी, वह अन्तरिम राहत उसी तारीख से हम भी देंगे लेकिन चूंकि आंदोलन होने से पूर्व सरकार इस प्रकार का कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं किया तो सरकार के यह कहने के बावजूद कि हम सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे, कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस समझौते के दौरान में कर्मचारियों की तरफ से जैसे बातचीत सरकार ने करनी चाही उन्होंने भी इच्छा की, बातचीत हुई और बातचीत होकर आंदोलन स्थगित हुआ, इससे सबको खुशी हुई है लेकिन उस बातचीत में इस अन्तरिम राहत के प्रश्न पर कान्क्रीट सवाल यह पैदा हुआ कि इसकी घोषणा अभी कर देनी चाहिए, यह कान्क्रीट सजेशन रखा गया कि अब केवल सिद्धांत की घोषणा से काम नहीं चलेगा, वल्कि कान्क्रीटली 15 रुपये के लिए आप इसकी घोषणा कर दें कि 15) अभी दिया जाता है जो कि एडजस्टेबुल होगा, जब केन्द्रीय सरकार की तरफ से घोषणा हो उस समय एडजस्ट कर लिया जायगा। अगर कम होगा तो भी एडजस्ट कर लिया जायगा ज्यादा होगा तो भी एडजस्ट कर दिया जावेगा ऐडहाक रूप से 15) रु. सब कैटेगोरीज के लिए आप घोषणा कर दें।

मुख्य मंत्रीजी की ओर से या किसी के तरफ से सुझाव आया कि 15) नहीं, 10) की बात हो सकती है 10) की बात की जाय। मुख्य मंत्रीजी की ओर से कहा गया कि मैं सिद्धांत रूप से देना चाहता हूं, मेरा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इरादा देने का है। केंद्रीय सरकार की तरफ से जो भी घोषणा इस सम्बन्ध में होगी, हम देंगे, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं। इसमें कुछ सवालात हैं क्योंकि इस समय उपयुक्त नहीं होगा कि उसकी घोषणा इस समय की जाय, केन्द्रीय सरकार का निर्णय अभी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, उसके आते ही इस चीज की घोषणा की जायगी। कान्क्रीट में इस प्रकार की बात आ गई कि 10 रु. के लिए किसी ने कहा, 15) के लिए किसी ने कहा लेकिन वह बात यहां कहते कि अच्छा मेरे पर छोड़ दो और आपके साथ अन्याय नहीं होगा, और इस विश्वास पर समझौता हुआ।

मुझे खेद है कि अभी जो मुख्य मंत्री जी ने परसों वक्तव्य दिया है उसमें वह बात जो अभी तक कहते आ रहे हैं या समझौते में कही उससे पीछे खिसक गए यह बात कह कर कि इसका हमारे ऊपर वित्तीय असर पड़ेगा। इसलिए यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है। इसका साफ मतलब यह हुआ कि हम इंतजार में हैं कि केन्द्रीय सरकार इस बात पर निर्णय दे दे कि अन्तरिम राहत की क्षतिपूर्ति वह करेगी, तो हम दे देंगे। वह पूरी नहीं करेगी तो हम नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का इन्टरप्रेटेशन आप के स्टेटमेंट से होता है जो कि उचित नहीं है, जो कि उस समझौते में जो बात कही थी, उस दृष्टि से भी उचित नहीं है। आपने कहा था कि आप किन्हीं कामों में फंसे हुए हैं, आपकी इलेक्शन पिटीशन थी उच्चतम न्यायालय में आपको जाना है। इसलिए सभी बातों पर एक साथ बातचीत करके निर्णय लेंगे।

आपने जो कमिटमेंट की थी कि 12 साल के सेवाकाल पर एक वेतन वृद्धि देंगे, प्रोजेक्ट भत्ता और ई. बी., ये तीनों कमिटमेंट्स आपने पूरे किए। यह हमें खुशी है लेकिन जो चौथी मुख्य बात थी, जिसको कर्मचारियों की तरफ से सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और वास्तव में जो हर कर्मचारी को टच करता है, उसको पूरा नहीं किया। एक चपरासी को 12 साल के सेवाकाल पर एक वेतन वृद्धि मिल गई तो उससे उसको कोई खास रिलीफ नहीं मिला है। हमसे चपरासी और सिपाही पूछते हैं कि हमारे वेतन में बढ़ोतरी कब होगी, कब राहत मिलेगी, उस सवाल को आपने पीछे रख दिया।

इसलिए मैं समझता हूँ कि यह उस कमिटमेन्ट का उल्लंघन है जो कि मुख्य मंत्री ने उन मध्यस्थों के जरिए जो लोग थे उसमें केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधि और भी लोग थे जिनके जरिए जो भी समझौता हुआ, उस कमिटमेंट से मुख्य मंत्री जी बाहर निकल रहे हैं जो उनके शान के लायक नहीं है।

(3.40 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो ऐसेन्शियल सर्विसेज ऑर्डिनेन्स बिल पर हम अभी बहस कर रहे हैं, यह भी ऑर्डिनेन्स चूंकि उस समय आया इसलिये विवाद का विषय बन गया और कर्मचारियों की तरफ से यह बात कही गयी कि इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ऑर्डिनेन्स को वापस लिया जाना चाहिये। यह अन्डरस्टेन्डिंग गवर्नमेन्ट की तरफ से थी, सारी बातचीत में थी। चूंकि ये मेजर्स आपकी ओर से, आन्दोलन हुआ इस कारण लागू हुए और इसको कानून के रूप में स्टेट्यूट बना दिया जावेगा यह अन्डरटेकिंग नहीं थी, समझौते की तरफ बढ़ रहे थे कि ऑर्डिनेन्स ड्यू कोर्स में लेप्स हो जावेगा और इसको प्रिकन्डीशन न बनायें, अपने आप लेप्स हो जावेगा और यह बिल के रूप में नहीं आवेगा। लेकिन अब इसको बिल के रूप लाकर स्थायी कानून बनाने की बात की जा रही है सरकार की ओर से, मैं समझता हूं कि सरकार ने जो अन्डरस्टेन्डिंग दी थी समझौते के खिलाफ है अब यह, इसलिये इस पर गम्भीरता से मुख्य मन्त्रीजी विचार करें।

कर्मचारियों की हड़ताल पहली बार हुई और इसमें किसी में आपस में तलखी हुए बगैर वह मामला खत्म हुआ। यदि उस कमिटमेन्ट को ओनर नहीं किया जायेगा तो आपस में कान्फीडेन्स खत्म होगा और बुरा असर पड़ेगा। महा संघ के प्रेसीडेन्ट ने आपमें कान्फिडेन्स मानकर पत्र लिख कर दिया, उस स्पिरिट में आपको उन कमिट-मेन्ट्स को, जो लिखित में नहीं हैं, जो सब जबानी हैं, मानकर जायज किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, सरकार ने घोषणा की कर्मचारियों के विषय में, उनमें असंगतियों की ओर माननीय रामकिशनजी ने ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि स्टेनोग्राफर्स जो सबोर्डिनेट ऑफिस में काम करते हैं उनमें और जो सेक्रेटेरियेट में काम करते हैं, उनकी पे स्केल्स में डिफरेन्स नहीं था उसको अब इन्ट्रोड्यूस किया जो राणावत वेतन कमीशन की दृष्टि से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। उसने तो जो डिफरेन्स था उसको ठीक किया। इक्वल वर्क इस प्रिन्सिपल को स्वीकार करना चाहिये। यह जो डिफरेन्स किया है सेक्रेटेरियेट में 225 और 170 से स्टेनो शुरू होते हैं और सबोर्डिनेट आफिस के 185 और 160 से शुरू करते हैं, यह अनुचित है। डिफरेन्स पैदा करने वाला है। इसके साथ ही साथ पी. एस. सी. से एप्रूवल न हो जाय तब तक आप स्टेनो को ग्रेड इन्क्रीमेन्ट नहीं दे रहे हैं जब कि दूसरी सर्विसेज के लिये अपोइन्टमेन्ट करते हैं लेकिन उनके लिये यह कन्डीशन नहीं है कि उनको पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूवल न हो जाय तब तक ग्रेड इन्क्रीमेन्ट न दें। यह एक आश्चर्य की बात लगी। उनको ग्रेड इन्क्री-मेन्ट मिलता रहता है इसलिये इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आप उनके साथ करते हैं यह उचित नहीं लगता है। और इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।

12 साल की सर्विस के ऊपर राणावत वेतन कमीशन के अनुसार एक ग्रेड इन्क्रीमेंट की बात कही। कर्मचारियों की यह मांग है कि पांच साल पर एक दस साल पर दो और पन्द्रह साल पर आप एक एक वेतन अग्रिम तौर पर दें। सब को न दे सकें तो कम से कम 150) रुपये तक पाने वाले को 1) 2) 3) रुपये का आपको फर्क पड़ेगा उनको पांच साल, दस साल और पद्रह साल पर तीन इन्क्रीमेन्ट देने की व्यवस्था करें। बाकी को आप 12 साल का इन्क्रीमेंट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

देदें। कुछ तो इन्क्रीमेन्ट मिलेगा। इस पर भी आप विचार करेंगे।

आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में मेरा संकल्प है इस पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आर्डिनेन्स जिस स्पिरिट से, जिस दृष्टिकोण से लाया गया है बुनियादी तौर से इसकी जो दिशा है, हम उसको बुनियादी तौर से गलत मानते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पहले आप संकल्प के बारे में नहीं बोले थे क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्टेटमेन्ट था उसके बारे में।

आज दो विचार धारायें देश के सामने वर्तमान हैं। जो क्राइसिस है, आर्थिक संकट है हमारे देश में मंहगाई, बेकारी, प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश, विकास, इनके संबन्ध में दो विचार धारायें हमारे देश में चल रही हैं। एक विचारधारा है कि यह जो सारी तनख्वाहें बढ़ती हैं, यह मंहगाई भत्ते, यह सारे शरारत की जड़ है। इसलिये सबसे पहले कोई काम किया जाना चाहिये इसको अरेस्ट करने के लिये और वह यह हो सकता है कि वेज फ्रीज किया जाना चाहिये और हिन्दुस्तान के भूतपूर्व फाइनेन्स मिनिस्टर श्री मुरारजी भाई, जो अपनी बुनियादी नीतियों के कारण सिंडीकेट कांग्रेस के मेम्बर हैं, पार्लियामेंट में अब, उनकी ओर से यह प्रतिपादित किया गया कि वेज फ्रीज कर देना चाहिये। इन्डस्ट्रियल कारखानों में काम करने वाले और कर्मचारियों के लिये उनका कहना है कि उनके वेजेज बढ़ने से रोक देना चाहिये। उसके मुकाबले में दूसरा सजेशन यह है कि जो एम्पलॉयर्स हैं, केपिटेलिस्ट हैं उन लोगों के द्वारा इन्डस्ट्री खोलने में और उनको खड़ी करने में जो रुकावटें खड़ी की जाती हैं, टेक्सेज आदि के लिये जो रुकावटें खड़ी की जाती हैं उनको हटा देना चाहिये क्योंकि ये प्रोडक्शन बढ़ाने के इन्सेन्टिव में रुकावटें पैदा करती हैं। तीसरा सुझाव कुछ स्कूल ओफ थोट का है कि वेज फ्रीज करेंगे, लोग आन्दोलन करेंगे तो उसका क्या इलाज है। उनकी तरफ से सजेशन है कि इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स लाये जायें और स्ट्राइक करने के अधिकार को छीन लेना चाहिये और नहीं मानें तो ट्रेड यूनियन बनाने और ओर्गेनाइजेशन बनाने के अधिकार को छीन लेना चाहिये और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो ऐसी बातों में विश्वास करती हों उनको देश की राजनीति से समाप्त कर देना चाहिये और उनको इनलोएल कर देना चाहिये। एक स्कूल ओफ थोट यह है जिसके रिप्रेजेन्टटिव्ज स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ या फ्यूडलिज्म, केपिटेलिस्ट्स और इम्पेरियलिज्म के हामी हैं वे देश की आर्थिक स्थिति का मुकाबला करने के लिये यह विचार पैदा करते हैं। दूसरी तरफ जो सोशलिज्म चाहते हैं, वह यह समझते हैं कि यह प्रश्न लॉ एन्ड ऑर्डर का नहीं है और लोगों को गिरफ्तार करने से यह प्रश्न हल नहीं होगा। बल्कि आर्थिक नीतियों में रेडिकल परिवर्तन करके ही, रेडीकल तब्दिली करके ही यह संभव है, इसलिये रेडिकल मेजर्स जिससे देश में केपिटल जनता के हाथ में, गवर्नमेन्ट के हाथ में आ सके इसलिये मोनोपोलिस्ट्स को कर्ब करके फोरिन मोनोपोलिस्ट्स को कर्ब करके हाथ में ले, डिविडेन्ड पर रोक लगा कर जनता के हाथ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
में दें और इससे आम लोगों के लिये अोपोचुनिटी ओफ जोब्स पैदा करें । ये व्यूज हैं। कोलीशन इन्हीं व्यूज पर हो रहा है जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी कन्जरवेटिव, पार्टीज हैं, वे दूसरे स्कूल ओफ थोट के साथ देश के सामने कार्य-क्रम रख रही हैं।

अफसोस इस बात का है कि ऑर्डिनेन्स उस सरकार की ओर से लाया गया है जो यह क्लेम करती है कि देश में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कायम करना चाहती हैं, समाजवाद की ओर जाने की दिशा में घोषणा करती है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें कि उन्होंने जो घोषणाएं समाजवाद के बारे में की हैं, डेमोक्रेटिक सौशलिज्म को कायम करने के लिये घोषणाएं की हैं क्या उनका यह कदम उसके कन्सिसटेंट है।

फिर आप सिण्डीकेट को कैसे डिमार्केट कर सकते हो, स्वतन्त्र पार्टी को आइडियोलोजी से डिमार्केट कैसे कर सकते हो, जनसंघ से कैसे आप अलग हो सकते हो। इस बात का उत्तर हिन्दुस्तान के लेबल पर आपकी पार्टी को देना होगा । केन्द्र में भी इस प्रकार का आर्डिनेन्स लाया गया है उसका कानून बनाया गया है। मेरी आलोचना केन्द्र के बारे में भी है केन्द्रीय लीडरशिप के बारे में भी वही है। इस मामले में जिस प्रकार की आपकी विचारधारा है, वह दकियानूसी विचारधारा है। यह विचारधारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ जाने की नहीं है । देश की गरीब जनता की वास्तविक मांग है उसको आप अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से मीट आउट नहीं कर सकते । पुलिस और फौज के जरिये उनके मूलभूत अधिकारों को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं यह आपका फासिज्म का तरीका है।

श्री मूलचन्द डागा : इनको काफी समय हो गया है आप कितना समय इनको देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह इम्पोर्टेन्ट बिल है इस पर मैं अपने पूरे विचार रखूंगा इसके लिये मुझे समय दिया जाना चाहिये ।

श्री सभापति : सिर्फ पांच मिनट और दूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करूंगा । इस संकल्प में जो बुनियादी सवाल हैं, डेमोक्रेटिक आधार को जो आप खत्म करने जा रहे हैं, उस पर भी आप ध्यान न देना चाहें यह उचित नहीं होगा । मेजोरिटी गवर्नमेन्ट को है वह उसको इस्तेमाल कर उसको पास कर सकती है लेकिन मुझे भी अपने विचार रखने का अधिकार है । इसके लिए समय तो मिलना चाहिये । आप इस विधेयक को मेजोरिटी से पास कर देंगे, इसमें सन्देह नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : टाइम लिमिट अवश्य होनी चाहिये । इस बिल पर आप घंटों बोलना चाहें यह नहीं होगा दूसरे भी बोलना चाहते हैं ।

वृद्धिचन्द्र जैन : समय सीमा मुकर्रर कर दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय डागा जी तो आये ही इसलिये हैं कि वे डिस्टर्ब करें खुद स्टडी करके आते नहीं और दूसरों को भी बोलने देना नहीं चाहते ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पार्लियामेन्ट में इनके लीडर आधा घंटे से ज्यादा नहीं बोलते समय सीमा निर्धारित कर दी जाय ।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपको बोलते हुए पन्द्रह मिनिट से अधिक हो गये अब आप पांच मिनिट में भाषण समाप्त कर दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इम्पोर्टेन्ट बिल है । दस मिनिट में खत्म करने की कोशिश करूंगा ।

यह आर्डिनेन्स जिस स्थिति को मीट करने के लिये यहां लागू किया गया है क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब कर्मचारी अपनी मांगों के लिये जिनको आप उचित समझते थे सिम्पेथेटिक कन्सीडरेशन कर रहे थे, मान नहीं रहे थे जिनको बाद में स्वीकार किया है । उन मांगों को लेकर बातचीत का रास्ता बन्द कर दिया गया तब सारी घटनायें शुरू हुई । पहले भूख हड़ताल शुरू की थी । एक दिन केवल सांकेतिक स्ट्राइक की गई थी । आपने उस समय इस आर्डिनेन्स को लागू किया उस समय इसके लागू करने का कोई औचित्य नहीं था । उस समय केवल पेन डाउन स्ट्राइक के अलावा किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया था । उस समय आपको किसी प्रकार की परेशानी में डाला जाय यह स्थिति नहीं थी । अब सवाल यह है कि आप राइट आफ स्ट्राइक, राइट आफ एजीटेशन डेमोक्रेसी में स्वीकार करते हैं या नहीं । हमारी पार्टी हमारी सरकार खुद भी एजीटेशन करेगी यह हमारी मान्य पोलिसी है । हम इस बात को स्वीकार करते हैं । पूंजीवादी समाज के कुछ तत्व अपने वर्ग स्वरूप के कारण समाज पर कब्जा जमाये बैठे हुए हैं वैसी हालत में पद्दलित वर्ग संगठित होकर संघर्ष करके आगे नहीं बढ़ेगा तो ये मिनिस्टर्स जो पूंजीवाद के पिछलग्गू हैं वे जनता की या किसी श्रमिक की डिमाण्ड्स को पूरा नहीं कर सकते । इसका मोबीलाइजेशन जरूरी है ।

इस आर्डिनेन्स को लेकर फण्डामेण्टल राइट्स को जब हम मानकर चलते हैं तो वैसी हालत में डिमोक्रेटिक राइट्स जो विधान द्वारा हमें मिले हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर हमने आजादी का आन्दोलन लड़ा, उसी बुनियादी अधिकार को इस आर्डिनेन्स द्वारा आप खत्म करने जा रहे हैं । हमें विचार करना चाहिये जिस आधार पर हमारे देश में आजादी का आन्दोलन शुरू हुआ और जो स्टेट्यूट पर अधिकार दिये हुए हैं उनको बरकरार रखना चाहते है, उनको हम यदि स्वीकार करते हैं तो थियोरिटिकली डेमोक्रेसी में चुनाव के आधार पर जो सरकार बनी है वह भी एजीटेशन के जो अधिकार मिले हुए हैं यह न देना चाहे इससे बढ़ कर दुर्भाग्य की स्थिति और क्या हो सकती है ।

Page No 90

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस विधेयक के आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में जिस प्रकार की भाषा को यूज किया गया है उसमें डिमोस्ट्रेशन एजीटेशन ये शब्द प्रयोग किये गये हैं, इनको आप खत्म करना चाहते हैं।

"Nevertheless, in the prevailing circumstances, the State Government considers that it should continue to have powers to meet any situation which may be created by agitational approaches by holding demonstrations and public meetings outside Government offices, hunger-strikes, pen-down strikes, etc. and to ensure the maintenance of essential services and normal life of the community.

मै निवेदन करना चाहता हूं आप गम्भीरता से इस बात पर विचार करें यह कदम डिमोस्ट्रेशन करने का पब्लिक मीटिंग करने का हंगर स्ट्राइक करके, अपनी मांगों के बारे में प्रदर्शन करना ये सब बातें हैं जिनको आप प्रिन्सीपल तौर पर रखना चाहते हैं। मैं समझता हूं इन सब चीजों को जब कोई उपाय नहीं रह जाता मजबूरी में इनको अंगीकार किया जाता है। आप एसेन्सियल सर्विसेज की आड़ लेकर इनको भी एसेन्सियल सर्विस डिक्लेअर कर दें, तो आप हमारे समाज में जहां मेहतर की सर्विस एसेन्सियल है, उसी तरह से आप म्युनिसिपल सरविसेज भी एसेन्सियल सरविस डिक्लेअर कर सकते हैं। यह आपका सामाजिक न्याय है। उच्च वर्ग के लोग मेहतर को यह कहें कि तेरे को तो इतना ही तनखा मिलेगी अगर तू स्ट्राइक करेगा तो तुझे जेल में डाल दिया जायगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वकीलों पर, डाक्टरों पर दुकानदारों पर और जागीरदारों पर तो हमने पाबन्दी लगायी नहीं। उनको कहा नहीं खेत में जाना पड़ेगा, दफ्तरों में इतने घंटे रहना पड़ेगा, यह कैसा कानून है जो इस प्रकार की भिन्नता करता हो। वह कानून नहीं यह तो डिक्टेटरशिप हुई। रेजीमेन्टेशन है, कम्युनिज्म है।

मेहतर को तो आप कानून से मजबूर करना चाहते हैं लेकिन सेठों को, जागीरदारों को, राजाओं को, वकीलों को इसके अन्तर्गत लाना नहीं चाहते क्यों कि उनमें रेजीमेन्टेशन होने का आपको डर है। मै निवेदन करना चाहता हूं यह जो आपका दृष्टिकोण है वर्गीय दृष्टिकोण है, एक्सप्लोईटिंग का दृष्टिकोण है यह समाज विरोधी है··

श्री मूलचन्द डागा : एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको और कितना समय दिया जायगा ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप आधा घण्टा बोल चुके हैं इससे अधिक समय नहीं मिलेगा। अब आप समाप्त करिये।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने दस मिनिट का फरमाया है। अभी दस मिनिट नहीं हुए हैं। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आफ्टर आल इस आर्डिनेन्स

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से क्या लोगों की स्ट्राइक रुक गई। आपको गंगानगर आन्दोलन का अनुभव है। जैसे ही आपने आर्डिनेन्स जारी किया आन्दोलन में तेजी आई और यहां जैसे ही आर्डिनेन्स जारी हुआ सत्याग्रह शुरू हो गया इस आर्डिनेन्स के खिलाफ और जो कर्मचारियों ने घोषित नहीं किया था वह हो गया और आपकी जेलें भर गई और आपका वह परपज जिसको कि आप रोकने की सोचते थे वह रुका नहीं। यह डिस्सेटिस्फेक्शन की स्ट्रीम और वह इस आर्डिनेन्स से दूर नहीं हो सकती। वह परपज हल नहीं हो सकता और इस तरह की भाषा आपने इसमें रखी है, मैं उनको डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। आपने यह रख दिया है कि कोई चंदा दे जो स्ट्राइक हो रही है या जिसकी संभावना है, नहीं दे। आप देखिये यह है पेनल्टी क्लाज 6"

"Any person who knowingly expends or supplies any money in furtherance or support of a strike which or would be illegal under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both."

तो इसलिए आप प्रोबेबल समय नहीं है उसमें भी आप रोकना चाहते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं जो कि श्री रामकिशन जी ने कही कि आप पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप डिक्टेटरशिप की तरफ., फासिस्ट टेंडेन्सी की तरफ जा रहे हैं और आपकी जो डिक्लेअर्ड पौलिसीज है, उससे दूर जा रहे हैं। सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये संकल्प करता हूं और इस अध्यादेश को पास करने का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन मेरे द्वारा प्रस्तुत संकल्प को स्वीकार करेगा।

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था का सवाल है सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने इस संकल्प को प्रस्तुत करने वालों को एक एक कर के बुलाया है और रामानन्द जी अग्रवाल के बाद मेरा नम्बर आता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो अध्यक्ष महोदय ने"

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आपके दल की तरफ से श्री रामकिशन जी बोल चुके हैं।

श्री नत्थीसिंह : इस प्रस्ताव पर दल का नियम नहीं है। यह सदस्यों का सवाल है। यह व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत करने वाले सदस्यों का सम्बन्ध कभी भी दल से नहीं रहा है और माननीय अध्यक्ष जी ने आर्डर आफ पेनल से हरेक सदस्यों को बुलाया है, और इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस परम्परा को निभावें और अब मेरा नम्बर है। इसके बाद दूसरे सदस्य बोलें तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंह।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके लिये समय का निर्धारण कर दीजिये।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, आज यह कर्मचारियों का आन्दोलन चला और इस बीच में यह अध्यादेश जारी

(श्री नत्थी सिंह)

किया गया। इस अध्यादेश को जारी करने के सम्बन्ध में जिसको कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विधान सभा से तुरन्त बाद नगरपालिका में पहुँच जाते हैं उन्हें इस बात का कतई ऐहसास नहीं होता है कि हम क्यों इतने बैचेन हैं···

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी···

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, इस तरह से ये मुझे डरा नहीं सकते।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं···

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, मैं इनको यह बता देना चाहता हूं····

श्री रामकिशन : सभापति जी, डागाजी बीच बीच में इण्टरप्शन करते हैं हमें इसमें ऐतराज नहीं है लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि डागाजी के बदले···

श्री श्रवणलाल : सभापति जी, डागाजी की समझ में यह बात नहीं आने वाली है। वे तो हमेशा हाथ उठाने वाले रहे हैं, बोलने वाले नहीं रहे हैं। वोटिंग में हमेशा हाथ उठाते हैं।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकिशन : कांग्रेस टिकट पर इनको पकड़ कहां से लाये हैं? क्यों कांग्रेस की कोई टिकट लेने वाला नहीं था क्या?

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसकी गंभीरता को यह सरकार महसूस करे। इसके लिए मैं इस अध्यादेश के पांच प्रावधानों की ओर आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले धारा 2 में कहा है "अत्यावश्यक सेवा से अभिप्रेत है–राजस्थान राज्य के कार्यों से सम्बन्ध कोई लोक सेवा, पब्लिक सर्विस" इसके बाद इसके आगे धारा 4 है, अवैध हड़ताल के लिये शास्ति–कोई व्यक्ति जो ऐसी हड़ताल प्रारंभ करता है, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है या ऐसी किसी हड़ताल पर जाता है या रहता है या उसमें अन्यथा भाग लेता है तो वह ऐसी अवधि के लिये कारावास से जो छः मास तक का हो सकता है या जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।' और फिर भाग लेने के बाद धारा 5 में है, 'उकसाने इत्यादि के लिये शास्ति–कोई व्यक्ति, जो अन्य व्यक्तियों को ऐसी किसी हड़ताल में भाग लेने के लिये उकसाता है उद्दीप्त करता है या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कार्य करता है जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है या होगी वह ऐसी अवधि के लिये कारावास से जो एक वर्ष का हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार रुपये का हो सकता है या दोनों प्रकार से दण्डनीय होगा।' और इसके बाद क्लाज 6 है, 'अवैध हड़तालों के लिये वित्तीय सहायता देने पर शास्ति–कोई व्यक्ति जो ऐसी किसी हड़ताल को अग्रसर करने या उसके समर्थन में जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है या होगी जानबूझकर कोई धन खर्च करता है या मदद प्रदान करता है तो वह ऐसी अवधि के लिये कारावास से जो एक वर्ष का हो

(श्री नत्थींसिह)

सकता है या जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।'' और फिर आगे शक्ति है वह भी कैसी कि बिना वारण्ट गिरफ्तार करने की शक्ति इसमें निहित की है कि कोई पुलिस ऑफिसर ऐसे किसी व्यक्ति को जिस पर यह सन्देह करने का युक्ति-युक्त कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकेगा।

सभापति महोदय, इतनी सारी शक्तियों को लेने के बाद हमारे पाली से आने वाले माननीय सदस्य को यह भय नहीं होगा और शायद वे इसके महत्व को नहीं समझते हैं क्योंकि उन्होंने जनता के दुःख-दर्द के लिए कभी भी जन-आन्दोलन करने की जरूरत नहीं समझी है। उन्होंने केवल मक्खन लगाने की हो कला हासिल की है और जो इस कुर्सी से उस कुर्सी पर खिसकना चाहते हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह एक बात पूछना चाहता हूं •

श्री मूलचंद डागा : विषय पर ध्यान दो।

श्री नत्थींसिह : मैं विषय पर ही बोल रहा हूँ। विषय भोग पर आप बोल लेना।

सभापतिजी, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता था कि आखिर यह जितनी शक्तियां सरकार ने ली हैं तो वह उसका प्रयोग करेगी ही। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने इसके बारे में कहा है। हमारे ये मुख्य मन्त्री अपनी मुस्कान और मीठी जुबान के लिए मशहूर हैं लेकिन इनकी कथनी और करनी में भारी अन्तर रहा है। जो शब्द इन्होंने कहे हैं उन्हीं शब्दों के द्वारा उनका यह भेद साबित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि इस अध्यादेश को वापिस लिया जाये और उनसे मांग की गई तो उन्होंने कहा यह स्थायी नहीं है और जब आन्दोलन समाप्त होगा तब स्वतः ही प्रभावहीन हो जायेगा। दूसरी बात, आपने रेडियो प्रसारण में कही है। 14-9-70 को आपने अपने रेडियो प्रसारण में कहा था कि कर्मचारियों के प्रति हमारे मन में प्रतिशोध की भावना नहीं है। आप कहते हैं कि अध्यादेश प्रभावहीन हो जायेगा, प्रतिशोधात्मक भावना नहीं है, शांत वातावरण होना चाहिये आन्दोलन वापिस हो और कहते हैं कि प्रतिशोधात्मक भावना नहीं है और प्रभावहीन हो जायेगा लेकिन यह अध्यादेश आज तक जारी है। आज इस सदन के मार्फत इसको स्थायी कानून का रूप देने की कोशिश की जा रही है अब उन्हीं मुख्य मन्त्री के द्वारा यह जो इनको कथनी और करनी का अन्तर है, विरोध है यह इसका सिद्ध करता है कभी भी इनकी इच्छा नहीं रही कि प्रतिशोध की भावना हो, यह प्रभावहीन हो जायेगा तो फिर यह यहां कैसे ? आप कर्मचारियों की गर्दन के ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रखना चाहते हैं जिससे कि वे अपनी मांगों के बारे में मुंह न खोल सकें। उनको कोई मदद नहीं दे सके। आप कहते हैं सही बातों का समर्थन नहीं कर सके। इस तरह से इस प्रदेश को पुलिस राज्य में परिवर्तित करना चाहते हैं और कहते क्या हैं केवल जस्टिफिकेशन एक दिया है उस भाषण की प्रतिलिपि भी मेरे पास है। आपने कहा

Page No 94

(श्री नत्थीसिंह)

है--केन्द्रीय सरकार ने और यू. पी. की सरकार ने ऐसे कानून बनाये हैं जो स्थायी तौर पर अधिनियम बना दिये हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपकी मारफत यह ध्यान रखें केन्द्र की सरकार ने यह कानून बनाया, ... का सहारा लिया लेकिन क्या हुआ? जो कांग्रेस में आप बैठे हैं उसके टुकड़े हो गये और आज जो पहले सिण्डीकेट में थे--इण्डीकेट में आ गये और अब पता नहीं कौनसी उण्डीकेट में जायेंगे...

(माननीय श्री मूलचन्द डागा द्वारा व्यवधान, अश्रव्य)

...इस तरह मूलचन्दजी डागा से आशा नहीं है, आप उसी तरह के....

(पुनः श्री गिरधारीलाल व्यास और श्री मूलचन्द डागा द्वारा व्यवधान)

(अश्रव्य)

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ सुनो या नहीं सुनो...

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह तो भरतपुरी लोटा है—बिना पेंदे का...

श्री नत्थीसिंह : इनका मुखड़ा देख लो। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ यू.पी. में इस तरह का कानून लाया गया तो यू. पी. के हाल देख लो। सरकारी कर्मचारियों का और विद्यार्थियों का दमन किया तो उससे चरणसिंहजी चले गये।

एक माननीय सदस्य : आपके समर्थन के बावजूद।

श्री नत्थीसिंह : लेकिन हम उन अध्यादेशों को वापिस यहां ला रहे हैं...

(श्री गिरधारीलाल व्यास द्वारा व्यवधान) (अश्रव्य)

हम में तो ताकत है, हम तो दूसरों की ताकत पर नहीं...

श्री गिरधारीलाल व्यास : फिर भी चरणसिंह के पिछलग्गू बन गये...

श्री नत्थीसिंह : आपकी तरह नहीं है संसोपा में तो हिम्मत है। संसोपा कभी इण्डीकेटी और कभी सिण्डीकेटी नहीं बनता है। संसोपा में ताकत है वह ठुकरा सकता है, ठोक सकता है लेकिन ऐसे काले कानून को...

(पुनः व्यवधान) (अश्रव्य)

सभापति महोदय, इस तरह के काले कानूनों का मतलब है आप राज्य में पुलिस राज्य कायम करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। हमारे गृह मन्त्री महोदय उसको स्थायी कानून का रूप देना चाहते हैं। फिर किस मुंह से कहना चाहते हैं हम देश में लोकतन्त्री समाजवाद लाना चाहते हैं। अगर आप लोकतन्त्री समाजवाद लाना चाहते थे, तो क्यों हड़ताल हुई? यह बात सही है आज मजदूर, चाहे वह राज्य की सेवा में हो, चाहे कारखाने में हो, चाहे और कहीं हो—एक बात की मांग कर रहा है और मैं उस बात के औचित्य को स्वीकार करता हूं। उसको जो वेतन मिले वह आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, आवश्

(श्री नत्थीसिंह)

कता को आधार मानकर मिले । आप कह सकते हैं हमारी वित्तीय सीमायें है, हमारी वित्तीय कठिनाइयां हैं लेकिन वह क्या हैं ? आज आप क्या प्रगति कर रहे हैं ? अभी सदन में एक बात कहो, सदन के बाहर भी कही जाती है । मैंने कर्मचारियों से पूछा, अभी हमारे माननीय सदस्य श्री मनोहर सिंह जी मेहता ने भी कहा है उनसे अपील की कि रिश्वत नहीं लें, गड़बड़ी नहीं करें, तो मालूम किया क्या जवाब है ? विधान सभा में राजस्थान का लेखा जोखा रखा जाता है। जमीन के मामलों में, पट्टों के मामलों में, सड़कों के मामलों में, अकाल से सम्बन्धित मामलों में, अफसरों की नियुक्ति और ट्रान्सफर्स के मामलों में और न जाने कितने ही अन्य अन्य मामलों में हमारे अधिकारियों और नेताओं का क्या आचरण है ? उनके आचरण को और उनकी नीतियों की छाप छोटे कर्मचारियों पर पड़े बिना कैसे रहेगी ? अगर यह हटाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते है तो सबसे पहले ऊपर के लोगों से दूर करो तब नीचे के लोगों पर थोप सकते हो नहीं तो यह किसी हालत में टिक नहीं सकती है । राजस्थान की सरकार जिसका एक ज्वलन्त नमूना है· · ·

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

सभापति महोदय, दो बात मुख्य रूप से कहना चाहता हूं–एक तो अन्तरिम सहायता, अगर आपके पास साढ़े सात करोड़ नहीं हैं, ठीक है । मैं कहता हूं हमारे जो कमजोर आदमी हैं उनको भी आवश्यकता के अनुसार वित्तीय साधन मिलने चाहिये लेकिन इसके लिये क्यों देंगे–बड़े लोगों को देने के लिये इनके पास वित्तीय साधन हैं । मैं पूछ रहा हूं आपको इन विषमताओं को मिटाने के लिये आप क्या कर रहे हैं ? अगर हमारे मुख्य मंत्री ने यह मान लिया होता कि 150 से कम किसी को नहीं मिलेगा और डेढ़ हजार से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा तब कर्मचारियों को कह सकते हैं कि आर्थिक विषमतायें हैं। वह कदम तो उठायें नहीं एक तरफ आप उनको देते रहे । आप छोटे कर्मचारियों को वित्तीय साधनों को बढ़ा कर टालना चाहते हैं । इसके लिये आपको कदम उठाने पड़ते हैं-छोटे कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति नहीं-वह कदम उठायेंगे नहीं और ऐसे अध्यादेश लायेंगे । हमारे गृह मंत्री जी का आजादी के पूर्व का इतिहास मालूम नहीं है लेकिन कई लोग ऐसे हैं, अब भी बैठे हैं· · ·

श्री राम किशन : अधिकांश ।

श्री नत्थीसिंह : अधिकांश ने जिन्होंने सन् 1921 को देखा है 1931 को देखा है और सन् 1942 को देखा है तब भी ऐसे कानून थे लेकिन इन कानूनों के बल पर जो राष्ट्रीय भावना थी उसको नहीं दबाया जा सकता है । 1921 के बाद की पैदाइश कांग्रेस में है। इस तरह के काले कानूनों को आप सरकारी कर्मचारियों या दूसरे लोगों को जो अपनी बात कहना चाहते हैं, संविधान के अन्तर्गत जो उनको अधिकार है–पहले अवगत करा दें, फिर नोटिस दें, सांकेतिक हड़ताल करें, हड़ताल करें, भूख हड़ताल करें, ये सारे कोर्सेज अपनाये फिर कौनसी चीज रह जाती है उनके पास अपनी बात मनवाने को ? आप समझें नहीं और फिर उन पर काले कानून लायें । जो आप

(श्री नत्थीसिंह)

काले कानून लाते हो कांग्रेस के नेता जनता को मुस्कराहट का अहसास करके टाल दें लेकिन उनमें अन्तिम साहस और हिम्मत नहीं है कि इस काले कानून को अस्वीकार करने में मदद देकर विरोध करें। साथ ही दूसरी बड़ी बात अन्तरिम राहत की बात है। अगर विषमता मिटानी है तो वित्तीय साधन बढ़ाने के अनेक अवसर हैं, लेकिन आपकी नीति समाजवाद की नहीं है। एक मकान की बात आपने अस्वीकार कर दी–डेढ़ दो करोड़ का नुकसान होगा। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। जो एक झोंपड़े में 15 आदमी रहते हैं–मां, बेटे, बेटी, बहू आदि सब 15 आदमी रहते हैं। उनका निर्वाह कितना कठिन है, यह आप नहीं सोचते हैं। और जब गवर्नमेंट होस्टल के लिये कहते हैं तो, सभापति महोदय, आप उस कमेटी के भी सभापति हैं। हमारे कमरों में 15–15 आदमी सोते हैं। हमारे कमरे में 15 आदमी सोयें, और फिर आपको ऐसी कौनसी जरूरत पड़ गई थी कि इस सदन को 15 लाख की लागत लगाकर वातानुकूलित बनाया। राज्य की जनता की सुख-सुविधा का ध्यान नहीं है, गरीब सिसक रहा है लेकिन सरकार चाहती है कि हम वातानुकूलित भवन में बैठें··

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जो आपका ढंग है, कथनी और करनी का भेद है इससे राज्य के कर्मचारियों में, राज्य के कमजोर वर्ग में किसी प्रकार भी सन्तोष नहीं हो सकता है। इसलिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं अगर किसी तरह राष्ट्रीय भावना और कमजोर तबके की कोई सहानुभूति कोई शेष रह गई है तो इस काले कानून को न लाकर अपने मुखड़े को कलंकित होने से बचायें। आपकी घंटी सुन रहा हूं, घंटी का सम्मान करते हुये मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं और इस संकल्प का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूँ और इस कानून को जो आ रहा है उसको इस सदन में पूर्णतया अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री हरि वल्लभ।

एक माननीय सदस्य : हरि वल्लभ जी तो नहीं हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री सभापति : इस सदन की परम्परा के आधार पर और मान्यताओं के आधार पर यह व्यवस्था का प्रश्न दे दिया है–संकल्प पर जो कोई व्यक्ति अपना मोशन देता है या संकल्प प्रस्तुत करता है, निस्सन्देह उसे बुलाया जाता है और नियमों में परिवर्तन इधर से या उधर से होता रहा है। यदि संकल्प पर विचार समाप्त हो जाय... .

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पाइन्ट आफ आर्डर है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं आपके पाइन्ट आफ आर्डर को समझ गया हूं। आपका नाम संकल्प में नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपका नाम पुकारा था··

(माननीय सदस्य श्री दुर्गालाल बाढ़दार के व्यवधान करने पर)

(श्री सभापति)

ग्रार्डर प्लीज, ग्राप सुन तो लीजिये मुझे। ग्राप उपस्थित नहीं थे। इससे मालूम होता है कि सदन की कार्यवाही से ज्यादा महत्व का ग्रापका व्यक्तिगत काम है ग्रौर ग्राप उसे ज्यादा महत्व देते हो। ऐसी अवस्था में मैं ग्रापको टाइम देने में असमर्थ हूँ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : दिस इज नो पाइन्ट ग्राफ ग्रॉर्डर। मैं बताना चाहता हूँ मैं मीटिंग में था।

श्री सभापति : ग्रासन को जानकारी नहीं है कि ग्राप कहां पर थे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कई दफा ऐसा हुआ है।

श्री सभापति : हो सकता है। ग्रॉर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(माननीय श्री दुर्गालाल बाढ़दार ग्रौर माननीय श्री विजय सिंह साथ साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री सभापति : ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर माननीय सदस्य। हो सकता है ग्राप किसी मीटिंग की कार्यवाही में होंगे लेकिन किसी भी समिति या उप–समिति से ज्यादा महत्वपूर्ण सदन की कार्यवाही है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न यह है कि ऐसी सदन की परम्परायें रही हैं...

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, यह मामला बड़ा महत्वपूर्ण है ग्रौर कृपा करके इनको बोलने के लिए समय दिया जाये।

श्री रामकिशन : यह ऐसा कानून है कि इनको जरूर बोलने दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : ग्रासन की तरफ से तो नाम पुकारा गया था।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, ऐसे काले कानून पर बाहर बोलने दिया जाये या नहीं लेकिन यहां तो बोली खुली रहने दो।

श्री विजयसिंह : हमारी पार्टी से कोई नहीं बोला है।

श्री सभापति : ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर प्लीज

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सदन की परम्परा रही है...

श्री शंकरलाल (जेतारण) : पाइन्ट ग्राफ ग्रॉर्डर। इसी सम्बन्ध में मैं ग्रापका ध्यान...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पहले व्यवस्था का प्रश्न मेरा है।

श्री शंकरलाल : पाइन्ट ग्राफ ग्रॉर्डर सर...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सदन को इस प्रकार की परम्परा रही है...

श्री सभापति : ग्रॉर्डर, ग्रार्डर, माननीय सदस्य पाइन्ट ग्राफ ग्रॉर्डर उठा रहे हैं।

श्री विजयसिंह : यह खुद पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर पर बोल रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैंने भी तो एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है···

श्री सभापति : आपके पाइन्ट आफ आर्डर पर मैंने व्यवस्था दे दी है कि Your point of order has been ruled out.

श्री दुर्गालाल बाड़दार : कोई व्यवस्था नहीं दी। मेरा पाइन्ट आफ आॅर्डर यह है कि मैं यह निवेदन करना चाहता था, सभापति महोदय, कि जो परम्परायें इस सदन की रही हैं···

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आॅर्डर है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सदन की परम्पराओं के आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता था कि संकल्प पूर्ण रूप से विचार हो जाता और उसके बाद उसी संकल्प के आगे उसी संबंध में या अध्यादेश के संबंध में कोई दूसरी कार्यवाही चालू हो जाती तो निश्चयात्मक रूप से मैं अपने अधिकार को खो देता हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हो सकता है कि आसन को वास्तविक स्थिति का ज्ञान क्या हो सकता है कि अमुक सदस्य किस कार्य में व्यस्त हैं···

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, भाषण नहीं होगा। आप अपने अधिकार को खो चुके हैं, आपका नाम पहले ही पुकारा गया था।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार के बोलते रहने पर) आॅर्डर प्लीज। आपने अपनी बात कह दी और आसन की ओर से व्यवस्था हो चुकी।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, इसी सम्बन्ध में मैं नियम 77 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा:

"Order of speeches and right of reply-If any Member, who is so called upon, does not speak, he shall not be entitled, except with the permission of the Speaker, to participate in the debate."

इसका तात्पर्य यह है कि इनको राइट नहीं है। अगर इनका नाम पुकारा जाये और उस समय उपस्थित नहीं हों तो उन्होंने अपना राइट खो दिया, राइट उनको नहीं है। ये अध्यक्ष की इच्छा पर है और उनकी परमीशन से बोल सकते हैं और जब, सभापति महोदय, आपने कह दिया कि नहीं बोल सकते तो मैं समझता हूँ कि इस डिबेट को आगे नहीं चलने दी जाये। आपने रूलिंग दे दी कि नहीं बोल सकते तो मैं नहीं समझता कि वे अपने पाइन्ट आफ आॅर्डर को बारबार उठा सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय शंकरलाल जी की बात से मैं सहमत हूं। आप अपने बोलने के अधिकार को खो चुके हैं परन्तु आसन सुविधानुसार देखेगा कि क्या किया जाये।

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, आपको एक पार्टी से प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत आरोप लगाया है आपने।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, क्या दुर्गालाल जी को ही पाबन्द किया है बोलने

(श्री मदनसिंह)
के लिए या पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता ?

श्री सभापति : दुर्गालाल जी का नाम पुकारा गया उस समय लेकिन वह उपस्थित नहीं थे इसलिए उन्होंने अपने अधिकार को खो दिया लेकिन फिर भी आसन अपनी सुविधानुसार देखेगा ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सदन की परम्परायें हैं··

श्री शंकरलाल : रूलिंग होने के बाद भी यह क्या कह रहे हैं ? आपने रूलिंग दे दी उसके बाद में मैं समझता हूँ कि बोलने का अधिकार नहीं है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आसन समय बढ़ा सकता है । आसन नियमों के विपरीत कोई आदेश दे सकता है । जिस नियम का हवाला माननीय सदस्य श्री शंकरलाल जी दे रहे हैं उसी नियम के अन्तर्गत मेरा नाम पुकारा जाता तो रूलिंग प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी । मैंने आसन को बताया कि परम्परायें इस प्रकार रही हैं और उनके आधार पर आज नहीं कई बार इस प्रकार के भाषण हुए हैं·

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज । इस सदन में कोई परम्परा नहीं रही है कि कोई भी सदस्य जब चाहें तब समय ले ले ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सभापति महोदय, यदि मैं उपस्थित होता तो बात सही थी । मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है और सदन के कार्यवश बाहर मुझे जाना पड़ा और पीछे से आवाज दे दी गयी तो मैं अब बोलने की अनुमति लेना चाहता हूं···

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि आप अपने अधिकार को खो चुके हैं लेकिन जहां तक आपके बोलने की बात है तो मैं विचार करूंगा सुविधानुसार ।

श्री डागा ।

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, इनका नाम नहीं है और हमारी पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं बोला । मैं भी अपना नाम दे रहा हूं ।

(4.28 म.प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय ।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, आसन का निर्णय तो सर्वोपरि है लेकिन मेरा विनम्र निवेदन यह है कि संकल्प के प्रस्तुत–कर्ताओं के अन्दर माननीय सदस्य श्री दुर्गालाल जी बाढ़दार का भी नाम है ···

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, मैं समझ गया । मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि जिससे दोनों ही प्रसन्न हो जायें । यह निश्चित बात है कि श्री बाढ़दार का नाम पुकारा गया था । नाम पुकारने के बाद आप यहां उपस्थित नहीं थे । इसलिए अधिकार तो चला जाता है । लेकिन इस अधिकार के संबंध में यहां वाकयुद्ध हो उससे समय अधिक बीतने की सम्भावना है ऐसी स्थिति में मैं आपको पांच मिनट देता हूं ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं आसन के प्रति बड़ा अनुग्रहीत हूं···

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र पार्टी है इनके ऊपर सदन के नियम लागू नहीं होते हैं इसलिए आप उदार रहें।

श्री मदनसिंह : पाइन्ट आफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य को आपका आदेश है कि किसी सदस्य को 5 मिनट के लिए कहते हैं और कोई एक संकल्प के ऊपर एक घन्टा बोल सकता है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न की विशेष परिस्थितियां हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय के पद पर जो सभापति महोदय बैठे थे उन्होंने फैसला कर दिया, तो क्या वह वापिस हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : हां, मैं उससे डिस्एग्री, असहमत, हो सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक संकल्प को देने में एक से अधिक प्रस्तुतकर्ता हैं, वह आपस में यह तय कर सकते हैं हम में से कौन पहले बोलेगा और कौन पीछे बोलेगा। इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता हम कई लोग हैं और हमने आपस में तय किया है और वह खत्म नहीं हुआ है। सब लोग बोल रहे हैं और वह क्रम समाप्त नहीं हुआ है। वह क्रम समाप्त हो जाय तो उनका नाम रह जाय। इसलिए बाढदार जी और सतोश-चन्द्र अग्रवाल का राइट रहता है बोलने का।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर)· अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक 1970 को यह सदन अस्वीकार करता है। इस संकल्प को आपके जरिये प्रस्तुत करने से पूर्व पर्याप्त है मेरे कह देने के लिए कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय जिस प्रकार से इस राज्य के संचालन के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं उनमें अधिकांश इसी सत्र में, इस छोटे से सत्र में आपके सामने सदन में विचारार्थ कितने अध्यादेश आ चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल की यह नीति कि राजस्थान राज्य में विधान सभा के होते हुए भी, विधायकों के होते हुए भी, असेम्बली को समय पर बुलाया जाना चाहिए। इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था के होते हुए भी, अध्यादेशों के द्वारा जो कानून बनाने की परम्परा है यह कोई भी स्वच्छ सरकार पसन्द करना नहीं चाहेगी। मैं यह कहूंगा कि एक ओर तो कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा करती है—कांग्रेस का नाम मुझे इसलिए लेना पड़ा है कि बहुमत की सरकार है और प्रजातन्त्र में जो बहुमत में होता है वही सरकार चलाता है। तो एक ओर तो सरकार की यह नीति है कि समाजवादी व्यवस्था हम निर्माण करना चाहते हैं, एक ओर तो इस प्रकार का ढिंढोरा पीटते हैं कि हम समाजवाद को अच्छे कानूनों के द्वारा राजस्थान में लाना चाहते हैं, और दूसरी ओर जिस प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं विधिवेत्ता हैं, आप देख लें कि इस कानून के पीछे किस प्रकार की भावना है कि जिस भावना को लेकर प्रजातन्त्र में कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को पसन्द नहीं कर सकता है। अनुशासनहीनता चाहे किसी

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

भी वर्ग से हो, चाहे कर्मचारी वर्ग में हो, चाहे छात्रों में हो, चाहे किसी प्रकार के वर्ग में हो अनुशासन को मानना प्रत्येक समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है, किन्तु क्या अनुशासन का अनुपालन कराने के लिए यह अध्यादेश लागू हों या किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इस अध्यादेश का निर्माण किया गया है यह सदन के सभी माननीय सदस्यों के लिए विचारणीय और महत्वपूर्ण प्रश्न है।

कानूनों का निर्माण हम करते हैं तो एक ओर तो हमारी यह ग्रालोचना होती है, बाहर यह ग्रालोचना होती है कि विधान सभा में कानून बनाने वाले व्यक्ति बगैर विचार किये हुए, बगैर समझ से काम लिये हुए इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करते हैं कि जिनको तोड़ने के लिए पब्लिक को मजबूर होना पड़ता है। यहां तक हमारी ग्रालोचना की जाती है कि इन कानूनों का निर्माण करने वाले ही स्वयं इन कानूनों को तोड़ने के लिए बाध्य होते हैं तो जनता को किस प्रकार दोष दिया जाय। ऐसी ग्रालोचना सुनना मैं अपना अपमान समझता हूं। इसलिए सदन के माननीय सदस्यों से, अपने बन्धुग्रों से ग्रौर मंत्री महोदय, ग्रौर माननीय मुख्य मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि किस भावना के साथ में ग्रापने इस कानून का निर्माण किया है।

अध्यक्ष महोदय, ग्राप विचार करके देखिये कि हम 1947 के पूर्व किस प्रशासन व्यवस्था के दौर से हम इस देश में गुजरते हुए चले जा रहे हैं। उन बातों को हम भूले नहीं। यहां बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों में से अधिकांश सदस्य ग्राप ग्रौर मन्त्री-मण्डल के बहुत से सदस्य ग्राजादी के उन दौरों से गुजरे हैं। वे स्वयं ग्रान्दोलन करते ग्रा रहे हैं उस प्रशासन व्यवस्था, जो उस समय चली ग्रा रही थी, उसके विरोध में ग्रौर उस प्रशासन व्यवस्था में इससे भी भयंकर कानून उस सरकार के द्वारा बनाये गये थे जिस सरकार का हम विरोध करते चले ग्रा रहे थे। ग्राजादी के लिए हमने असहयोग ग्रान्दोलन चालू किया। अपनी उचित मांगें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए अहिंसक रूप से अपने प्रगति के कदम बढ़ाने के लिए हम राज्य सरकार के सामने ग्रान्दोलन करते चले ग्राये हैं, ग्रौर उस सरकार की दमन नीति के सामने जो हमारी सरकार नहीं, जो सात समुन्दर पार की सरकार थी, उसके सामने शान्तिपूर्ण ग्रान्दोलन के द्वारा अपनी मांगों को प्रस्तुत करने का कार्यक्रम जारी रखा है। देश में क्रान्ति का काम करने वाले, वे ही देश की प्रगति के नेता जब ग्राज अपने हाथ में हुकूमत लेते हैं ग्रौर उनके सामने वही समस्या ग्राती है तो ग्राज इस बात का ग्राभास हुग्रा। ग्राजादी के बड़े बड़े नेता इस दृष्टिकोण से विचार नहीं कर सके कि जनता में ग्रौर राज्य में किस प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिए। राज्य करने वाले हमीं लोगों में से चुने हुए व्यक्ति हैं। वे ही व्यक्ति वहां जाकर बैठे हैं। वे हमारी भावनाग्रों को अच्छी तरह से समझते हैं। ग्राज यह प्रश्न क्यों उपस्थित हुग्रा ? ग्राज ग्रान्दोलन की स्थिति क्यों पैदा होती है ? कर्मचारी वर्ग में ग्रान्दोलन, विद्यार्थियों में ग्रान्दोलन, फैक्ट्रियों में ग्रान्दोलन, जिधर जाग्रो ग्रान्दोलन मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि बोलने के लिए, समय मांग

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

के लिए, सदन के सदस्यों को भी आन्दोलन करना पड़ता है। यह प्रवृत्ति क्यों छाई हुई है ? इसका मूल कारण देखने की आवश्यकता है। यदि मूल कारण को देख लिया जाय तो कभी भी यह प्रश्न पैदा नहीं होगा। उस सरकार को इस कानून के बनाने की जरूरत होगी ? क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों में यह विश्वास पनपाने की चेष्टा की है ? यदि नहीं की है, तो अहिंसक रूप से अपना एक संगठन बनाकर मंत्री महोदय के पास ले जाकर मांगों को मानने के लिए कहने की व्यवस्था बनाये रखते हैं और शान्तिपूर्वक अपनी सहूलियत से सुना दें तो उस वक्त क्या होता है कि आर्डिनेन्स लगा देते हैं। अत्यावश्यक सेवाएं कहकर उनकी रक्षा का प्रयोजन बताते हैं और यह कानून लगाकर उनको गिरफ्तारियां की जायेगी। एक ओर तो फ्रीडम आफ स्पीच का फण्डामेण्टल राइट कान्स्टीट्यूशन में दिया है। बोलने का अधिकार और सम्पत्ति रखने का अधिकार उस कान्स्टीट्यूशन ने दिया है. उस फण्डामेण्टल राइट को इन्फिन्ज करने के लिए यह अध्यादेश, अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ अच्छी तरह से कि आपकी आत्मा भी इसका कम से कम समर्थन नहीं कर सकती है। मैं जानते हुए भी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार इस कानून को बना कर वाणी की जो स्वतन्त्रता है उस पर कुठाराघात करने की क्या वह चेष्टा नहीं कर रही है ? क्या आपकी भावना इस प्रकार की नहीं है ? यदि इस भावना को वास्तव में नियन्त्रण करके आप इस कानून को लाना चाहते हैं, व्यवस्था बनाने की दृष्टि से कानून बनाना चाहते हैं तो वह ठीक था, लेकिन वास्तविकता क्या है कि आज देश की राजनैतिक परिस्थितियां बदल रही हैं (समय समाप्ति-सूचक घण्टा) केन्द्र में देखिये या विभिन्न राज्यों में देखिये। जिन राज्यों में राज्य सरकारें बहुमत की हैं और कांग्रेस की चली आ रही हैं उनकी स्थिति डांवांडोल होती चली जा रही है। उस डांवांडोल की स्थिति में विरोधी पक्ष किसी आन्दोलन का साथ देकर शान्तिपूर्वक राज्य करने वालों के सामने अपनी मांगें रखने जाते हैं तो उनके पास साधन नहीं है, उनके पास ऐसा तरीका नहीं है कि उनमें इस प्रकार का आत्मबल नहीं है कि उस आत्मबल से देश में शांतिपूर्वक आन्दोलन करने के ऊपर अपने चरित्र के द्वारा इस प्रकार का प्रभाव डाल सकें। जैसा नैतिक आन्दोलन करने वालों में पैदा होता है। उस नैतिक शक्ति से सरकार उस आन्दोलन को समाप्त करदे, नैतिक शक्ति के द्वारा आन्दोलन को समाप्त करने के लिए नेताओं में बल होना चाहिये। दुर्भाग्य है कि आज जो नेता शासन कर रहे हैं उनमें स्वयं में नैतिक बल नहीं है कि अपने नैतिक बल से वे आन्दोलनों को दबा सकें। उनमें नैतिक बल का पतन हो जाय, ह्रास हो जाय तो दूसरा ही रास्ता उनके सामने रहता है कि वे शक्ति के द्वारा नियन्त्रण करना चाहते हैं। वैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि Power corrupt. and absolute Power Corrupts absotuely. हमारे नेताओं में....

श्री मूलचन्द डागा : यह नैतिक बल स्वतन्त्र पार्टी में ही रहा है.....

एक माननीय सदस्य : क्यों बक बक करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : डर हो रहा है।

Page No 103

एक माननीय सदस्य : स्वतन्त्र पार्टी की क्या स्थिति है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं शीघ्र ही इसको समाप्त कर रहा हूं। मैं ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहता। पर्याप्त समय मैंने ले लिया है।

केवल इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहता हूं कि श्रीमानजी, मैं आपको आपके पुरखों की याद दिलाना चाहता हूं आपके बापदादों को याद दिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने कि त्याग किया है उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनके सपूत आप किस प्रकार के पैदा हुए हैं। क्यों आप अपने बापदादों के नाम को कलंकित करने जा रहे हैं ? मुझे दुःख है इस बात का मुझे दुख है। इसी दुख के कारण मैं कहता हूं कि आप अपने पूर्वजों की जो सम्पत्ति है, उसको संभा लें

श्री रामचन्द्र आर्य : गान्धी जी की औलाद बिगड़ गई है। (हंसी)

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री दुर्गालाल बाढदार : इस सन्दर्भ में मैं यह निवेदन कर रहा था, जब नैतिक बल होता है तो नैतिक शक्ति आती है।

"Reconciliation with America" पर एडमण्ड बर्क ने कहा था-" Fail in peace, force is left, but failing force, no reconciliation is left."

जब इंगलैण्ड की पालियामेंट में स्पीच दे रहे थे। जब अंग्रेज लोग अमेरिकनों के लिए कानून बनाने जा रहे थे। उसने यह कहा था, आप जिसके कारण कानून से नियन्त्रित करना चाहते हो, वह अमेरिका के अंग्रेज कौन हैं ? वह कोई दूसरे नहीं हैं। वह अंग्रेज ही हैं जो वहां के आदि निवासी हो गये हैं। उनकी संतानें पैदा हो गई हैं। आप यह न समझें कि फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर अलग है या किसी क्षेत्र में काम करने वाला आदमी अलग है। उसको प्रेम से समझाने की कोशिश कीजिए। इसलिए जो प्रयोग किया गया था अगर आप Reconciliation से शान्तिपूर्वक आपस में वार्ता के आधार पर होने वाले संघर्ष को निपटाना चाहते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो राज्य में कोई शक्ति नहीं है। या तो राज्य सरकार कह दे कि लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था करने के लिए कोई कानून इस देश में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है, माननीय सदस्य। कन्क्लूड करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : लॉ एण्ड आर्डर को मेण्टेन करने के लिए कोई कानून नहीं है। आज आपको कानून बनाना पड़ा है। अगर है तो यह क्यों जरूरत पड़ी है ? यदि इस प्रकार से राज्य सरकार सक्षम नहीं है तो अध्यक्ष महोदय, अन्त में केवल यही कहूंगा कि इस राज्य सरकार को विटर हिप्पोक्रेसी को छोड़ देना चाहिए। एक ओर कहते हैं कि हम समाजवाद की स्थापना करेंगे...

श्री अध्यक्ष : अब आप को भी स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं यही कहूंगा राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 1970 इस सदन को अस्वीकार कर देना चाहिए। उसकी भावना को समझते हुए सदन का कोई भी व्यक्ति इस काले कानून का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 1970 के विरुद्ध जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। यहां अध्यादेश रद्द करने का प्रस्ताव किया जाये। मैं इस विधेयक का घोर विरोध करूंगा। अभी मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। अवसर आने पर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा।

श्री अध्यक्ष : (श्री मदनसिंह के खड़े होने पर) 5 मिनिट ही।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : सिर्फ 5 मिनिट ही।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस सरकार का सवाल है, कल कोई भी सरकार हो सकती है। किसी भी दल की सरकार हो सकती है। विधायकों को इस प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। जो कुछ भी यह कहा जा रहा है उसका सरकारी कर्मचारियों पर क्या रिएक्शन होगा। आप क्यों नहीं विधायकों से कर्मचारियों के लिए भूख हड़ताल करवाते हैं। आप इस प्रकार न कह कर सरकार से यह कहते हैं कि कानून न बनाओ। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कानून क्यों नहीं बने। कल फौजियों के लिए भी वही बातें होंगी। अब तो जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी भी कम्युनिस्ट टैक्टिक्स का समर्थन कर रहे हैं। ये कम्युनिस्ट टैक्टिक्स होती है, राज्य कर्मचारियों को भड़काने की। मैं समझता हूं कि जिनके लिए यह मांग है, उनके लिए आप लड़ सकते हैं। जो राज्य कर्मचारी हैं वह नियन्त्रित नहीं हैं। कल को चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी भी आन्दोलन में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य में कोई व्यवस्था न हो। मगर राज्य कर्मचारी दुख पाते हैं, तो क्यों नहीं नेता बन जायें मिनिस्टर बन जायें। सरपंच बन जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आगे और भी बोलेंगे या इतना ही काफी है।

श्री अध्यक्ष : जरूरत नहीं है उनके बोलने की।

श्री मदनसिंह : कल को इन चीजों को कर्मचारी सुनें तो मैं समझता हूं देश के लिए बहुत खतरे की चीज है। मैं इसका तो समर्थन करता हूं, जो राज्य कर्मचारियों की मांगें हैं, उनका जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं। सारे विधायक मुख्यमंत्री के बंगले पर चलकर हड़ताल कर दें। मैं भी साथ दूंगा। लेकिन इस कानून को रोकना खतरे से खाली नहीं है। अभी जैसा कि दुर्गालाल जी बाढ़दार ने कहा, मैं यह कहूंगा कि अंग्रेज विदेशी थे। उस समय जो किया गया वह अलग बात थी। हम उस गवर्नमेण्ट मशीनरी को ठप्प करना चाहते थे। क्योंकि उनको देश के बाहर निकालना था। तो क्या आप उस उद्देश्य को इस समय भी ले सकते हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

Page No 105

(श्री मदनसिंह)

कोई भी इस स्थिति में दखल देना, क्या इस बात की कोई गारण्टी ले सकता है कि इस विधेयक के एक दो महीने बाद कोई ऐसा आन्दोलन नहीं हो जाएगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर कानून पास हो गया तो आन्दोलन जरूर हो जाएगा।

श्री मदनसिंह : अगर यह कानून पास हो जाएगा तो आन्दोलन हो जाएगा ? तो दबा भी दिया जायेगा।

श्री नत्थीसिंह : दबाया तो बहुत है।

श्री मदनसिंह : आप खुद दबायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सब नीचे दबा दिया गया है।

श्री मदनसिंह : आप, अपना राज हो तो कर लेना। क्या कभी उन लोगों के लिए भी भूख हड़ताल करते हैं, रामानन्द जी ? राज्य कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे थे तो रामानन्द जी रसगुल्ले खा रहे थे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जो गवर्नमेण्ट मशीनरी को ठप्प कर दें तो यह ठीक नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं, मेरी पार्टी द्वारा संचालित जितनी भी ट्रेड यूनियन्स हैं, वह भूख हड़ताल में बैठी हैं। यह हो सकता है· · ·

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह हो सकता है कि आप उस समय गृहमन्त्री से मन्त्रणा कर रहे हों।

श्री मदनसिंह : मुख्यमन्त्री जी बैठे हैं। मैं पहला सदस्य हूं जो इस बारे में उनके पास गया हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसलिए कम से कम कोई भड़काने वाला बीच में नहीं हो। कल को आप असेम्बली के आदमियों को भड़काने लगें, फौजियों को भड़काने लगें · ·

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

तो किस प्रकार काम चल सकता है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है कि

"यह सदन दिनांक 5 सितम्बर, 1970..

श्री रामकिशन : अभी नहीं, अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री जी बोलेंगे, फिर हमें रिप्लाई देना है।

श्री नत्थी सिंह : फिर रिप्लाई होगा हमारा।

श्री रामकिशन : अभी रिप्लाई और होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारे संकल्प पर रिप्लाई होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय·······

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टाइम पहले बढ़ा दिया जाय !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन का समय बढ़ाने को क्या जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! सदन की आज कार्यवाही देर से आरम्भ हुई थी और सदन के कई माननीय सदस्यों से विचार कर लिया था, इसलिए सदन की कार्यवाही छः बजे तक के लिए बढ़ा दी जाय। इसमें सब की सहमति होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप भी स्ट्रिक्ट करना, समय छः बजे के बाद नहीं बढ़ेगा।

श्री नत्थीसिंह : छः बजे के बाद फिर बढ़ायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष जी, इस आर्डिनेन्स के बारे में, जिसे बिल के रूप में सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं, अभी कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि मूलभूत अधिकारों, फण्डामेंटल राइट्स, जो हमारे संविधान में हमको दिये हैं का अपहरण हम इस कानून के जरिये कर रहे हैं। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि फण्डामेंटल राइट्स का हनन यदि कोई भी विधान सभा या कोई भी सरकार करेगी तो उन फन्डामेंटल राइट्स के लिए प्रोटेक्शन बहुत जगह पर है। इन फण्डामेंटल राइट्स का हनन होता तो सबसे पहले तो भारत सरकार के अन्दर ही इस प्रकार का कानून, जो कि 1969 के अन्दर बनाया गया और आज कानून के रूप के अन्दर मौजूद है, वह मौजूद नहीं रहता और सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो वहां पर गया, उसको वेलिड माना है। यू. पी. में 1966 से इस प्रकार का कानून है, मैसूर में है, पंजाब में है, केरल में 1966 में आर्डिनेन्स निकला था और महाराष्ट्र में भी इस वक्त है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर हमें इस प्रकार का कानून लाने में कोई उत्साह अनुभव हो रहा हो– ऐसी बात नहीं है ...

श्री रामकिशन : दिखने में तो ऐसा ही आ रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राज्य कर्मचारियों और सरकार के बीच में पिछले कितने ही वर्षों से मांगों का प्रश्न कई बार आया, प्रदर्शन भी हुए, लेकिन बातचीत के जरिये समस्या का हल करने का प्रयत्न किया गया। शायद माननीय सदस्य भी जानते हैं कि इस सदन के बाहर कई बार राज्य कर्मचारियों के प्रदर्शन हुए हैं, हमने उन प्रदर्शनों पर रोक नहीं की है। माननीय सदस्य शायद इस बात को भी जानते हैं कि कई जगह इस सम्बन्ध में सभा-सम्मेलन हुए हमने उन पर रोक नहीं लगाई है। उनको एसोसियेशन बन कर चले, उसके सम्बन्ध में हमने रोक नहीं की है। आज परिस्थिति इस प्रकार की है कि इन सारी चीजों के बावजूद, मैं समझता हूं सब माननीय सदस्य शायद इस बात को जानते होंगे कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, जहां की वित्तीय स्थिति हम से कहीं ज्यादा ठीक है, जो केन्द्रीय सरकार ने महंगाई भत्ता दिया वह महंगाई भत्ता महाराष्ट्र के अन्दर अभी कुछ दिन पहले स्वीकार किया गया है। आज तक महंगाई भत्ता केन्द्रीय स्तर पर महाराष्ट्र जैसी जगह भी स्वीकार नहीं

Page No 107

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

किया गया है, हमने इस बात को करीब 1967 के ग्रन्दर मान लिया। किसी स्ट्राइक की जरूरत उसके लिए नहीं पड़ी थी। लेकिन ग्राज हमारे सामने परिस्थिति इस बात की है कि राजस्थान में इस वर्ष के बजट में करीब 29 करोड़ रुपये का घाटा है, जो हमारी पुरानी कर्जदारियां हैं ग्रौर उस वजह से जो इन्ट्रेस्ट वगैरह के चार्जेज बनते हैं, भारत सरकार से काफी बातचीत के बाद जिस वक्त चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारूप बनने लगा स्पेशल ग्रसिस्टेन्ट के तौर पर, जो हमारा गेप उस वक्त था हमारे खर्च ग्रौर रैवेन्यू के ग्रन्दर, उन्होंने उस गेप को पूरा करने के लिए, टेप करने के लिए एक स्पेशल ग्रसिस्टेन्ट की बात को स्वीकार किया कि जिससे आगे ग्रपने नानप्लान गेप को नहीं बढ़ने देते हैं तो जो टैक्स के जरिये राजस्थान में हम रिसोर्सेज रेज करें उन रिसोर्सेज को हम ग्रपने यहां पर, ग्रपनी योजनाग्रों, जो ग्रार्थिक ग्रौर सामाजिक विकास की योजनायें हैं, उनके ग्रन्दर उस को लगा सकें। ग्राज परिस्थिति यह है कि पिछले साल भारत ने जो एडीशनल टैक्सेशन किया ग्रौर जिसकी वजह से राजस्थान का भी ग्रपना हिस्सा एक करोड़ के करीब ग्राता था, हमारे यहां रैवेन्यू गेप ज्यादा होने की वजह से जहां दूसरे प्रदेशों को, जिनका रैवेन्यू डेफिसिट नहीं है, उन प्रदेशों को एडीशनल टैक्सेशन की वजह से सेन्ट्रल टैक्सेशन की वजह से जो एडवान्टेज हुग्रा, वह उनकी योजना के ग्रन्दर जुड़ा हमारे यहां चूंकि रैवेन्यू डेफिसिट, जो नानप्लान डेफिसिट है उसके ग्रन्दर वह चला गया। ग्राज, ग्रध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि हम हमेशा इस बारे में प्रयत्नशील रहे हैं, ग्राज भी हमें इस बारे में चिन्ता है, कि वह किसी कांग्रेस की वजह से, या कांग्रेस सरकार की वजह से हो—ऐसा नहीं है लेकिन जो ग्राज इतना बड़ा 29 करोड़ का डेफिसिट है या दूसरी परिस्थिति है उसके कई कारण हैं जो बजट पर वादविवाद के समय कई बार सामने ग्राते हैं—मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। ग्राज कई स्टेट्स ऐसी हैं, उड़ीसा की जहां कांग्रेस का राज्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस का राज्य नहीं होते हुए बहुत बड़े ग्रोवर ड्राफ्ट के ग्रन्दर उड़ीसा ग्रब जाता है, मध्य प्रदेश है, बिहार है ग्रौर कुछ प्रदेश हैं, ग्रान्ध्र है जिनके ग्रन्दर कई कारणों की वजह से ग्राज वहां की ग्रोवर ड्राफ्ट की पोजीशन एडवर्स है। उन सारे हालातों में जब कि हम ग्रालरेडी यह कहना चाहिये एक प्रकार से कि डेफिसिट फाइनेंसिग के जरिये भारत सरकार हमारे यहां स्पेशल ग्रसिस्टेन्स दे रही है, फाइनेन्स कमीशन की डिवेल्यूशन के ग्रलावा, ग्राज राजस्थान के ग्रन्दर जैसा माननीय सदस्यों ने कहा उसके ग्रनुसार तो भारत में, ग्राज किसी भी प्रदेश में जो ग्रन्तरिम राहत की बात है उस ग्रन्तरिम राहत के बारे में किसी एक प्रदेश ने स्वीकार नहीं किया . .

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : हिमाचल प्रदेश !

श्री रोशनलाल शर्मा : प्रदेश है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ग्राज महाराष्ट्र में इसको लेकर ग्रान्दोलन चल रहा है, ग्राज उड़ीसा में स्वतन्त्र पार्टी है वहां भी ऐलान नहीं हुग्रा है . .

श्री रामकिशन : आप साइड ट्रेक क्यों कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं कह दूं। आप लोग बाल रहे थे तब आपने अपनी बात कह दी। अब मैं अपनी बात कह दूं।

श्री रामकिशन : आपने गरीब महारावल साहब को पकड़ लिया। उड़ीसा और राजस्थान एक है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : और भी हैं। उस पर आ रहा हूं।

इस प्रकार उड़ीसा, बिहार, यू. पी., केरल, आंध्र, मैसूर जितने कई स्टेट्स हैं कि जिनमें से कई हमसे ज्यादा आर्थिक स्थिति में बेहतर हैं, आज उन प्रदेशों में भी सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा है कि इतनी बड़ी फाइनेंशियल लाईबिलिटी किस प्रकार उठाई जाय। अध्यक्ष महोदय, मैंने वक्तव्य में इस बात को बताया कि अन्तरिम राहत की एक वर्ष में साढ़े सात करोड़ रुपये की लाईबिलिटी आती है। आज राजस्थान के अन्दर पिछले वर्ष करीब दो करोड़ के आसपास टैक्स लगाया, इस लिहाज से कि कुछ प्लान के अन्दर आगे ऐड हो सके। सब माननीय सदस्य इस बात पर गहराई से विचार करें कि क्या यह राजस्थान के अन्दर...

श्री रामचन्द्र आर्य : करोड़ों रुपया खा गये। उनकी जांच क्यों नहीं करवाते हैं ? राजस्थान का करोड़ों रुपया खा गये, आप के लोग खा गये उनकी जांच क्यों नहीं करवाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मदनसिंह : वह रुपया भी राज्य कर्मचारी खा रहे हैं। जिनका आप सपोर्ट कर रहे हैं वह भी खा गये राज्य-कर्मचारी।

श्री रामचन्द्र आर्य : राज्य कर्मचारी अकेले नहीं खा गये। मिल कर खा गये हैं। यह शामिल हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज साढ़े-सात करोड़ रुपये का सिर्फ इस बात के लिए जनता पर वजन डालना कि साढ़े सात करोड़ रुपया की हम कर्मचारियों को और ज्यादा अन्तरिम राहत देना चाहते हैं, इसलिए टैक्स लगा रहे हैं और इस टैक्स का लाभ जनता को कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है—मेरे ख्याल से सदन इसे कहां तक स्वीकार करेगा कहां तक नहीं—यह आप स्वयं जानते हैं। दलील दी जा सकती है कि भारत सरकार जैसे घाटे के लिए और मदद दे रही है भारत सरकार साढ़े सात करोड़ की और मदद दे दें। मैं आपसे निवेदन करूं कि जिसका डेफिसिट सबसे ज्यादा है, जिनका डेफिसिट नहीं है वह स्टेट्स तो इस बात को स्वीकार न करें और जो सबसे ज्यादा डेफिसिट में आ रहा है, डेफिसिट का मतलब आज जो पर कैपिटा इन्कम के लिहाज से और लिहाज से जो पीछे हैं दूसरे प्रदेशों में वह सब से पहले कहे कि हमारी और दृष्टियों से राजस्थान की जनता की प्रति व्यक्ति आमदनी दूसरी सब जगह से करीब-करीब नीची है और कर्मचारियों में सबसे ऊंचा रहना चाहते हैं,

(श्री मोहन लाल सुखाड़िया)

इसलिये भारत सरकार 7 करोड़ की मदद करे कम से कम, मैं समझता हूँ, यह दलील आज के दिन सम्भव नहीं है, जो आज जाकर कह सकें।

कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति की बात कही। अभी भी मैं इस बात को मानता हूँ कि उनको तकलीफ है। इसमें दो राय नहीं है कि मंहगाई की वजह से तकलीफ है। जब मिले थे प्रतिनिधि लोग तब भी मैंने उनको कहा था कि टैक्स रेज करके और अपने बजट में अभी से इसके लिये प्रोविजन करने की शुरूआत करें, साथ ही और प्रदेशों से हमारी योजना जो छोटी है, उसको और काट दिया जाय और 7 करोड़ का प्रोविजन करें यह सम्भव नहीं है। मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों को भी यह अनुभव करना ही होगा और साथ ही साथ चाहे इधर बैठे हुए माननीय सदस्य हों और चाहे उधर बैठे हुए माननीय सदस्य हों उनको यह मानना होगा कि हर प्रदेश की अपनी पेइंग कैपेसिटी होती है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा कहा जाता है कि हर कारखाने में अलग-अलग वेज बोर्ड अलग-अलग इन्डस्ट्री के लिए कायम होते हैं, जिस इन्डस्ट्री की जो कैपेसिटी होती है, उसके मुताबिक ही वेज स्ट्रक्चर तय होता है। एक युनिफार्म पैटर्न इन्डस्ट्री तक में जहां व्यक्ति लाभ उठाते हैं, हम देखते हैं कि उसमें भी वह लागू नहीं होता है तो राजस्थान जैसा प्रदेश इसमें पहल करे, पहल नहीं करे तो आन्दोलन किया जायेगा, यह कहां तक उपयुक्त दलील हो सकती है?

अध्यक्ष महोदय, यह सब ही माननीय सदस्यों के जानकारी में होगा कि जब कर्मचारियों की ओर से स्ट्राइक का नोटिस दिया गया तो हमने कानून नहीं बनाया 27 अगस्त को भूख हड़ताल की तो कानून नहीं बनाया, 30 सितम्बर के दिन पैनडाउन स्ट्राइक की गयी दफ्तर में बैठ कर तब भी हमने सोचा कि प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिये ऐसा कर रहे हैं। फिर इन्तजार किया। फिर यह एलान किया गया उनकी ओर से कि 8-9 को व्यापक हड़ताल की जायगी। तब यह 5 तारीख को ऑर्डिनेन्स लागू किया गया। क्या सरकार अपने इस कर्त्तव्य को भी भूल कर चल सकती है कि जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं, जिनका आज के दिन भी वेतन स्तर, समाज के अन्दर कई उनके समान या उनसे भी अधिक पढ़े लिखे हैं, उनके पास उनके समान आमदनी का जरिया नहीं है, वे सरकारी कर्मचारी समाज की सेवाओं को करने से इनकार कर दें, दफ्तर में कलम रोक कर बैठ जाय कि काम नहीं करेंगे या और कोई चीज नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक कारखाने के मजदूर के हक में तो एक जहां मुनाफा कमाने के लिये एक कारखानेदार का सवाल है लेकिन, एक सिविल सर्विस को चलाने के लिए जहां आम आदमियों के प्रति अपने कर्त्तव्यों को पूरा करना है, बाधा उत्पन्न हो तो सरकार को इस पर सोचना ही पड़ता है। कई माननीय सदस्य जो नये आये हैं और पुराने हैं वे इस बात को जानते हैं कि कभी हमने बड़ी 2 तादाद में जेल्स में रखने अथवा गिरफ्तार करने की बात नहीं की। यह भी माननीय सदस्य जानते हैं कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
सन् 50 में जिस सरकारी कर्मचारी को 37 रुपया मिलता था उसको आज 138 रुपया मिल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन रुपये की वेल्यू क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां एल. डी. सी. को 1950 में 80 रुपया मिलता था उसको 208 रुपया मिलता है। आमदनी का फर्क, इस ओर भी तो देखिये। हम उनको और मदद करें मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि कहां से दें ? मिनिस्टर्स के बारे में कह दें कि आप अधिक खर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लाख की बात हो सकती है। लेकिन आखिर हम कहां जाकर रुकेंगे ? भाषण देने वाले भाषण दे दें उससे समस्या हल नहीं होने वाली है। यह 7।। करोड़ की समस्या है। खुद राजस्थान सरकार के लिये इन चीजों को हल करने में दिक्कतें हैं. मुश्किलें हैं उनको आसानी से अनुभव किया जा सकता है जो कुछ संभव था देना उससे भी कई लाख का खर्चा बढ़ा है लेकिन फिर भी हमने इन चीजों को किया है।

मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि अन्तरिम राहत पर किसी स्टेज पर यह नहीं कहा गया कि जो भारत सरकार दे देगी वह राजस्थान सरकार दे देगी क्योंकि उस वक्त तस्वीर भी साफ नहीं थी।

एसेन्शियल सर्विसेज बिल के लिये यह निवेदन कर दूं कि जब आवश्यकता होगी और नोटिफिकेशन निकलेगा तब ही लागू होगा। रोज मर्रा के लिये दफ्तर के काम के लिये गैर हाजिर रह गये उसके लिये लागू होगा यह नहीं है। खास समय के लिये लागू हो इसलिये स्टेट्यूट के रूप में रखना चाहते हैं। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि मैं तो एक स्टेप और आगे गया था। तीन चार रोज पहले कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल मिलने आया और उसने आर्डिनेन्स के बारे में विरोध जाहिर किया। मैंने उनसे कहा कि आपने तो आन्दोलन को स्थगित किया है वापिस नहीं लिया है। आप घेरवर शो करें आप आन्दोलन को विड्रो कर लीजिये मैं आर्डिनेन्स को सदन के सामने पेश नहीं करूंगा। आखिर तक आप कहते हैं सस्पेन्डेड है। सस्पेन्डेड है तो वह किसी भी क्षण चल सकता है और आप हम से यह चीज कहते हैं कि यह न हो, यह कैसे हो सकता है। यह कहा गया है कि फन्डामेन्टल राइट्स की चीजें इसमें आती हैं ? नल बन्द हो जाय, बिजली बन्द हो जाय, आवागमन के साधन बन्द हो जायं, दफ्तर बन्द हो जायं, करोड़ों का भार जनता पर डाला जाय तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता, यहां कुछ भी बहस कर ले, राजस्थान की जनता कर्मचारियों के वेतन के लिये 7।। करोड़ का और टैक्स देने के लिये तैयार नहीं है। उनके मानस को भी समझना पड़ेगा क्या हम वहां इसके लिए जा सकते हैं और क्या कह कर चल सकते हैं ? इन सारी परिस्थितियों को समझ कर चलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय पहले भी स्ट्राइक हुए हैं, नाम नहीं लेना चाहता, कई दल के नेता जो एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, उन्हीं की मिनिस्ट्रियों में कर्मचारियों ने हड़ताल को ...

Page No 111

श्री रामकिशन : कांग्रेस के ही मुख्य मंत्री थे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कई हजार आदमियों को बरखास्त कर दिया । यह कानून कई जगह विद्यमान है । उन सारी चीजों में नहीं जाते हुए कि क्या हुआ है और क्या नहीं, किन्तु हमारे यहां तो बहुत सारा निपट गया है । मध्यप्रदेश में क्या हुआ ? जनता के साथ क्या हुआ ? वह भी कर्मचारियों को जानकारी में और दूसरों की जानकारी में है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि हमारा पहला राज्य था जहां किसी आन्दोलन के बाद एक का भी विक्टिमाइजेशन नहीं हुआ । एक भी कर्मचारी के बारे में कार्यवाही नहीं करके सबको रिइन्स्टेड किया गया, किसी को किसी प्रकार की सजा नहीं दी गई । हम इस भावना को लेकर नहीं चलते लेकिन आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी तो महरबानी करके इन्हीं परम्पराओं पर अच्छी तरह सोचकर चलें । जहां तक कर्मचारियों को बढ़ोतरी देने का सवाल है यह बात हमें अच्छी क्यों नहीं लग सकती, सभी को सभी का समर्थन अच्छा लगता है । किसको इससे खुशी नहीं होती । भारत सरकार अन्तरिम राहत की घोषणा के साथ साथ यह भी ऐलान कर देती कि केन्द्र के साथ साथ यह राज्य सरकारों पर भी लागू होगा और जो डेफीसिट स्टेट्स हैं उनको इसके लिये धन दिया जायगा तो हमें एक मिनिट के लिये भी इनको मानने में ऐतराज नहीं होता हम इसका स्वागत करते । आज जब कि सरप्लस स्टेट्स हैं वे भी नहीं करती तो जो डेफीसिट स्टेट्स हैं वे करके रिजर्व बैंक को चेक भिजवाने की बात आसान बात तो नहीं है । फिर भी मैंने कर्मचारियों के साथ बात करते समय उनसे कहा इस में गहराई से सारे दृष्टिकोण को सामने रखते हुए विचार कर लेने दीजिए ।

यह कानून इसलिये बनाना पड़ता है अधिकांश कर्मचारी शान्तिप्रिय होते हैं और ठीक तरह से चलना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग यदि उनको इस प्रकार के रास्ते पर लेजायें तो उनको रोका जाना जरूरी है । अभी भी जब स्ट्राइक हुई उस स्ट्राइक के अन्दर सारा राजस्थान बन्द हो गया हो, यह बात नहीं थी । कई जिलों में काम चल रहा था कई तहसीलो में काम चल रहा था कई दफ्तरों में काम होता रहा है । इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिये इस तरह की परिस्थितियां पैदा नहीं हुई थीं । हमारा दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में उदार दृष्टिकोण रहा है और कर्मचारियों के लिये आगे भी रहेगा । पर केवल हम इसलिये रखना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति पैदा होजाय उसमें हम दर्शक की तौर पर रह नहीं सकते, कल जनता भी कह सकती है यह सब कुछ हो रहा है हमारे लिये जो आवश्यक सेवायें हैं वे नहीं हो रही हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट पानी चलाना छोड़ दें, वाटर वर्क्स वाले पानी बन्द करदें, ऐसी स्थिति आने पर जनता क्या कहेगी ? आपने इसके लिये पहले से उपाय क्यों नहीं किया ? कोई भी आयेगा चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई दल हो जो लोग यहां बैठे हुए है उनकी कई जगह । कई सरकारों के अन्दर उनके लोग भी हैं । अलग अलग वक्त पर क्या क्या कठिनाई होती है यह भी ध्यान में रखकर ही हमारे

(श्री मोहन लाल सुखाड़िया)

यहां हम ऑर्डिनेन्स लाये जिसको कानूनी रूप देकर रखना चाहते है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं इसको विन्डिक्टिव स्पिरिट में यूज नहीं किया जायगा, सामूहिक तौर पर कोई समस्या खड़ी न हो जाय तब तक। मैं सदन से निवेदन करूंगा इस कानून को आगे विचारार्थ लेने की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री रामकिशन : मुझे रिप्लाई देने का अधिकार है। आप इससे साधारण तौर पर नहीं निकल सकते।

श्री अध्यक्ष : आगे भी कन्सीडरेशन की स्टेज है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो कानून इस तरह के हैं उन पर तो इसी तरह से चला जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आपका रिप्लाई सब का रिप्लाई मान लिया जायगा...

श्री रामकिशन : मुझे रिप्लाई का अधिकार है मैं अपने लिये कह सकता हूं। दूसरे यह कैसे मान लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप इसमें सहयोग प्रदान करें।

श्री रामकिशन : हमेशा सहयोग देता रहा हूं। दूसरे मेरे रोकने से रुकेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष : नियमों के अनुसार और परम्पराओं के अनुसार एक ही रिप्लाई होता है। आप ही के रिप्लाई को सब का रिप्लाई मानकर चलता हूं।

श्री रामकिशन : अन्य सदस्यों के अधिकार के बारे में मैं क्या कह सकता हूं। समय सीमा के अन्दर ही मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : अधिक से अधिक पन्द्रह मिनट।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस चतुराई से मुख्य मंत्री महोदय ने जनता और कर्मचारियों के बीच की बात कह कर इस चीज से बचने का प्रयास किया है उसके लिये बधाई देता हूं। लेकिन जो मूलभूत प्रश्न था मुख्य मंत्री महोदय उस सारे प्रश्न को न छूते हुए जिस तरह से तथ्य रखे और सदन को गुमराह करने की कोशिश की मैं समझता हूं उससे हम तो गुमराह होने वाले नहीं हैं। जहां तक वित्तीय स्थिति का सवाल है जब मैंने संकल्प प्रस्तुत किया था उस समय मैंने भी इस बात की चर्चा कर दी थी कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की है। कर्मचारियों में असन्तोष इसलिये नहीं है कि उनको अन्तरिम सहायता नहीं मिली, मुख्य मंत्री जी के जरिये नहीं मिली। असन्तोष के जो कारण थे माननीय गृह मंत्री जी सुन रहे थे उनको फिर दोह-राकर सदन का समय लेना नहीं चाहता। असन्तोष का कारण ऐक ही समाज के एक ही वर्ग में आर्थिक असमानता रहती है उनमें फर्क रहता है, इसलिये उनके दिमाग में नाराजगी है। जहां तक अध्यादेश का सम्बन्ध है मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही राजस्थान की वित्तीय स्थिति खराब, डेफीसिट बजट, सात करोड़ रुपया कहां से लाये जनता टैक्स का भार बरदाश्त नहीं कर सकती।

(श्री रामकिशन)
जैसे कोई ग्राम सभाओं में भाषण दिए जाते हैं, जब वोट लेने जाते हैं ग्राज उनका भाषण उसी प्रकार का था। सभी कर्मचारी हड़ताल कर दें तो कौन सा दल इसका समर्थन कर सकता है। सदन का कोई भी दल इस स्थिति को समर्थन देने के लिये तैयार नहीं होगा कि सारे कर्मचारी हड़ताल कर दे। ग्रौर जन-जीवन ठप्प कर दें। लेकिन ग्राप इसके कारणों में जाने की चेष्टा कीजिये। ग्राज देश में यह स्थिति क्यों पैदा होती जा रही है? इस स्थिति का ग्रन्त इस प्रकार के कानूनों से होने वाला नहीं। मुख्य मंत्रीजी ने इसके साथ साथ ऐसी बातों को जोड़ दिया है जिनको प्रासंगिक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि श्री चरणसिंह जब राजस्व मंत्री थे उस समय उन्होंने तमाम पटवारियों को बरखास्त कर दिया यह सही बात है। यह मुख्य मंत्रीजी जानते होंगे चरणसिंहजी राजस्व मंत्री थे ग्रौर श्री चन्द्रभानु गुप्त के मंत्री मंडल में थे वे कांग्रेस के मंत्री थे। चूंकि ग्राज वे हमारे साथ ग्रा गये इसलिए उनके पुराने कर्मों को वे हमें गिनाते हैं। मुख्य मंत्रीजी चतुर है ग्रौर समझदार भी। सदन में बातें ऐसी कहेंगे ताकि लोग ग्रापस मे ही भिड़ जायं ग्रौर दूसरे के विरोध में खड़े हो जायं। यह कला ग्रापकी मानी जा सकती है लेकिन इसका सम्बन्ध इससे कतई नहीं है।

ग्रापने दुनियां भर की सरकारों का उदाहरण दिया। केन्द्रीय सरकार जाती होगी लेकिन ग्राप यह भी ध्यान में रखिये कि कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो किन्हीं सिद्धान्तों को लेकर चलती हैं उनके सामने कुर्सी का मोह नहीं रहता है। उनको सिद्धान्त प्रिय रहते हैं। ग्रापने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने 61 एकड़ भूमि पर लगान माफी करवा कर छोड़ा है ग्रौर भी ग्रध्यादेश हैं जिनको वापिस लिवा कर रहेगी। सरकार भले ही टूट जाय लेकिन हम ग्रपने सिद्धान्त से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ग्रगर जिन ग्रध्यादेशों के बारे मे हमारी पार्टी चाहती है कि उनको वापिस लिया जाय ग्रगर नहीं लेती है हमारे मंत्री लोग बाहर ग्रा जायेंगे। ग्राप हमारे मुकाबले ग्राने की कोशिश न करें। हम मंत्री लोग जो पार्टी के ग्रनुशासन में नहीं रहेंगे, उनको निकालने तक की हिम्मत रखते हैं, निकाल सकते हैं।

ग्रध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का ग्रध्यादेश निकाला गया है उसमें ग्रापने जो कर्मचारियों को ग्राश्वासन दिया है उनसे विश्वासघात हुग्रा है। जिस शान्त वातावरण में रह कर कर्मचारियों ने ग्रपनी हड़ताल वापिस ली ग्रौर जिस प्रकार के ग्रापने उस समय बयान दिये मैं उन शब्दों को निवेदन करूंगा जो ग्रापने पत्रकारों के बीच कहे थे। ग्रध्यादेश को वापस लेने की मांग के सम्बन्ध में पूछे जाने पर प्रश्न का उत्तर देते हुए ग्रापने कहा था ज्योंही ग्रान्दोलन समाप्त हो जायगा यह ग्रध्यादेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जायेगा। ग्राप ग्रब कहते हैं कि ग्रान्दोलन समाप्त नहीं हुग्रा स्थगित हुग्रा है। ग्रापके ये शब्द हैं ग्रान्दोलन स्थगित हो जाय तो यह ग्रपने ग्राप ही समाप्त हो जायगा। ग्रान्दोलन समाप्ति का फोर्मल नोटिस वापिस नहीं लिया है तो मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप जब तक कर्मचारी ग्रपने ग्रान्दोलन को वापिस नहीं लेते तब तक ग्राप भी इसको

(श्री रामकिशन)

विचाराधीन रखिये, इसको वापिस न लें। आप यह तो जानते ही हैं कि आन्दोलन बार-बार चलाये नहीं जा सकते एक बार जो जोश होता है वह बार बार पैदा नहीं होता। एक बार आन्दोलन स्थगित हो गया तो दुबारा उसको चालू किया जाय, यह संभव नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर विचार सस्पेण्ड कर दें, इसी स्थिति में रहने दें इसको कानूनी रूप न दें। आपने एक बार नहीं तीन बार इस चीज को कहा है 12–9–70 को संवाददाताओं के बीच भी आपने कहा है। मुख्य मंत्रीजी इस समय बजट पर चर्चा नहीं हो रही है जो आप वित्तीय बातों के बारे में यहां बतावें। चर्चा यहां हो रही है जिस प्रकार से कानून बनाया है उस बारे में आपने जो आश्वासन दिया है कि कानून तो बना रहेगा और इसको लागू करने के पहले नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कानून बना कर उसको पटके रखने में क्या मतलब है। यह आपका खतरनाक अधिनियम किस दिशा को ओर संकेत करता है। जब यह तानाशाही मुल्क नहीं है इसकी जिस प्रकार को धारायें हैं उसके अनुसार सभी नेताओं को गिरफतार कर लेंगे आप इसको डेमोक्रेटिक स्टेट से पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं यह प्रवृत्ति इसको इंगित करतो है। जहां तक बजट की बात है कर्मचारियों को राहत देने की बात है यह दूसरे प्रकार का प्रश्न है। आज राजस्थान में जो आप निरन्तर प्रशासनिक व्यय भार बढ़ाते जा रहे हैं केवल भरती इसलिये कर रहे हैं कि बेरोजगारों को खपाया जाय। जब सरकार ही यह मान कर चलती है कि रोजगार देने का मतलब है सरकारी नौकरी देने का है तब सारे हिन्दुस्तान का बजट इसी प्रकार से घाटे में चलेगा। आपके कर्मचारियों की जितनी संख्या है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से एक लाख कर्मचारियों को कम कर दें तो राज्य कार्य चल सकता है आपने एक लाख को ज्यादा भर रखा है। उनके हटाने की बात नहीं है परन्तु हमें उन्हें उत्पादक कार्यों में लगाना चाहिये। आपकी स्थिति तो यह है कि जो पढ़े लिखे हैं उनको आप सरकारी नौकरी दे देते हैं। मेरी मान्यता है कि राजस्थान सरकार अपने एक लाख कर्मचारियों को हटा कर उत्पादक कार्यों में लगा देना चाहिये लेकिन आपकी इसमें लगन नही है। आप इनको बाबू बनायेंगे और बाबू बनायेंगे तो मंहगाई बढ़ेगी और मंहगाई बढ़ने के कारण वह भी अपनी डिमाण्ड रखेगा और उसको आप रोक नहीं सकते। उत्पादन आप बढ़ा नहीं सकते। विदेशी सहायता के माध्यम से जो पैसा आपको मिला है उसको आपने भोग विलास में समाप्त कर दिया और फिर इसका दोष कर्मचारियों पर मढ़ेंगे या आपकी इच्छा कर्मचारियों को जनता से अलग करने की है...

श्री मदनसिंह : भोग विलास के भवन में ही आप विराजमान हैं।

श्री रामकिशन : और आप भी विराजमान है।

मेरा निवेदन है मुख्य मंत्रीजी आप इसको गम्भीरता से लें। यह इस प्रकार का

(श्री रामकिशन)

प्रश्न है कि अगर आपने इसमें महाराष्ट्र की मिसाल दे दी तो काम नहीं चलेगा। यहां और वहां दोनों जगह नई कांग्रेस का राज्य है और उड़ीसा की मिसाल आपने दी लेकिन यह महारावल साहब को सामने देख कर ही दे दी है। लेकिन यह कानून वहां पर लागू नहीं किया है और जो कानून चरणसिंह ने लागू किया है वह वहां पर वापिस लिया जा रहा है। आप इन कतिपय राज्यों की मिसालें देते हैं परन्तु आज जनता जिस दिशा में बढ़ रही है उस दिशा में जाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आप उस तरफ सोचने का कष्ट नहीं कर रहे हैं। मुख्य मन्त्री ने जो दलील दी है वह लचर दलीलें है। मुझे उनसे ऐसी आशा नहीं थी। मैं यह मानता हूं कि चित्तौड़ में जिस तरह से म्युनिसिपल इलेक्शन के लिये आप भाषण देते हैं वैसा ही आपका यह भाषण है। इस तरह आप कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आपने कई सरकारों का नाम लिया है आन्ध्र, पंजाब, उड़ीसा का जो याद आ गया उसका नाम लेते चले गये। आपको पता भी है कि वहां सरकारों की स्थिति क्या है और उन्होंने किस प्रकार का कानून बना रखा है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पाप को इस बूढ़े गृह मंत्री के हाथ से न करावें। आपकी इनसे खिलाफत हो सकती है, मतभेद हैं किन्तु क्या आप चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी डंडा लेकर इनके खिलाफ खड़े हो जायें। आप यह चाहते हैं क्योंकि आप इनसे नाराज हैं। आप इस तरह की स्थिति पैदा न करें। इस तरह आप गृह मंत्रीजी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दो दो कानून इसी तरह के आपने इनसे बनवाये हैं और अगर ये दोनों कानून पास हो गये तो इनको वापिस अपनी पुरानी वकालात की किताब लेकर घूमना पड़ेगा और इसके सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। इस तरह आप सरकारी कर्मचारियों को डिमोरलाइज करने की दिशा में जा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप निश्चित रूप से इसको वापिस लेने की घोषणा करें और जो आश्वासन आपने दिये है कि अगर कर्मचारी आन्दोलन वापिस ले लें तो आप भी वापिस ले लें। आप कहते हैं कि हड़ताल सस्पेन्ड है तो आप तब तक इस कानून पर विचार को सस्पेन्ड रखें और आज इसको वापिस ले लें। और बजट सेशन तक कम से कम इसको वापिस ले लें और अगर आप वापिस नहीं लेते हैं तो मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी घोर अलोकतंत्रवादी हैं, समाजवाद विरोधी हैं और एक प्रकार से पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सदस्यों से मैं खास तौर से प्रार्थना करूंगा कि वे समाजवाद की ओर नजर रखते हुए इस पर गौर करें इससे पार्टी का अनुशासन नहीं टूट रहा है इसको अस्वीकार कराने में हमारा सहयोग दें। मुख्य मंत्रीजी को जबाब देकर मैं सदन से दुबारा निवेदन करता हूं कि जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसको पारित करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि यह सदन दिनांक 5 सितम्बर, 1870 को श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश सं. 12 सन् 1970) को

Page No 116

(श्री अध्यक्ष)
अस्वीकार करता हैं। जो पक्ष में हो वे हां कहें। जो विपक्ष में हो वे ना कहें।

दर्शक दीर्घा से आवाज "काला कानून वापस लो"

(अस्वीकृत)

श्री रामानन्द अग्रवाल : वी वलेम डिवीजन।

श्री अध्यक्ष : फिर से रखता हूं। प्रश्न यह है कि यह सदन दिनांक 5 सितम्बर, 1970 को श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अध्यादेश, 1970 को अस्वीकार करता है। जो पक्ष में हों वे हां कहें–जो विपक्ष में हो ना कहें।

'ना' पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हां पक्ष जीता वी क्लेम डिवीजन सर।

श्री अध्यक्ष : डिवीजन।

श्री रामानन्द अग्रवाल : काला कानून बनाने वालों का नाम हम इतिहास में अंकित करवा देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिभाजन–

(विभाजन सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन 5 सितम्बर, 1970 को श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अध्यादेश, 1970 को अस्वीकार करता है। जो पक्ष में हों वे हां कहें,–जो विपक्ष में हों ना कहें।

(अस्वीकृत)

श्री रामानन्द अग्रवाल : 'हां' पक्ष जीता। हम डिवीजन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : डिवीजन क्लेम्ड। हां पक्ष हां कक्ष में, ना पक्ष ना कक्ष में।

इसके पूर्व जब तक कि इसके मतदान की घोषणा न हो सदन की अनुमति से समय बढ़ाता हूं।

राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अध्यादेश, 1970 को अस्वीकार करने संबंधी परिनियत संकल्प पर विभाजन।

(हां पक्ष की सूची)
दिनांक 18-11-70

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
1	2
1.	श्री आदित्येन्द्र
2.	श्री ओमदत्त भाटी
3.	श्री कृष्णकुमार गोयल
4	श्री केसरीसिंह हांडा
5.	डा. श्री गंगासहाय
6.	श्री चुन्नीलाल जेलिया (खंडार)
7.	श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)
8.	श्री जुझारसिंह
9.	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
10.	श्री देवीदत्त गाड़िया
11.	श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)
12.	श्री नत्थीसिंह
13.	श्री नाथूदास
14.	श्री प्रेमसिंह सिंघवी
15.	मेजर श्री फतहसिंह

(श्री अध्यक्ष)

1	2
16.	श्री भैरोंसिंह शेखावत
17.	श्री मनोहरसिंह मेहता
18.	श्री रामकिशन
19.	श्री रामचन्द्र (खण्डेला)
20.	श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)
21.	श्री रामसिंह कुड़ी
22.	श्री रामानन्द अग्रवाल
23.	श्री रूपसिंह राजवी
24.	श्री लक्ष्मणसिंह
25.	ठाकुर श्री विजयसिंह (मकराना)
26.	श्री विट्ठलभाई
27.	श्री श्रवणलाल
28.	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
29.	श्री हरजीराम बुरडक
30.	श्री हीराभाई

राज. अत्यावश्यक अनुरक्षण अध्यादेश, 1970 को अस्वीकार करने संबंधी परिनियत संकल्प पर विभाजन

(ना पक्ष की सूची)

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
1.	श्री अमीनुद्दीन अहमद
2.	श्री अमीलाल यादव
3.	श्री अमृतलाल यादव
4.	श्री कन्हैयालाल पटेल (पिड़ावा)
5.	श्री कल्याणमल
6.	श्री कालूराम मेघवाल
7.	श्री कालूराम आर्य
8.	श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय)
9.	श्री खेतसिंह राठौर
10.	श्री गणेशलाल
11.	श्री गामा फताजी
12.	श्री गिरधारीलाल व्यास
13.	सरदार श्री गुरदीपसिंह

1	2
14.	श्री गुलाबसिंह शक्तावत
15.	श्रीमती गौरी पूनिया
16.	श्री छुट्टनलाल
17.	श्री जगन्नाथ
18.	श्री जयकृष्ण शर्मा
19.	श्री जवाहरमल
20.	श्री जसराज
21.	श्री जिरदाराम
22.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद
23.	श्री दामोदरलाल व्यास
24.	श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
25.	श्री दौलतराम (देसूरी)
26.	श्री धीरसिंह
27.	श्री नथमल चोहला
28.	श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन)
29.	श्री नाथूराम
30.	श्री नारायणसिंह मसूदा
31.	श्री परसराम मदेरणा
32.	श्री पूनमचन्द विश्नोई
33.	श्री पृथ्वीराज पटेल
34.	श्री प्रद्युम्नसिंह
35.	श्रीमती प्रभा मिश्रा
36.	श्री बनवारीलाल
37.	श्री बलवन्त
38.	श्री बिरधीचन्द्र जैन
39.	श्री विशम्भरनाथ जोशी
40.	श्री बीरबल
41.	श्री भीखाभाई
42.	श्री भीमसेन
43.	श्री भूरालाल
44.	श्री मजलिस खां
45.	श्री मथुरादास माथुर
46.	श्रीमती मदन कौर
47.	श्री मदनसिंह (सिरोही)

Page No 118

(श्री अध्यक्ष)

1	2
48.	श्री मनफूल राम
49.	चौधरी श्री मनफूलसिंह
50.	श्री महेन्द्रकुमार
51.	श्री माधोसिंह
52.	श्री मुल्कराज
53.	श्री मूलचन्द डागा
54.	श्री मूलचन्द कटेवा
55.	श्री मोतीलाल
56.	श्री मोहनलाल मोदी
57.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
58.	श्री मोहम्मद उस्मान
59.	श्री यशवंतसिंह नाहर
60.	श्री रघुनाथ विश्नोई
61.	श्री रतनलाल रोत
62.	श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़)
63.	श्री रामकुमार (सपोटरा)
64.	श्री रामचरण
65.	श्री रामदेवसिंह
66.	श्री रामनारायण
67.	श्री रामप्रसाद लड्ढा
68.	श्री रिद्धीचन्द पालीवाल
69.	श्री रोशनलाल
70.	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
71.	श्री शंकरसिंह
72.	श्री विद्यासागर
73.	श्री शंकरलाल जाट (कपासन)
74.	श्री शंकरलाल जैतारण
75.	श्री शिवचरण माथुर
76.	चौधरी श्री शिवचरणसिंह
77.	श्री शिवनाथसिंह
78.	श्री शीशराम पूनिया
79.	श्री श्रीनिवास शारदा
80.	मास्टर श्री समर्थलाल
81.	श्री सहदेव शर्मा
82.	श्री सांवरमल बासोतिया
83.	श्रीमती सुमित्रा
84.	श्री हंसराज आर्य
85.	श्री हरलाल मीणा
86.	श्री हरिदेव जोशी
87.	श्री हरिसिंह
88.	श्री हीरालाल देवपुरा

(मत विभाजन के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष : हाऊस टू आर्डर

(5–45 म. म.)

ना पक्ष – 88

हां पक्ष – 30

ना पक्ष जीता।

(प्रस्ताव गिर गया)

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अस्थावश्यक सेवायें अनुरक्षण विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। राजस्थान एसेन्शियल सर्विसेस प्राटेक्शन मेन्टीनेन्स बिल...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मुंह में पान दबा कर नहीं बोलना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारी, पकड़ा गया वह भी महिला के हाथों।

श्री नत्थीसिंह : मुख्य मंत्रीजी जा रहे हैं पान थूकने।

Page No 119

...ताव के अस्वीकृत करने संबंधी व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एसेन्शियल सर्विसेस मेन्टोनेन्स बिल, 1970 को प्रवर समिति के एवं जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु अनेक माननीय सदस्यों ने अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये। मैंने भी इस सम्बन्ध में नियमानुसार अवधि के अन्दर प्रस्ताव प्रस्तुत किया था लेकिन जो प्रस्ताव यहां पर परिचारित किये गये हैं उनमें मेरा प्रस्ताव नहीं है। मुझे जानकारी यह दी गई है कि मेरा मोशन इसलिए इन्क्लूड नहीं किया गया अथवा एडमिट नहीं किया गया चूंकि आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करने का मेरा मोशन था और जब रिजेक्ट करने का मोशन है तो बिल को पब्लिक ओपीनियन या सलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता। यह जो व्यवस्था है सचिवालय की मैं समझता हूं कि यह नियमों के विरुद्ध है। मैं मेरे मोशन को इस बिना पर रिजेक्ट किया गया है तो मैं इस पर आपत्ति प्रस्तुत करता और यह व्यवस्था का सवाल खड़ा करता हूं कि आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करने का जो रेज्योल्यूशन है यह संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत है यह हमारी राज्य विधान सभा के प्रक्रिया तथा नियमों के अन्तर्गत नहीं है। वह एक स्टेचुटरी रेज्योल्यूशन है जो आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करने का मूव किया जाता है और हमारे जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स में कोई भी विधेयक सदन में प्रस्तुत हो उसको पब्लिक ओपीनियन को जानने के लिए अथवा प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव अभी भी सदस्य दे सकते हैं, वह अधिकार मुझे इन्डिपेन्डेन्टली प्राप्त है और इसलिए आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करने का जो रेज्योल्यूशन मैंने प्रस्तुत किया संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत है, नियमों के अन्तर्गत नहीं है। वह आर्डिनेन्स का रेज्योल्यूशन अलग से हाऊस में डिबेट होता है, वह रेज्योल्यूशन हाऊस में पुट अप होता है और अगर वह रेज्योल्यूशन एक्सेप्ट हो जाये और आर्डिनेन्स रिजेक्ट हो जाये तो इस विधेयक को विचारार्थ का सवाल खड़ा नहीं होता, प्रवर समिति को भेजने का सवाल खड़ा नहीं होता। दोनों ही इन्डिपेन्डेन्ट मेटर्स हैं और इस आर्डिनेन्स का रेज्योल्यूशन जो कि मैंने 213 के अन्दर मूव किया है वह इन्डिपेन्डेन्ट रेज्योल्यूशन है, अण्डर दी प्रोवीजन्स आफ दी कान्सटीट्यूशन है। इसलिए उसकी स्थिति अलग है। वह मैं रेज्योल्यूशन पेश कर सकता हूं और हाउस अगर आर्डिनेन्स को रिजेक्ट नहीं करे तो मैं हाउस के सामने रख सकता हूं कि जब विधेयक विचारार्थ लिया जाये तो इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। यह मेरा इन्डिपेन्डेन्ट राइट है जो कि एक सदस्य को होता है चाहे रेज्योल्यूशन मूव करें या नहीं करें। लेकिन the motion to circulate the Bill for eliciting public opinion or for referring it to a Select Committee is a right which has been given to the Hon. Members under the Rules and it is absolutely independent of the Constitution of India. इसलिए मैं आपसे इस सम्बन्ध में व्यवस्था चाहता हूं कि आर्डिनेन्स को नामंजूर करने का जो संकल्प प्रस्तुत होता है वह संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत है और उसके मूव करने वाले सदस्य के ऊपर यह पाबन्दी नहीं है नियमों के अनुसार कि विधे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
यक के संबंध में वह दूसरा प्रस्ताव नहीं दे सकता है। इसलिए इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मैंने इस संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और सरकुलेट नहीं किया गया और मैं समझता हूं कि उसको इस आधार पर कि चूंकि मैंने रेज्योल्यूशन रिजेक्ट का मूव किया है, वह इस आधार पर एडमिट नहीं किया या सरकुलेट नहीं किया तो वह नियमों के विरुद्ध है। इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे भी कहना है.....

श्री अध्यक्ष : आगे संबंध इसका होता ही नहीं है।

श्री मदनसिंह : मैं भी यही समाप्त करता हूं कि डिविजन के बाद में आपने यह व्यवस्था उठाई क्या, डिविजन के पहले उठा देते तो ठीक था।

श्री अध्यक्ष : आप इसको समझे नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : जिस माननीय सदस्य ने आर्डिनेन्स को अस्वीकार करने का प्रस्ताव दिया है उस स्थिति में उसी माननीय सदस्य के अन्य प्रस्ताव-प्रवर समिति अथवा जनमत जानने के सम्बन्ध में-उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता यह इस सदन का कन्वेन्शन रहा है। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं व्यवस्था चाहता हूं। रूल्स के अनुसार।

श्री अध्यक्ष : कन्वेन्शन्स क्या है यह मेरी जानकारी में आया नहीं है, लेकिन इस प्रश्न पर मैं माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं।

श्री रामकिशन : कन्वेन्शन कमेटी बनी है। उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।

एक माननीय सदस्य : और न आयेगी।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न यह रह जाता है कि श्री देवीदत्त गाड़िया, मूलचन्द डागा, केसरीसिंह हाडा, शिवनाथसिंह, श्री वृद्धिचन्द्र जैन, रामचन्द्र आर्य, हरजीराम बुरड़क, श्री कृष्णकुमार गोयल की फहरिस्त है। इस फहरिस्त में कौनसा नाम माननीय सदस्य का है मैंने इसको स्वीकार किया है और प्रायोरिटी पर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो केवल व्यवस्था चाहता हूं हमेशा के लिए। यह व्यवस्था का प्रश्न आज तक उठा नहीं इसलिए व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। इस पर आपने एक इम्पार्टेन्ट रूलिंग दी है। इसी दृष्टि से मेरा प्रश्न है। मेरी बोलने की इच्छा नहीं है....

श्री अध्यक्ष : अन्तिम व्यवस्था तो जब तक मैं कन्वेन्शन्स नहीं देख लूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कन्वेन्शन्स का सवाल नहीं है। रूल्स का सवाल है। रूल्स में नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष : कई बार परम्पराएं रूल्स को ओवरराइड कर देती हैं। मैं यह देख लेता हूं कि आपका नाम किस पर आता है प्रायोरिटीज में......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं प्रायोरिटी का क्लेम नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष : देवीदत्त गाडिया की प्रायोरिटी में आप बोलेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रायोरिटी को क्लेम ही नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही पार्टी के कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए कम से कम इसको रैग्युलेट करना चाहिए जिससे कि यह ठीक तरीके से समय में सारा काम पूरा हो सके।

श्री नत्थीसिंह : यह लेजिस्लेटिव बिजनेस है। इसके सपोर्ट और विरोध में सब को विचार करना है।

समय बढाने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय उस समय तक बढ़ा दिया जाय जब तक कि यह विधेयक पारित न हो जाय।

कई माननीय सदस्य : नो, नो।

श्री नत्थीसिंह : आप विधान सभा का समय बढ़ा दें। विधान सभा 10 दिन और चले, 20 दिन और चले और इसको पास कर लें। यह जरूरी नहीं है कि इसको आज ही पास किया जाय 6 बजे, तक का समय बढ़ाया है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि 6 बजे के बाद विधान सभा खत्म होगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख यह प्रस्ताव रखता हूं, जो प्रस्ताव अभी प्रस्तुत हुआ है वह जब तक पारित न हो जाय तब तक का समय बढ़ा दिया जाय।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री मदनसिंह : नहीं, साहब, बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाय।

सरकारी पक्ष : बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : समय इस तरह से, बढ़ता घटता नहीं है। यह सदन की सम्मति से बढ़ता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बोलने के लिए टाइम की लिमिट होनी चाहिए।

श्री रूपसिंह : सुबह से आये हैं और 7—8 बज जायेंगे तो इतने लम्बे समय तक काम नहीं कर सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : विधान सभा का समय बढ़ायें। उसको ज्यादा दिन चलायें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष, महोदय, रूल में यह दिया हुआ है कि विधान सभा में प्रत्येक सदस्य 15 मिनिट से ज्यादा नहीं बोले किसी पर जब तक कि माननीय अध्यक्ष की आज्ञा न हो। वे भी आधा घन्टे तक की इजाजत दे सकते हैं,

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
लेकिन 1।।–1।।, 2-2 घन्टों तक यदि माननीय सदस्य बोलेंगे तो किस तरह से कार्य-क्रम को चलायेंगे। इसलिए इसके लिए समय बढ़ाना आवश्यक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन यह करना है कि हम सत्र को ही क्यों न बढ़ायें। विधान सभा को बैठते हुए 7 दिन का समय हुआ है और मेम्बर्स पर यह सीलिंग करते हैं कि देर तक बैठ कर इसको पारित करें तो यह कैसे मुमकिन है। हम देर तक बैठने के लिए इन्कार नहीं करते हैं। यदि इसको आज ही पास करके विधान सभा की बैठक कल से ही समाप्त नहीं कर देना चाहते हों . .

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक दिन का जो कार्य-क्रम है उसको निर्धारित समय में पूरा करना चाहिए। यह दूसरा सवाल है कि विधान सभा की बैठकें बढ़ाई जानी चाहिए। वह तो बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी बढ़ायेगी और माननीय अध्यक्ष तय कर देंगे तो। आज का जो बिजिनेस है वह कम से कम आज ही पूरा हो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कल क्यों नहीं पूरा हुआ? कल भी नहीं हुआ बिजिनेस पूरा।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आन ए पॉइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश हो चुका था कि डिविजन के बाद में समाप्त हो जायगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ऐसा नहीं हुआ है।

श्री मदनसिंह : बिल्कुल यही फर्माया था। आपने एक घण्टा आलरेडी समय बढ़ा दिया था, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने दो विकल्प हैं। माननीय सदस्य दांता ने फर्माया कि मैंने एक घण्टे का समय बढ़ाया था तो समय बढ़ाने की अनुमति इस सदन से ली थी। एक प्रस्ताव उसके बाद में और आया है कि जब तक इस को पारित नहीं किया जाय तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय। अब ऐसा मालूम होता है कि सदन इस पर विभाजित है कि समय बढ़ाया जाय कि नहीं बढ़ाया जाय। तो मेरे सामने प्रश्न यह रहता है कि सदन का समय बढ़ाने के लिए माननीय सदस्यों की सम्मति ले लूं।

श्री नत्थीसिंह : हम इस प्रस्ताव पर बोलेंगे।

श्री मदनसिंह : कौन कह सकता है कि आधा घन्टे में खत्म हो जायगा या इसमें दो घण्टे लग सकते हैं और चार घन्टे भी लग सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से आग्रह है कि मैं इसको प्रस्ताव के रूप में रखूं?

सरकारी पक्ष के कई माननीय सदस्य : आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : सोच लें आप।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हम हमेशा विरोधी दल का सहयोग चाहते हैं मगर रोजमर्रा यह बात हो रही है

(श्री दामोदर लाल व्यास)
कि रोजमर्रा का जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम होता है वह बिल्कुल ही नहीं लिया जाता है। कल भी जो पी.डी.आर. एक्ट था उस पर एतराज किया तो उसको दफा कर दिया गया है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दफा कर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आज भी वही सूरत पैदा हो रही है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, 6 बज गये हैं।

कई माननीय सदस्य : 6 बज रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी तो मैं सदन की सम्मति से कम से कम 15 मिनट का समय बढ़ाता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस पर हम कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट का समय बढ़ाया है। अभी कोई प्रस्ताव नहीं लिया है कि आज ही इसको पारित किया जाय। क्योंकि समय समाप्त हो रहा है इसलिए 15 मिनट का समय आपकी अनुमति से ले रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मिनट के डर से ले रहे हैं। नहीं, अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से निवेदन है, और सरकार से भी, मुख्य मन्त्रीजी ने एक बात कही थी कि राज्य कर्मचारियों ने अपने आन्दोलन को स्थगित किया है, वापिस नहीं लिया है, अगर वह आन्दोलन को वापिस ले लें तो सदन से इस विधेयक को वापिस ले लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह बात अब गई।

श्री अध्यक्ष : तो फिर मैं समय के संबंध में इस प्रकार से निर्णय लूं (अनेक माननीय सदस्यों के बोलने से व्यवधान) समय की सीमा, माननीय सदस्य समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं प्रस्ताव के रूप में इसे सदन के सम्मुख रखूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रस्ताव हो।

श्री दौलतराम सारण : प्रस्ताव पर बहस हो।

श्री मदनसिंह : कोई एक घण्टे में खत्म नहीं होगा। या तो यह कर लो कि सारी रात बैठो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मौका मिलना चाहिए, चाहे समय बढ़ाने का संकल्प हो। (अनेक माननीय सदस्यों के बोलने से व्यवधान)

श्री हीराभाई : क्या हमारे अधिकारों का हनन किया जायेगा ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष जी यह बिल...

(व्यवधान के कारण अश्रव्य)

श्री हीराभाई : दस दिन के लिए रख दिया जाये। जो कुछ होगा उसके लिए हम तैयार हैं। आप इस तरह से हमको बन्द करके कानून पास कराना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : विधान सभा में कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस लिया जाये उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन लम्बे समय के बाद विधान सभा को थोड़े समय के लिए बुलाया जाये और उस पर भी यह आग्रह रहे कि जो समय सरकार ने निर्धारित कर दिया है, उसी में पास किया जाये जिस पर काफी मतभेद है। जनता को मतभेद हो...

श्री अध्यक्ष : उसके निर्णय पर नहीं दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस पर गवर्नमेंट भी विचार करे। हमें विधान सभा के समय को बढ़ाना चाहिए। हम ऐतराज नहीं करते हैं। जो समय निकलेगा तो उस पर हम विचार कर लें। यही विपक्ष दल की प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, स्थान ग्रहण करें।

कुछ प्रश्न चिन्तन के लिए बहुत आवश्यक हैं। पार्टी के स्तर पर समय को बांध दिया गया है। ताकि जो माननीय सदस्य अधिक समय ले लेते हैं इसलिए मैं पार्टी के स्तर पर निर्धारित करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : लोग समय से ज्यादा बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रत्येक दल का समय निर्धारित करूंगा।

श्री नत्थीसिंह : जितना लेजिस्लेटिव बिजनेस है, उसमें समय नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : दोनों बातें हैं। कम से कम समय की सीमा में बांधना आवश्यक है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की कार्यवाही...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री विजयसिंह : विधान सभा की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, सदन के नेता महोदय।

श्री मदनसिंह : आलरेडी एक घण्टा बढ़ गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिजनेस एडवाइजरी में विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समय बढ़ाने का...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाने के...

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाने के लिए...

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान, अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : समय बढ़ाने का विषय इसलिए प्रस्तुत किया गया है, जो बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में जिस दिन के लिए जो बिजनेस तय हो जाये वह मैं समझता हूँ कि परम्पराओं के अनुसार उसी दिन समाप्त होना चाहिए। अगर उस रोज वह बिजनेस समाप्त नहीं होता है तो कुछ अधिक समय तक पहले भी बैठते रहे हैं। पार्लियामेण्ट में भी बैठते हैं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पार्लियामेंट साल में सात महिने बैठती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनकी बीच में खाने की छुट्टी भी होती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ दिन और बढ़ा दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक दिन और बढ़ जावेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, अगर सारा सदन इस बात के लिए सहमत हो कि कल शाम के 5 बजे के पहले यह भी पारित कर दिया जायेगा तो आप यह कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कल तो सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड्स हैं। कल नहीं लिया जा सकेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कल की सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड्स को परसों लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड परसों, कल इसको पारित कर दिया जाएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फैल हो जाएगा।

(श्री नत्थीसिंह और श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री रामकिशोर व्यास : रामानन्द जी, आप सिंगल पार्टी मेम्बर हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कल इस बिल के बारे में निर्णय हो जाये। क्या होगा वह आप भी जानते हैं।

श्री नत्थीसिंह : आपका मन बदल सकता है। सद्बुद्धि आ सकती है। यह भी आशा रखता हूं।

श्री रामकिशन : (किन्हीं माननीय सदस्य के बोलने पर) आप तो वशिष्ठ बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : कल के लिए यह विधेयक रख लिया गया है। कल ही यह पारित हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जरूरी नहीं है

दर्शक वीर्घा में नारे लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने सम्बन्धी चर्चा

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को एक सूचना और देना चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, अभी जब मीटिंग हो रहा था, तो दर्शक दीर्घा में एक व्यक्ति ने नारे लगाये। नारे लगाकर उसने सदन की कार्यवाही में व्यवधान पहुंचाया। तुरन्त ही वाच एंड वार्ड स्टॉफ ने उसे कस्टडी में ले लिया है। पूछने पर उसने अपना नाम टीकमसिंह बताया है।

मैं जानना चाहता हूं, यह सदन का अपमान हुआ है।

श्री मदनसिंह : उसको सजा दी जाये। He should be punished। उसको सजा दी जाये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय पैरों पर हैं।

श्री मदनसिंह : मैं जानना चाहता हूं, एक चीज का पता लगाना रह गया है। क्या वह राज्य कर्मचारी है? या कौन है?

श्री अध्यक्ष : क्या कार्यवाही की जानी चाहिए? इस विषय में क्या तरीका अख्तियार किया जाये? मैं जानना चाहूंगा। सदन के नेता इस पर कुछ प्रकाश डालें। व्यक्ति राज्य कर्मचारी है या नहीं, अभी इसकी जानकारी प्राप्त करना अवशेष है। व्यक्ति अभी कस्टडी में है।

श्री नत्थी सिंह : माफ कर दें।

श्री मनोहर सिंह मेहता : हो गई सजा इतनी।

श्री दुर्गालाल बाढदार : माफी मांग ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। उदारता बरतनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इसलिए जब तक निर्णय नहीं हो वह मार्शल की कस्टडी में रहे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज ही निपटाइये। मैं समझता हूं

श्री अध्यक्ष : क्या सजा दी जाय? माननीय सदस्य सुझाव, सदन के नेता महोदय के सुझाव जानना चाहता हूं ताकि आगे की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस मेटर को पेंडिंग रखा जायगा तो वह व्यक्ति मार्शल की कस्टडी में रखा जायगा और तब तक हाउस कल तक के लिए एडजर्न हो जायगा, सवा छः बजे हाउस एडजर्न हो जायगा। इसका मतलब है कि वह रात भर मार्शल की कस्टडी में रहेगा और कल जब हाउस मीट करेगा, तब वह सदन के सामने प्रोड्यूस होगा और सदन एक जज की तरह उसके सम्बन्ध में डिसीजन लेगा। मैं इसलिए समझता हूं कि इस पर डिसीजन हो जाय। इस पर सदन दो मिनिट में डिसीजन ले सकता है। ऐसे मेरा निवेदन है कि जिस समय उसने व्यवधान डाला उस समय डिवीजन का आर्डर दे दिया गया था, हाउस की प्रासीडिंग्स नहीं हो रही थीं। हम लोग जो रहे थे, लाबी में.....

कई माननीय सदस्य : उस समय नहीं। उससे पहले। उस समय, नहीं, उससे पहले।

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा का विषय नहीं है। इसकी जांच से पता लग जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिवीजन बेल बज चुकी थी, उस समय हुआ। डिवीजन बेल के बीच में हुआ.....

श्री अध्यक्ष : जो कुछ भी हुआ हो, इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए—यह मान्यता है माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए मैं समझता हूं कि जो भी चीज हुई है उसके लिए वह माफी मांग ले आपके सामने। वह पर्याप्त है। इसके बाद कार्यवाही समाप्त कर देनी चाहिए।

श्री दुर्गालाल बाढदार : सदन का कोरम मेन्टेन करना चाहिए।

Page No 127

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक तो उससे उसके एन्टीसिडेंट के बारे में जानकारी अवश्य कर ली जाय और अगर वह अन-कन्डीशनल अपोलोजी देता है तो मैं समझता हूं उसको माफ कर देना चाहिए।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय···

श्री मदन सिंह : Who is he? जिसको माफ करना चाह रहे हैं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जांच तो हो।

श्री अध्यक्ष : उस व्यक्ति को आन दी बार माफ दी हाउस बुलाया जाय?

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय के सामने पेश कर दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय अपने चेम्बर में जांच करलें। सदन के नेता ने प्रस्ताव रख दिया है।

श्री अध्यक्ष : सदन यह अधिकार देता है, मैं उसको चेम्बर में बुला लूं और जैसा माननीय नेता ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, अगर वह खेद प्रकट कर दे अनकन्डीशनल······

श्री रामकिशन : अनकन्डीशनल क्या?

श्री अध्यक्ष : तो उसको छोड़ दिया जाय।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम क्या करेंगे तब तक?

श्री अध्यक्ष : आपको मैं छुट्टी दे दूंगा। एन्टीसिडेंट सब मेरे पास हैं, जो अवशेष है कि उसको प्राप्त किया जायगा। वह अपने एन्टीसिडेंट दे देगा मेरे···

श्री दुर्गालाल बाडदार : अनकन्डीशनल माफी नहीं मांगता है तो क्या होगा एक्शन?

श्री अध्यक्ष : वापिस प्रश्न कल रख दूंगा, यदि अनकन्डीशनल माफी नहीं मांगता है तो। यह अधिकार सदन का मुझमें निहित करता है।

कई माननीय सदस्य : हां, हां।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल, 11 बजे प्रातः तक···

श्री रामकिशन : आप एक दम···

श्री अध्यक्ष : के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 6 बजकर 15 मिनिट पर बृहस्पतिवार दिनांक 19 नवम्बर, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 181 की सूची)

1. ग्राम घूमनसर तहसील चिड़ावा ।

ख. नं. 377/7 की 19 बिस्वा, 394 की 11 बीघा 12 बिस्वा कुल 19।।) 1 बारानी अव्वल 6।।।) 2/दर 1) 40 पैसे, बारानी दोयम 1) 4/1) 10 धा. 2 की 11।।) 2 1) 10 ।

2. ग्राम पिलानी तहसील चिड़ावा

ख. नं. 736/2 की ।।।), 736/3 की 39/4 कुल 39।।।) 4 जिसमें बारानी अव्वल 12 बिस्वा दर 1) 40, बारानी दोयम 30।।।) 4 बारानी दोयम 6) पर 1) 10 तथा बारानी सोयम 2।) 2 पर 1) 39 ।

3. ग्राम खेड़ला तहसीमल चिड़ावा

ख. नं. 1/की 3 बीघा 16 बिस्वा, 2/2 की 3।।।) बिस्वा, 79/1 की 2।।) तथा 170 की 11) 4 कुल 21।) बीघा ।

जिसमें बारानी दोयम	16 बीघा 12 बिस्वा,
बारानी अव्वल	2 बीघा 10 बिस्वा तथा
बारानी सोयम	2 बीघा 3 बिस्वा

4. ग्राम धोन्धवा तहसील चिड़ावा

भूमि ख. नं. 65 की 5 बिस्वा, चाह, 55 की 2 बिस्वा मंदिर, 67 की 25 बीघा 4 बिस्वा कुल भूमि 25 बीघा 11 बिस्वा जिसमें बारानी अव्वल 21।) 1, बारानी दोयम 3।।।) 3 लगानी 23) 23 रु.

5. ग्राम पिलानी तहसील चिड़ावा

भूमि ख. न. 668 की 8) 4, 676 की 6।), 676।2 की 6 बिस्वा, 678 की 11।।) 1, 679/1 की 6।), 680 की 2) 2, 681 की 1।।।) 4, 682/1 की 3।।) 4, 709 की 3।), 718 की 1।।) 1 तथा 682/2 की ।।) 4 कुल 50 बीघा 16 बिस्वा ।

6. ग्राम बलेलगढ़ तहसील चिड़ावा

भूमि ख. नं. 195 की 1।।) 2, तथा 175 की 8।।) 3 कुल 10।) बारानी दोयम तथा लगानी 9) 89 पैसा ।

Page No 129

7. <u>ग्राम हणूतपुरा तहसील चिड़ावा</u>

भूमि ख. नं.	रकबा बीघा बिस्वा में
22/1	4।)
24/1	13)4
25/1	4।।।)
25/2	।।।)4
25/4	3)2
40/2	5)
41/2	5।।)
42/1/1	9)3
71/2/1	1।।)3
72/2	9)1
76/1	3।)4
42/2	7।।।)2
42/3	2।।)
44/2	।।)2
71/1/1	11।।।)3
71/1/2	20।।)1
79/2	1।।)2
72/1	15।।)4
73	6।।।)4
74/1	13।।।)3
75/2	5।।)4
93	16।।।)
95	16।)1
97	20।।)3
98	29)1
कुल	239।।।)1

ग्रामों के अनुसार उपरोक्त भूमियों को गोशवारा निम्न प्रकार है:––

नाम ग्राम	क्षेत्रफल बीघा	क्षेत्रफल बिस्वा
1. घूमनसर	19	11
2. पिलानी	39	19
3. खेड़ला	21	05
4. धीन्धवा	25	11
5. पिलानी	50	16
6. घलेलगढ़	10	05
7. हणूतपुरा	239	16
योग	406	00

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 28 की सूची)

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक एफ. 9(54)राज।68, दिनांक 19-7-68 ओर से उप सचिव, राजस्व वास्ते जिलाधीश, भीलवाडा।

विषय :—केशव विलास सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि., मांडलगढ, जिला भीलवाड़ा को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवन्टन करने के विषय में।

प्रसंग:—आपका पत्र सं. आर. ए. 39।9।68 दि. 1-6-1968

उपरोक्त विषय में विभागीय सम संख्यक पत्र दिनांक 28-6-68 के प्रसंग में सूचित करने का निदेश है कि वन विभाग के अधीनस्थ भूमि जो राजस्व को हस्तांतरित की गई है। उस भूमि में से 15 बीघा भूमि प्रत्येक सदस्य के हिसाब से राज्य सरकार ने राजस्थान (सहकारी समितियों को भूमि आवन्टन) नियम, 1959 के अन्तर्गत नियमानुसार आवन्टन करने की स्वीकृति प्रदान की है।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक एफ. 9(75)राज।ख।68, दिनांक 19-7-68 ओर से उप राजस्व सचिव, राजस्व (ख)विभाग, जयपुर वास्ते जिलाधीश, भीलवाडा।

विषय :—थादोडा सामुहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड मांडलगढ, जिला भीलवाडा को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवन्टन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :—आपका पत्र सं. आर. ए।39।9।68 दि. 1-6-68

उपरोक्त विषय में विभागीय सम संख्यक पत्र दिनांक 28-6-68 के प्रसंग में सूचित करने का निदेश है कि वन विभाग के अधीनस्थ भूमि जो राजस्व को हस्तान्तरित की गई है उस भूमि में से 15 बीघा भूमि प्रत्येक सदस्य के हिसाब से राज्य सरकार ने राजस्थान (सहकारी समितियों को भूमि आवन्टन) नियम, 1959 के अन्तर्गत नियमानुसार आवन्टन करने की स्वीकृति प्रदान की है।

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

चूरू जिले में अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत भ्रष्टाचार के मामले

190. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में गत वर्ष और इस वर्ष अकाल कार्यों में कितने भ्रष्टाचार के मामले कब, किसकी रिपोर्ट पर, किस थाने में दर्ज किये गये ?

(2) इन मामलों में अब तक पुलिस ने क्या क्या कार्यवाही की है ? इनमें से कितने मामलों की तफतीश पूरी करके न्यायालय में चालान पेश कर दिये गये हैं और कब कब ? तथा जिन मामलों में चालान नहीं किये हैं उनमें चालान नहीं करने के क्या कारण ह ? कितने दोषी गिरफ्तार किये गय ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में गत वर्ष 1969 में कुल 23 मुकद्दमे अकाल राहत कार्यों में गबन होने के बाबत विभिन्न थानों में दर्ज किये गये। सूची संलग्न है। इस वर्ष 1970 में कोई मुकद्दमा इस प्रकार का दर्ज नहीं हुआ है।

(2) विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

हरिजनों को एलॉट की गई भूमि का कब्जा

191. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 12-4-61 को एलॉटमेंट कमेटी तहसील राजाखेडा ने रूध माहेटा मजरा मौजा डिडवार, पंचायत समिति क्षेत्र राजाखेडा जिला भरतपुर में 23 हरिजन परिवार निवासी कस्बा राजाखेडा को 115 बीघा जमीन एलॉट की थी ? यदि हां, तो एलॉटमेंट आर्डर की नकल सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वह जमीन अभी तक खाली पडी हुई है और उन हरिजनों को आज तक कब्जा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि एलॉटमेंट कमेटी राजाखेडा ने दिनांक 12-4-61 को सिद्धांतः यह निर्णय लिया था कि ग्राम डिड्वार की 115 बीघा भूमि 23 हरिजन परिवारों को आवंटित की जाय। परन्तु यह भूमि वन विभाग की होने के कारण इस आवंटन की स्वीकृति नहीं दी गई।

एलॉटमेंट कमेटी के निर्णय की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी हां, मौके पर रकबा खाली है। भूमि वन विभाग की होने के कारण कब्जा नहीं दिया गया।

नकल हुकम एलॉटमेन्ट कमेटी दिनांक 12-4-61 जिसमें स्यामा, पुनीता, वगैरह जाटवान हरिजनों को ग्राम डिंडवार में एलाटमेन्ट हुआ था।

आज यह मिसल पेश हुई है। प्रार्थना-पत्र 23 आदमियों के हैं जो सहकारिता के रूप में काश्त करना चाहते हैं। अतः कमेटी निर्णय लेती है कि 115) (एक सौ पन्द्रह) बीघा जमीन स्लोट की जावे।

ह. अपठित
12-4
हस्ताक्षर ओंकार प्रसाद तहसीलदार,
12-4-61
हस्ताक्षर भंवर सिंह प्रधान,
12-4-61

अनास नदी पर पुल

192. श्री नाथूराम (बागीडोरा) . क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाडा जिले में भूखिया क्षेत्र में आवागमन के लिये अनास नदी पर एक पुल का निर्माण करने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस पर अनुमानित कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा उस पर रिलीफ के समय कुल कितना धन व्यय हुआ ?

(2) क्या यह सत्य है कि यह पुल अधूरा रह गया है ? यदि हां, तो उसको पूरा करने में कितने धन की आवश्यकता होगी व पुल कब तक पूरा हो जायगा ? यदि नहीं, तो पुल की वर्तमान में क्या उपयोगिता है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि कडाणा बांध से अनास नदी में बैंक वाटर रहने के कारण बांसवाडा जिले के भूखिया, गढ़ी क्षेत्र में आवागमन रुके नहीं इसलिये चांदरवाडा-अरथूना के बीच पुल बनाने की आम लोगों की राय थी तथा तकनीकी दृष्टि से भी वह स्थान उपयुक्त बताया गया था, किन्तु वहां साइट तय नहीं करते हुए गलत साइट लेने से यह कार्य अधूरा रह गया ? यदि नहीं, तो पुल की उपयोगिता क्या है ? यदि हां, तो उसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

(4) कडाणा बांध से बैंक वाटर के कारण भूखिया क्षेत्र के लोगों की आवागमन दिक्कतों को दूर करने के लिये सरकार ने गुजरात सरकार से मुआवजा लेकर अनास नदी पर एक और पुल बनाने की मांग की है ? यदि हां, तो कडाणा बांध बनने से पूर्व चांदर-वाडा—अरथूना के बीच पुल तयार कराने में कितना व्यय होने का अनुमान है ? यदि नहीं, तो सरकार के पास इस क्षेत्र के नागरिकों के लिये क्या दूसरी अन्य योजना है ?

(स्थगित किया गया)

गम्भीरी परियोजना तथा ओराई क्षेत्र में भूमि का आवंटन

193. श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड जिले के गम्भीरी परियोजना व ओराई क्षेत्र में किस किस व्यक्ति को कब कब कितनी कितनी भूमि का किस किस अधिकारी द्वारा आवटन किया गया है ? आवंटितों की एक तालिका मय नाम व पूण पते सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। कृपया यह भी बताएं कि इसमें सरकारी कर्मचारी कौन कौन से हैं और किस किस पद पर हैं ?

(2) उपरोक्त आवंटितों में इस आवंटन से पूर्व कहां कहां कितनी कितनी भूमि काश्त में थी ? कृपया आवंटन हेतु प्रस्तुत विवरण में दिये गये विवरण के अनुसार तालिका प्रस्तुत करें।

(3) इस परियोजना क्षेत्र में कितना और किस किस प्रकार का आरक्षण किया गया था और उसके अनुसार कितना आवंटन हुआ है ?

(4) इस आवंटन के लिये आवेदन-पत्र कब और किस दिन तक मांगे गये ? कितने आवेदन-पत्र आये और कितनों को भूमि का आवंटन किया गया ?

(5) जिन व्यक्तियों के भूमि के आवंटन के पत्र खारिज किये गये उनमें भीलवाडा जिले की किस किस तहसील के कितने कितने हैं ?

(6) कितने व्यक्तियों को आवंटित एरिया अधिकार मिल गया और कितनों को नहीं ?

(स्थगित किया गया)

लाडनूं में पानी के कनेक्शन

194. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका, लाडनूं के क्षेत्र में दिनांक 1-10-70 के बाद नगरपालिका के नाम से पानी के कनेक्शन लगाये ? यदि हां, तो कब कब कौन कौन से कनेक्शन किन किन शर्तों पर लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त नगरपालिका में विभाग को पानी के खाते रुपये लेने हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि जिन नगरपालिकाओं के पानी के पैसे बकाया हैं उनकी बकाया राशि जमा कराये बिना ही दूसरे कनक्शन नहीं देने का सरकार ने आदेश दिया था ? यदि हां, तो कब तथा उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उपरोक्त कनेक्शन जो नगरपालिका को दिये गये हैं उनकी फिटिंग आदि का कार्य कब हुआ तथा संबंधित अधिकारी ने कनेक्शन देने के आदेश कब कब दिये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, कनेक्शनों की सूची एवं उनकी शर्तों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी हां, अगस्त '70 तक 1,77,600) रुपये लेने हैं।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) फिटिंग आदि का कार्य स्वयं नगरपालिका द्वारा करवाया गया था विभाग द्वारा नहीं, कनेक्शन देने की सूची संलग्न है।

पानी के कनेक्शन की सूची लाडनूं शहर (नागौर) दिनांक 1-10-70 के बाद नगरपालिका, लाडनूं को दिये गये कनेक्शन)

	नाम कनेक्शन की जगह	आवेदन की तारीख	कनेक्शन की तारीख
1.	वार्ड नं. 6	19-10-70	24-10-70
2.	वार्ड नं. 14	19-10-70	24-10-70
3.	वार्ड नं. 2	19-10-70	24-10-70
4.	वार्ड नं. 7	19-10-70	24-10-70
5.	वार्ड नं. 1	19-10-60	24-10-70
6.	वार्ड नं. 1	19-10-70	24-10-70
7.	वार्ड नं. 1	19-10-70	24-10-70
8.	वार्ड नं. 3	19-10-70	24-10-70
9.	वार्ड नं. 2	19-10-70	24-10-70
10.	वार्ड नं. 4	19-10-70	24-10-70
11.	वार्ड नं. 6	19-10-70	24-10-70
12.	वार्ड नं. 4	19-10-70	24-10-70
13.	वार्ड नं. 9	19-9-70	24-10-70
14.	वार्ड नं. 5	19-10-70	24-10-70

कार्यालय नगरपालिका, लाडनूं (राज.)

श्री अधिदर्शक महोदय, जलदाय विभाग, लाडनूं

विषय :—पानी के कनेक्शन के सम्बन्ध में।

नगरपालिका, लाडनूं द्वारा (स्थान का नाम) में जो पब्लिक टेप का कनेक्शन लिया जा रहा है वह जनता के हित में जल की सुविधार्थ लिया जा रहा है। जिस के मीटर में जो मासिक खर्चा आवेगा उसके बिल का भुगतान प्रति माह पालिका द्वारा किया जायगा। मीटर की टूट फूट तथा खराब होने पर मरम्मत की जिम्मेदारी नगरपालिका की होगी।

जल विभाग के जो नियम उपभोक्ताओं पर लागू होते हैं वही नियम इस कनेक्शन के सम्बन्ध में नगरपालिका को स्वीकार हैं। प्रत्येक माह के बिल की राशि समय पर जमा करादी जावेगी।

ह॰
प्रशासक,
नगरपालिका, लाडनूं।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

No. H. G. I. (224) 70/53398 Dated 12-10-1970.

The Executive Engineer,
P. H. E. D., CHURU.

I have come to know that the Administrator, Municipal Board, Ladnun has requested the Overseer, Water Works, Ladnun for sending estimates for laying lines and construction of Public stand posts and the Overseer has given an estimate to him.

This Municipal Board is not paying for any water consumed and as such the department can not give any free connection. However, if the Administrator, is prepared to deposit cash money in advance for laying of line and construction of P. S. Ps., you may take up the work on the clear understanding that the metered connection has to be given after getting the application form from the Administrator on usual terms and conditions.

Sd/-
Chief Engineer,
P. H. E. D., Raj., Jaipur.

No. H. G. I-/(224)70/53398 dated 12-10-70.

Copy to the following for information and necessary action:—

(1) Administrator, Municipal Board, Ladnun.
(2) Asstt. Engineer, Water Works, Ladnun.

Sd/-
Chief Engineer (P.H.E.D)

ग्राम खजीना में कत्ल का मामला

195. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खजीना पंचायत क्षेत्र आंकोला, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा में एक जाट का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया ?

(2) क्या कत्ल कुए पर हुआ था और उसके कितने टुकड़े किये गये ?

(3) कत्ल किस समय हुआ और कब हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि सब-इन्सपेक्टर, कोटडी का इस कत्ल के केस को खराब करने में बडा हाथ रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि सब-इन्सपेक्टर, कोटड़ी का तबादला मुल्तवी कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस, भीलवाड़ा ने इनके गलत कामों के ही कारण इनके इन्क्रीमेंट रोके हैं ? यदि हां, तो कितने इन्क्रीमेंट रोके हैं ?

(7) खजीना के कत्ल का पता लगा या नहीं ?

(8) क्या दूसरे अधिकारियों को कार्यवाही सौंपी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(9) क्या इस कत्ल को खुलवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ?

(गृह मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि रामबक्ष जाट निवासी खजीना, पंचायत अकोला, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा की हत्या दिनांक 2-6-70 को की गई थी।

(2) हत्या कुए पर नहीं की गई। घटनास्थल ग्राम अकोला से ग्राम खजीना जाने वाले आम रास्ते से 8 हाथ की दूरी पर देवली नामक स्थान है, जो ग्राम खजीना से 5 फर्लांग की दूरी पर दक्षिण दिशा में है। मृतक रामबक्ष के टुकडे नहीं किये गये थे। चोटों के कारण मृत्यु हुई थी।

(3) यह घटना दिनांक 2-6-70 को रात को करीब १०-११ बजे की है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां, सब-इन्सपेक्टर का स्थानान्तर हो गया था जो प्रशासनिक कारणों से स्थगित किया गया।

(6) सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, भीलवाडा द्वारा श्री लाल सिंह, सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध आरोपों के कारण चार बार सैंश्योर व एक ग्रेड इन्क्रीमेंट रोकने की सजा दी गई।

(7) जी नहीं, अभी अनुसंधान जारी है।

(8) जी हां, तफतीश एडीशनल एस. पी. को सौंपी गई है।

(9) जी हां।

कस्बा भादरा में गन्दे पानी का तालाब

196. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा भादरा में, कस्बे के पूर्वी हिस्से में एक गंदे पानी की गिनाणी (ड्रम) है जो इस समय शहर के गंदे और बरसाती पानी से लबालब भरा हुआ है जिसके कारण सैंकडों घर इस समय पानी में डूबे हुए हैं और लोग अपने घर से बाहर नंगे आसमान के नीचे बैठे हुए हैं?

(2) इन घरों को डूबने से बचाने के लिये सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है?

(3) यदि हां, तो किस प्रकार की योजना है, और उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी और उसे कब तक कार्य रूप में परिणत कर दिया जावेगा?

(4) यदि हां, तो क्यों नहीं?

(5) इस समय इस पानी से कुल कितने घर डूबे हुए हैं और उनको जन-धन की कुल कितनी हानि हुई है?

(6) सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(स्थगित किया गया)

जालोर जिले में सड़क-निर्माण कार्य

197. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर सड़क–निर्माण की दृष्टि से अब तक सब से पिछड़ा जिला है? अगर हां, तो क्यों?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(2) क्या यह भी सत्य है कि जिला जालोर में सड़क निर्माण कार्यों में चौथी पंचवर्षीय योजना में दूसरे जिलों के बराबर करने का आश्वासन सरकार ने विधान सभा में दिया था ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या उपरोक्त आश्वासन को पूरा करने के लिये सड़क निर्माण बजट जिला जालोर में भविष्य में अधिक रखने का निर्णय लेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। सरकार के विचाराधीन है।

(3) विभाग उपलब्ध धनराशि अनुसार जिले के विकास के लिये प्रयत्नशील है।

किसानों को पास बुक

198. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने यह घोषणायें की थीं कि किसानों को उनके भूमि संबंधी रेकार्ड के लिए पास बुकें दी जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक और उन पर अमल कब तक करवा दिया जावेगा ?

(2) पास बुक में क्या क्या कालम होंगे व किस कागज का होगा, पास बुक की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कब तक हर किसान को पास बुक दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य सरकार ने काश्तकारों को पास बुक दिये जाने संबंधी घोषणा की थी और इस घोषणा की अनुपालना में पास बुकें बांटी जा रही हैं।

(2) पास बुक में क्या क्या कालम होंगे और किस प्रकार का कागज लगेगा इस हेतु पास बुक की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस वर्ष 10 लाख पास बुक बांटने का लक्ष्य रखा गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरपंच पंचायत देई के विरुद्ध कार्यवाही

199. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरपंच श्री मानमल, पंचायत देई, तहसील नैनवा के जिम्मे गेहूं के बीज की बकाया 28522.60 की वसूली का मामला डिप्टी डी. डी. ओ. बूंदी द्वारा पुलिस विभाग को कब दिया गया था ?

(2) पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं की, तो न करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) दिनांक 27-3-69 को डिप्टी डी. डी. ओ. बूंदी की तहरीरी रिपोर्ट पर थाना

(गृह मंत्री)

देई में सरपंच श्री मानमल, पंचायत देई द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त गेहूं की धनराशि 28522.60 का गबन तथा संबंधित रिकार्ड को गायब कर देने के संबंध में अभियोग संख्या 18 धारा 409।467।468 ता. हि. पंजीबद्ध किया गया।

(2) उपरोक्त मुकदमा दर्ज रजिस्टर होने पर सर्किल आफिसर पुलिस नैनवा ने इसका अनुसंधान पूर्ण किया। अनुसंधान के पश्चात् इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट "अदम बकूआ" दिनांक 7-11-59 को दी गई।

जैसलमेर–म्याजलार, जैसलमेर–सम मुरार और रामदेवरा तथा नाचना सीमा सड़कों का कार्य

200. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर-म्याजलार, जैसलमेर सम मुरार और रामदेवरा, नाचना सीमा सड़कों का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? अगर हां, तो जी. शिड्यूल में प्रत्येक सड़क का क्या एस्टीमेट किया गया और बाद में एक्स्ट्रा आइटम का एस्टीमेट कितना किया गया?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़कों पर पुलियों के लिए टेन्डर भी तय कर लिय गये हैं? अगर हां, तो इस कार्य में किस किस ठेकेदार को कौन कौनसी पुलियों का निर्माण कार्य किस पद पर दिया गया है?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त पुलियों के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के आदेश अभी तक नहीं दिये? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़कों पर पानी की लीड भी दी जा रही है? अगर हां, तो किस किस स्थानों से पानी के क्षेत्र तय किये हैं?

(स्थगित किया गया)

ट्रेफिक पुलिस में थानेदार की नियुक्ति

201. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ट्रेफिक विभाग में किसी भी व्यक्ति को थानेदार नियुक्त किया जा सकता है और उसके लिये शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है? यदि नहीं, तो इसके लिये क्या योग्यता होनी चाहिये?

(2) इस समय ट्रेफिक पुलिस अजमेर में कौन कौन व्यक्ति थानेदार ट्रेफिक के पद पर लगे हुए हैं? कृपया उनके नामों की सूची मय योग्यता के सदन की मेज पर रखें।

(3) श्री कानसिंह जो कि इस समय अजमेर में ट्रेफिक में थानेदार हैं वे पहले कहां थे? क्या ये भूतपूर्व आई. जी. पी. के ड्राईवर थे? यदि हां, तो इन्हें कब से इस पद पर नियुक्त किया गया?

(स्थगित किया गया)

ग्राम निम्बी जोधा की जल प्रदाय योजना

202. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम निम्बी जोधा, जिला नागौर में जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो कब कार्य प्रारम्भ हुआ और कार्य सम्पूर्ण कब हुआ ?

(2) उक्त योजना पर अब तक किस किस मद में कितना कितना खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) ग्राम निम्बी जोधा की जनता को कब पानी उक्त स्कीम से देना चालू किया गया ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम निम्बी जोधा में पानी की कमी है और स्थानीय जनता को पानी पीने की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो जलदाय योजना पूर्ण होने पर भी गांव की जनता को पानी क्यों नहीं दिया गया है ?

(5) उक्त योजना के लिये कुए पर लगाये गय इन्जन को कब से कब तक चालू हालत में रखा गया ?

उत्तर

(1) जी हां, कार्य अगस्त, 65 में प्रारम्भ हुआ व जुलाई, 68 में सम्पूर्ण हुआ।

(2) अब तक इस योजना के निर्माण कार्य पर 2.56 लाख रुपये "30-जन-स्वास्थ्य" के मद में व रुपये 6750 "टी डिपोजिट एवं एडवान्स – II सार्वजनिक निर्माण एडवान्स" में खर्च हुआ। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जुलाई, 68 से।

(4) जी हां। जी हां। क्योंकि पंचायत योजना को चलाने हेतु नियमानुसार संधारण व्यय जमा नहीं करा रही है।

(5) जुलाई 68 से ही चालू हालत में रहा है।

निम्बी जोधा जल प्रदाय योजना पर वर्षवार व्यय की सूची :—

1965-66	1.59
1966-67	0.82
1967-68	0.09
1968-69	0.06
1969-70	—
कुल योग:—	2.56

स्वीकृत गृह निर्माण योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना भूखंडों का आवंटन

203. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1967 से लेकर अब तक राज्य के किस किस नगर विकास मण्डल द्वारा राज्य सरकार से स्वीकृत गृह निर्माण योजनाओं में संशोधन कर बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के किन किन व्यक्तियों को

(श्री भैरोंसिह)
भू-खण्डों का आवन्टन किया है ? कृपया नाम, पते व पूरे विवरण सहित तालिका प्रस्तुत करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन भू-खण्डों की स्वीकृत दरें क्या थीं और किन दरों पर यह भू-खण्ड आवण्टित किये गये ? यदि दरें कम ह, तो क्यों ?

(3) इन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र कब कब प्राप्त हुए हैं ?

(स्थगित किया गया)

पासपोर्ट कानून का उल्लंघन

204. श्री भैरोंसिह (किशन-पोल, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 1969 से लेकर अब तक किस किस व्यक्ति के विरुद्ध किस किस अदालत में पुलिस द्वारा पासपोर्ट कानून के उल्लंघन के आरोप में कब कब मुकदमें चलाये गये हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन मुकदमों का प्रत्येक का क्या परिणाम रहा तथा अपराधियों के विरुद्ध किस किस प्रकार की क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) पाकिस्तान से पासपोर्ट और वीजा से राजस्थान आने वाले कौन कौन व्यक्ति मियाद निकल जाने के उपरान्त भी यहां ठहरे हुए हैं ? कृपया तालिका प्रस्तुत करते हुए यह बतायें कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यावाही की गई है ?

उत्तर

(1) 1-1-69 से लेकर 31-3-70 तक जिन जिन व्यक्तियों क विरुद्ध न्यायालय में पुलिस द्वारा पासपोर्ट कानून के उल्लंघन के आरोप में अभियोग चलाया गया उनकी तालिका संलग्न है तथा 1-4-70 से आज तक जितने अभियोग चलाये गये उनकी सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा जिसक लिये विभाग के समस्त पुलिस अधिक्षकों से निवेदन किया जा चुका है।

(2) इन अभियोगों में क्या क्या परिणाम रहे तथा अपराधियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई इसकी सूचना तालिका में उपलब्ध है।

(3) पाकिस्तान से पासपोर्ट एवं वीजा लेकर राजस्थान आन वाले व्यक्तियों, जिनकी मियाद निकल चुकी है और अभी भी ठहरे हुए हैं उनकी तालिका एक 1-1-69 से आज तक संलग्न की जा रही है। तालिका से यह स्पष्ट होगा कि 5 ऐसे पाक नागरिकों में से चार को निष्काशित किया जा चुका है एवं एक के विरुद्ध न्यायालय में 3/ 14 फोरेनर्स एक्ट में अभियोग चल रहा है।

(सूची विस्तृत होन के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छीपा बड़ोद कस्बे से छबड़ा कस्बा वाया गोमदपुरा, बमारी घाटा होते हुए सड़क निर्माण कार्य

205. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबडा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद कस्बे से छबडा कस्बा जो कि सब-डिवीजनल

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

हेडक्वार्टर है वाया गोमदपुरा, बमारी घाटा होते हुए सिर्फ 9 मील ही है ?

(2) क्या यह सही है कि 9 मील के रास्ते में अभी कोई पक्की सड़क नहीं है ?

(3) क्या सरकार इस रास्ते पर पक्की सड़क का नव–निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस सड़क को बनवाने के लिये सव वगैरा कब तक करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। अर्थाभाव के कारण कार्य वार्षिक योजना 70-71 में नहीं लिया जा सका।

स्थगित–प्रश्न

(11–11–70)

अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के व्यक्तियों को भूखण्डों का आवंटन

97. श्री नाथूराम (बागीडोरा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) "गांधी शताब्दी" वर्ष में राज्य में कितने प्रार्थना-पत्र आवास भूखण्ड आवन्टन हेतु अनुसूचित जाति।अनुसूचित जन–जाति के नागरिकों से प्राप्त हुए हैं ? उनमें से किस किस को कहां कहां भूखण्ड आवन्टित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि भूखण्ड आवन्टन में अत्याधिक विलम्ब हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ? एलाटमेन्ट आर्डर्स किस किस को कब कब भेजे गये व कब्जा कब दिलाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित–प्रश्न

(11–11–70)

जिला बांसवाडा में भूमिहीनों की संख्या

101. श्री हीराभाई (कुलशगढ) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के क्षेत्र में भूमिहीनों की संख्या क्या है तथा हर तहसील में कितने कितने भूमिहीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सन् 1960 से 1970 तक भूमिहीनों की तादाद में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है ? अगर हां, तो प्रति वर्ष कितने प्रतिशत ?

(3) क्या सरकार ने अब तक भूमिहीनों की बढती हुई संख्या को देखते हुए जमीन देने की कोई योजना बनाई है ? अगर हां, तो कब तक जमीन दी जायगी और कौनसी कहां से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले के भूमिहीन किसानों ने अपने परिवार के गुजर बसर के लिये नोतोड़ जमीन पर काफी मात्रा में नाजायज काश्त किया है ? यदि हां, तो कितने मामलों में नाजायज कब्जे के केस चल रहे हैं ?

(श्री हीराभाई)

(5) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इस प्रकार के केस चला कर नाजायज कब्जों को रोका जा सकता है ? अगर हां, तो 1960 से 1970 तक कितने मामलों में सजा या जुर्माना किया गया है और नाजायज कब्जों को प्रति वर्ष कितना प्रतिशत कम किया गया है ?

उत्तर

(1) बांसवाडा जिले में तहसीलवार भूमिहीनों की संख्या की सूची संलग्न है ।

(2) भूमिहीनों की तादाद की तादाद में भूमि आवंटन होने से वृद्धि नहीं हो रही है।

(3) सिवाय चक काबिले काश्त पडत भूमि, भूमिहीनों में ही वितरण की गई है ।

(4) नाजायज कब्जे भूमिहीन व जो भूमिहीन नहीं हैं, दोनों प्रकार के व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष होते रहते हैं । फिलहाल 30091 मामले नाजायज कब्जों के विचाराधीन हैं ।

(5) नाजायज कब्ज करने पर भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर इसकी रोकथाम करने का प्रयास किया जाता है। 1960 से 1970 तक जितने मामलों में जुर्माना या सजा हुई उसकी सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बांसवाडा में तहसीलवार भूमिहीनों की सूची।

क्रमांक	नाम तहसील	सं. भूमिहीन
1.	बांसवाडा	4299
2.	घाटोल	6632
3.	गढी	3897
4.	कुशलगढ	1207
5.	बागीदोरा	2385
	कुल योग:—	18420

स्थगित प्रश्न

(11-11-70)

दुलियाबास

104. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दुलियावास, कस्बा सुजानगढ का ही एक अंग है और इसकी आबादी कस्बा सुजानगढ की आबादी से मिली हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में (सुजानगढ) को सुजानगढ कस्बे का ही एक अंग माना है ।

(3) क्या यह भी सही है कि सुजानगढ नगरपालिका की जो सीमा जरिये नोटिफिकेशन सं. 15 दिनांक 2 सितम्बर सन् 1929 राज श्री बीकानेर से घोषित की गई थी उसमें आबादी मौजा दुलिया नगरपालिका क्षेत्र सुजानगढ में शामिल थी ?

(श्री लाभचन्द वैद)

(4) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से भी दुलिया की बस्ती कस्बा सुजानगढ़ की नगरपालिका में शामिल रखी जानी उचित है ?

(5) क्या यह सही है कि पंचायतों के पुनर्गठन से पूर्व यह रकबा कभी भी पंचायत क्षेत्र में नहीं रहा ?

उत्तर

(1) ग्राम दुलिया कस्बा सुजानगढ़ का अंग नहीं है। यह सही है कि इसकी आबादी बढ़ते बढ़ते कस्बा सुजानगढ़ की आबादी से जा लगी है।

(2) राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 10-12-1960 में सुजानगढ़ की सीमा पर कुछ क्षेत्र को नगरपालिका सुजानगढ़ का अंग माना है। फसल में उल्लेखित मानचित्र के अभी उपलब्ध न होने से यह नहीं कहा जा सकता है कि वह क्षेत्र दुलिया ग्राम का है अथवा अन्य का।

(3) उक्त विज्ञप्ति में सुजानगढ म्युनिसिपैलिटी के अगून (पूर्व) की सीमा पर रकबा रोही सुजानगढ़ व आबादी मौजा दुलिया व रकबा मौजा दुलिया बताया गया है।

(4) जी हां।

(5) पंचायतों का पुनर्गठन 1959-60 में हुआ। पुनर्गठन के बाद यह क्षेत्र ग्राम पंचायत लोडसर में लगाया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार पुनर्गठन से पूर्व यह क्षेत्र ग्राम पंचायत मलसीसर में था।

चूरू जिले में छोटे उद्योग

105. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला किसान संघर्ष समिति को उसकी मांग संख्या 5 के लिये राज्य सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था छोटे छोटे उद्योग धंधे खोलने के लिये उद्योग विभाग एवं राजस्थान खादी बोर्ड परीक्षण कर उचित कार्यवाही करेंगे ?

(2) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ऊनी और सूती खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिय चूरू जिले में काफी काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त एक ऊनी मिल राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा चलाई जा रही है। राजस्थान में चल रहे दो रूरल प्रोजेक्ट में से एक चूरू में है। जो छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु सुविधायें प्रदान करता है।

चूरू जिले में मार्च, 70 तक कुल 350 औद्योगिक इकाइयों को पंजीकृत किया गया है तथा 246 योजनायें विभाग द्वारा अनुमोदित की गई हैं। मार्च, 1970 के पश्चात् माह सितम्बर तक 30 योजनायें स्वीकृत की गई तथा 24 औद्योगिक इकाइयों को पंजीकृत किया गया।

चूरू जिले को औद्योगिक दृष्टि से अभी हाल ही में बैकवर्ड एरिया घोषित किया गया

(उद्योग मन्त्री)

है। इससे जिले में लगने वाले नये उद्योगों को ऋण आदि की ज्यादा सुविधायें उपलब्ध होंगी।

ग्रामीण पेय जल योजना

106. श्री बालसिंह सोढ़ा (जसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में कुछ जिलों में ग्रामीण पेय जल योजना के तहत कुछ योजनायें चलाई जा रही हैं? अगर हां, तो किस जिले में कौन कौनसी योजनायें चल रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में रामगढ़ योजना स्वीकृत की गई थी और उसके कार्य के लिये पाइप भी रामगढ़, आज से चार वर्ष पूर्व पहुंच गये हैं? अगर हां, तो आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं करान के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि रामगढ़ में आज भी पेय जल का पूर्ण अभाव है? अगर हां, तो रामगढ़ से पाइप नागौर व अजमेर वापिस भेजने के क्या कारण है जब कि रामगढ के पास मीठा पानी भी पर्याप्त मात्रा में रनाऊ ट्यूब वेल में उपलब्ध है?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगला दांदू (पेंगोर) में डकैती का मामला

108. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगला दांदू (पेंगोर) थाना कुम्हेर जिला भरतपुर में श्री रामसिंह के यहां डकैती हुई है? यदि हां, तो उक्त डकैती में कितने का सामान लूटा गया है?

(2) क्या यह सही है कि नगला दांदू जहां डकैती पडी थी वहां से थाना कुम्हेर सिर्फ डेढ़-दो मील दूर है? यदि हां, तो पुलिस डकैती पडने से कितने घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची थी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त डकैती के संबंध में अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त डकैती का कोई सुराग पुलिस को चला है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त डकैती की तफतीश के संबंध में पुलिस द्वारा बरती गई उदासीनता से उस सारे इलाके में आतंक छा गया है और लोग अपनी जान माल को सुरक्षा के प्रति शंकित हो उठे हैं? यदि हां, तो इस संबध में राज्य सरकार न क्या कदम उठाया है?

उत्तर

(1) जी हां दिनांक 14।15-3-70 की रात को श्री रामसिंह निवासी नगला दांदू के यहां डकैती हुई। इस डकैती की एफ. आई.

(गृह मंत्री)

आर. में मुस्तगीस ने पहले 3580) रु. नकद और 7495) रु. का जेवरात लूटना दर्ज करवाया था। बाद में मुस्तगीस ने 32980) रु. की कीमत के जेवर व नकद लूटना बताया था। लूटे गये माल की सूची संलग्न है।

(2) नंगला बांबू से कुम्हेर थाना करीब 3 मील दूर है। डकैती करीब आधी रात को पड़ी थी जिसकी इत्तिला थाने में सुबह 6 बजे दी गई और पुलिस मौके पर 7 बजे सुबह पहुंच गई।

(3) जी नहीं, यह गलत है। इस डकैती के सिलसिले में पुलिस तफतीश से पाया गया है कि यह डकैती की बारदात कुख्यात डकैत सर्वण सिंह के गिरोह ने की है। जिसके 14 सदस्य उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दिनांक 22-7-70 को गिरफ्तार किये गये थ। गिरफ्तार शुदा सदस्यों में डकैत कृष्णवीर को भरतपुर लाया गया और उसकी शनाख्तगी कार्यवाही सही हो जाने पर दिनांक 10-9-70 को इसका चालान कर दिया गया। बकाया डकैतान को भरतपुर लाने की कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(4) जी नहीं, यह गलत है। न तो पुलिस द्वारा उदासीनता ही बरती गई और न ही लोगों में आतंक है। इस वारदात के बाद राजस्थान पुलिस व यू. पी. पुलिस से समनवय स्थापित कर सर्वणसिंह दल का पीछा किया जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में मई, 1970 में इस दस्यु दल के साथ मुकाबला हुआ। जिसमें तीन डकैत भगवत, बाबू, व उनके साथी मारे गये और चौथा डकैत पातीराम गिरफ्तार किया गया। इस दस्यु दल के साथ दूसरा मुकाबला उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिनांक 22-7-70 को किया जिसमें दल के नेता सर्वणसिंह और उसका भाई महाराजसिंह मारे गये तथा 14 डकैत गिरफ्तार किये गये जिनमें से कृष्ण वीर डकैत को भरतपुर लाया जाकर दिनांक 10-9-70 को उसका चालान किया गया। बकाया डकैतों को लाने की कार्यवाही की जा रही है। जो शीघ्र ही पूरी होगी।

तफमील घर के जेवर की तालिका

1. हंसली सोना 13 तोला कीमती 2600)
2. हंसली भर की 2॥ तोला कीमती 500)
3. गुलीबन्द सोना 2 तोला कीमती 500)
4. सीतारामी सोना 5 तोला कीमती 1000)
5. दकस्ते सोना 5 तोला कीमती 1000)
6. खडगा सोना 2 तोला 400)
7. टड्डे सोना 2॥ तोला कीमत 500)
8. अंगूठी झूमकी 14 आना भर कीमत 175)
9. खडवाधारी 2 बजनी 1 सेर की मत 400)
10. लच्छे भारी आधा सेर कीमत 120)

11. चूडी चोरी आधा सेर कीमत 120)
12. छागल 5।।। कीमत 180)
13. कोरमी 5।।। कीमत 180)-7000)-7575 नगरी 3500-11075) रु.

जेवर गिरवी का

1. मोटर सोने को 6 नग 6 तोला कीमत 1200)
2. हंसली भारी कड़े पैरों के 1 जोड़ी, पहुंची जोडी 1, तोला किला 850 ग्राम की. 100)
3. हंसली पत्तर सोने की 1।। तोला 300) सोने की लर ।।।) भर चांदी 15 व नरी 34 तोला कीमत 325)
4. चांदी के शलच्छ ओडमी 2 घारी, झूमकी सोने की 1 जोडो कीमत 200)
5. कड़े जोड़े 1 पैरों के 65 तोला कीमती 325)
6. मुर 8 तंड़िया जोड़ी 5 कीमत 55)
7. लच्छे भारी, छागल जोड़ी 1, 76 भर की कीमत 380)
8. पैरों के कड़े जोड़ी 1, 42 भर कीमत 200)
9. लच्छे 36 सेवा कड़े पैरों जोड़ी 1 कड़े हाथों के 1 जोड़ी तोले 2 किलो कीमत 800)
10. लच्छे 23 पैरों के लच्छे 4 छोटे 4 बड़े खार जोड़ी 1 बजनी 1 छागल जोड़ी 1 पायजेब जोड़ी 1 तोल 3 किलो की 1000)
11. कोबरी 1 तोल 40 भर कीमत 200)
12. सोने की चितपित्र 9 पथर के हाथों की जोड़ी पत्तर की हंसली भारी 18 तोला कीमती 400)
13. कड़े पैरों की चांदी के 60 भर कीमत 300)
14. चांदी के लच्छे 19-18 भर कीमत 105)
15. कोपीला चांदी नग 2 60 भर कीमत 250)
16. कड़े पैरों जोड़ी 1, 75 भर कीमत 375)
17. काबरी भरी 550 ग्राम फहर 6 कटला 1 में पुंछी 5 तोला पाठिक 1 बीज 18 कीमत 1500)
18. सोने के बाने जोड़ी 1, किमिपित्र 9, जोड़ी 1 चांदी हंसली साथ क कड़े 2 जोडी, कड़े जोड़ी 1 पूछी जोड़ी 1, झगडी जोडी 1, हुया जोड़ी 1, लच्छे 4, हथफूल 1 कीमत 1580
19. पैरों के कड़े जोड़ी 1, हाथों के कड़े 1 जोडी, 40 तोला कीमत 200)
20. चांदी हंसली 1 कड़े हाथों के 1 जोड़ी 50 ग्राम कीमत 225)
21. कड़े चांदी 1 जोड़ी सोने की हंसली मटर की 70 तोला कीमत 350)

22. सोने का जोडा 1, तर 6 का दो पव 7, 21 तोला कीमत 2200)
23. सोने की हंसली पतर की 1 तोला कीमत 200)
24. पूंच जोडी 1 हथफूल वरा जोड़ी 60 तीला कीमत 300)
25. बरा जोड़ी सोना 1 कडे हाथों के 1 जोडी पतर की तोला कीमत क00)
26. हंसली पतर की 1 कडे परों के कीमत 500)
27. कांसनी चांदी 143 भर कीमत 200)
28. चांदी की हसली, कडे हाथों के 1 जोडी, कडे पैरों के 1 जोडी पायजब 1 जोडी भंवरें 1 जोडी, कोंपनी 1 जोडी कीमत 1000)
29. कडे हाथों के 1 जोडी, कडे 1 जोडी. पाठिया सोने कीमत 300)
30. अबला सोना 1 तोला 3 कीमत 500)
31. गजरे जोडी 1, गट्ट 14-56 भर 275)
32. कांथी 1 गजरे जोडी बाजू जोडी 1, 60 भर कीमत 325)
33. कांथनी पैरों की 1 जोडी, कडे, गजरे जोडी 1, पहुंची जोडी 1 लच्छे 4 1·50 भर कीमत 600)
34. लच्छ 28, काबरी 38 भर कीमत 175)
35. लड सोने की 1। भर कीमत 260)
36. पैरों के कड़े जोड़ी 1 हाथों के कड़े जोड़ी 1, कोकनी, घुआ जोडी 1, कीमत 700
37. कठला 3 मोहर कीमत 500)
38. लच्छे चांदी के 16, गजरे जोडी, हथोडी की कडे जोडी 1, हाथों के जोडे कडे की जोडी 1, हाथों के कडे छोटे बडे जोडी 1, 8 भर कीमत 340)
39. बस्ते सोने के जोडी, 5 तोला 100)
40. कोवरी चांदी 1, 25 तोला 125)
41. कठला 6 मोहर चि 9 पीत्र का समेने का 7 तोरा 1400)
42. हंसली ठोस सोना 1, तोला 10 कीमत 2000)
43. कठला 6 मोहर 1-4।। तोला कीमती 900)
44. सेलवे सोवे का पतर टिकडी 5।5 तोला तोतेला कीमत 1000)
45. चांदी के लच्छे 22 घूघरू के लच्छे 2, छल्ला जोडी 1, वंगडी जोडी 1, हुआ जोडी 80 तोला, 440)
46. पैरों के खुडवा 3 जोडी 2 सेर, हंसली चांदी नग 4, 2।। सेर लच्छे 40) व डेढ़ सेर कांधनी 4, 2। सेर चवक चूडी 16, 5।। सेर, वंगडी जोडी 5-5।। हमेल चांदी 4, 2।। सेर हुआ जोडी 4-5।।।, हथफूल जोडी 5।। सेर, सांठ जीडो 4, दो सेर कुल 15 सेर कीमती 6000) रु. 32980) रु.

सब–इन्सपेक्टरों की नियुक्ति

115. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सन् 1966 में रूल्स जारी होने के बाद में कितने सब-इन्स-पेक्टर (एस. आई.) सीधी भर्ती के द्वारा और कितने विभागीय लिये गये हैं ?

(2) क्या इनकी सीनियोरिटी लिस्ट रेंज वाइज विभाग के पास है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सच है कि समस्त ऐसे लोगों को जिन्होंने सब–इन्सपेक्टर की ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है उन्हें प्रमोशन न देकर उन्हें अवनत किया गया है ?

(4) क्या यह सच है कि अनट्रेंड लोग जिन्होंने उक्त पद के लिये ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की जो इस पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या उपरोक्त पदोन्नति के विभागीय नियम हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में सन् 1966 के राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम जारी होने के बाद 153 एस. आई. सीधी भर्ती द्वारा व 265 एस. आई. विभागीय प्रमोशन द्वारा नियुक्त किय गय हैं।

(2) जी हां, सीनियोरिटी लिस्ट पूरे राज्य की है। सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, ट्रेन्ड अफसरों के न मिलने से सुटेबिल केन्डीडेट्स को वरिष्ठता के आधार पर बिना परीक्षा या ट्रेनिंग के एडहॉक बेसिस पर प्रमोशन दे दिया जाता है और फिर उनके द्वारा परीक्षा पास करने पर और ट्रेनिंग करने पर पक्का प्रमोशन दिया जाता है। अगर वे परीक्षा या ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं तो उन्हें रिवर्ट भी कर दिया जाता है।

(5) जी हां, पुलिस विभाग के लिये राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम बने हुये हैं जिनके नियम 23 व 24 में पदोन्नति होने के तरीके का पूर्ण विवरण है जिसकी प्रति संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 194 की सूची)

जिला कारागृह, कोटा एवं उप-कारागृह के बन्दियों की दो वर्ष की संख्या का प्रतिवेदन

(वर्ष 1968-69)

क्रमांक जेल का नाम	कुल कैपेसिटी	अप्रेल 68	मई 68	जून 68	जुलाई 68	अगस्त 68	सितम्बर 68	अक्टूबर 68	नवम्बर 69	दिसम्बर 68	जनवरी 69	फरवरी 69	मार्च 69
1. जिला कारागृह, कोटा	555	258	253	253	232	221	227	246	263	262	249	242	266
2. सब-जेल, बारां	80	58	61	59	50	53	60	57	61	57	62	53	55
3. सब-जेल, छबड़ा	40	16	17	19	24	14	19	14	9	21	13	9	28
4. सब-जेल, रामगंजमंडी	30	16	16	13	14	7	23	12	17	20	34	32	35
कुल योग	705	348	347	344	320	295	329	329	350	360	358	336	384

(वर्ष 1969-70)

क्रमांक जेल का नाम	कुल कैपेसिटी	अप्रेल 69	मई 69	जून 69	जुलाई 69	अगस्त 69	सितम्बर 69	अक्टूबर 69	नवम्बर 69	दिसम्बर 69	जनवरी 70	फरवरी 60	मार्च 70
1. जिला कारागृह, कोटा	555	269	292	283	316	339	309	306	277	247	451	425	231
2. सब-जेल, बारां	89	78	86	75	58	71	68	62	81	67	65	52	48
3. सब-जेल, छबड़ा	48	30	8	3	8	4	3	8	14	55	33	33	35
4. सब-जेल, रामगंजमंडी	38	21	16	18	19	11	14	11	19	18	19	10	15
कुल योग	705	398	402	379	392	425	394	387	391	387	568	520	327

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 206 की सूची)

नोहर योजना पर वर्षवार खर्चा निम्न प्रकार है :—

	(रुपये लाखों में)
1960–61 तक	2.31
1961–62 में	1.05
1962–63 में	0.80
1963–64 में	0.88
1964–65 में	0.96
1965–66 में	(–) 0.02
1966–67 में	1.84
1967–68 में	–
1968–69 में	–
1969–70 में	–
योग	7.82

नोहर (पुनर्स्थापन) योजना पर वर्ष वार खर्चा निम्न प्रकार है :—

	राजकीय अंश	बीमा ऋण	योग
1969–70	0.90	0.12	1.02
1970–71	0.13	0.15	0.28
(सितम्बर, 70 तक)		योग	1.30

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 207 की सूची)

जिला नागौर में पंचायत समिति जायल में खारे पानी वाले ग्रामों की सूची ।

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम
(1)	सुरपालियां	सुरपालियां
(2)	गुढा रली	गुढा रोहित
(3)	मन्डी गास	--
(4)	मौला मांगव	अकोडा
(5)	झारली	—
(6)	तानुरा	--
(7)	सोली	सोली
(8)	मांगोडा	मांगोडा
(9)	छापरा	भपता
(10)	खेरत	--
(11)	बोरत	--
(12)	जेनवा	कानेरा
(13)	अकोडा	अकोडा
(14)	डोडू	--
(15)	कागरीया	--
(16)	नीम्बरा	--
(17)	जालीन	--
(18)	बारनोल	—
(19)	अनहेगा	छाजली
(20)	सान्डेला	—
(21)	खानपुरा नारीयारा	—
(22)	सुरलियां	धागरडा
(23)	झालेता	रामगसर
(24)	रेर	—
(25)	भरवास	मरगोलड
(26)	मानशख	--
(27)	राबुया	—
(28)	लुनसर	लुनसर
(29)	बोलाली	बोलाली
(30)	हावला	—
(31)	कालडी	--
(32)	मुन्डी	—
(33)	खंर की वास	बोलबा
(34)	सोडू	खरत
(35)	टानेसी	--
(36)	डोडीरियां	--
(37)	केमुरीया	--

(38)	भीमोयाड	महोजोली
(39)	नारीयास	--
(40)	कमेरी	--
(41)	आहीरों की ढानी	--
(42)	[illegible]गली	--
(43)	थरोल	--

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर, 1970)

क्र. सं. 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
3	अंतिम से 10	श्री हरलाल देवपुरा	श्री हीरालाल देवपुरा
4	10	ओर	और
6	11	श्री भीखाई	श्री भीखाभाई
7	3	डे	डेक रैंट्री
8	9	त	तक
20	7	रिपोर्ट	रिपोर्ट
20	15	कोरणों	कारणों
25	अंतिम से 3	Cay	Say
26	,, 13	श्री गिरधारीलाल व्यास	श्री गिरधारीलाल व्यास
27	2	ीखा भाई	श्री भीखाभाई
28	14	श्री उ पध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
28	15	मेंने	मैंने
28	अंतिम	परटीक्यूल	पर्टीक्यलर
37	3	रिटार	रिटायर
42	अंतिम से 2	लगों	लोगों
43	,, 1	रकार	सरकार
46	3	आधार र	आधार पर
53	6	श्री उ । ध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
55	10	अज	अर्ज
56	अंतिम से 10	हम म	हक में
56	,, 6	प्रश्न । रर	प्रश्नोत्तर
57	शीर्ष	(श्री बालसिंह सोड़ा)	(श्री बालसिंह सोढा)
58	अंतिम से 1	होगा,	होना
60	2	सड़क के मांगे	सडक के टेन्डर मांगे
64	1	थेडे	थोडे
64	7	कन्डों	काण्डों
64	13	उसम	उसमें
69	2	रास्जथान	राजस्थान
83	13	समुचि	समुचित
97 से 128	शीर्षक	शासकीय व्यवस्था	शासकीय वक्तव्य
125	1	श्री दौलतराम सारण (डूंडर-गढ)	श्री दौलतराम सारण (डूंगर-गढ)
141	शीर्ष	(श्री शिधचरण माथुर)	(श्री शिवचरण माथुर)
141	4	उ युक्त	उपयुक्त
144	अंतिम से 3	पता	पिता

1	2	3	4
161	अंतिम से 14	सुविधाय	सुविधायें
171	,, 12	जाथेगा	जायेगा
174	8	क	का
178	अंतिम से 2	स्थित	स्थिति
179	, 7	डिलेक्अर	डिक्लेअर
182	, 5	सम्रया	समय
185	4	हृण्डनीय	दण्डनीय
186	17	श्रीर	श्रौर
188	अंतिम	आवश कता	आवश्यकता
195	1	श्री दुगालाल बाडदार	श्री दुर्गालाल बाढदार
201	7	परिक्थितियों	परिस्थितियों
204	2	(समय समाप्ति-भूचक घण्टा)	(समय समाप्ति सूचक घंटी)
204	17	आनोलन	आन्दोलन
208	अंतिम से 9	अभा	अभी
208	,, 8	हा ै	कहा में
209	14	श्री रामानन्द अग्रवास	श्री रामानन्द अग्रवाल
215	4	बाल	बोल
215	18	अध क्ष	अध्यक्ष
215	अंतिम से 5	श्री चन्द्र आर्य	श्री रामचन्द्र आर्य
216	9	श्री मोह लाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
225	18	त ा म	तमाम
229	5	विशाल	मिसाल
231	10	प्र ताव	प्रस्ताव
262	अंतिम से 6	क	के
267	,, 10	विस्तृने	विस्तृत
270	,, 12	ह	है
271	,, 18	करान	कराने
271	अंतिम से 6	न	ने
272	7	न	ने